NEXT IAS

THE CRUX

मई अंक 2026

मुख्य संपादक

बी. सिंह
CMD, NEXT IAS & MADE EASY Group

Published by:
MADE EASY Publications Pvt. Ltd.
Corporate Office: 44-A/4, Kalu Sarai, New Delhi-110016
Visit us at: www.madeeasypublications.org
☎ 011-45124660, 8860378007
E-mail: infomep@madeeasy.in

© Copyright 2026

MADE EASY Publications Pvt. Ltd. has taken due care in collecting the data before publishing this book. Inspite of this, if any inaccuracy or printing error occurs then MADE EASY Publications owes no responsibility. MADE EASY Publications will be grateful if you could point out any such error. Your suggestions will be appreciated. © All rights reserved by MADE EASY Publications Pvt. Ltd. No part of this book may be reproduced or utilized in any form without the written permission from the publisher.

Disclaimer: The views and opinions expressed in this magazine are those of the authors and do not necessarily reflect policy or position of CURRENT AFFAIRS Magazine or MADE EASY Publications. They should be understood as the personal opinions of the author/authors. The MADE EASY assumes no responsibility for views and opinions expressed nor does it vouch for any claims made in the advertisements published in the Magazine. While painstaking effort has been made to ensure the accuracy and authenticity of the informations published in the Magazine, neither Publisher, Editor or any of its employee does not accept any claim for compensation, if any data is wrong, abbreviated, cancelled, omitted or inserted incorrect.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without either the prior written permission of the Publisher.

1 मई से 31 मई 2026 तक यूपीएससी से संबंधित प्रासंगिक समसामयिकी का संकलन

विषय-सूची

विशेष लेख

नई श्रम संहिताएँ 14

भारत में महिलाएँ और पुरुष 2025 रिपोर्ट 15

रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी AI 17

वन अधिकार अधिनियम, 2006 19

भारत में ई-अपशिष्ट प्रबंधन 20

10वाँ हिन्द महासागर संवाद 21

भारत-वियतनाम 23

जलाशय के जलस्तर में गिरावट 25

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 27

भारत-दक्षिण कोरिया 29

मादक पदार्थों का खतरा 31

भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 33

असम में समान नागरिक संहिता (UCC) 36

स्वयं सहायता समूह 38

भारत में बांध सुरक्षा ढाँचा 39

कवर स्टोरी

भारत की शिक्षा प्रणाली 4

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 (NFHS-6) 7

जनसांख्यिकीय परिवर्तन 9

राज्य में राज्यपाल की भूमिका 12

Disclaimer:
MADE EASY Publications Pvt. Ltd. has taken due care in collecting the data before publishing this book. Inspite of this, if any inaccuracy or printing error occurs then MADE EASY Publications owes no responsibility. MADE EASY Publications will be grateful if you could point out any such error. Your suggestions will be appreciated. © All rights reserved by MADE EASY Publications Pvt. Ltd. No part of this book may be reproduced or utilized in any form without the written permission from the publisher.

विषय-सूची | संक्षिप्त लेख

1. राजव्यवस्था एवं शासन

भारत में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में वृद्धि 41
सिक्किम: भारत का पहला कागजरहित न्यायपालिकायुक्त राज्य....42
नागरिकता नियमों में परिवर्तन, 2026 42
भगोड़े आर्थिक अपराधी (FEOS) 42
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2026 43
आदर्श आचार संहिता (MCC) 43
जबरन एसिड पिलाना 44
जनहित याचिका (PIL) 44
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) 2.0 दिशानिर्देश 45
राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 45
कर्नाटक की नई गिग श्रमिक शिकायत निवारण प्रणाली 46
अनुच्छेद 26(b) और बहिष्कार 46
वन केस वन डेटा तथा 'सु सहाय' पहल 47
फोरम ऑफ रेगुलटर्स 47
राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, 2025 47
सेहत मिशन 48
त्वरित विचारण का अधिकार 48
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का त्रिभाषा सूत्र 49
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 49
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, BCCI पर लागू नहीं 50
रेबीजग्रस्त एवं खतरनाक आवारा कुत्तों के लिए इच्छामृत्यु 50
गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) 51
आयुष अनुदान पोर्टल 51
न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 52
राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम, 2022 में प्रस्तावित संशोधन 52
भव्य (BHAVYA) योजना 53
जीवन ऐप एवं शतायु डैशबोर्ड 53
PMFME योजना 54
राष्ट्रीय खेल शासन नियम, 2026 54
पूर्ण न्याय 55
मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 56
अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस 56
भारत में अपराध रिपोर्ट 2024 57

2. अंतरराष्ट्रीय संबंध

संयुक्त राष्ट्र महासचिव का निर्वाचन 58
यूरोपीय संघ-मर्कोसुर व्यापार समझौता 58
प्रोजेक्ट फ्रीडम 59
भारत-श्रीलंका आर्थिक सहयोग 59
फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत का दो-राष्ट्र समाधान का समर्थन 60
प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात यात्रा 60
किम्बर्ली प्रक्रिया 61
थ्यूसीडिडीज ट्रैप 62
सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायाधिकरण का निर्णय 62
भारत-इटली विशेष सामरिक साझेदारी 62
प्रधानमंत्री मोदी को एग्रीकोला पदक 63
उपहारों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक कूटनीति 63
भारत द्वारा इथियोपिया के WTO में प्रवेश का समर्थन 64
एशियाई उत्पादकता संगठन (APO) 64
शांति स्थापना अभियानों के समक्ष खतरे 64
क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 65
क्वाड-एट-सी पोत पर्यवेक्षक मिशन 66
भारत-त्रिनिदाद अभिलेखीय समझौता एवं गिरमिटिया समुदाय की विरासत 66
नाटो द्वारा बाल्टिक रक्षा संरचना का सुदृढ़ीकरण 67

3. अर्थव्यवस्था

विगत जोखिम एवं प्रतिफल सत्यापन एजेंसी (PARRVA) 68
विमानन टर्बाइन ईंधन (ATF) 68
अप्रैल 2026 में रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह 68
विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएँ रिपोर्ट 69
इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद (EGRS) 69
अरुणाचल कीवी मिशन 70
डॉलर-रुपया स्वैप नीलामी 71
'3F' चिंताएँ: ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा 71
रसायनों पर एंटी-डंपिंग शुल्क को लेकर चिंताएँ 72
उद्गम (UDGAM) पोर्टल 74
तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान 74
फेमा (FEMA) के अंतर्गत FDI मानदंडों में ढील 74
UPI के गौरवपूर्ण 10 वर्ष 75
औद्योगिक ऊष्मा का डीकार्बोनाइजेशन 76
देखभाल अर्थव्यवस्था 77
एआई-संचालित श्रम बाजार के लिए आजीवन अधिगम 77
परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड 78
सतत कृषि 78
राष्ट्रीय जूट बोर्ड एवं जूट फसल सूचना प्रणाली 79
खाद्य की नई भू-राजनीति 80
दक्षिण तट रेलवे जोन 80
भारत की स्वर्ण आयात चुनौती और UAE से जुड़े व्यापारिक मुद्दे 81
भारत द्वारा स्वर्ण आयात शुल्क में वृद्धि और आर्थिक चिंताएँ 82
2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा के लिए भारत की रूपरेखा 82
भारत के आयात बिल में चेतावनी के संकेत 83
MSMES: भारत के समावेशी विकास की रीढ़ 84
मिजोरम अदरक मिशन 85
चीनी निर्यात प्रतिबंध 85
असम का पहला वैध अगरवुड निर्यात 85
अमेरिकी शुल्कों के बावजूद भारत के कृषि निर्यात में वृद्धि 86
विदहोल्डिंग टैक्स 87
भारत में गुड़ क्षेत्र 87
AI-केंद्रित वैश्विक क्षमता केंद्र 88
भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र 89
आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (ECLGS) 5.0 90
भारतीय रुपये का अवमूल्यन 90
संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम 91
भारत के GDP आधार वर्ष का संशोधन 91

4. पर्यावरण

रू-सोम पुल 92
साइबॉर्ग वनस्पति विज्ञान 92
पारिस्थितिकी-संहार 92
भारत का पहला उपग्रह-टैगयुक्त गंगा सॉफ्ट-शेल कछुआ 93
जेनेटिक 'मैप' से पैंगोलिन की तस्करी का पता लगाने में मदद 94
स्पर्म व्हेल 95
शहरी ऊष्मा द्वीप 95
सारंडा वन 95
कलाई-II हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर व्हाइट-बेलीड हेरॉन (सफेद पेट वाले बगुले) के बारे में चिंताएँ 96
जलकुंभी आजीविका पहल 96

5. भूगोल

अंडमान ने बनाए दो गिनीज विश्व रिकॉर्ड 98
तंजानिया 98
तीस्ता नदी 99
जमैका 99
IMD द्वारा ब्लॉक-स्तरीय मानसून पूर्वानुमान प्रणाली प्रारम्भ 100
कैनरी द्वीपसमूह 101
आकाशीय विद्युत से होने वाली मौतों में लगातार वृद्धि 101
प्रातास (PRATAS) द्वीपसमूह 102
लाटविया 103
लिपुलेख दर्रा 103

6. आंतरिक सुरक्षा

नेवल एंटी-शिप मिसाइल-शॉर्ट रेंज (NASM-SR) 104
तारा ग्लाइड आयुध 104
मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री-एंट्री व्हीकल सिस्टम 104
लॉन्ग ड्यूरेशन स्क्रैमजेट कम्बस्टर 105
डिजिटल युग में भारत की महत्त्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा 105
ओरेशनिक मिसाइल 106
वाडीनार जहाज मरम्मत सुविधा 106

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

गैलेक्सआई द्वारा मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण 108
हंटावायरस प्रकोप 108
अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (ISO) 108
समरूपी अभिवृद्धि 109
एप्निया टेस्ट 109
सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट प्रणाली 109
अल्जाइमर रोग 110
वैश्विक संपर्क के युग में डिजिटल चोकपॉइंट्स 110
कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड 111
इबोला प्रकोप 111
अभय: एआई-संचालित सत्यापन प्रणाली 112
स्माइल मिशन 112
ज्वान-वुल्फ इफेक्ट 112
अनुसंधान एवं विकास (R&D) करने में सुगमता 113
साइबर युद्ध 113
मायोपिया महामारी 114
गूगल के 'इन्फॉर्मेशन एजेंट्स' 115
फ्रैक्शनल क्वांटम हॉल इफेक्ट 115
कार्बन-रहित फेरोसीन में सफलता 116
भारत वाई-फाई 7 (WI-FI 7) युग में प्रवेश 116
भारत-अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क 117
उम्मीद कार्यक्रम 117
मलेरिया उन्मूलन 118
बेबेसिया संक्रमण 118

8. समाज

वृद्ध होती भारत की जनसंख्या में वरिष्ठ नागरिक देखभाल प्रणाली 119
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एडवाइजरी 120
भारत में यातायात दुर्घटनाएँ 121

9. संस्कृति एवं इतिहास

कोमागाटा मारू घटना (1914) 122
तात्या टोपे 122
गिरमिटिया समुदाय 122
रवीन्द्रनाथ टैगोर 123
सोमनाथ मंदिर 123
महाराणा प्रताप 124
बैगा जनजाति 124
सरदार वल्लभ भाई पटेल 125
भोजशाला परिसर 125
वीरा पासी 125
पद्म पुरस्कार 126
अलगोजा 126

10. विविध

पंचायत उन्नयन सूचकांक (PAI) 2.0 रिपोर्ट 127
पुलित्जर पुरस्कार, 2026 127
विश्व प्रवासन प्रतिवेदन, 2026 127
राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, 2026 128
अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, 2026 128
वर्ष का लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 129
बदलते मौसम प्रतिरूप 129

डेटा पुनर्कथन 131

स्वयं परीक्षण 132

भारत की शिक्षा प्रणाली

सांख्यिकी मंत्रालय ने एनएसएस के 80वें दौर के अंतर्गत सीएमएस-शिक्षा 2025 जारी किया तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने एबीएसएस 2025 का उद्घाटन किया और नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 के पाँच वर्षों के कार्यान्वयन की उपलब्धियों तथा जारी चुनौतियों पर प्रकाश डाला।

भारत में शिक्षा की स्थिति

- **स्कूल नामांकन का स्वरूप:** सरकारी स्कूल भारत की शिक्षा व्यवस्था में अब भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और कुल नामांकन का 55.9% हिस्सा इन्हीं में है। ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी भूमिका और अधिक मजबूत है, जहाँ 66% नामांकन सरकारी स्कूलों में है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 30.1% है।
- **शिक्षा पर व्यय:** प्रति छात्र औसत खर्च ग्रामीण भारत की तुलना में शहरी क्षेत्रों में काफी अधिक है। सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों को मिलाकर प्रति छात्र वार्षिक औसत खर्च ग्रामीण क्षेत्रों में 8,382 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 23,470 रुपये है।
- **निजी कोचिंग पर निर्भरता:** लगभग 27% छात्र शैक्षणिक वर्ष के दौरान निजी कोचिंग लेते हैं। शहरी क्षेत्रों में कोचिंग पर निर्भरता 30.7% है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 25.5% है। यह बढ़ती प्रतिस्पर्धा और कक्षा में होने वाली पढ़ाई की गुणवत्ता को लेकर चिंताओं को दर्शाता है।
- **शिक्षा के लिए वित्त के स्रोत:** लगभग 95% शिक्षा व्यय का खर्च परिवार या घर के सदस्यों द्वारा वहन किया जाता है। केवल 1.2% छात्रों ने सरकारी छात्रवृत्ति को अपनी शिक्षा के लिए वित्त का मुख्य स्रोत बताया।

भारत के शिक्षा परिदृश्य को आकार देने वाले प्रमुख घटनाक्रम

- **डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा का विस्तार:** ऑनलाइन और हाइब्रिड शिक्षा प्रणाली ने, विशेषकर दूर-दराज के क्षेत्रों में, शिक्षा तक पहुँच का विस्तार किया है। पीएम ई-विद्या जैसी पहल और एडटेक क्षेत्र में बढ़ते निवेश ने इस बदलाव को समर्थन दिया है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के एडटेक क्षेत्र को 3.94 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश प्राप्त हुआ और 2025 तक इसके और बढ़ने की उम्मीद है।
- **स्टेम (STEM) शिक्षा का विकास:** देशभर में 8,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से STEM शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये लैब छात्रों में रचनात्मकता, नवाचार और वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करती हैं।
- **व्यावसायिक और कौशल आधारित शिक्षा:** नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 ने रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक एवं कौशल आधारित शिक्षा को शामिल किया है। स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में लाखों युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में शिक्षा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हेतु 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, ताकि उन्नत तकनीकी कौशल को मजबूत किया जा सके।
- **निजी निवेश और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में वृद्धि:** सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में आधारभूत ढाँचे को बेहतर बनाने और वैश्विक भागीदारी बढ़ाने के लिए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दी है। 2032 तक भारत का स्कूल बाजार 125.8 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है। अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 के बीच शिक्षा क्षेत्र में कुल 83,550 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आया।
- **उच्च शिक्षा का विस्तार:** वित्त वर्ष 2024-25 तक भारत में 1,362 विश्वविद्यालय और 52,538 कॉलेज हैं। 2020 से 2025 के बीच उच्च शिक्षा क्षेत्र में लगभग 10% की वृद्धि दर्ज की गई। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) बढ़कर 28.4% हो गया है।
- **अनुसंधान और नवाचार:** अनुसंधान और नवाचार को निम्नलिखित पहलों के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है
  - अटल नवाचार मिशन (AIM),
  - उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार (RISE), तथा
  - अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF)
- **क्षेत्रीय भाषा और समावेशी शिक्षा:** नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 असमानताओं को कम करने और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देती है। सरकार ने अनेक भारतीय भाषाओं में डिजिटल शिक्षण सामग्री विकसित करने के लिए पीएम ई-विद्या के अंतर्गत 500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020

- **नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 के बारे में:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य शिक्षा में गुणवत्ता, समानता, पहुँच और वहनीयता से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करना है। इसने 34 वर्षों के बाद 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्थान लिया। यह नीति डॉ. के. कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों पर आधारित है।
- **नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 की प्रमुख विशेषताएँ और उपलब्धियाँ:**
  - **पाठ्यक्रम और स्कूल संरचना में सुधार:**
    - नई शिक्षा नीति 2020 ने पहले की 10+2 प्रणाली के स्थान पर 5+3+3+4 पाठ्यक्रम संरचना लागू की।
    - स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF-SE) अनुभव आधारित और दक्षता आधारित शिक्षा को बढ़ावा देती है।
    - प्रारंभिक वर्षों में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया गया है।
  - **आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान:** निपुण भारत और विद्या प्रवेश जैसे कार्यक्रम 8.9 लाख स्कूलों के 4.2 करोड़ से अधिक छात्रों तक पहुँच चुके हैं। इन पहलों का उद्देश्य आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान (FLN) को मजबूत करना है।
  - **शिक्षक प्रशिक्षण:** DIKSHA और पीएम ई-विद्या जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से निष्ठा (NISHTHA) कार्यक्रम के अंतर्गत 4 लाख से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है।
  - **समावेशी शिक्षा:** सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों (SEDGs) के 1.15 लाख से अधिक छात्र तथा 7.58 लाख बालिकाओं ने आवासीय विद्यालयों में प्रवेश लिया है। प्रशस्त (PRASHAST) ऐप छात्रों में दिव्यांगता की पहचान करने में सहायता करता है।

- **उच्च शिक्षा में सुधार:**
  - नई शिक्षा नीति 2020 विश्वस्तरीय उच्च शिक्षा के लिए बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय (MERUs) को बढ़ावा देती है।
  - अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC) लचीली शिक्षा और क्रेडिट हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है।
  - इस नीति में उच्च शिक्षा में एक से अधिक बार प्रवेश और निकास (Multiple Entry and EXit) की व्यवस्था भी शुरू की गई है।
- **डिजिटल शिक्षा पहल:** लगभग 72% स्कूलों में अब इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। विद्यांजलि, DIKSHA, पीएम ई-विद्या, ई-जादुई पिटारा तथा कथा सखी और टीचर तारा जैसे AI आधारित उपकरण शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कर रहे हैं।
- **सामान्य प्रवेश परीक्षा** 2022 में शुरू की गई कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) स्नातक प्रवेश के लिए एक प्रमुख माध्यम बन गई है।

नई शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन की चुनौतियाँ

- तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे कई राज्यों ने तीन-भाषा सूत्र, मातृभाषा में शिक्षा तथा सामान्य प्रवेश परीक्षा से जुड़े कुछ प्रावधानों का विरोध किया है।
- भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI) की स्थापना तथा शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के कार्यान्वयन में हुई देरी ने भी प्रगति को प्रभावित किया है।
- कमजोर निगरानी व्यवस्था और संस्थागत प्रतिरोध अभी भी इसके प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा बने हुए हैं।

भारत के शिक्षा क्षेत्र में प्रमुख चुनौतियाँ

- **संवैधानिक आधार:** अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है, जिसे 86वें संविधान संशोधन (2002) का समर्थन प्राप्त है। हालाँकि, शिक्षा समवर्ती सूची (प्रविष्टि 25) का विषय होने के कारण केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय अभी भी कमजोर है, जिससे नीति के उद्देश्य और जमीनी स्तर पर उसके कार्यान्वयन के बीच अंतर बना हुआ है।
- **उच्च शिक्षा का विनियमन:** नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अंतर्गत यूजीसी (UGC) के स्थान पर भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI) स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह अधिक संस्थागत स्वायत्तता और मजबूत जवाबदेही की दिशा में बदलाव को दर्शाता है। यह एक महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार है, जिसका पूर्ण कार्यान्वयन अभी बाकी है।
- **लैंगिक और सामाजिक समानता:**
  - बालिकाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के छात्रों और प्रवासी श्रमिकों के बच्चों में पढ़ाई छोड़ने की दर काफी अधिक है।
  - कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय जैसी लक्षित योजनाएँ इस समस्या के समाधान का प्रयास करती हैं, लेकिन इनके परिणाम अभी सीमित हैं।
  - मूल दस्तावेज में केवल सामान्य रूप से 'कमजोर पृष्ठभूमि' का उल्लेख है, जबकि इस पहलू को पर्याप्त रूप से नहीं दर्शाया गया है।
  - बालिकाओं में पढ़ाई छोड़ने की दर अब भी अधिक है। यूनिसेफ के आँकड़ों के अनुसार, लगभग 33% बालिकाएँ घरेलू जिम्मेदारियों के कारण पढ़ाई छोड़ देती हैं।
  - जनजातीय और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को अब भी शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को अक्सर भाषा संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- **संघवाद और नई शिक्षा नीति (NEP) का कार्यान्वयन:**
  - चूँकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 की सफलता के लिए राज्यों का सहयोग आवश्यक है।
  - हालाँकि, कई राज्यों ने भाषाई और सांस्कृतिक स्वायत्तता की चिंता जताते हुए तीन-भाषा सूत्र का खुलकर विरोध किया है। केंद्र और राज्यों के बीच यह तनाव समान रूप से नीति लागू करने में एक बड़ी बाधा है।
- **भारत की वैश्विक शैक्षिक स्थिति:**
  - भारत ने 2009 में खराब प्रदर्शन के बाद पीसा (PISA) मूल्यांकन से अपना नाम वापस ले लिया था और अब तक इसमें दोबारा शामिल नहीं हुआ है। नई शिक्षा नीति 2020 ने 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) को 50% तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा है।
  - ये मानक यह समझने में मदद करते हैं कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को अभी कितनी आगे बढ़ने की आवश्यकता है।
- **आधारभूत संरचना की कमी:** ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के अनेक स्कूलों में अब भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।
  - सरकारी आँकड़ों (2023) के अनुसार, केवल 47% स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा है और 53% स्कूलों में बालिकाओं के लिए अलग शौचालय उपलब्ध हैं।
- **शिक्षकों की कमी और गुणवत्ता संबंधी समस्याएँ:**
  - 2021-22 से 2023-24 के बीच स्वीकृत शिक्षकों के पदों में 6% की कमी आई है।
  - 4,500 से अधिक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के पास आवश्यक योग्यताएँ नहीं हैं।
  - 25% से भी कम शिक्षकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त होता है।
- **शिक्षा पर कम सार्वजनिक निवेश:** भारत शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का केवल लगभग 3-4% खर्च करता है, जो नई शिक्षा नीति (NEP) के 6% जीडीपी के लक्ष्य से कम है।
- **रटकर सीखने की प्रवृत्ति का बने रहना:** कक्षा 3 के लगभग 75% छात्र कक्षा 2 स्तर का पाठ पढ़ने में सक्षम नहीं हैं। दक्षता आधारित शिक्षा (Competency-based Learning) का व्यापक स्तर पर अभी तक प्रभावी कार्यान्वयन नहीं हो पाया है।
- **डिजिटल विभाजन:**
  - ग्रामीण क्षेत्रों के केवल 18.47% स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 47.29% है।
  - यूडीआईएसई+ (UDISE+) 2023-24 के अनुसार, केवल 57.2% स्कूलों में कार्यशील कंप्यूटर हैं और 53.9% स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है।
- **पेपर लीक:**
  - भारत में सार्वजनिक परीक्षाओं के प्रश्नपत्र बार-बार लीक होने की समस्या योग्यता आधारित चयन प्रणाली को कमजोर करती है,

वितरणात्मक न्याय का उल्लंघन करती है और लाखों अभ्यर्थियों को गहरा मानसिक तथा आर्थिक आघात पहुँचाती है।

अन्य देशों के उदाहरण

- चीन में अत्यधिक केंद्रीकृत शिक्षा प्रणाली है। यहाँ विद्यार्थी 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी करते हैं, जिसमें 6 वर्ष प्राथमिक, 3 वर्ष निम्न माध्यमिक और 3 वर्ष उच्च माध्यमिक शिक्षा शामिल होती है। इसके बाद छात्र गाओकाओ (Gaokao) नामक राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा देते हैं। विश्वविद्यालयों में प्रवेश मुख्य रूप से प्रांत-आधारित रैंकिंग के आधार पर इसी परीक्षा के परिणाम से तय होता है।
- सिंगापुर में सुव्यवस्थित स्तरबद्ध (Tiered) शिक्षा प्रणाली है। यहाँ 6 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा के बाद प्राइमरी स्कूल लीविंग एग्जामिनेशन (PSLE) आयोजित होती है, जिसके आधार पर छात्रों को माध्यमिक शिक्षा की विभिन्न धाराओं (Secondary Tracks) में भेजा जाता है।
  - इसके बाद छात्र O-Levels/N-Levels की परीक्षा देते हैं और फिर A-Levels, पॉलिटेक्निक या आईटीई (Institute of Technical Education - ITE) में आगे की पढ़ाई करते हैं। इन परीक्षाओं का संचालन सिंगापुर एग्जामिनेशन्स एंड असेसमेंट बोर्ड (SEAB) द्वारा किया जाता है। इसलिए यह प्रणाली केंद्रीकृत है, लेकिन चीन की तुलना में कम परीक्षा-केंद्रित (Less High-Stakes) मानी जाती है।
- अमेरिका में विकेंद्रीकृत K-12 शिक्षा प्रणाली है, जहाँ पाठ्यक्रम का निर्धारण राज्यों द्वारा किया जाता है और कोई राष्ट्रीय परीक्षा नहीं होती।
  - कॉलेजों में प्रवेश समग्र मूल्यांकन (Holistic Assessment) के आधार पर होता है, जिसमें ग्रेड प्वाइंट एवरेज (GPA), SAT/ACT परीक्षा, निबंध (Essays) और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों (Extracurricular Activities) को महत्त्व दिया जाता है। चीन और सिंगापुर के विपरीत, अमेरिका में SAT/ACT परीक्षाएँ अनिवार्य नहीं हैं और इनका संचालन निजी गैर-लाभकारी संस्थाएँ (Private Non-profit Organizations) करती हैं।

- यह संरचनात्मक कमजोरी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की संस्थागत और संचालन संबंधी सीमाओं से गहराई से जुड़ी हुई है।
  - **वैधानिक कमी:** संवैधानिक संस्था यूपीएससी (UPSC) के विपरीत, एनटीए (NTA) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक "सोसायटी" के रूप में कार्य करती है। इसके कारण इसकी प्रशासनिक शक्तियाँ सीमित हैं और इसकी संप्रभु जवाबदेही भी अपेक्षाकृत कम मानी जाती है।
  - **कर्मियों की कमी:** एजेंसी के पास स्थायी संस्थागत कर्मचारी नहीं हैं। यह मुख्य रूप से संविदा कर्मचारियों और प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों पर निर्भर रहती है, जिससे दीर्घकालिक सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी गोपनीयता की संस्कृति प्रभावित होती है।
  - **एकल विफलता का जोखिम:** "मेगा परीक्षा" मॉडल (एक ही दिन में पेन और पेपर माध्यम से 20 लाख से अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षा) ऐसा जोखिम उत्पन्न करता है कि यदि किसी एक स्थान पर भी सुरक्षा में चूक हो जाए, तो पूरी राष्ट्रीय परीक्षा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
  - **आउटसोर्सिंग से जुड़ी कमजोरियाँ:** प्रश्नपत्रों की छपाई, परिवहन और परीक्षा केंद्रों पर निगरानी जैसे कार्यों के लिए निजी एजेंसियों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण कई ऐसे मानवीय संपर्क बिंदु बन जाते हैं, जिनका संगठित नकल गिरोह दुरुपयोग कर सकते हैं।

भारत में शिक्षा को मजबूत करने के लिए जरूरी उपाय

- **आधारभूत संरचना में सुधार:** स्कूलों में सुरक्षित कक्षाएँ, पीने का पानी, बिजली, शौचालय, खेल के मैदान और डिजिटल आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के लिए अधिक निवेश की आवश्यकता है।
- **शिक्षक प्रशिक्षण को मजबूत बनाना:** शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण पद्धति, प्रौद्योगिकी के उपयोग और विषय विशेषज्ञता में व्यवस्थित प्रारंभिक तथा निरंतर व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- **सार्वजनिक निवेश बढ़ाना:** शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को नई शिक्षा नीति (NEP) के 6% जीडीपी के लक्ष्य के अनुरूप बढ़ाया जाना चाहिए। सार्वजनिक-निजी भागीदारी और लक्षित अनुदान भी शिक्षा की गुणवत्ता और पहुँच में सुधार कर सकते हैं।
- **समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना:** जनजातीय और वंचित बच्चों के लिए बहुभाषी शिक्षा, ब्रिज कोर्स तथा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जैसी योजनाओं के विस्तार के माध्यम से अधिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
- **पाठ्यक्रम और मूल्यांकन में सुधार:** परख (PARAKH) जैसी पहलों के माध्यम से आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता, परियोजना आधारित शिक्षा और दक्षता आधारित मूल्यांकन को बढ़ावा देकर शिक्षा को "रटने से समझने" की ओर ले जाना चाहिए।
- **डिजिटल विभाजन को कम करना:** ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार किया जाना चाहिए। शिक्षकों और छात्रों, दोनों के लिए किफायती डिजिटल उपकरण और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम आवश्यक हैं।
- **लैंगिक समावेशन को बढ़ावा देना:** विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए छात्रवृत्ति, सुरक्षा उपाय, जागरूकता अभियान और लक्षित सहायता आवश्यक हैं।
- **अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना:** शिक्षकों, नीति निर्माताओं, तकनीकी विशेषज्ञों और सामाजिक वैज्ञानिकों के बीच अनुसंधान, नवाचार और बहुविषयक सहयोग के लिए अधिक निवेश की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

- भारत के शिक्षा क्षेत्र में नई शिक्षा नीति (NEP) 2020, डिजिटल शिक्षा पहल, कौशल आधारित शिक्षा और उच्च शिक्षा के विस्तार के माध्यम से महत्त्वपूर्ण सुधार हुए हैं।
- हालाँकि, आधारभूत संरचना की कमी, शिक्षकों की कमी, सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ, डिजिटल विभाजन और असमान कार्यान्वयन जैसी चुनौतियाँ अब भी शिक्षा के परिणामों को प्रभावित कर रही हैं।
- सुशासन को मजबूत बनाना, शिक्षा में सार्वजनिक निवेश बढ़ाना, समावेशी और बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना तथा नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना एक समान, लचीली और भविष्य के लिए तैयार शिक्षा प्रणाली के निर्माण के लिए आवश्यक है, जो एसडीजी 4 के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य के अनुरूप हो।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 (NFHS-6)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)-6 जारी किया गया।

NFHS-6

- यह सर्वेक्षण 2023-24 के दौरान मुंबई स्थित अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (IIPS) को नोडल एजेंसी बनाकर किया गया। इसमें 715 जिलों के लगभग 6.79 लाख परिवारों को शामिल किया गया।
- यह सर्वेक्षण जनसंख्या, स्वास्थ्य, पोषण, परिवार कल्याण, महिला सशक्तीकरण और रोगों के बोझ से संबंधित महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, जिससे जिला स्तर तक नीतियाँ बनाने और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में सहायता मिलती है।

NFHS-6 का महत्त्व

- NFHS-6 भारत के जनसांख्यिकीय, स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक विकास से जुड़े संकेतकों का आकलन करने वाला सबसे महत्त्वपूर्ण डेटाबेस में से एक है। यह सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने और उभरती विकास संबंधी चुनौतियों की पहचान करने में मदद करता है।
- इसके निष्कर्ष मानव विकास के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों के साथ-साथ जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के बढ़ते बोझ को भी दर्शाते हैं।

माँ और बच्चे की सेहत और पोषण के नतीजे

- भारत में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में महत्त्वपूर्ण सुधार दर्ज किया गया है। लगभग 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसवपूर्व देखभाल (ANC) मिली, जबकि गर्भावस्था की पहली तिमाही में ANC प्राप्त करने वाली माताओं का प्रतिशत 70.0% से बढ़कर 76.2% हो गया।
- संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए, जबकि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की देखरेख में हुए प्रसव 89.4% से बढ़कर 91.3% हो गए, जो मातृ स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर विस्तार को दर्शाता है।
- मातृ पोषण में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। गर्भावस्था के दौरान 100 दिन या उससे अधिक समय तक आयरन-फोलिक एसिड (IFA) की गोलियाँ लेने वाली महिलाओं का प्रतिशत 44.1% से बढ़कर 54.9% हो गया, जबकि 180 दिन या उससे अधिक समय तक IFA लेने वाली महिलाओं का प्रतिशत 26.0% से बढ़कर 37.8% हो गया।
- बाल स्वास्थ्य संकेतकों में भी लगातार सुधार देखा गया। 12-23 महीने के बच्चों में पूर्ण टीकाकरण का प्रतिशत 83.8% से बढ़कर 87.1% हो गया। लगभग 95.6% बच्चों को अधिकांश टीके सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से मिले, जबकि कम से कम एक टीका प्राप्त करने वाले बच्चों का प्रतिशत 96% से अधिक रहा।
- स्तनपान की स्थिति भी मजबूत रही। सर्वेक्षण अवधि के दौरान छह महीने से कम आयु के 95.6% बच्चों को स्तनपान कराया गया।
- बच्चों के पोषण संबंधी संकेतकों में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ। अवरुद्ध वृद्धि (Stunting) 35.5% से घटकर 29.3% हो गई, जबकि गंभीर क्षीणता (Severe Wasting) 7.7% से घटकर 5.2% हो गई। कम वजन वाले बच्चों का प्रतिशत भी 32.1% से घटकर 31.8% हो गया।
- वहीं, सिजेरियन प्रसव में तेज वृद्धि दर्ज की गई। यह 21.5% से बढ़कर 27.2% हो गया, जबकि शहरी क्षेत्रों में इसकी दर 40% तक पहुँच गई, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा सुझाई गई 10-15% की सीमा से काफी अधिक है।

जनसांख्यिकीय और परिवार कल्याण संबंधी रुझान

- NFHS-6 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) 2.0 दर्ज की गई, जो जनसंख्या स्थिरीकरण की दिशा में निरंतर प्रगति को दर्शाती है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) सांख्यिकीय रिपोर्ट 2024 के अनुसार, भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) घटकर 1.9 हो गई है।
- गर्भनिरोधक प्रचलन दर (CPR) 66.7% से बढ़कर 69.1% हो गई, जो परिवार नियोजन उपायों को अधिक अपनाने तथा मातृ और शिशु कल्याण पर बढ़ते ध्यान को दर्शाती है।
  - CPR का सामान्य अर्थ है, किसी निश्चित समय पर प्रजनन आयु (15-49 वर्ष) की उन महिलाओं का प्रतिशत जो किसी भी प्रकार के गर्भनिरोधक साधन का उपयोग कर रही हों।
  - आमतौर पर इसकी गणना प्रजनन आयु की विवाहित महिलाओं के लिए की जाती है, लेकिन कभी-कभी गर्भधारण के जोखिम वाली प्रजनन आयु की सभी महिलाओं जैसे अन्य समूहों के लिए भी की जाती है।
- ये रुझान प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं और परिवार कल्याण कार्यक्रमों में सुधार के साथ-साथ जनसंख्या परिवर्तन की निरंतर प्रक्रिया को दर्शाते हैं।

गैर-संचारी रोग और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियाँ

- NFHS-6 देशभर में मोटापा और मधुमेह के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है, जो गैर-संचारी रोगों (NCDs) के बढ़ते बोझ का संकेत है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, मोटापा शरीर में असामान्य या अत्यधिक वसा जमा होने की स्थिति है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ जाते हैं। इसे सामान्यत: बॉडी मास इंडेक्स (BMI) के आधार पर मापा जाता है।
- महिलाओं में मोटापा 24% से बढ़कर 30.7% हो गया, जबकि शहरी महिलाओं में इसकी दर 42.8% रही, जो ग्रामीण क्षेत्रों की 25.5% की तुलना में काफी अधिक है।
- पुरुषों में मोटापा 22.9% से बढ़कर 27.3% हो गया, जबकि शहरी क्षेत्रों में इसकी दर 36.3% और ग्रामीण क्षेत्रों में 23% रही।
- मधुमेह, जो एक दीर्घकालिक चयापचय संबंधी रोग है और जिसमें शरीर में इंसुलिन का पर्याप्त उत्पादन नहीं होता या उसका सही उपयोग नहीं हो पाता, उसके मामलों में भी चिंताजनक वृद्धि दर्ज की गई।
- 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों में उच्च रक्त शर्करा की दर 15.6% से बढ़कर 20.9% हो गई, जबकि महिलाओं में यह 13.5% से बढ़कर 17.8% हो गई।

- मोटापा और मधुमेह, दोनों की व्यापकता शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक पाई गई। मोटापे में वृद्धि विशेष रूप से चिंता का विषय है, क्योंकि इससे मधुमेह, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, स्ट्रोक और कुछ प्रकार के कैंसर का जोखिम बढ़ जाता है।
- ICMR-INDIAB अध्ययन के अनुसार, भारत में पहले से ही 10 करोड़ से अधिक लोग मधुमेह से प्रभावित हैं।
- गैर-संचारी रोगों (NCDs) का बढ़ता बोझ स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च को बढ़ाता है, कार्यबल की उत्पादकता को कम करता है और भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को भी प्रभावित कर सकता है।
- बचपन और किशोरावस्था में होने वाला मोटापा जीवनभर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और वयस्क अवस्था में गैर-संचारी रोगों (NCDs) की संभावना को बढ़ा देता है।

महिलाओं का सशक्तीकरण, वित्तीय समावेशन और सामाजिक विकास

- NFHS-6 महिलाओं के सशक्तीकरण और संसाधनों तक उनकी पहुँच में उल्लेखनीय सुधार को दर्शाता है।
- इंटरनेट का कभी उपयोग करने वाली महिलाओं का प्रतिशत लगभग दोगुना होकर 33.3% से बढ़कर 64.3% हो गया, जो डिजिटल समावेशन के बढ़ने का संकेत देता है।
- अपने स्वयं के बैंक या बचत खाते का संचालन करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 78.6% से बढ़कर 89.0% हो गया, जो अधिक वित्तीय स्वतंत्रता को दर्शाता है।
- मोबाइल फोन की स्वामित्व रखने और उसका उपयोग करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 53.9% से बढ़कर 63.6% हो गया।
- 15-24 वर्ष की महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान स्वच्छ सुरक्षा साधनों के उपयोग का प्रतिशत 77.6% से बढ़कर 79.2% हो गया।
- ये सुधार आर्थिक, डिजिटल और सामाजिक क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को दर्शाते हैं।

स्वास्थ्य सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया का विस्तार

- स्वास्थ्य बीमा और स्वास्थ्य वित्तपोषण योजनाओं के अंतर्गत परिवारों का कवरेज 41.0% से बढ़कर 60.2% हो गया, जिससे स्वास्थ्य संबंधी खर्चों के विरुद्ध आर्थिक सुरक्षा में सुधार हुआ है।
- सरकार ने पोषण संबंधी चुनौतियों और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों से निपटने के लिए कई उपायों को मजबूत किया है।
- गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NP-NCD) स्वास्थ्य जागरूकता, व्यवहार परिवर्तन, जाँच, शीघ्र पहचान, उपचार, रेफरल और अनुवर्ती देखभाल पर केंद्रित है।
- अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) और आयुर्वस्वास्थ्य योजना आयुष आधारित उपायों के माध्यम से मोटापे और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के प्रबंधन में सहायता करते हैं।
- पोषण अभियान (POSHAN Abhiyaan) समन्वित दृष्टिकोण के माध्यम से बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण स्तर में सुधार का प्रयास करता है।
- फिट इंडिया आंदोलन फिट इंडिया स्कूल प्रमाणन और फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल जैसी पहलों के माध्यम से शारीरिक गतिविधि और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देता है।
- ईट राइट इंडिया आंदोलन सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ खान-पान की आदतों को प्रोत्साहित करता है।
- अस्वस्थ खाद्य पदार्थों के सेवन को कम करने के लिए FSSAI ने ICMR-NIN के सहयोग से अधिक वसा, नमक और चीनी (HFSS) वाले खाद्य पदार्थों पर अनिवार्य लेबल लगाने की सिफारिश की है।

मुख्य चुनौतियाँ

- बढ़ती निष्क्रिय जीवनशैली, स्क्रीन के सामने अधिक समय बिताना, डेस्क पर बैठकर किए जाने वाले कार्य और शारीरिक गतिविधि में कमी मोटापे को बढ़ावा दे रहे हैं।
- चीनी, नमक और वसा से भरपूर अत्यधिक प्रसंस्कृत (Ultra-Processed) खाद्य पदार्थों का बढ़ता सेवन स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है।
- मधुमेह के कई मामलों का पता तब तक नहीं चल पाता, जब तक उससे जुड़ी गंभीर समस्याएँ सामने नहीं आ जातीं। शहरी क्षेत्रों में मोटापा और मधुमेह का बोझ अधिक है, जबकि ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था अक्सर गैर-संचारी रोगों से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं होती।
- मोटापे से जुड़ी बीमारियों के लंबे समय तक चलने वाले उपचार से परिवारों और सरकार, दोनों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता है।
- भारत आज भी कुपोषण के दोहरे बोझ का सामना कर रहा है, जहाँ एक ओर लगातार अल्पपोषण बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर मोटापा और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियाँ बढ़ रही हैं।

आगे की राह

- स्वस्थ आहार, शारीरिक गतिविधि और नियमित स्वास्थ्य जाँच के प्रति जागरूकता बढ़ाकर निवारक स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली और आयुष्मान भारत जैसी पहलों के माध्यम से जाँच और शीघ्र पहचान को मजबूत किया जाना चाहिए।
- बेहतर खाद्य लेबलिंग और अधिक वसा, नमक तथा चीनी (HFSS) वाले खाद्य पदार्थों पर कड़े नियमन के माध्यम से स्वस्थ खाद्य विकल्पों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। शहरी नियोजन में पैदल चलने के मार्ग, साइकिल लेन और सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों का विकास कर सक्रिय जीवनशैली को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- गैर-संचारी रोगों (NCDs) के बढ़ते बोझ से प्रभावी ढंग से निपटने और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में हुई प्रगति को बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, खाद्य नियमन और शहरी नियोजन को साथ लेकर चलने वाला समग्र सरकारी दृष्टिकोण आवश्यक है।

जनसांख्यिकीय परिवर्तन

केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नवलेकर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जो अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जाँच करेगी।

समिति का कार्यक्षेत्र और उद्देश्य

- समिति को अपनी रिपोर्ट एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर छह महीने का अतिरिक्त समय देने का प्रावधान भी है।
- समिति पूरे भारत में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक और आँकड़ों पर आधारित आकलन करेगी तथा उन क्षेत्रों की पहचान करेगी जहाँ जनसंख्या में असामान्य बदलाव देखने को मिल रहे हैं।
- समिति विभिन्न धार्मिक और सामाजिक समुदायों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का विश्लेषण करेगी, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ जनसंख्या का रुझान राष्ट्रीय स्तर के सामान्य रुझानों से काफी अलग है।
- समिति जनसांख्यिकीय परिवर्तन के कारणों की जाँच करेगी, जिनमें अवैध सीमा-पार प्रवासन, असामान्य बसावट के स्वरूप, सुनियोजित प्रवासन, आर्थिक अवसर और सामाजिक-पर्यावरणीय कारक शामिल हैं।
- समिति दीर्घकालिक जनसांख्यिकीय निगरानी और जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए एक संस्थागत ढाँचे की सिफारिश करेगी।
- समिति अवैध प्रवासियों की पहचान, हिरासत और निर्वासन के लिए एक स्थायी और समयबद्ध व्यवस्था का सुझाव देगी। साथ ही, बेहतर निगरानी प्रणाली, अधिक प्रभावी पहचान सत्यापन व्यवस्था और विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से सीमा प्रबंधन को मजबूत करने के उपाय भी सुझाएगी।
- समिति जनसांख्यिकीय चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग को बेहतर बनाने के उपायों की भी सिफारिश करेगी।

जनसांख्यिकीय बदलाव क्यों मायने रखते हैं?

राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता

- छिद्रपूर्ण सीमाओं के पार अनियंत्रित प्रवासन से घुसपैठ, संगठित अपराध, सीमा पर अस्थिरता और आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- सरबानंद सोनोवाल बनाम भारत संघ (2005) मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि असम में बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासन बाहरी आक्रमण का एक रूप है और अनुच्छेद 355 के अंतर्गत संघ की जिम्मेदारी पर जोर दिया था।
- अवैध प्रवासन के मार्गों का उपयोग मानव तस्करी, हथियारों की तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल अंतरराष्ट्रीय गिरोहों द्वारा भी किया जा सकता है।

सामाजिक स्थिरता और सामुदायिक संबंध

- धर्म, जातीयता, भाषा या प्रवासन के स्वरूप में होने वाले बड़े जनसांख्यिकीय परिवर्तन पहचान आधारित राजनीति और सामाजिक तनाव को बढ़ा सकते हैं।
- मणिपुर में हुई जातीय हिंसा ने यह दिखाया कि भूमि स्वामित्व, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामुदायिक पहचान से जुड़ी जनसांख्यिकीय चिंताएँ अस्थिरता का कारण बन सकती हैं।
- जनसंख्या की संरचना में बदलाव अक्सर स्थानीय राजनीतिक परिस्थितियों और सामाजिक एकता को प्रभावित करते हैं।

जनजातीय और आदिवासी समुदायों का संरक्षण

- विशेषकर पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय और आदिवासी समुदायों ने अपनी सांस्कृतिक पहचान, भूमि अधिकारों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के संरक्षण को लेकर चिंता व्यक्त की है।
- कई जनजातीय क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय परिवर्तन को पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था और संवैधानिक सुरक्षा के लिए चुनौती माना जाता है।
- उपमन्यु हजारिका आयोग (2015) ने चेतावनी दी थी कि यदि वर्तमान जनसांख्यिकीय रुझान जारी रहे, तो भविष्य में असम के मूल निवासी समुदायों पर गंभीर जनसांख्यिकीय दबाव पड़ सकता है।
- विशेष संवैधानिक और कानूनी संरक्षण वाले क्षेत्रों में भूमि पर अवैध कब्जे से जुड़ी चिंताएँ आज भी महत्त्वपूर्ण बनी हुई हैं।

संसाधनों और सार्वजनिक सेवाओं पर दबाव

- बड़े पैमाने पर प्रवासन से आवास, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, कल्याणकारी योजनाओं और रोजगार के अवसरों पर दबाव बढ़ सकता है।
- कई सीमावर्ती जिलों ने भूमि पर अतिक्रमण, रोजगार के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा और सार्वजनिक सेवाओं की बढ़ती माँग को लेकर चिंता व्यक्त की है।
- इसलिए प्रभावी विकास योजना और संसाधनों के उचित आवंटन के लिए जनसांख्यिकीय रुझानों को समझना आवश्यक है।

निर्वाचन प्रक्रिया की विश्वसनीयता और सुशासन

- पहचान संबंधी दस्तावेजों के दुरुपयोग और मतदाता सूची में अनियमित नाम दर्ज होने को लेकर चिंताएँ व्यक्त की गई हैं।
- सटीक जनसांख्यिकीय आकलन निर्वाचन प्रक्रिया की विश्वसनीयता को मजबूत करने और सुशासन को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है।
- मतदाता सूची का सत्यापन और जनसांख्यिकीय निगरानी जैसे उपायों को संस्थागत जवाबदेही के महत्त्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखा जाता है।

भारत का जनसांख्यिकीय परिवर्तन

घटती प्रजनन दर और जनसंख्या स्थिरीकरण

- NFHS-5 के अनुसार, भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) घटकर लगभग 2.0 हो गई है, जो प्रतिस्थापन स्तर (2.1) से कम है।
- सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) के अनुसार, भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) और घटकर 1.9 हो गई है, जो जनसंख्या स्थिरीकरण की दिशा में धीरे-धीरे बढ़ते कदम को दर्शाती है।
- भारत की जन्म दर 2014 में प्रति 1,000 जनसंख्या पर 21 से घटकर 2024 में प्रति 1,000 जनसंख्या पर 18.3 हो गई है।
- ये रुझान बढ़ते शहरीकरण, बढ़ती साक्षरता, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार नियोजन की बेहतर उपलब्धता, देर से होने वाले विवाह और परिवार के प्रति बदलती प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं।

क्षेत्रीय भिन्नताएँ

- केरल और तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों की प्रजनन दर विकसित देशों के समान हो गई है और वहाँ वृद्ध जनसंख्या का अनुपात लगातार बढ़ रहा है।
- बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अब भी अपेक्षाकृत अधिक प्रजनन दर दर्ज की जा रही है और भविष्य में भारत के कार्यबल में इनका महत्त्वपूर्ण योगदान रहने की संभावना है।
- उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच बढ़ता जनसांख्यिकीय अंतर आने वाले दशकों में आंतरिक प्रवासन के महत्त्व को और बढ़ा सकता है।

जनसांख्यिकीय लाभांश और उभरती चुनौतियाँ

- भारत वर्तमान में अपनी बड़ी कार्यशील आयु की आबादी के कारण महत्त्वपूर्ण जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठा रहा है।
- भारत की जनसंख्या की मध्य आयु (Median Age) लगभग 28-29 वर्ष है, जो कई विकसित देशों की तुलना में काफी कम है।
- लगभग 37-38 करोड़ लोग 15-29 वर्ष आयु वर्ग में आते हैं, जबकि 65% से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। हालाँकि, कार्यशील आयु की जनसंख्या 2041 तक अपने उच्चतम स्तर पर पहुँचने की संभावना है, जबकि 2050 तक वृद्ध जनसंख्या लगभग 14.9 करोड़ से बढ़कर लगभग 34.7 करोड़ हो जाने का अनुमान है।
- यदि शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार सृजन में पर्याप्त निवेश नहीं किया गया, तो जनसांख्यिकीय लाभांश लंबे समय तक आर्थिक लाभ में परिवर्तित नहीं हो पाएगा।

प्रवास और सीमा-संबंधी चुनौतियाँ

- भारत की बांग्लादेश के साथ 4,096 किमी, म्यांमार के साथ 1,643 किमी और पाकिस्तान के साथ 3,323 किमी लंबी सीमा है, जिससे सीमा प्रबंधन एक महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक चुनौती बन जाता है।
- असम आंदोलन (1979-1985) अवैध प्रवासन को लेकर उठी चिंताओं के कारण शुरू हुआ था और अंततः असम समझौते का मार्ग प्रशस्त हुआ।
- 2021 में म्यांमार में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता के कारण चिन शरणार्थियों और रोहिंग्या प्रवासियों का प्रवाह मणिपुर और मिजोरम जैसे सीमावर्ती राज्यों में बढ़ गया।
- भारत-पाकिस्तान सीमा पर सीमा-पार घुसपैठ लंबे समय से सुरक्षा, आतंकवाद और उग्रवाद से जुड़ी चिंताओं का कारण रही है।
- लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा रिपोर्ट (1998) ने पूर्वोत्तर भारत में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के सुरक्षा संबंधी प्रभावों को उजागर किया और अनियंत्रित प्रवासन के दीर्घकालिक परिणामों को लेकर चेतावनी दी।
- मधुकर गुप्ता समिति (2016) ने उन्नत निगरानी तकनीक, थर्मल इमेजिंग प्रणाली, सेंसर और तकनीक आधारित निगरानी के माध्यम से संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS) की सिफारिश की।

संवैधानिक और कानूनी ढाँचा

- अनुच्छेद 355 के अंतर्गत संघ का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से सुरक्षा प्रदान करे।
- विदेशी अधिनियम, 1946 सरकार को विदेशियों की पहचान करने, उन्हें हिरासत में लेने और निर्वासित करने का अधिकार देता है तथा नागरिकता सिद्ध करने का दायित्व संबंधित व्यक्ति पर डालता है।
- नागरिकता अधिनियम, 1955 नागरिकता प्राप्त करने और समाप्त करने का वैधानिक ढाँचा प्रदान करता है, जबकि धारा 6A को असम समझौते से संबंधित प्रावधानों को लागू करने के लिए जोड़ा गया था।
- पाँचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची जनजातीय समुदायों को उनकी भूमि के अधिकार, संस्कृति और स्वायत्तता की सुरक्षा सहित विशेष संरक्षण प्रदान करती हैं।
- संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1876 जैसे विशेष कानूनी प्रावधानों का उद्देश्य जनजातीय भूमि के हस्तांतरण को रोकना और आदिवासी समुदायों के हितों की रक्षा करना है।
- असम सम्मिलित महासंघ बनाम भारत संघ (2014) मामले में उच्चतम न्यायालय ने अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को निर्धारित समय सीमा के भीतर अद्यतन करने का निर्देश दिया।

मुख्य चुनौतियाँ

- 2011 के बाद से जनगणना के अद्यतन आँकड़े उपलब्ध न होने के कारण जनसांख्यिकीय आकलन और साक्ष्य आधारित नीतियाँ बनाने की सटीकता प्रभावित होती है।
- प्रवासन से जुड़े उपायों को लेकर भेदभाव, गलत तरीके से बाहर किए जाने, सामाजिक ध्रुवीकरण और मानवाधिकारों की सुरक्षा से संबंधित चिंताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- प्रवासन से जुड़े मुद्दों पर राज्य अक्सर अलग-अलग राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण अपनाते हैं, जिससे इनके कार्यान्वयन में चुनौतियाँ आती हैं।
- भारत की लंबी और छिद्रपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सीमाओं का प्रभावी प्रबंधन करने के लिए आधारभूत संरचना, प्रौद्योगिकी और संस्थागत क्षमता में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है।

आगे की राह

- अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा पर बाड़, निगरानी संबंधी आधारभूत संरचना और तकनीक आधारित निगरानी प्रणालियों को मजबूत किया जाना चाहिए।
- 2027 की जनगणना समय पर कराई जानी चाहिए और इसके लिए नागरिक पंजीकरण तथा जनसांख्यिकीय आँकड़ों की व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाना चाहिए।
- पहचान, हिरासत और निर्वासन से संबंधित व्यवस्थाओं में विधिसम्मत प्रक्रिया और संवैधानिक सुरक्षा का पालन किया जाना चाहिए। CIBMS जैसी तकनीक आधारित प्रणालियों का विस्तार संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में किया जाना चाहिए।
- प्रभावी जनसांख्यिकीय प्रबंधन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयासों में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, जागरूकता और स्वैच्छिक परिवार नियोजन उपायों पर जोर दिया जाना चाहिए तथा किसी भी प्रकार के जबरदस्ती वाले उपायों से बचना चाहिए।
- देश के विभिन्न क्षेत्रों में उभरती श्रम बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुरक्षित और विनियमित आंतरिक प्रवासन की औपचारिक व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए।

प्रजनन और मृत्यु दर के संकेतक

ये वे प्रमुख सूचकांक हैं जिनका उपयोग सरकार जनसंख्या वृद्धि और स्वास्थ्य संबंधी रुझानों पर नजर रखने के लिए करती है।

- **सकल जन्म दर** (Crude Birth Rate - CBR): एक वर्ष में प्रति 1,000 जनसंख्या पर होने वाले जीवित जन्मों की संख्या।
- **सकल मृत्यु दर** (Crude Death Rate - CDR): एक वर्ष में प्रति 1,000 जनसंख्या पर होने वाली मृत्यु की संख्या।
- **कुल प्रजनन दर** (Total Fertility Rate - TFR): यदि किसी महिला के पूरे प्रजनन काल में किसी वर्ष की आयु-विशिष्ट प्रजनन दरें लागू रहें, तो उसके जीवनकाल में जन्म लेने वाले बच्चों की औसत संख्या।
- **प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन दर:**
  - वह सटीक कुल प्रजनन दर (TFR), जिस पर बिना प्रवासन के एक पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी से ठीक-ठीक प्रतिस्थापित हो जाती है।
  - वैश्विक स्तर पर यह 2.1 मानी जाती है। भारत इस स्तर से नीचे पहुँच चुका है और NFHS-6 के अनुसार देश की कुल प्रजनन दर (TFR) 2.0 हो गई है।
- **शिशु मृत्यु दर** (IMR): एक वर्ष में प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर एक वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु की संख्या।
- **मातृ मृत्यु अनुपात** (MMR): गर्भावस्था, प्रसव या गर्भावस्था समाप्त होने के 42 दिनों के भीतर होने वाली मातृ मृत्यु की संख्या, प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर।
- **(ध्यान दें:** IMR की गणना प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर होती है, जबकि MMR की गणना प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर होती है।)

जनसंख्या की संरचनात्मक संरचना से जुड़े सूचकांक

ये सूचकांक किसी समाज की जनसंख्या के आंतरिक संतुलन, समानता और भविष्य की दिशा को दर्शाते हैं।

- **लिंगानुपात** (Sex Ratio): भारत में प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या।
- **बाल लिंगानुपात** (CSR): 0-6 वर्ष आयु वर्ग में प्रति 1,000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या।
- बाल लिंगानुपात में गिरावट सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता से जुड़ा एक महत्त्वपूर्ण विषय है (जैसे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान)।
- **आश्रित अनुपात:** आर्थिक रूप से आश्रित जनसंख्या (आमतौर पर 15 वर्ष से कम और 64 वर्ष से अधिक आयु के लोग) का कार्यशील आयु वर्ग (15-64 वर्ष) की जनसंख्या से अनुपात।
- **जनसंख्या पिरामिड (आयु-लिंग पिरामिड):** यह एक चित्रात्मक प्रस्तुति है, जो जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों का वितरण दिखाती है। जब जनसंख्या बढ़ रही होती है, तो इसका आकार पिरामिड जैसा दिखाई देता है।

जनसांख्यिकीय संक्रमण और अन्य अवधारणाए

- **जनसांख्यिकीय लाभांश:**
  - जनसंख्या की आयु संरचना में होने वाले बदलावों से मिलने वाली आर्थिक विकास की संभावना, विशेषकर तब जब कार्यशील आयु वर्ग (15 से 64 वर्ष) की जनसंख्या, गैर-कार्यशील आयु वर्ग की तुलना में अधिक हो।
  - इस लाभांश का पूरा लाभ उठाने के लिए भारत को शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन के क्षेत्रों में तुरंत समन्वित नीतियाँ अपनानी होंगी।
- **जनसांख्यिकीय अवसर की अवधि:** किसी देश के जनसांख्यिकीय विकास का वह विशेष समय, जब बच्चों की जनसंख्या का अनुपात घट जाता है और वृद्ध जनसंख्या का अनुपात अभी अधिक नहीं होता, जिससे आश्रित अनुपात अपने सबसे कम स्तर पर पहुँच जाता है। भारत में यह अवसर लगभग 2005-06 में शुरू हुआ और इसके लगभग 2055-56 तक बने रहने का अनुमान है।
- **महामारी विज्ञान संबंधी परिवर्तन:** यह जनसंख्या के स्वास्थ्य और रोगों के स्वरूप में होने वाला दीर्घकालिक परिवर्तन है, जिसमें संक्रामक और कुपोषण से जुड़ी बीमारियों (जैसे तपेदिक और अल्पपोषण) की जगह धीरे-धीरे गैर-संचारी, दीर्घकालिक और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियाँ (जैसे मधुमेह, हृदय रोग और मोटापा) ले लेती हैं। NFHS-6 दर्शाता है कि भारत वर्तमान में इस दोहरे रोग-भार वाले परिवर्तन के चरम दौर से गुजर रहा है।
- **जनसंख्या संवेग:** प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन दर (TFR 2.1) प्राप्त होने के बाद भी जनसंख्या का बढ़ते रहना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले के उच्च प्रजनन दर वाले वर्षों में जन्मी बड़ी युवा आबादी अब प्रजनन आयु में प्रवेश करती है, जिससे जन्मों की कुल संख्या अधिक बनी रहती है।
- **प्रतिस्थापन प्रवासन:** कम प्रजनन दर और मृत्यु दर के कारण घटती तथा वृद्ध होती जनसंख्या की भरपाई के लिए किसी देश को जितने अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की आवश्यकता होती है, उसे प्रतिस्थापन प्रवासन कहा जाता है।
- **सक्रिय वृद्धावस्था/सिल्वर अर्थव्यवस्था:** बढ़ती आयु के साथ लोगों के जीवन की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य, भागीदारी और सुरक्षा के अवसरों को अधिकतम करने की प्रक्रिया को सक्रिय वृद्धावस्था कहा जाता है। सिल्वर अर्थव्यवस्था से आशय वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग की उस आर्थिक व्यवस्था से है, जो वृद्ध आबादी की क्रय शक्ति का उपयोग करने पर केंद्रित होती है।
- यह विशेष रूप से उन दक्षिणी राज्यों (जैसे केरल और तमिलनाडु) के विश्लेषण के लिए महत्त्वपूर्ण है, जो उत्तरी राज्यों (जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश) की तुलना में कई दशक पहले ही उन्नत जनसांख्यिकीय वृद्धावस्था के चरण में प्रवेश कर रहे हैं।

राज्य में राज्यपाल की भूमिका

2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में त्रिशंकु विधानसभा का गठन हुआ। 234 सदस्यीय विधानसभा में तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) 108 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरा, किंतु बहुमत के लिए आवश्यक 118 सीटों का आँकड़ा प्राप्त नहीं कर सका। बाद में अन्य दलों एवं निर्दलीय विधायकों के समर्थन से TVK ने सरकार का गठन किया।

त्रिशंकु विधानसभा

- त्रिशंकु विधानसभा तब बनती है, जब कोई एक दल या चुनाव-पूर्व गठबंधन विधानसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता।
- **ऐसी स्थिति में सरकार गठन के लिए संविधान में कोई स्वतः** लागू होने वाली व्यवस्था नहीं है, इसलिए राज्यपाल की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो जाती है।

संवैधानिक ढाँचा

- अनुच्छेद 164(1) के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है।
- **अनुच्छेद 163 के अनुसार, राज्यपाल सामान्यतः** मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, सिवाय उन मामलों के जहाँ संविधान उसे विवेकाधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देता है।
- अनुच्छेद 163(2) के अनुसार, यदि राज्यपाल के विवेकाधिकार से संबंधित कोई प्रश्न उठता है, तो उस पर राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा।
- इस प्रकार, त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में राज्यपाल वह संवैधानिक प्राधिकारी बन जाता है, जिसकी जिम्मेदारी संसदीय लोकतंत्र, सामूहिक उत्तरदायित्व और संवैधानिक शासन की भावना को बनाए रखते हुए एक स्थिर सरकार का गठन सुनिश्चित करना है।

सरकार गठन की प्रक्रिया

- राज्यपाल सबसे पहले उस राजनीतिक दल या गठबंधन की पहचान करता है, जिसके पास विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होने की सबसे अधिक संभावना होती है। इसके बाद राज्यपाल उस दल या गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है और शपथ ग्रहण की तिथि निर्धारित करता है।
- नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाने और सदन में विश्वास मत (फ्लोर टेस्ट) कराने के लिए आमतौर पर सबसे वरिष्ठ विधायक को प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।
- फ्लोर टेस्ट या विश्वास मत त्रिशंकु विधानसभा में सबसे महत्त्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसी से यह तय होता है कि सरकार को सदन का विश्वास प्राप्त है या नहीं।
- राज्यपाल की भूमिका स्वयं बहुमत तय करने की नहीं होती, बल्कि यथाशीघ्र फ्लोर टेस्ट कराने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने की होती है।
- यदि कोई भी दल बहुमत साबित नहीं कर पाता, तो राज्यपाल उचित समय तक राजनीतिक दलों, गठबंधनों और निर्दलीय विधायकों से परामर्श जारी रख सकता है।
- यदि सभी संभावनाएँ समाप्त हो जाएँ, तो राज्यपाल अंतिम संवैधानिक उपाय के रूप में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है।

मुख्य सुझाव

- सरकारिया आयोग (1983) ने सरकार बनाने के लिए दलों को आमंत्रित करने की एक स्पष्ट प्राथमिकता क्रम निर्धारित किया।
  - आयोग ने सिफारिश की कि राज्यपाल सबसे पहले उस चुनाव-पूर्व गठबंधन को आमंत्रित करे, जिसके पास स्पष्ट बहुमत हो, क्योंकि यह जनता के स्पष्ट जनादेश का प्रतिनिधित्व करता है। यदि ऐसा कोई गठबंधन न हो, तो राज्यपाल उस सबसे बड़े दल को आमंत्रित करे, जो निर्दलीय विधायकों सहित अन्य दलों के समर्थन से बहुमत सिद्ध कर सके।
  - इसके बाद प्राथमिकता उस चुनाव-पश्चात गठबंधन को दी जानी चाहिए, जिसमें सभी सहयोगी दल सरकार में शामिल हों।
  - अंतिम विकल्प उस चुनाव-पश्चात गठबंधन का होना चाहिए, जिसमें कुछ दल सरकार बनाएँ और अन्य दल बाहर से समर्थन दें।
- पुंछी आयोग (2007) ने व्यापक रूप से सरकारिया आयोग की इस व्यवस्था का समर्थन किया और इस बात पर जोर दिया कि राज्यपाल को राजनीतिक एजेंट के रूप में नहीं, बल्कि संवैधानिक निष्पक्षता के साथ कार्य करना चाहिए। आयोग ने यह भी सिफारिश की कि अनिश्चितता और राजनीतिक जोड़-तोड़ से बचने के लिए फ्लोर टेस्ट यथाशीघ्र कराया जाना चाहिए।

पटल परीक्षण के सिद्धांत का न्यायिक विकास

- उच्चतम न्यायालय ने लगातार इस सिद्धांत को मजबूत किया है कि विधानसभा में बहुमत का परीक्षण सदन के पटल पर ही होना चाहिए।
- एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) मामले में न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल को उस नेता को आमंत्रित करना चाहिए जिसके पास बहुमत का समर्थन होने की संभावना हो, लेकिन बहुमत की अंतिम परीक्षा विधानसभा के पटल पर ही होगी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संवैधानिक वैधता का आधार सदन का विश्वास है, न कि राज्यपाल की व्यक्तिगत संतुष्टि।
- रमेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ (2006) मामले में न्यायालय ने विधानसभा को समय से पहले भंग किए जाने के विरुद्ध चेतावनी दी और कहा कि राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए।
- उत्तराखंड राजनीतिक संकट (2016) के दौरान न्यायालय ने फ्लोर टेस्ट को बहुमत निर्धारित करने का 'अंतिम संवैधानिक तरीका' बताया।
- गोवा राजनीतिक संकट (2017) में न्यायालय ने कांग्रेस के सबसे बड़ा दल होने के बावजूद मनोहर पर्रिकर को सरकार बनाने की अनुमति दी, लेकिन 48 घंटे के भीतर फ्लोर टेस्ट कराने का निर्देश दिया।
- कर्नाटक राजनीतिक संकट (2018) में न्यायालय ने बहुमत सिद्ध करने के लिए दी गई 15 दिनों की अवधि को घटाकर 24 घंटे कर दिया और पारदर्शिता तथा त्वरित कार्रवाई पर जोर दिया।
- इन सभी निर्णयों ने यह सिद्धांत स्पष्ट रूप से स्थापित कर दिया है कि लोकतांत्रिक वैधता का अंतिम निर्णय राज्यपाल के कार्यालय में नहीं, बल्कि विधानसभा के पटल पर होता है।

ध्यान देने योग्य चिंताएँ

- सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दलों को आमंत्रित करने में देरी होने से हॉर्स ट्रेडिंग, राजनीतिक दल-बदल और अस्थिरता को बढ़ावा मिल सकता है। हॉर्स ट्रेडिंग का अर्थ राजनीतिक दलों के बीच होने वाले अनैतिक सौदों से है। इसका उद्देश्य दूसरे दलों के सांसदों या विधायकों को अवैध या अनैतिक तरीकों से अपने पक्ष में करना होता है।
- तुरंत फ्लोर टेस्ट कराने के बजाय समर्थन पत्र माँगने से अनिश्चितता लंबी हो सकती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लोगों का विश्वास कमजोर पड़ सकता है।
- यह चिंता भी बढ़ रही है कि विवेकाधिकार का उपयोग संवैधानिक सिद्धांतों के बजाय राजनीतिक हितों को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है।
- ऐसा दुरुपयोग संघीय निष्पक्षता को कमजोर कर सकता है, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को प्रभावित कर सकता है और संसदीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को विकृत कर सकता है।
- त्रिशंकु विधानसभा से जुड़े मामलों में न्यायपालिका का बढ़ता हस्तक्षेप यह दर्शाता है कि संवैधानिक विवेकाधिकार और राजनीतिक व्यवहार के बीच लगातार तनाव बना हुआ है।
- इससे यह व्यापक प्रश्न भी उठता है कि क्या राज्यपाल के आचरण को विनियमित करने के लिए अधिक स्पष्ट वैधानिक दिशा-निर्देशों की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

- त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में राज्यपाल की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण संवैधानिक होती है, लेकिन वह किसी राजनीतिक निर्णायक की नहीं, बल्कि एक संवैधानिक सुगमकर्ता की होती है। राज्यपाल की मुख्य जिम्मेदारी संवैधानिक मर्यादा और लोकतांत्रिक वैधता को बनाए रखते हुए एक स्थिर सरकार का गठन सुनिश्चित करना है।
- विभिन्न आयोगों की सिफारिशों और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों ने स्पष्ट कर दिया है कि फ्लोर टेस्ट बहुमत निर्धारित करने का सबसे निष्पक्ष और पारदर्शी तरीका है।
- यह व्यक्तिगत विवेकाधिकार के दुरुपयोग के विरुद्ध एक संस्थागत सुरक्षा प्रदान करता है और संघवाद, प्रतिनिधिक लोकतंत्र तथा उत्तरदायी सरकार के सिद्धांतों की रक्षा करता है। इसलिए, भारत की संसदीय व्यवस्था में सत्ता की वास्तविक परीक्षा हमेशा विधानसभा के पटल पर होनी चाहिए, राजभवन में नहीं।

मुख्यमंत्री को हटाने में राज्यपाल की भूमिका

चुनाव की निष्पक्षता को चुनौती देना

- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 100 के अंतर्गत चुनाव परिणाम घोषित होने के 45 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर करके चुनाव परिणाम को चुनौती दी जा सकती है। इसके वैध आधारों में भ्रष्ट आचरण या चुनाव अधिकारियों द्वारा चुनाव नियमों का उल्लंघन शामिल है।
- इसके अतिरिक्त, यदि मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता पर प्रश्न उठता है, जैसे मतदाता सूची के अद्यतन के दौरान बड़ी संख्या में नाम हटाए जाना, तो इसे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का मामला मानते हुए रिट याचिका भी दायर की जा सकती है।

राज्यपाल की भूमिका

- संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मंत्री 'राज्यपाल के प्रसादपर्यंत' अपने पद पर बने रहते हैं।
- इस शक्ति के मनमाने उपयोग को रोकने के लिए राज्यपाल सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के आधार पर कार्य करता है।
- **मुख्यमंत्री को हटाने की प्रक्रियाः**
  - यदि राज्यपाल को संदेह हो कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा का बहुमत खो दिया है, तो सदन में फ्लोर टेस्ट कराया जाना चाहिए।
  - फ्लोर टेस्ट (जिसे विश्वास मत भी कहा जाता है) एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि जिस सरकार के बारे में यह संदेह है कि उसने बहुमत खो दिया है, क्या उसे अब भी सदन का विश्वास प्राप्त है। इसके लिए सदन के सदस्यों के बीच मतदान कराया जाता है।
- इस मतदान के दौरान मुख्यमंत्री को यह साबित करना होता है कि उन्हें आधे से अधिक विधायकों (MLAs) का समर्थन प्राप्त है।
- यदि वे बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते, तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। अंतिम विकल्प के रूप में, यदि कोई भी राजनीतिक दल स्थिर सरकार बनाने में सफल नहीं होता, तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है।
- **न्यायिक और संवैधानिक प्रावधानः**
  - ए. जी. पेरारिवलन बनाम राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल एक औपचारिक संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है, न कि एक स्वतंत्र निर्णय लेने वाले प्राधिकारी के रूप में, और वह सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह का पालन करता है।
  - इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 172 राज्य विधानसभा की अवधि निर्धारित करता है। इसके अनुसार, विधानसभा अपनी पहली बैठक की तिथि से पाँच वर्ष तक रहती है, जब तक कि उसे पहले भंग न कर दिया जाए।
  - पाँच वर्ष की यह अवधि पूरी होने पर विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है, जिससे नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त होता है।

नई श्रम संहिताएँ

भारत सरकार ने 21 नवंबर 2025 से चार श्रम संहिताओं (Labour Codes) को लागू करने की घोषणा की, जिसके अंतर्गत 29 मौजूदा श्रम कानूनों का युक्तिकरण किया गया है।

परिचय

- चार श्रम संहिताओं में वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियाँ संहिता, 2020 शामिल हैं।
- इस सुधार का प्रमुख उद्देश्य नियमों के पालन को सरल बनाना है, क्योंकि अनेक श्रम कानून होने के कारण उनका पालन करना कठिन हो जाता है।

संवैधानिक आधार

- श्रम संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची का विषय है।
- **श्रम बल भागीदारी दर (LFPR), 2024:** कुल 59.6% रही, जबकि महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर 41.7% रही। वर्ष 2023-24 में कुल रोजगार 64.33 करोड़ दर्ज किया गया।
- भारत के लगभग 90% कार्यबल का रोजगार असंगठित क्षेत्र में है।

1. वेतन संहिता, 2019:

- यह चार कानूनों (वेतन भुगतान अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम और समान पारिश्रमिक अधिनियम) को समाहित करती है।
- यह संगठित और असंगठित, दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित वैधानिक न्यूनतम वेतन से कम वेतन देने पर रोक लगाती है।
- केंद्र सरकार क्षेत्रवार वैधानिक "फ्लोर वेतन" अधिसूचित करेगी, जिसके नीचे राज्य सरकारें न्यूनतम वेतन निर्धारित नहीं कर सकेंगी।
- यह समय पर वेतन भुगतान और वेतन से कटौती की अधिकतम सीमा से संबंधित सुरक्षा को भी बढ़ाती है तथा ओवरटाइम के लिए सामान्य वेतन दर से दोगुना वेतन देना अनिवार्य करती है।

2. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020

- यह तीन कानूनों (ट्रेड यूनियन अधिनियम, औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम) को समाहित करती है। यह फिक्स्ड टर्म रोजगार की व्यवस्था लाती है, जिसके अंतर्गत निश्चित अवधि के लिए सीधे रोजगार का प्रावधान किया गया है। ऐसे कर्मचारियों को वेतन और ग्रेच्युटी जैसे वैधानिक लाभों में अनुपातिक (Pro-rata) समानता प्रदान की जाती है।
- इसके अतिरिक्त, कारखानों में छंटनी, कर्मचारियों की सेवा समाप्ति या कारखाना बंद करने से पहले सरकार की पूर्व अनुमति लेने की सीमा 100 कर्मचारियों से बढ़ाकर 300 कर्मचारी कर दी गई है।

3. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

- यह कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम और मातृत्व लाभ अधिनियम सहित सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई मौजूदा कानूनों को समाहित करती है।
- यह कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि की व्यवस्था का दायरा बढ़ाती है। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इसमें गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर और एग्रीगेटर को कानूनी रूप से परिभाषित किया गया है, ताकि उन्हें एक समर्पित कोष के माध्यम से वित्तपोषित सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जा सके।

4. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियाँ संहिता, 2020

- यह कारखाना अधिनियम, बागान श्रम अधिनियम और खान अधिनियम सहित सुरक्षा से जुड़े 13 कानूनों को समाहित करती है। यह कार्यस्थल पर कर्मचारियों के कल्याण को मजबूत बनाती है।
- इसके व्यापक सुरक्षा नियम सभी खानों, बंदरगाहों और खतरनाक या जीवन के लिए जोखिमपूर्ण कार्य करने वाले सभी प्रतिष्ठानों पर समान रूप से लागू होते हैं।

महत्त्व

- **औपचारिक रोजगार को बढ़ावा:** सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन और ESIC का दायरा बढ़ने से नियोक्ताओं को कार्यबल को औपचारिक रूप से रोजगार देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इससे EPF और ESIC में योगदान करने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी तथा सामाजिक सुरक्षा के वित्तपोषण को मजबूती मिलेगी।
- **विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता:** फिक्स्ड टर्म रोजगार और कर्मचारियों की सेवा समाप्ति से संबंधित संशोधित सीमा से उद्योगों को अधिक संचालन संबंधी लचीलापन मिलेगा, जिससे श्रम-प्रधान विनिर्माण निवेश आकर्षित करने में भारत वियतनाम और बांग्लादेश के मुकाबले अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेगा।
- **लैंगिक समानता:** समान पारिश्रमिक अधिनियम को संहिता में शामिल करने और सामाजिक सुरक्षा संहिता में मातृत्व लाभ को बनाए रखने से संगठित और असंगठित, दोनों क्षेत्रों में महिलाओं के कार्यस्थल संबंधी अधिकार मजबूत होंगे।
- **गिग अर्थव्यवस्था को सुरक्षा:** पहली बार प्लेटफॉर्म वर्करों को वैधानिक मान्यता दिए जाने से डिजिटल श्रम बाजार में कार्य करने वाले लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के मामले में भारत अधिकांश G20 देशों से आगे की स्थिति में आ गया है।

चुनौतियाँ

- **असमान कार्यान्वयन:** विभिन्न राज्यों के अलग-अलग नियम फिर से नियामक व्यवस्था में बिखराव उत्पन्न कर सकते हैं।
- **गिग वर्करों के कवरेज में कमी:** सामाजिक सुरक्षा के लिए वित्तपोषण और एग्रीगेटरों के योगदान की व्यवस्था अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है।
- **ट्रेड यूनियनों की चिंताएँ:** कर्मचारियों की सेवा समाप्ति की सीमा बढ़ने से नौकरी की सुरक्षा कमजोर हो सकती है और श्रम विवाद बढ़ सकते हैं।
- **परिभाषाओं में अस्पष्टता:** फिक्स्ड टर्म रोजगार और गिग वर्कर जैसे शब्दों को समान रूप से लागू करने के लिए न्यायिक व्याख्या की आवश्यकता है।

भारत में महिलाएँ और पुरुष 2025 रिपोर्ट

हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने "भारत में महिलाएँ और पुरुष, 2025" रिपोर्ट का 27वाँ संस्करण जारी किया। यह रिपोर्ट विभिन्न संकेतकों पर महिला और पुरुषों से संबंधित अलग-अलग आँकड़े प्रस्तुत करती है।

रिपोर्ट के मुख्य पहलू

जनसंख्या और स्वास्थ्य में बदलाव

- भारत की जनसंख्या वृद्धि उल्टे U-आकार (Inverted U-shaped) के रुझान का अनुसरण करती है। यह 1971-1981 के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुँची और उसके बाद लगातार घटती गई। यह दर्शाता है कि भारत जनसांख्यिकीय लाभांश के चरण में प्रवेश कर चुका है, जो धीरे-धीरे जनसंख्या के वृद्धावस्था चरण की ओर बढ़ सकता है।
- जन्म के समय लिंगानुपात 2017-19 में 904 से बढ़कर 2021-23 में 917 हो गया, जो बालिकाओं के बेहतर जीवित रहने का संकेत देता है। फिर भी, पुत्र वरीयता की समस्या अब भी बनी हुई है।
- वर्ष 2023 में सबसे अधिक लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश (1085) में दर्ज किया गया, इसके बाद नागालैंड (1007) और गोवा (973) का स्थान रहा, जबकि सबसे कम लिंगानुपात झारखंड (899) और बिहार (900) में दर्ज किया गया।
- भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) 2.0 बनी हुई है, जो जनसंख्या स्थिरीकरण की दिशा में बढ़ते कदम को दर्शाती है, जबकि 2019 से 2023 के बीच शहरी क्षेत्रों में प्रजनन दर में और कमी आई है।
- 2021 से महिलाओं की विवाह की औसत आयु लगातार बढ़ रही है, जो देर से विवाह होने तथा शिक्षा और सामाजिक स्थिति में सुधार को दर्शाती है।
- मातृ स्वास्थ्य के संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसवपूर्व देखभाल (ANC) प्राप्त हुई और गर्भावस्था की पहली तिमाही में ANC प्राप्त करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 70.0% से बढ़कर 76.2% हो गया।
- संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए, जबकि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की देखरेख में हुए प्रसव 89.4% से बढ़कर 91.3% हो गए, जो मातृ स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुँच को दर्शाता है।
- मातृ पोषण में भी सुधार हुआ। गर्भावस्था के दौरान 100 दिनों तक आयरन-फोलिक एसिड (IFA) की गोलियाँ लेने वाली महिलाओं का प्रतिशत 44.1% से बढ़कर 54.9% हो गया, जबकि 180 दिनों तक IFA लेने वाली महिलाओं का प्रतिशत 26.0% से बढ़कर 37.8% हो गया।
- मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) 2004-06 में 254 से घटकर 2021-23 में 88 हो गया, जबकि 2008 से 2023 के बीच लड़कों और लड़कियों, दोनों में शिशु मृत्यु दर में लगातार कमी दर्ज की गई।
- बच्चों के पोषण की स्थिति में भी सुधार हुआ। छह महीने से कम आयु के 95.6% बच्चों को स्तनपान कराया गया, अवरुद्ध वृद्धि (Stunting) 35.5% से घटकर 29.3% हो गई, गंभीर क्षीणता (Severe Wasting) 7.7% से घटकर 5.2% हो गई और कम वजन वाले बच्चों का प्रतिशत 32.1% से घटकर 31.8% हो गया।

स्वास्थ्य संबंधी उभरती चिंताएँ

- महिला नसबंदी परिवार नियोजन का सबसे अधिक अपनाया जाने वाला तरीका बना हुआ है, जिसका उपयोग 37.9% है। यह गर्भनिरोधक उपायों के सीमित विविधीकरण को दर्शाता है।
- सिजेरियन प्रसव 21.5% से बढ़कर 27.2% हो गए, जबकि शहरी भारत में इसकी दर 40% दर्ज की गई, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा सुझाई गई सीमा से काफी अधिक है।
- मिजोरम में पुरुषों और महिलाओं, दोनों में एचआईवी (HIV) की सबसे अधिक व्यापकता दर्ज की गई, जबकि केरल में यह सबसे कम रही, जो विभिन्न राज्यों में रोगों के बोझ में अंतर को दर्शाती है।
- तपेदिक अब भी पुरुषों में अधिक पाया जाता है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी लगातार बनी हुई चुनौतियों को दर्शाता है।

शिक्षा और मानव पूँजी में बदलाव

पहुँच और समानता

- ग्रामीण और शहरी भारत में पुरुषों और महिलाओं, दोनों की साक्षरता दर में सुधार हुआ है, जो शिक्षा तक बढ़ती पहुँच को दर्शाता है।
- भारत ने प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक स्कूल शिक्षा के सभी चरणों में लैंगिक समानता प्राप्त कर ली है।
- उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) पुरुषों और महिलाओं, दोनों के लिए बढ़ा है। महिलाओं का GER 28.5 से बढ़कर 30.2 हो गया, जबकि पुरुषों का GER 28.3 से बढ़कर 28.9 हो गया।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अंतर्गत 2022-23 से 2024-25 के बीच लड़कों और लड़कियों, दोनों की पढ़ाई छोड़ने की दर में कमी आई है।

सीखने और कौशल का स्वरूप

- 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए औसत स्कूली शिक्षा अवधि (Mean Years of Schooling - MYS) 8.4 वर्ष है, जबकि महिलाओं के लिए यह 7.4 वर्ष है, जो शिक्षा में अब भी मौजूद अंतर को दर्शाता है।
- 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 30 ने लैंगिक समानता सूचकांक (Gender Parity Index - GPI) में 1.00 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए, जो स्कूलों में लड़कों और लड़कियों की संतुलित भागीदारी को दर्शाता है।
- महिलाएँ कला, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान जैसे विषयों में अधिक हैं, जबकि पुरुष इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी (IT), प्रबंधन और विधि (Law) जैसे क्षेत्रों में अधिक हैं। यह प्रारंभिक स्तर पर ही व्यवसायों के अलग-अलग चयन को दर्शाता है।
- यह दर्शाता है कि शिक्षा तक पहुँच में सुधार हुआ है, लेकिन संरचनात्मक असमानताएँ अब भी शिक्षा और पेशे से जुड़े विकल्पों को प्रभावित कर रही हैं।

आर्थिक भागीदारी, देखभाल अर्थव्यवस्था और नेतृत्व

कार्यबल में भागीदारी

- महिलाओं की श्रम बल भागीदारी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, विशेषकर ग्रामीण भारत में। ग्रामीण महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) 2022 में 37.5% से बढ़कर 2025 में 45.9% हो गई।
- 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए कार्यशील जनसंख्या अनुपात (Worker Population Ratio - WPR) पुरुषों के लिए 76.6% और महिलाओं के लिए 38.8% रहा, जो दोनों के बीच बड़ा अंतर दर्शाता है।
- महिलाएँ अब भी मुख्य रूप से कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में कार्यरत हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 72.7% महिला श्रमिक कृषि क्षेत्र में कार्य करती हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में अधिक महिलाएँ विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत हैं।
- 15-29 वर्ष आयु वर्ग में युवाओं की बेरोजगारी सबसे अधिक है, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में।

नेतृत्व और देखभाल का बोझ

- 2017 से 2025 के बीच प्रबंधकीय पदों पर महिलाओं की संख्या में 102.54% की वृद्धि हुई, जबकि पुरुषों में यह वृद्धि 73.80% रही, जो महिलाओं की नेतृत्वकारी भूमिका में सुधार को दर्शाती है।
- फिर भी, महिलाएँ अब भी बिना वेतन वाले देखभाल कार्य का कहीं अधिक बोझ उठाती हैं। महिलाएँ प्रतिदिन औसतन 289 मिनट बिना वेतन वाले घरेलू कार्यों में लगाती हैं, जबकि पुरुष केवल 88 मिनट खर्च करते हैं।
- हालाँकि पुरुषों द्वारा बिना वेतन वाले कार्यों में बिताया जाने वाला समय बढ़ा है और महिलाओं के वेतन वाले कार्यों में भी वृद्धि हुई है, फिर भी देखभाल अर्थव्यवस्था (Care Economy) अब भी काफी हद तक लैंगिक असमानता से प्रभावित है, जिससे महिलाओं की आर्थिक प्रगति और उत्पादकता सीमित होती है।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व और संस्थागत समावेशन

लोकतांत्रिक भागीदारी

- महिलाएँ संसद सदस्यों (MPs) का 13.65% और मंत्रिपरिषद के पदों का 9.86% हिस्सा हैं, जो उच्च राजनीतिक स्तर पर उनकी सीमित भागीदारी को दर्शाता है।
- महिलाएँ निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का 49.75% हिस्सा हैं, जबकि 16 राज्यों में उनकी भागीदारी 50% से अधिक है, जो स्थानीय स्तर पर उनकी मजबूत भागीदारी को दर्शाता है।
- पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सबसे अधिक भागीदारी असम (60.1%) में दर्ज की गई, इसके बाद दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव (56.93%) और छत्तीसगढ़ (56.5%) का स्थान रहा।
- 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा, जो उनकी बढ़ती राजनीतिक भागीदारी को दर्शाता है।

संस्थागत प्रतिनिधित्व

- औपचारिक संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अब भी कम है। स्वीकृत न्यायिक पदों में उनकी भागीदारी केवल 14.30% है, जबकि उच्चतम न्यायालय में वे स्थायी न्यायाधीशों की कुल संख्या का केवल 3.03% हैं।
- रक्षा क्षेत्र में 2020 से 2025 के बीच महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है, जो संस्थागत स्तर पर धीरे-धीरे हो रहे विस्तार को दर्शाती है।
- घरेलू निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 16 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में 90% से अधिक महिलाओं की भागीदारी दर्ज की गई।
- यह सार्वजनिक और निजी, दोनों स्तरों पर महिलाओं की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है, हालाँकि संस्थागत नेतृत्व में उनकी भागीदारी अब भी सीमित है।

चुनौतियाँ

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और डिजिटल जोखिम

- वर्ष 2023 में महिलाओं के विरुद्ध अपराध, कुल अपराधों का 7.18% रहे, जो महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी लगातार बनी हुई चुनौतियों को दर्शाता है।
- पश्चिम बंगाल में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों का सबसे अधिक हिस्सा 19.24% दर्ज किया गया।
- महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध 2017 में 4,242 मामलों से बढ़कर 2023 में 19,510 मामले हो गए, जो डिजिटल क्षेत्र में बढ़ती असुरक्षा को दर्शाता है।
- सबसे सामान्य साइबर अपराधों में साइबर अश्लीलता, साइबर स्टॉकिंग और साइबर बुलिंग शामिल हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में ऐसे मामलों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई।
- 2015-16 से 2019-21 के बीच बाल विवाह में कमी दर्ज की गई, जो समाज में धीरे-धीरे हो रहे सकारात्मक बदलाव को दर्शाती है।

शासन की प्रतिक्रिया

- महिलाओं को अब भी शहरी क्षेत्रों में कम श्रम भागीदारी, असंगठित और बिना वेतन वाले कार्यों में अधिक भागीदारी, वेतन असमानता, संपत्ति पर सीमित स्वामित्व और नेतृत्व पदों पर कम प्रतिनिधित्व जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- 2018 से 2023 के बीच पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों में आत्महत्या के मामलों में वृद्धि हुई है, जो व्यापक सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी दबावों को दर्शाती है।
- लैंगिक भेदभाव और लिंग चयन जैसी प्रथाओं के विरुद्ध कानूनों का अधिक प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है।
- महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को बनाए रखने के लिए औपचारिक रोजगार, कौशल विकास, डिजिटल साक्षरता और उद्यमिता के अवसरों का विस्तार आवश्यक है।
- बिना वेतन वाले देखभाल कार्यों का बोझ कम करने के लिए बाल देखभाल सेवाएँ, सामाजिक सुरक्षा और देखभाल अर्थव्यवस्था (Care Economy) से जुड़े सुधारों जैसी संस्थागत व्यवस्थाएँ आवश्यक हैं।
- संस्थागत समानता को मजबूत करने के लिए संसद, न्यायपालिका, कॉर्पोरेट नेतृत्व और प्रशासन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाना चाहिए।
- लक्षित और प्रभावी सार्वजनिक नीतियाँ बनाने के लिए महिला और पुरुषों से संबंधित अलग-अलग आँकड़ों का बेहतर उपयोग आवश्यक है।

रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी AI

भारत का रक्षा तंत्र रूस-यूक्रेन और ईरान-पश्चिम एशिया के संघर्षों में दिखाई दे रहे बदलते युद्ध के स्वरूप को देखते हुए स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रणालियों के विकास के प्रयासों को तेजी से आगे बढ़ा रहा है।

AI और युद्ध के बदलते स्वरूप

पारंपरिक युद्ध से बुद्धिमान युद्ध की ओर

- युद्ध अब मानव-बल आधारित लड़ाई से डेटा आधारित और स्वायत्त प्रणालियों की ओर बढ़ रहा है, जहाँ सूचना को तेजी से समझना शारीरिक शक्ति जितना ही महत्त्वपूर्ण हो गया है। AI ड्रोन, सेंसर, उपग्रह और खुफिया नेटवर्क जैसे कई स्रोतों से प्राप्त आँकड़ों को जोड़कर निगरानी, टोही, लक्ष्य पहचान और सटीक हमलों को बेहतर बनाता है।
- साइबर युद्ध में AI स्वचालित खतरा पहचान, असामान्य गतिविधियों की पहचान और तेज प्रतिक्रिया प्रणालियों के माध्यम से रक्षा व्यवस्था को मजबूत करता है। AI आधारित युद्धक्षेत्र विश्लेषण वास्तविक समय में सामरिक योजना को बेहतर बनाता है, निर्णय लेने में देरी कम करता है और संचालन क्षमता बढ़ाता है।

वैश्विक सीख और रणनीतिक दबाव

- रूस-यूक्रेन संघर्ष में ड्रोन, उपग्रह खुफिया जानकारी और AI-सहायता प्राप्त युद्धक्षेत्र विश्लेषण के उपयोग ने युद्ध में बुद्धिमान प्रणालियों की बढ़ती भूमिका को उजागर किया। ईरान-पश्चिम एशिया संघर्ष में AI-सहायता प्राप्त सैन्य लक्ष्य चयन और संचालन योजना ने दिखाया कि भविष्य के युद्ध मशीन इंटेलिजेंस पर अधिक निर्भर होंगे।
- चीन का "बुद्धिमान युद्ध" सिद्धांत ड्रोन समूहों, रोबोटिक लड़ाकू प्लेटफॉर्म और बुद्धिमान कमांड प्रणालियों के माध्यम से AI को तेजी से शामिल कर रहा है, जिससे भारत पर रणनीतिक दबाव बढ़ रहा है।

भारत के व्यापक रक्षा आधुनिकीकरण में AI

- AI अब स्वायत्त प्रणालियों, निर्देशित ऊर्जा हथियारों, हाइपरसोनिक प्लेटफॉर्म और क्वांटम तकनीकों से जुड़े व्यापक रक्षा तकनीकी बदलाव का हिस्सा बन गया है।
- निर्देशित ऊर्जा हथियार (DEWs) पारंपरिक गोला-बारूद के बजाय लेजर और माइक्रोवेव जैसी केंद्रित विद्युत-चुंबकीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जिससे गति और सटीकता बढ़ती है।
- हाइपरसोनिक हथियार प्रणालियाँ, जिनमें हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन (HGVs) और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें (HCMs) शामिल हैं, मैक 5 से अधिक गति से चलती हैं और बीच रास्ते में अपनी दिशा बदल सकती हैं, जिससे उन्हें रोकना कठिन हो जाता है।
- क्वांटम तकनीकों का उपयोग सैन्य रसद को बेहतर बनाने, सुरक्षित संचार के लिए क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन (QKD) और पनडुब्बियों, स्टील्थ प्रणालियों तथा भूमिगत बंकरों का पता लगाने वाले उन्नत सेंसरों के लिए किया जा रहा है।
- भारत के स्वदेशी हाइपरसोनिक विकास में ध्वनि हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन जैसी परियोजनाएँ शामिल हैं, जो दिखाती हैं कि AI को व्यापक सैन्य आधुनिकीकरण ढाँचे में शामिल किया जा रहा है।

भारत के लिए स्वदेशी AI क्यों जरूरी है?

- **रणनीतिक स्वायत्तता:**
  - रणनीतिक क्षेत्रों में विदेशी AI प्रणालियों पर निर्भरता, भू-राजनीतिक तनाव के समय सुरक्षा संबंधी कमजोरियाँ उत्पन्न कर सकती है।
  - स्वदेशी AI प्रणालियाँ महत्त्वपूर्ण रक्षा अवसंरचना पर भारत का संप्रभु नियंत्रण सुनिश्चित करती हैं और रणनीतिक निर्भरता को कम करती हैं।
- **डेटा सुरक्षा:** सैन्य AI प्रणालियाँ अत्यंत संवेदनशील और गोपनीय रक्षा संबंधी डेटा का प्रसंस्करण करती हैं। विदेशी प्लेटफॉर्म पर निर्भरता से डेटा लीक, साइबर जासूसी और बाहरी निगरानी का खतरा बढ़ जाता है।
- **आयात पर निर्भरता में कमी:** घरेलू AI क्षमता विकसित होने से भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक तकनीकी आयात पर निर्भरता कम हो सकती है। इसके साथ ही यह भारत के डीप-टेक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगा और स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देगा।

भारत का डिफेंस AI इकोसिस्टम

सैन्य प्लेटफॉर्म और संचालन में AI का एकीकरण

- भारतीय सेना ने मई 2026 में कौटिल्य और Q-Force नामक स्वदेशी AI-सक्षम प्रणालियाँ शुरू कीं। कौटिल्य का मुख्य उद्देश्य संरचित डेटा तैयार करना, AI आधारित विश्लेषण और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण के माध्यम से युद्धक्षेत्र की खुफिया जानकारी को बेहतर बनाना है।
- Q-Force कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में रसद, भंडार और आपूर्ति प्रबंधन को मजबूत करता है। ये प्रणालियाँ युद्धक्षेत्र की स्थिति की बेहतर जानकारी, संचालन क्षमता और निर्णय लेने की गति में सुधार करती हैं।
- भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को "नेटवर्किंग और डेटा-केंद्रितता का वर्ष" तथा वर्ष 2027 को संचालन में AI के एकीकरण का वर्ष घोषित किया है।
- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने ड्रोन, सेंसर, खुफिया जानकारी और हथियार प्रणालियों के AI-सहायता प्राप्त समन्वय के माध्यम से 94% लक्ष्य-सटीकता हासिल की।

भारतीय स्टार्टअप्स की भूमिका

- SarvamAI बहुभाषी और विशेष क्षेत्रों के लिए स्वदेशी आधारभूत AI मॉडल विकसित कर रहा है। BharatGen स्वदेशी जनरेटिव AI तकनीकों पर कार्य कर रहा है, जो सैन्य खुफिया और रणनीतिक संचार को मजबूत करने में सहायक हो सकती हैं।

शासन और संस्थागत ढाँचा

नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र

- इंडिया AI मिशन, जिसे 2024 में मंजूरी दी गई, AI अवसंरचना, अनुसंधान और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्तर का व्यापक ढाँचा प्रदान करता है।

- नवाचार वित Defence Excellence (iDEX) स्टार्टअप्स और MSMEs को रक्षा क्षेत्र की आवश्यकताओं से जोड़ता है तथा स्वदेशी AI, स्वायत्त प्रणालियों और निगरानी तकनीकों को बढ़ावा देता है।
- ADITI (Acing Development of Innovative Technologies with iDEX) का उद्देश्य 30 महत्त्वपूर्ण डीप-टेक और रणनीतिक तकनीकों का विकास करना है, जिससे आयात पर निर्भरता कम हो सके।
- प्रौद्योगिकी विकास कोष (TDF) उद्योगों, स्टार्टअप्स, MSMEs और शैक्षणिक संस्थानों को स्वदेशी रक्षा और दोहरे उपयोग (Dual-use) वाली तकनीकों के विकास में सहायता प्रदान करता है।

संस्थागत ढाँचा

- रक्षा AI परिषद (DAIC) और रक्षा AI परियोजना एजेंसी (DAIPA) रक्षा क्षेत्र में AI के एकीकरण के लिए समर्पित संस्थागत व्यवस्था प्रदान करते हैं।
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं रोबोटिक्स केंद्र बुद्धिमान प्रणालियों और साइबर रक्षा के लिए भारत का प्रमुख AI अनुसंधान केंद्र है। ये सभी संस्थाएँ मिलकर नागरिक-सैन्य नवाचार मॉडल का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसमें सरकार, अनुसंधान संस्थान और निजी स्टार्टअप मिलकर रणनीतिक तकनीकों का विकास करते हैं।

मुख्य चुनौतियाँ

- भारत अब भी उन्नत सेमीकंडक्टर और GPU के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर है, जिससे तकनीकी संप्रभुता में बड़ी कमी बनी हुई है।
- AI के विकास के लिए अत्यधिक कंप्यूटिंग क्षमता, बड़े पैमाने पर डेटा एनोटेशन और लगातार परीक्षण की आवश्यकता होती है, जिससे यह महँगा और अधिक अवसंरचना-आधारित बन जाता है।
- उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग अवसंरचना और बड़े डेटा केंद्रों की सीमित घरेलू उपलब्धता के कारण स्वदेशी AI का विकास धीमा हो जाता है।
- वैश्विक प्रौद्योगिकी-प्रतिबंध व्यवस्थाएँ और आपूर्ति शृंखला में व्यवधान, रक्षा AI प्रणालियों के लिए आवश्यक महत्त्वपूर्ण हार्डवेयर की उपलब्धता को प्रभावित कर सकते हैं।

निष्कर्ष

- 2026 में भारतीय सेना द्वारा AI-सक्षम प्लेटफॉर्म, जैसे कि कौटिल्य (Kautilya) और Q-Force, की शुरुआत नेटवर्क-केंद्रित, डेटा-केंद्रित और बुद्धिमान युद्ध प्रणालियों की ओर हो रहे बड़े बदलाव को दर्शाती है।
- वैश्विक संघर्षों में AI के बढ़ते उपयोग से स्पष्ट है कि भविष्य के युद्ध स्वायत्त प्रणालियों, वास्तविक समय में डेटा के समन्वय, पूर्वानुमान आधारित खुफिया विश्लेषण और साइबर सुरक्षा क्षमता पर अधिक निर्भर होंगे।
- भारत के लिए स्वदेशी AI केवल एक तकनीकी उन्नयन नहीं, बल्कि रणनीतिक स्वायत्तता, रक्षा तैयारी और राष्ट्रीय सुरक्षा की संप्रभुता का एक महत्त्वपूर्ण आधार है।
- आत्मनिर्भर भारत के व्यापक लक्ष्य के अंतर्गत, एक मजबूत नागरिक-सैन्य नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना आवश्यक होगा, ताकि भारत अगली पीढ़ी के युद्धों में अपनी मजबूत स्थिति सुनिश्चित कर सके और दीर्घकालिक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बनाए रख सके।

आधुनिक युद्ध में AI

सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, जो आर्मी ट्रेनिंग कमांड (ARTRAC) के पूर्व आर्मी कमांडर रहे हैं, ने भारत की रक्षा व्यवस्था में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और सॉफ्टवेयर-आधारित क्षमताओं को तेजी से शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

मुख्य तर्क

- **एल्गोरिदम आधारित युद्ध** (Algorithmic Warfare)**:**
  - उनका मानना है कि आधुनिक युद्ध अब एल्गोरिदम आधारित युद्ध के दौर में प्रवेश कर चुका है, जहाँ सफलता का आधार तेजी से सॉफ्टवेयर, डेटा और बुद्धिमान प्रणालियाँ बनती जा रही हैं।
  - उनके अनुसार, राफेल लड़ाकू विमान और मिसाइल जैसी उन्नत सैन्य प्रणालियाँ तब तक प्रभावी नहीं होतीं, जब तक उन्हें ऐसे सॉफ्टवेयर का समर्थन न मिले जो लक्ष्य की सही पहचान, निशाना लगाने और उनके उपयोग को बेहतर बना सके।
- **हार्डवेयर से अधिक सॉफ्टवेयर का महत्त्व:** वे इस बात पर जोर देते हैं कि रक्षा आधुनिकीकरण को हार्डवेयर-केंद्रित मॉडल से हटाकर सॉफ्टवेयर-प्रथम दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। आधुनिक हथियार उतने ही प्रभावी होते हैं, जितनी प्रभावी उन्हें समर्थन देने वाली डेटा प्रणालियाँ, लक्ष्य निर्धारण प्रणाली और पूर्वानुमान आधारित एल्गोरिद्म होते हैं।
- **सैन्य उपयोग के लिए विशेष LLM और डेटा संप्रभुता:** वे सैन्य उपयोग के लिए विशेष लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLMs) विकसित करने का समर्थन करते हैं। सैन्य और अभियान संबंधी डेटा अत्यंत संवेदनशील होता है, इसलिए इसे सामान्य नागरिक डेटा के साथ नहीं जोड़ा जा सकता।
  - इसलिए, सशस्त्र बलों के लिए समर्पित और सुरक्षित AI प्रणालियाँ आवश्यक हैं, ताकि डेटा संप्रभुता और संचालन सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
- **तकनीकी नौकरशाही में सुधार:**
  - उनका मानना है कि केवल किसी जनरल या अतिरिक्त सचिव को, बिना तकनीकी विशेषज्ञता के, AI की निगरानी की जिम्मेदारी देना प्रभावी नहीं होगा।
  - वे सुझाव देते हैं कि रक्षा तकनीक के क्रियान्वयन में विषय विशेषज्ञों, डेटा इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों को केंद्रीय भूमिका दी जानी चाहिए।
- **नागरिक-सैन्य समन्वय:**
  - ARTRAC में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने लगातार नागरिक-सैन्य समन्वय को बढ़ावा दिया।
  - उनका मानना है कि सेना को केवल रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (DPSUs) या अलग-थलग रक्षा बजट पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।
  - इसके बजाय, आधुनिक युद्ध में प्रतिस्पर्धी देशों से आगे रहने के लिए भारत के नागरिक प्रौद्योगिकी क्षेत्र और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र से होने वाले नवाचारों को सक्रिय रूप से रक्षा क्षेत्र में शामिल करना चाहिए।

वन अधिकार अधिनियम, 2006

हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 उससे पहले बने सभी विरोधाभासी कानूनों और न्यायालयों के आदेशों पर प्रभावी होगा। इसी आधार पर न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के थारू जनजाति को वन अधिकार देने से इनकार करने वाले जिला स्तरीय समिति (DLC) के निर्णय को निरस्त कर दिया।

शासन व्यवस्था

- अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 को औपनिवेशिक और स्वतंत्रता के बाद के वन कानूनों के कारण जनजातीय और वन पर निर्भर समुदायों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के उद्देश्य से बनाया गया था।
- यह अधिनियम उनकी जीविका, आवास, संस्कृति और जीवन-निर्वाह के लिए वन भूमि और वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को मान्यता देता है तथा उन्हें वन संरक्षण की प्रक्रिया में भी शामिल करता है।

संवैधानिक आधार

- वन अधिकार अधिनियम सामाजिक न्याय, गरिमा और जनजातीय संरक्षण के प्रति संविधान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह अनुच्छेद 21 को मजबूत करता है, जो जीवन और आजीविका के अधिकार की गारंटी देता है।
- यह अनुच्छेद 46 के अनुरूप है, जो राज्य को अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा करने का निर्देश देता है।
- यह पाँचवीं अनुसूची की भावना का भी समर्थन करता है, जो जनजातीय भूमि और उनकी शासन व्यवस्था की सुरक्षा प्रदान करती है। ग्राम सभाओं को सशक्त बनाकर यह पेसा अधिनियम (PESA) के विकेंद्रीकृत शासन के सिद्धांतों को भी मजबूत करता है।

इस अधिनियम के अंतर्गत मुख्य प्रावधान

- यह अधिनियम पात्र वनवासियों को उनके द्वारा जोती जा रही वन भूमि पर प्रति परिवार अधिकतम 4 हेक्टेयर तक स्वामित्व अधिकार (Title Rights) प्रदान करता है, जिससे उनकी आजीविका और आवास सुरक्षित होते हैं।
- यह सामुदायिक वन अधिकारों को भी मान्यता देता है। इसके अंतर्गत बाँस, शहद और औषधीय पौधों जैसे गैर-लकड़ी वन उत्पादों के संग्रह, उपयोग और बिक्री का अधिकार दिया जाता है, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा मजबूत होती है। यह चराई, मत्स्य पालन और जल स्रोतों तक पहुँच के अधिकारों की रक्षा करता है, जिससे पारंपरिक आजीविका प्रणाली बनी रहती है।
- यह विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs), पशुपालक समुदायों और घुमंतू समुदायों को आवास (Habitat) अधिकार प्रदान करता है, जिससे उनकी संस्कृति और पारंपरिक बसावट की सुरक्षा होती है।
- यह समुदायों को वनों और जैव विविधता की रक्षा, संरक्षण और प्रबंधन का अधिकार देता है, जिससे समुदाय आधारित वन संरक्षण को बढ़ावा मिलता है।
- यह स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत संरचना जैसी आवश्यक सार्वजनिक सुविधाओं के लिए वन भूमि के उपयोग (Diversion) की अनुमति देता है। साथ ही, जब तक वन अधिकारों के दावों का पूरी तरह सत्यापन नहीं हो जाता, तब तक वनवासियों को बेदखल करने से सुरक्षा प्रदान करता है।
- ग्राम सभा को दावों के सत्यापन और वन शासन की प्रक्रिया का केंद्र बनाकर यह अधिनियम सहभागी लोकतंत्र, विकेंद्रीकृत शासन और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है।
- यह अधिनियम स्पष्ट रूप से कहता है कि इसके प्रावधान किसी अन्य कानून के बावजूद लागू होंगे, जिससे इसे भारतीय वन अधिनियम, 1927 और विभिन्न राज्यों के वन कानूनों जैसे पुराने कानूनों पर भी प्राथमिकता प्राप्त होती है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला

थारू मामले में विवाद:

- वर्ष 2021 में लखीमपुर की पलिया कलां तहसील में जिला स्तरीय समिति ने थारू समुदाय के वन अधिकार संबंधी दावों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वर्ष 2000 के उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुसार वनों का आरक्षित दर्जा समाप्त या उनका पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जा सकता।

उच्च न्यायालय का तर्क:

- उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि किसी पुराने कानून या न्यायालय के आदेश और बाद में बने विशेष कानून में टकराव हो, तो बाद में बना विशेष कानून प्रभावी होगा। चूँकि वन अधिकार अधिनियम (FRA) वर्ष 2006 में लागू हुआ था, इसलिए यह वर्ष 2000 के अंतरिम आदेश पर प्रभावी होगा।
- न्यायालय ने दोहराया कि FRA की धारा 4 वनवासियों को अधिकार प्रदान करती है, चाहे कोई अन्य कानूनी प्रावधान उससे अलग क्यों न हो।
- न्यायालय ने DLC की आलोचना करते हुए कहा कि उसने अधिनियम द्वारा प्रदान की गई वैधानिक सुरक्षा का उल्लंघन किया है और उसे FRA के प्रावधानों के अनुसार दावों पर दोबारा विचार करने का निर्देश दिया।

कार्यान्वयन में कमियाँ और कानूनी विरोधाभास

- वन अधिकार अधिनियम को कानूनी प्राथमिकता प्राप्त होने के बावजूद, दावों को मनमाने ढंग से खारिज करने, संस्थागत क्षमता की कमी और प्रशासनिक पक्षपात के कारण इसका प्रभावी कार्यान्वयन अब भी कमजोर है।
- जिला स्तरीय समितियाँ और राज्य के अधिकारी अक्सर वास्तविक दावों को भी अस्वीकार कर देते हैं तथा वनवासियों को अतिक्रमणकारी मानते हैं।
- न्यायिक स्तर पर भी कई मामलों में विरोधाभास देखने को मिलता है, जहाँ न्यायालयों ने FRA के बजाय पुराने राज्य वन कानूनों को प्राथमिकता दी है।
- कई मामलों में, जिनमें मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय भी शामिल हैं, वन अधिकार अधिनियम के संरक्षण के बावजूद तमिलनाडु वन अधिनियम, 1882 के आधार पर वनवासियों की याचिकाएँ खारिज कर दी गईं। इसी प्रकार, वर्ष 2022 में कुछ मामलों में वनों में पशुओं की चराई पर प्रतिबंध को भी बरकरार रखा गया, जबकि FRA स्पष्ट रूप से चराई के अधिकार को मान्यता देता है।
- वर्ष 2019 में उच्चतम न्यायालय ने प्रारंभ में उन लगभग 18 लाख लोगों को बेदखल करने का आदेश दिया था, जिनके वन अधिकार संबंधी दावे खारिज हो गए थे। इससे दावों की जाँच प्रक्रिया में गंभीर कमियाँ सामने आईं। बाद में इस आदेश पर रोक लगा दी गई। ये सभी विरोधाभास दर्शाते हैं कि FRA द्वारा स्थापित अधिकार-आधारित शासन व्यवस्था और पुराने राज्य-नियंत्रित वन संरक्षण मॉडल के बीच अब भी टकराव बना हुआ है।

भारत में ई-अपशिष्ट प्रबंधन

पर्यावरण नीति मंथन में नीति-निर्माताओं ने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) के प्रभावी कार्यान्वयन में मौजूद गंभीर कमियों पर चिंता व्यक्त की।

ई-अपशिष्ट

- भारत में वर्ष 2024 में लगभग 6.19 MMT ई-अपशिष्ट उत्पन्न हुआ, जिससे भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ई-अपशिष्ट उत्पादक देश बन गया। इसके वर्ष 2030 तक बढ़कर 14 MMT होने का अनुमान है।
- ई-अपशिष्ट से तात्पर्य ऐसे बेकार हो चुके विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों से है, जैसे- कंप्यूटर, मोबाइल फोन, सर्किट बोर्ड, दूरसंचार उपकरण और घरेलू विद्युत उपकरण। भारत में ई-अपशिष्ट का उत्पादन 2020 में 2.76 MMT से बढ़कर 2024 में 6.19 MMT हो गया है, जो तेजी से बदलती तकनीक और उत्पादों की कम होती उपयोग अवधि का परिणाम है।
- ई-अपशिष्ट का लगभग 33% हिस्सा धातुओं का होता है, जिनमें सोना, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम तथा कई महत्त्वपूर्ण खनिज शामिल हैं, जो रणनीतिक उद्योगों के लिए आवश्यक हैं। भारत के ई-अपशिष्ट का कुल आर्थिक मूल्य लगभग ₹ 51,000 करोड़ आँका गया है, जिसमें से लगभग ₹ 30,600 करोड़ मूल्य के संसाधनों को तकनीकी रूप से पुनर्प्राप्त किया जा सकता है।
- इस प्रकार, ई-अपशिष्ट केवल पर्यावरण की समस्या नहीं है, बल्कि यह संसाधन सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और परिपत्र अर्थव्यवस्था के प्रभावी शासन से जुड़ा एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा भी है।

मुख्य निहितार्थ

- ई-अपशिष्ट में सीसा, पारा, कैडमियम और ब्रोमिनयुक्त ज्वाला-रोधी रसायन जैसे खतरनाक पदार्थ होते हैं। यदि इनका सही तरीके से निपटान न किया जाए, तो ये पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं। असुरक्षित पुनर्चक्रण की प्रक्रियाओं से जहरीले रसायन मिट्टी, वायु और जल में फैल जाते हैं, जिससे प्रदूषण, जैव विविधता का नुकसान और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
- कमजोर पुनर्प्राप्ति व्यवस्था के कारण लिथियम, कोबाल्ट, तांबा और दुर्लभ मृदा खनिज जैसे मूल्यवान संसाधनों का नुकसान होता है। ये खनिज बैटरी निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। पुनर्चक्रण का औपचारिक रूप से सही लेखा-जोखा न होने के कारण सरकार को कर का बड़ा नुकसान होता है और उद्योगों में संसाधनों के कुशल उपयोग पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- इस प्रकार, ई-अपशिष्ट का खराब प्रबंधन सीधे तौर पर पर्यावरणीय स्थिरता और औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता, दोनों को प्रभावित करता है।

भारत में ई-अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौतियाँ

- विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के नियमों का कमजोर पालन होने के कारण फर्जी या केवल कागजों पर मौजूद पुनर्चक्रण इकाइयाँ धोखाधड़ीपूर्ण प्रमाणपत्रों के आधार पर काम कर रही हैं, जिससे नियामक व्यवस्था की विश्वसनीयता कमजोर होती है।
- भारत में औपचारिक पुनर्चक्रण की दर केवल लगभग 10% है, जो वैश्विक औसत 22% और अमेरिका (56%) जैसे देशों की तुलना में काफी कम है।
- भारत के लगभग 90-95% ई-अपशिष्ट का प्रबंधन असंगठित क्षेत्र द्वारा किया जाता है, जिससे औपचारिक और असंगठित व्यवस्था के बीच बड़ा अंतर बना हुआ है।
- असंगठित क्षेत्र में पुनर्चक्रण के लिए अक्सर अम्ल द्वारा धातु निकालना और खुले में जलाना जैसी असुरक्षित विधियों का उपयोग किया जाता है, जिससे श्रमिकों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा उत्पन्न होता है और पर्यावरण प्रदूषित होता है।
- EPR का कार्यान्वयन अभी सीमित है, क्योंकि इसका मुख्य ध्यान केवल सोना, तांबा, लोहा और एल्युमिनियम की पुनर्प्राप्ति पर है, जबकि कई अन्य मूल्यवान पदार्थ अब भी पुनर्प्राप्ति व्यवस्था से बाहर हैं।
- अन्य प्रमुख चुनौतियों में तकनीकी कौशल की कमी, कमजोर संग्रह प्रणाली, उन्नत पुनर्चक्रण तकनीकों तक सीमित पहुँच और उपभोक्ताओं में कम जागरूकता शामिल हैं।

संस्थागत और विनियामक ढाँचा

- ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 ने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व व्यवस्था को मजबूत बनाया है। इसके अंतर्गत उत्पादकों को उपयोग के बाद बेकार हो चुके इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के संग्रह और पुनर्चक्रण की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने EPR ई-अपशिष्ट पोर्टल और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया है, जिसका उपयोग पंजीकरण, निगरानी, दावों की ट्रैकिंग और प्रमाणपत्रों के व्यापार के लिए किया जाता है।
- बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 के अंतर्गत बैटरियों के संग्रह, पुनर्चक्रण और पुनर्निर्माण के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा बैटरी अपशिष्ट को लैंडफिल में डालने और जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM) का उद्देश्य लिथियम-आयन बैटरियों, औद्योगिक स्क्रैप और ई-अपशिष्ट से महत्त्वपूर्ण खनिजों की घरेलू पुनर्चक्रण क्षमता विकसित करना है। भोपाल में भारत का पहला ई-अपशिष्ट क्लिनिक तथा अखिल भारतीय ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण अभियान (2025), ई-अपशिष्ट के वैज्ञानिक निपटान और मूल्यवान संसाधनों की पुनर्प्राप्ति को बेहतर बनाने के प्रयासों का उदाहरण हैं।

वैश्विक विनियामक आयाम

- भारत **बेसल अभिसमय, 1989** का पक्षकार है, जो खतरनाक अपशिष्ट के सीमापार परिवहन और निपटान को नियंत्रित करता है।
- इस अभिसमय के अनुसार, खतरनाक अपशिष्ट के सीमापार परिवहन से पहले पूर्व सूचित सहमति लेना, उसका पर्यावरण के अनुकूल निपटान सुनिश्चित करना तथा अवैध रूप से भेजे गए अपशिष्ट को निर्यात करने वाले देश को वापस भेजना आवश्यक है। इस प्रकार, यह अभिसमय भारत पर अपने घरेलू ई-अपशिष्ट प्रबंधन तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने का अंतरराष्ट्रीय दायित्व भी डालता है।

10वाँ हिन्द महासागर संवाद

10वाँ हिन्द महासागर संवाद (IOD) नई दिल्ली में 'परिवर्तनशील विश्व में हिन्द महासागर क्षेत्र' विषय के साथ आयोजित किया गया। इस दौरान हिन्द महासागर में बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों के बीच समुद्री सुरक्षा के बढ़ते महत्त्व पर विशेष जोर दिया गया।

हिन्द महासागर संवाद

- हिन्द महासागर संवाद (Indian Ocean Dialogue - IOD), हिन्द महासागर रिम संघ (IORA) का प्रमुख ट्रैक 1.5 संवाद मंच है। इसकी स्थापना 2013 की पर्थ मंत्रिपरिषद (COM) बैठक के बाद नीति-निर्माताओं और विशेषज्ञों के बीच रणनीतिक चर्चा को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
- IORA के अध्यक्ष (2025-27) के रूप में भारत इस मंच का उपयोग अपनी महासागर (MAHASAGAR) विजन को आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) का सुशासन और नवाचार को बढ़ावा देना है।

हिन्द महासागर रिम संघ

- हिन्द महासागर रिम संघ (Indian Ocean Rim Association - IORA) एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 7 मार्च 1997 को नेल्सन मंडेला की क्षेत्रीय सहयोग की परिकल्पना से प्रेरित होकर की गई थी। पहले इसका नाम IORI था, बाद में इसे IOR-ARC कहा गया और उसके बाद इसका वर्तमान नाम IORA रखा गया।
- इसका सचिवालय एबेने (Ebène), मॉरीशस में स्थित है, जबकि मंत्रिपरिषद (Council of Ministers - COM) इसका उच्चतम निर्णय लेने वाला निकाय है। वर्तमान में इसके 23 सदस्य देश और 12 संवाद साझेदार (Dialogue Partners) हैं।
- **सदस्य देशः** ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरीशस, मोजाम्बिक, ओमान, पाकिस्तान, सेशेल्स, सिंगापुर, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, थाईलैंड, तंजानिया, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और फ्रांस।

हिन्द महासागर रणनीतिक रूप से क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- **व्यापार और ऊर्जा की जीवनरेखाः** भारत का लगभग 95% व्यापार (मात्रा के आधार पर) और 68% व्यापार (मूल्य के आधार पर) समुद्री मार्गों से होता है। भारत के 85% से अधिक कच्चे तेल का आयात हिन्द महासागर के रास्ते होता है, जिससे यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण बन जाता है।
- **महत्त्वपूर्ण समुद्री संकरे मार्ग** (Maritime Chokepoints)**:** हॉर्मुज जलडमरूमध्य, बाब-अल-मंदेब और मलक्का जलडमरूमध्य जैसे रणनीतिक समुद्री मार्ग वैश्विक ऊर्जा और व्यापार के प्रवाह को प्रभावित करते हैं। इन मार्गों में किसी भी प्रकार की बाधा का सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।
- **नीली अर्थव्यवस्था** (Blue Economy) **की संभावनाएँः** भारत का लगभग 24 लाख वर्ग किलोमीटर का विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) मत्स्य पालन, समुद्री नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री जैव विविधता और समुद्री पर्यटन जैसे क्षेत्रों में व्यापक अवसर प्रदान करता है।

हिन्द महासागर में बदलता सुरक्षा परिदृश्य

- **भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धाः** हिन्द महासागर तेजी से रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बनता जा रहा है। बंदरगाहों और विभिन्न देशों के साथ पहुँच संबंधी समझौतों के माध्यम से चीन की बढ़ती समुद्री उपस्थिति ने प्रतिस्पर्धा को और तेज कर दिया है, जबकि अमेरिका, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी मजबूत कर रहे हैं।
- **क्षेत्रीय संघर्षों का प्रभावः** हाल के पश्चिम एशिया के तनाव, हॉर्मुज जलडमरूमध्य में व्यवधान और श्रीलंका के निकट ईरानी युद्धपोत IRIS क्मद के डूबने जैसी घटनाएँ दिखाती हैं कि क्षेत्रीय संघर्ष समुद्री सुरक्षा को अस्थिर कर सकते हैं।
- **गैर-पारंपरिक खतरेः** समुद्री डकैती (Piracy), समुद्री आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध, बिना सूचना और बिना नियमन वाली मछली पकड़ना (Illegal, Unreported and Unregulated - IUU Fishing) तथा जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न आपदाओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा को और अधिक जटिल बना दिया है।
- **महत्त्वपूर्ण अवसंरचना पर खतराः** विश्व के 95% से अधिक डिजिटल डेटा का आदान-प्रदान समुद्र के नीचे बिछी संचार केबलों (Undersea Communication Cables) के माध्यम से होता है। इन केबलों में किसी भी प्रकार की बाधा से रक्षा संचार, वित्तीय प्रणाली और डिजिटल शासन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

भारत के लिए प्व्त्। का रणनीतिक महत्त्व

- **क्षेत्रीय नेतृत्व का मंचः** IORA भारत को SAGAR (2015) और MAHASAGAR (2025) की अवधारणा के अंतर्गत शुद्ध सुरक्षा प्रदाता (Net Security Provider) के रूप में अपनी भूमिका स्थापित करने के लिए एक वैध बहुपक्षीय मंच प्रदान करता है।
- **नियम-आधारित समुद्री शासनः** यह भारत को समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS), नौवहन की स्वतंत्रता (Freedom of Navigation), समुद्री विवादों के समाधान और सतत् मत्स्य पालन जैसे विषयों पर क्षेत्रीय मानदंडों को आकार देने का अवसर देता है।
- **चीन के विरुद्ध रणनीतिक संतुलनः** चूँकि चीन केवल संवाद साझेदार (Dialogue Partner) है, सदस्य देश नहीं, इसलिए IORA में भारत का रणनीतिक प्रभाव अधिक है।
- **नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) का सुशासनः** IORA भारत को समुद्री संसाधनों के सतत् प्रबंधन और क्षेत्रीय आर्थिक विविधीकरण के लिए साझेदारी विकसित करने में सक्षम बनाता है।
- **आपदा कूटनीति और सॉफ्ट पावरः** IORA के आपदा प्रबंधन और पर्यटन सहयोग से जुड़े ढाँचों के माध्यम से भारत पहले सहायता पहुँचाने वाले देश (First Responder) के रूप में अपनी भूमिका को संस्थागत रूप दे

सकता है और अपनी सभ्यतागत पहुँच (Civilisational Outreach) को और मजबूत कर सकता है।

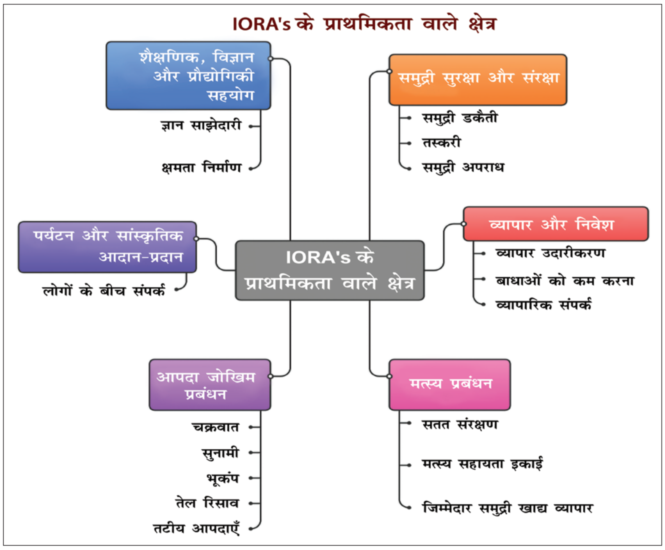

भारत की समुद्री सुरक्षा और समुद्री शासन व्यवस्था

- **रणनीतिक विजन:** भारत का SAGAR सिद्धांत समुद्री सुरक्षा, समुद्री डकैती-रोधी प्रयासों और सहयोगात्मक सुरक्षा पर केंद्रित है, जबकि MAHASAGAR इस दृष्टि का विस्तार करते हुए विकास और समृद्धि को भी इसमें शामिल करता है।
- **समुद्री क्षेत्र जागरूकता:** सूचना समन्वय केंद्र-हिन्द महासागर क्षेत्र (Information Fusion Centre-Indian Ocean Region - IFC-IOR) वास्तविक समय में सूचना साझा करने और संचालन संबंधी समन्वय को बेहतर बनाता है। इससे सामूहिक निगरानी और खतरों की समय रहते पहचान करने की क्षमता मजबूत होती है।
- **संचालन संबंधी सहयोग:** मिलन (MILAN), दोस्ती (Dosti) और AIKEYME जैसे सैन्य अभ्यास भागीदार देशों के बीच आपसी तालमेल (Interoperability) और विश्वास को मजबूत करते हैं। ये अभ्यास क्षेत्रीय खतरों से निपटने के लिए समन्वित प्रतिक्रिया देने में सहायता करते हैं।
- **क्षेत्रीय कूटनीति:** भारत IORA, IPOI, BIMSTEC, IONS और Quad जैसे मंचों के माध्यम से सक्रिय रूप से सहयोग करता है। इससे व्यापक इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में संस्थागत सहयोग को मजबूती मिलती है।
- **द्वीप रणनीति:** अंडमान और निकोबार कमान भारत के अग्रिम समुद्री अड्डे के रूप में कार्य करती है और मलक्का जलडमरूमध्य की ओर जाने वाले समुद्री मार्गों की निगरानी और नियंत्रण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

IORA की प्रभावशीलता को सीमित करने वाली चुनौतियाँ

- **संस्थागत कमजोरी:** IORA मुख्य रूप से स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं (Voluntary Commitments) और सर्वसम्मति (Consensus) के आधार पर कार्य करता है, जिससे इसके निर्णयों को प्रभावी ढंग से लागू करने की क्षमता सीमित रहती है।
- **खंडित क्षेत्रीय सहयोग:** BIMSTEC, ASEAN, Quad और IONS जैसे अन्य मंचों के साथ कार्यक्षेत्र के ओवरलैप होने से क्षेत्रीय रणनीतिक समन्वय कमजोर पड़ जाता है।
- **विकास में असमानता:** सदस्य देशों की आर्थिक क्षमता में अंतर होने के कारण उन्हें मिलने वाले लाभ और उनकी प्राथमिकताएँ भी समान नहीं रहतीं।
- **सीमित सुरक्षा दायरा:** IORA द्विपक्षीय विवादों को अपने दायरे से बाहर रखता है, जिससे बड़े रणनीतिक संघर्षों का समाधान करने की इसकी क्षमता सीमित हो जाती है।
- **सैन्य समन्वय का अभाव:** Quad और IONS के विपरीत, IORA के पास समन्वित सुरक्षा प्रतिक्रिया के लिए कोई संयुक्त नौसैनिक तंत्र (Joint Naval Mechanism) नहीं है।

आगे की राह

- समुद्री क्षेत्र जागरूकता (Maritime Domain Awareness - MDA) को मजबूत करने के लिए उपग्रह निगरानी, IFC-IOR और वास्तविक समय में खुफिया जानकारी साझा करने वाली प्रणालियों का विस्तार किया जाना चाहिए।
- नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) के सुशासन को मजबूत करने के लिए मत्स्य पालन, समुद्री प्रदूषण और समुद्री संसाधनों के सतत् उपयोग से जुड़े बेहतर मानक विकसित किए जाने चाहिए।
- गैर-पारंपरिक खतरों, जैसे समुद्री डकैती, साइबर खतरे, जलवायु आपदाएँ और तस्करी, से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और गहरा किया जाना चाहिए।
- अधिक बजटीय सहायता और मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से IORA की संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- क्षेत्रीय शैक्षणिक और तकनीकी साझेदारियों के माध्यम से समुद्री मानव संसाधन (Maritime Human Capital) का विकास किया जाना चाहिए।
- संघर्ष-प्रभावित पश्चिम एशिया पर अत्यधिक निर्भरता कम करने के लिए ऊर्जा के स्रोतों में विविधता लाई जानी चाहिए।

निष्कर्ष

- हिन्द महासागर अब केवल एक व्यापारिक मार्ग नहीं रह गया है, बल्कि यह वैश्विक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, समुद्री शासन और ऊर्जा सुरक्षा का प्रमुख केंद्र बन चुका है।
- भारत के लिए IORA सुरक्षा सहयोग, नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) के सुशासन, आपदा प्रबंधन और नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था (Rules-based Maritime Order) को एक साथ आगे बढ़ाने वाला सबसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय मंच है।
- वर्तमान अध्यक्ष के रूप में भारत के पास एक अधिक स्थिर, समावेशी और नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था को आकार देने का महत्त्वपूर्ण रणनीतिक अवसर है। इससे हिन्द महासागर, भारत की व्यापक इंडो-पैसिफिक दृष्टि और दीर्घकालिक क्षेत्रीय नेतृत्व का केंद्रीय आधार बन सकता है।

भारत-वियतनाम

हाल ही में वियतनाम के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान, भारत और वियतनाम ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को उन्नत कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुँचाया।

हाल की यात्रा के मुख्य परिणाम

- यह यात्रा व्यापक रणनीतिक साझेदारी के 10 वर्ष (2016-2026) पूरे होने के अवसर पर हुई और इसने भारत की एक्ट ईस्ट नीति तथा SAGAR/ MAHASAGAR विजन में वियतनाम के महत्त्व को दोबारा रेखांकित किया।
- दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान 16 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 2030 तक 25 अरब अमेरिकी डॉलर करने पर सहमति व्यक्त की, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक सहयोग को दर्शाता है।
- भारत और वियतनाम ने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें दुर्लभ मृदा खनिज में सहयोग, डिजिटल भुगतान, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, पांडुलिपियों का संरक्षण, स्वास्थ्य सेवा, लेखा-परीक्षण और शहरी शासन जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
- भारत को अंगूर और अनार के निर्यात के लिए वियतनाम के बाजार तक पहुँच मिली, जबकि वियतनाम को ड्यूरियन और पोमेलो के निर्यात के लिए भारत के बाजार तक पहुँच मिली, जिससे कृषि व्यापार का विस्तार होगा। साथ ही, IREL (भारत) और वियतनाम के ITRRE के बीच दुर्लभ मृदा खनिजों की खोज और प्रसंस्करण में सहयोग के लिए एक महत्त्वपूर्ण समझौता किया गया।
- NPCI International और NAPAS के बीच हुए समझौते तथा दोनों देशों के केंद्रीय बैंकों के सहयोग के माध्यम से सीमा-पार डिजिटल भुगतान और वित्तीय नवाचार के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत किया गया।
- दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (2026-30) का नवीनीकरण किया तथा वियतनाम में ICCR के भारतीय अध्ययन पीठ के माध्यम से शैक्षणिक सहयोग का विस्तार किया। वियतनाम औपचारिक रूप से भारत की इंडो-पैसिफिक महासागर पहल (IPOI) में शामिल हो गया, जिससे समुद्री सहयोग और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा।

महत्त्व

- दोनों देशों के संबंधों को उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया जाना इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत-वियतनाम संबंधों के बढ़ते रणनीतिक महत्त्व को दर्शाता है। यह आसियान में भारत की भूमिका को मजबूत करता है और एक्ट ईस्ट नीति के व्यापक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में सहायता करता है।
- यह साझेदारी क्षेत्रीय स्थिरता, आपूर्ति शृंखला में विविधता और नियम-आधारित समुद्री शासन को भी मजबूत करती है। साथ ही, यह रक्षा और महत्त्वपूर्ण खनिज जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में दोनों देशों की बाहरी शक्तियों पर निर्भरता कम करने में भी मदद करती है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- भारत और वियतनाम के बीच प्राचीन सभ्यतागत संबंध हैं, जो बौद्ध धर्म, चंपा सभ्यता पर हिन्दू संस्कृति के प्रभाव और पुराने समुद्री व्यापारिक संबंधों पर आधारित हैं।
  - **उदाहरण:** चंपा के शासकों ने हिन्दू धर्म (मुख्य रूप से शैव मत) को अपनाया और संस्कृत को राजभाषा बनाया। प्राचीन काल में भारत के पूर्वी तट (विशेषकर कलिंग/वर्तमान ओडिशा) से व्यापारी, कलाकार और बौद्ध भिक्षु समुद्री मार्ग से वियतनाम के बंदरगाहों तक जाते थे।
- भारत और वियतनाम के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध वर्ष 1972 में स्थापित हुए। वियतनाम ने भारत की औपनिवेशिक शासन के विरोध और गुटनिरपेक्ष नीति का समर्थन किया, जबकि भारत ने युद्ध के बाद वियतनाम के पुनर्निर्माण में सहयोग दिया।
- दोनों देशों के संबंध समय के साथ लगातार मजबूत होते गए - रणनीतिक साझेदारी (2007), व्यापक रणनीतिक साझेदारी (2016), उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी (2026) वियतनाम, आसियान का पहला देश था, जिसके साथ भारत ने रणनीतिक साझेदारी स्थापित की।

भू-राजनीतिक और हिन्द-प्रशांत सहयोग

- भारत और वियतनाम स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की समान विजन साझा करते हैं।
- दोनों देशों ने समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, 1982, नौवहन की स्वतंत्रता, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और दक्षिण चीन सागर के सैन्यीकरण का विरोध करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
- संयुक्त वक्तव्य में चीन के आक्रामक रुख को अप्रत्यक्ष रूप से लेकर चिंता व्यक्त की गई तथा संयम बरतने और अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करने पर जोर दिया गया।
- दक्षिण चीन सागर में स्थित होने के कारण, जहाँ से भारत के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है, वियतनाम भारत का एक महत्त्वपूर्ण भू-राजनीतिक साझेदार है। वियतनाम, आसियान की केंद्रीय भूमिका और पूर्वी एशिया की क्षेत्रीय व्यवस्था के साथ भारत के सहयोग को मजबूत करने वाला एक महत्त्वपूर्ण सेतु है।

रक्षा सहयोग

- रक्षा सहयोग भारत-वियतनाम की द्विपक्षीय साझेदारी के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक है। इसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास, नौसैनिक जहाजों की बंदरगाह यात्राएँ, हाइड्रोग्राफी (समुद्री मानचित्रण) में सहयोग, वायु सेना के बीच सहयोग तथा खोज और बचाव अभियान शामिल हैं।
- VINBAX नामक द्विपक्षीय शांति स्थापना अभ्यास दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग का एक महत्त्वपूर्ण प्रतीक बन गया है।
- भारत ने वियतनाम को रक्षा ऋण उपलब्ध कराया है तथा INS Kirpan भी वियतनाम को हस्तांतरित किया है। इस यात्रा के दौरान भारत ने वियतनाम के Su-30 लड़ाकू विमानों और Kilo-श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल (MRO) सहायता देने की पेशकश की।

- दोनों देशों ने रक्षा उद्योग में सहयोग, संयुक्त उत्पादन (Co-production) और संयुक्त अनुसंधान (Joint Research) को भी आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

भू-आर्थिक सहयोग

- पिछले एक दशक में भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो गया है, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक एकीकरण को दर्शाता है।
- भारत की प्रमुख ताकत दवा उद्योग, आईटी सेवाएँ, कृषि और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना हैं, जबकि वियतनाम इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी निर्माण के क्षेत्र में एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है।
- दोनों देशों ने आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (ASEAN-India Trade in Goods Agreement - AITIGA) की समीक्षा प्रक्रिया को तेज करने पर सहमति व्यक्त की, ताकि आपूर्ति श्रृंखला को और अधिक मजबूत बनाया जा सके।
- चीन-प्लस-वन रणनीति के अंतर्गत वियतनाम के उभरने से भारतीय उद्योगों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जुड़ने के नए अवसर मिल रहे हैं।
- दुर्लभ मृदा खनिजों में सहयोग रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों देश इन महत्त्वपूर्ण संसाधनों की आपूर्ति के लिए बाहरी एकाधिकार पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं।

ऊर्जा सहयोग

- दुर्लभ मृदा खनिजों में सहयोग स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स और उन्नत विनिर्माण के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- भारत की ONGC विदेश लिमिटेड (OVL) वियतनाम के तेल और गैस क्षेत्र में अपने रणनीतिक निवेश को लगातार बनाए हुए है, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलती है। दोनों देशों ने वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन और तकनीकी प्रतिस्पर्धा के वर्तमान दौर में मजबूत और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के महत्त्व को स्वीकार किया है।
- महत्त्वपूर्ण खनिजों में यह साझेदारी भविष्य में नवीकरणीय ऊर्जा और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत कर सकती है।

जन-से-जन संबंध

- भारत और वियतनाम बौद्ध कूटनीति, शैक्षणिक आदान-प्रदान और पर्यटन के माध्यम से अपने प्राचीन सभ्यतागत संबंधों को लगातार मजबूत कर रहे हैं। नया सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (2026-30) दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग को और गहरा करने का लक्ष्य रखता है।
- भारतीय मूल की चाम (Cham) पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और संरक्षण से जुड़े समझौते दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों की गहराई को दर्शाते हैं।
- वियतनाम के विश्वविद्यालयों में ICCR के भारतीय अध्ययन पीठ (Chairs of Indian Studies) की स्थापना से दोनों देशों के बीच शैक्षणिक और बौद्धिक आदान-प्रदान को और मजबूती मिलेगी।
- यूनेस्को (UNESCO) की विश्व धरोहर स्थल (World Heritage Site) माय सोन (My Son) में भारत द्वारा किए जा रहे संरक्षण कार्य दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक सहयोग का महत्त्वपूर्ण उदाहरण हैं।

चुनौतियाँ

- चीन का बढ़ता प्रभाव दोनों देशों के लिए एक प्रमुख रणनीतिक चुनौती बना हुआ है, जिसके कारण भारत और वियतनाम को संतुलित नीति अपनानी पड़ती है।
- वियतनाम की "फोर नोस (Four Noes) नीति" गहरे सैन्य गठबंधनों और सैन्य सहयोग (Interoperability) के विस्तार की संभावनाओं को सीमित करती है।
- संपर्क (Connectivity) की कमी और लॉजिस्टिक बाधाओं के कारण दोनों देशों के बीच व्यापार की पूरी संभावनाओं का अभी तक उपयोग नहीं हो पाया है।
- प्रत्यक्ष समुद्री शिपिंग मार्ग और हवाई संपर्क अभी भी पर्याप्त नहीं हैं।
- भारत द्वारा लाइन ऑफ क्रेडिट (Lines of Credit) के अंतर्गत शुरू की गई कई रक्षा परियोजनाओं की प्रगति कार्यान्वयन में देरी के कारण धीमी रही है।
- आसियान (ASEAN) का सतर्क भू-राजनीतिक दृष्टिकोण अक्सर खुले तौर पर रणनीतिक रुख अपनाने को सीमित करता है।
- महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों (Critical Sectors) की आपूर्ति श्रृंखलाएँ (Supply Chains) अभी भी कुछ हद तक चीन पर निर्भर हैं।

आगे की राह

- दोनों देशों को मिसाइलों, नौसैनिक प्रणालियों, रडार और निगरानी तकनीकों के क्षेत्र में संयुक्त रक्षा उत्पादन (Defence Co-production) को तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए।
- व्यापार लागत कम करने और आर्थिक दक्षता बढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष समुद्री और हवाई संपर्क को बेहतर बनाया जाना चाहिए।
- दुर्लभ मृदा खनिज (Rare Earths), सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार किया जाना चाहिए, ताकि आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) अधिक मजबूत और लचीली बन सके।
- व्हाइट-शिपिंग समझौतों (White Shipping Agreements), संयुक्त समुद्री गश्त (Joint Patrols) और खुफिया जानकारी साझा करने (Intelligence Sharing) के माध्यम से समुद्री सहयोग को और गहरा किया जाना चाहिए।
- बौद्ध पर्यटन, शैक्षणिक साझेदारियों और जन-से-जन संपर्क (People-to-People Exchanges) के माध्यम से सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत किया जाना चाहिए।
- भारत को पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (East Asia Summit) और ADMM+ जैसे आसियान (ASEAN) के संस्थागत मंचों के साथ अपना सहयोग और गहरा करना चाहिए, ताकि क्षेत्र में अपनी रणनीतिक उपस्थिति को और मजबूत किया जा सके।

जलाशय के जलस्तर में गिरावट

केंद्रीय जल आयोग (CWC) ने बताया है कि भारत के प्रमुख जलाशयों में जल भंडारण में तेज गिरावट आई है और उनका जल स्तर उनकी कुल भंडारण क्षमता के 40% से भी नीचे पहुँच गया है।

जल-संबंधी तनाव और पानी की वर्तमान स्थिति

जलाशयों और नदी बेसिनों पर बढ़ता दबाव

- केंद्रीय जल आयोग (CWC), जो 166 जलाशयों और 20 नदी बेसिनों की निगरानी करता है, ने जल स्तर में व्यापक गिरावट दर्ज की है।
- 30 अप्रैल 2026 को जलाशयों में 71.08 अरब घन मीटर (BCM) जल भंडारण था, जो 14 मई 2026 तक घटकर 63.23 BCM रह गया। यानी केवल दो सप्ताह में लगभग 8 BCM पानी की कमी दर्ज की गई।
- 13 प्रमुख जलाशयों का जल स्तर उनकी सामान्य भंडारण क्षमता के 50% से भी नीचे पहुँच गया है। कई जलाशयों में जल स्तर अत्यंत कम हो गया है, जबकि बिहार का चंदन बाँध पूरी तरह सूख गया है।
- भारत के अधिकांश नदी बेसिन अपनी कुल क्षमता के 30% से 60% के बीच ही संचालित हो रहे हैं, जबकि केवल कुछ ही इससे अधिक क्षमता पर हैं।
- दक्षिण भारत में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है, जहाँ 36 जलाशयों का जल स्तर 40% से भी कम रह गया है।

भूजल और प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता

- भारत हर वर्ष लगभग 251 BCM भूजल का दोहन करता है, जो विश्व में कुल भूजल दोहन का लगभग एक-चौथाई है। केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) की वार्षिक भूजल रिपोर्ट 2024 के अनुसार, देश में भूजल दोहन का औसत स्तर 60.4% है।
- प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता वर्ष 1950 में लगभग 5,000 घन मीटर थी, जो घटकर 2021 में 1,486 घन मीटर रह गई। यह बढ़ती जल माँग और घटती जल उपलब्धता को दर्शाता है।

केंद्रीय जल आयोग

- केंद्रीय जल आयोग भारत में जल संसाधनों से संबंधित प्रमुख तकनीकी संस्था है, जो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- **मुख्य कार्य:** बाढ़ प्रबंधन, सिंचाई नेटवर्क, पेयजल आपूर्ति, अंतर्देशीय जल परिवहन और जलविद्युत परियोजनाओं की योजना बनाना तथा उनका समन्वय करना। विभिन्न जल अवसंरचना परियोजनाओं की जाँच, निर्माण और क्रियान्वयन का कार्य करना।
- **संगठनात्मक संरचना:** आयोग का नेतृत्व अध्यक्ष करते हैं, जिन्हें भारत सरकार में पदेन सचिव का दर्जा प्राप्त होता है। आयोग का कार्य तीन प्रमुख शाखाओं में विभाजित है- डिजाइन एवं अनुसंधान, नदी प्रबंधन।

जल योजना एवं परियोजनाएँ

- पुणे स्थित राष्ट्रीय जल अकादमी भी CWC के अंतर्गत कार्य करती है। यहाँ केंद्र और राज्य सरकारों के अभियंताओं को प्रशिक्षण दिया जाता है।
- अध्ययनों के अनुसार, भारत के 15 प्रमुख नदी बेसिनों में से 11 गंभीर जल संकट की स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं।

भारत में जल संकट

- भारत में विश्व की 18% आबादी रहती है, लेकिन इसके पास विश्व के केवल 4% मीठे जल के संसाधन हैं। देश में लगभग 60 करोड़ लोग उच्च से अत्यधिक जल संकट का सामना कर रहे हैं।
- विश्व बैंक ने भारत को विश्व के सबसे अधिक जल-संकटग्रस्त देशों में शामिल किया है। यदि वर्तमान रुझान जारी रहे, तो 2040 तक भारत के कई हिस्सों में गंभीर जल संकट उत्पन्न हो सकता है।

भारत के जल संकट के संरचनात्मक कारण

भूजल का अत्यधिक दोहन

- भूजल का दोहन उसकी प्राकृतिक पुनर्भरण क्षमता से कहीं अधिक तेजी से हो रहा है। 6,762 भूजल मूल्यांकन इकाइयों में से 730 इकाइयाँ (10.8%) अत्यधिक दोहन की श्रेणी में हैं।
- पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में भूजल दोहन की दर टिकाऊ स्तर से काफी अधिक है। इसके कारण भूजल का लगातार घटता स्तर जल संकट का एक बड़ा संरचनात्मक कारण बन गया है।

कृषि नीति और फसल असंतुलन

- कृषि नीतियाँ अब भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और सरकारी खरीद के माध्यम से धान, गेहूँ और गन्ने जैसी अधिक पानी वाली फसलों को बढ़ावा देती हैं। इन फसलों की खेती अक्सर ऐसे क्षेत्रों में होती है, जहाँ इनके लिए प्राकृतिक परिस्थितियाँ उपयुक्त नहीं होतीं।
- भारत में भूजल के कुल दोहन का लगभग 87% हिस्सा कृषि में उपयोग होता है। इससे खाद्य उत्पादन और जल संरक्षण के बीच गंभीर असंतुलन उत्पन्न होता है। इन फसलों के निर्यात के साथ भारत आभासी जल का भी निर्यात करता है, जिससे देश में जल संकट और बढ़ जाता है।

जलवायु परिवर्तन और गर्मी का बढ़ता प्रभाव

- बढ़ते तापमान के कारण जलाशयों, नदियों और मिट्टी से पानी का वाष्पीकरण तेज हो रहा है। हीटवेव, अनियमित मानसून, सूखा और अत्यधिक वर्षा जैसी घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति ने जल के प्राकृतिक पुनर्भरण चक्र को प्रभावित किया है।
- सुपर एल नीनो की संभावना वर्षा में और अधिक असंतुलन तथा सूखे के खतरे को बढ़ा सकती है।

प्रदूषण और जल गुणवत्ता में गिरावट

- तेजी से बढ़ते शहरीकरण और औद्योगीकरण के कारण नदियाँ, झीलें और भूजल अधिक प्रदूषित हो रहे हैं। CPCB ने देश में 311 प्रदूषित नदी खंडों की पहचान की है।
- उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से यूट्रोफिकेशन और नाइट्रेट प्रदूषण बढ़ गया है। इसके अलावा माइक्रोप्लास्टिक और दवाओं के अवशेष जैसे नए प्रदूषकों ने भी जल गुणवत्ता को और खराब किया है।

गाद जमना, अतिक्रमण और पारिस्थितिकी तंत्र का क्षरण

- मिट्टी के कटाव से जलाशयों में लगातार गाद (Silt) जमा हो रही है, जिससे उनकी जल भंडारण क्षमता घट रही है। वनों की कटाई, खनन और अत्यधिक चराई के कारण जलग्रहण क्षेत्रों से अधिक मात्रा में मिट्टी बहकर जलाशयों में पहुँच रही है।
- शहरों में झीलों, आर्द्रभूमियों और जल प्रवाह मार्गों पर अतिक्रमण के कारण प्राकृतिक जल भंडारण क्षमता कम हो गई है। उदाहरण के लिए, बेंगलुरु ने पिछले चार दशकों में अपने लगभग 79% जलाशयों को खो दिया है।

शासन संबंधी कमियाँ और संस्थागत बिखराव

- भारत में जल शासन अभी भी बिखरा हुआ है, क्योंकि जल मुख्य रूप से राज्य सूची की प्रविष्टि 17 का विषय है। वहीं, संघ सूची की प्रविष्टि 56 के अंतर्गत केंद्र सरकार अंतर-राज्यीय नदियों का नियमन करती है, जबकि अनुच्छेद 262 अंतर-राज्यीय जल विवादों से संबंधित है। इस अधिकारों के बँटवारे के कारण अक्सर समन्वय की कमी देखने को मिलती है।
- भारत की जल नीति अब भी मुख्य रूप से बाँधों और नहरों जैसी इंजीनियरिंग परियोजनाओं पर केंद्रित है, जबकि पारिस्थितिकीय स्थिरता और जल की माँग के प्रबंधन पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है।
- कमजोर डेटा प्रणाली और नगर निकायों की अपर्याप्त योजना भी जल प्रबंधन की दक्षता को कम करती है।

उभरती औद्योगिक जल माँग

- एथेनॉल मिश्रण, डेटा सेंटर, AI अवसंरचना और सेमीकंडक्टर निर्माण जैसे क्षेत्रों के तेजी से विस्तार के कारण मीठे पानी की माँग लगातार बढ़ रही है।
- अनुमान है कि 2030 तक केवल भारत के डेटा सेंटर ही लगभग 358 अरब लीटर पानी प्रतिवर्ष उपयोग करेंगे, जिससे उद्योगों और आम लोगों की जल आवश्यकताओं के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है।

आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक परिणाम

आर्थिक और खाद्य सुरक्षा पर खतरा

- जल की कमी का सीधा प्रभाव फसलों की उपज और खाद्य उत्पादन पर पड़ता है। इससे खाद्य महँगाई बढ़ती है और आपूर्ति श्रृंखला अस्थिर हो जाती है।
- नीति आयोग के अनुसार, यदि जल संकट की वर्तमान स्थिति बनी रही, तो 2050 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 6% की कमी आ सकती है। पर्याप्त जल उपलब्ध न होने से औद्योगिक उत्पादन और ऊर्जा उत्पादन भी प्रभावित हो सकते हैं।

जनस्वास्थ्य पर प्रभाव

- असुरक्षित पानी के कारण भारत में हर वर्ष 3 करोड़ (30 मिलियन) से अधिक जलजनित रोग के मामले सामने आते हैं।
- असुरक्षित पानी के कारण भारत में मृत्यु दर प्रति 1 लाख लोगों पर लगभग 35 है, जो वैश्विक औसत से काफी अधिक है। आर्सेनिक और अन्य भारी धातुओं से भूजल का प्रदूषण एक गंभीर जनस्वास्थ्य चुनौती बन गया है।

शहरी क्षेत्रों की संवेदनशीलता

- दिल्ली जैसे शहरों में नदियों के कम जल प्रवाह और बढ़ते प्रदूषण के कारण जल शोधन क्षमता घट रही है। बेंगलुरु का 2024 का जल संकट यह दर्शाता है कि भूजल का अत्यधिक दोहन और झीलों पर अतिक्रमण किस प्रकार शहरी जल आपूर्ति व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है।
- कई शहरों की जल आपूर्ति प्रणालियों में रिसाव और कमजोर आधारभूत ढाँचे के कारण लगभग 40% पानी बर्बाद हो जाता है।

सामाजिक असमानता और महिलाओं पर बढ़ता बोझ

- जल संकट का सबसे अधिक प्रभाव महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है, क्योंकि उन्हें अक्सर पानी लाने के लिए कई घंटे बिताने पड़ते हैं।
- इसके कारण स्कूल में अनुपस्थिति बढ़ती है और लड़कियों के स्कूल छोड़ने की संभावना भी बढ़ जाती है।

पारिस्थितिकीय नुकसान

- सिकुड़ती आर्द्रभूमियाँ, प्रदूषित नदियाँ और भूजल का अत्यधिक दोहन जैव विविधता को गंभीर नुकसान पहुँचाते हैं।
- भूजल के अत्यधिक दोहन से भूमि धँसने की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है, जिससे आधारभूत संरचना और पारिस्थितिकी तंत्र दोनों की स्थिरता खतरे में पड़ जाती है।

जल सुरक्षा के लिए सुधार की प्राथमिकताएँ

- **माँग-आधारित कृषि सुधार:** जल संकट वाले क्षेत्रों में धान और गन्ने जैसी अधिक पानी वाली फसलों की जगह मोटे अनाज, दालें और तिलहन जैसी कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कृषि प्रोत्साहन नीतियों को स्थानीय जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए।
- **जल उपयोग की दक्षता:** ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों का तेजी से विस्तार किया जाना चाहिए। इससे भूजल पर दबाव कम किया जा सकता है।
- **शहरी जल लचीलापन:** शहरों में जल भंडारण क्षमता बढ़ाई जानी चाहिए, वर्षा जल संचयन को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए और पाइपलाइन से होने वाले रिसाव को कम किया जाना चाहिए। साथ ही, झीलों और आर्द्रभूमियों के पुनर्जीवन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- **समुदाय-आधारित जल प्रबंधन:** पानी समितियों जैसी स्थानीय संस्थाओं को जल बजट तैयार करने और भूजल प्रबंधन के लिए अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए। विकेंद्रीकृत शासन से जवाबदेही और जल संरक्षण दोनों बेहतर होते हैं।
- **तकनीक आधारित जल प्रबंधन:** IoT सेंसर, AI आधारित रिसाव पहचान प्रणाली, GIS मैपिंग और स्मार्ट मीटरिंग जैसी तकनीकों का व्यापक उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि तथ्यों पर आधारित बेहतर जल योजना बनाई जा सके।
- **औद्योगिक नियमन:** अधिक पानी का उपयोग करने वाले उद्योगों को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज तकनीक अपनानी चाहिए और जल पुनर्चक्रण बढ़ाना चाहिए, ताकि मीठे पानी पर उनकी निर्भरता कम हो सके।

सरकारी पहल और प्रयास

- जलवायु-सहनीय ब्लॉकों के लिए जल बजट ढाँचा, 2025, जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना, जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, कैच द रेन अभियान, जलभृत मानचित्रण एवं प्रबंधन कार्यक्रम, सहभागी जल शासन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अमृत मिशन, वरुणी वेब एप्लिकेशन।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश

भारत के राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 जारी किया। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को छोड़कर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 कर दी गई है।

अध्यादेश के बारे में

- इस अध्यादेश के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश सहित उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी।
- यह अध्यादेश उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 की धारा 2 में संशोधन करता है। इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जारी किया गया है।

संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 124(1)** संसद को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने और आवश्यकता अनुसार बढ़ाने का अधिकार देता है।
- संविधान में प्रारंभ में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और अधिकतम सात अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया था, ताकि भविष्य में न्यायिक आवश्यकताओं के अनुसार उनकी संख्या बढ़ाई जा सके।
- **अनुच्छेद 123** राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि जब संसद का सत्र न चल रहा हो और तुरंत कानून बनाने की आवश्यकता हो, तब वे अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश का वही प्रभाव और कानूनी मान्यता होती है, जो संसद द्वारा पारित किसी कानून की होती है।
- अध्यादेश अस्थायी कार्यपालिका-विधायी व्यवस्था है, जिसका उपयोग केवल आपात या अत्यावश्यक परिस्थितियों में किया जाना चाहिए, न कि सामान्य शासन चलाने के लिए।

अध्यादेश जारी करने की शक्ति की प्रमुख विशेषताएँ

- **अध्यादेश को संसद के पुनः** सत्र शुरू होने के बाद दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।
- **यदि संसद के पुनः** बैठक शुरू होने के छह सप्ताह के भीतर अध्यादेश को मंजूरी नहीं मिलती, तो वह स्वतः समाप्त हो जाता है।
- यदि दोनों सदन अध्यादेश को अस्वीकार कर दें या राष्ट्रपति उसे पहले ही वापस ले लें, तो भी अध्यादेश समाप्त हो जाता है। अध्यादेश जारी करने की प्रक्रिया के पीछे वास्तविक कार्यकारी शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल होती है।

अध्यादेशों पर न्यायिक रुख

- उच्चतम न्यायालय ने आर.सी. कूपर बनाम भारत संघ (1970), ए.के. रॉय बनाम भारत संघ (1982) तथा कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (2017) जैसे मामलों में स्पष्ट किया है कि अध्यादेश भी न्यायिक समीक्षा के अधीन होते हैं।
- डी.सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य (1987) मामले में उच्चतम न्यायालय ने बार-बार अध्यादेश जारी करने (पुनः अध्यादेश जारी करना) की आलोचना की और इसे संवैधानिक शक्ति का दुरुपयोग बताया।

उच्चतम न्यायालय की संख्या में बदलाव

- उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 के अंतर्गत प्रारंभ में मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर 10 न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की गई थी। इसके बाद 1960 में यह संख्या बढ़ाकर 13 न्यायाधीश और 1977 में बढ़ाकर 17 न्यायाधीश कर दी गई।
- बाद के संशोधनों के माध्यम से न्यायाधीशों की संख्या में समय-समय पर वृद्धि की गई। वर्ष 2019 के संशोधन के अंतर्गत इसे बढ़ाकर मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर 33 न्यायाधीश कर दिया गया था।

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता

- **लंबित मामलों में वृद्धिः** उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या 92,000–93,000 से अधिक हो चुकी है, जिससे न्यायाधीशों और मामलों का अनुपात अब व्यावहारिक नहीं रह गया है। अपीलों, विशेष अनुमति याचिकाओं, संवैधानिक विवादों, जनहित याचिकाओं, व्यावसायिक मुकदमों तथा सेवा संबंधी मामलों में लगातार वृद्धि के कारण उच्चतम न्यायालय का कार्यभार काफी बढ़ गया है। कोविड-19 महामारी के बाद ई-फाइलिंग बढ़ने से भी न्यायालय में आने वाले मामलों की संख्या में और वृद्धि हुई है।
- **शीघ्र न्याय प्रदान करने की आवश्यकताः** न्याय मिलने में होने वाली देरी से विधि के शासन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, मौलिक अधिकारों के प्रभावी संरक्षण में बाधा आती है और न्यायपालिका के प्रति जनता का विश्वास भी कम होता है।
- न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का उद्देश्य है- मामलों के निस्तारण की गति बढ़ाना, न्याय मिलने में होने वाली देरी को कम करना, अधिक संविधान पीठों और विशेष पीठों का गठन करना, नागरिकों को समय पर न्याय उपलब्ध कराना।

आधुनिक शासन-व्यवस्था की जटिलता

- उच्चतम न्यायालय अब लगातार बढ़ती संख्या में- संघीय विवादों, चुनाव संबंधी मामलों, डिजिटल निजता से जुड़े मामलों, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुकदमों, तथा आर्थिक और नियामकीय विवादों की सुनवाई कर रहा है। इन जटिल शासन संबंधी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए न्यायिक क्षमता का विस्तार करना आवश्यक है।

रिक्त पद और सेवानिवृत्तियाँ

- मौजूदा रिक्त पदों के कारण उच्चतम न्यायालय की वास्तविक कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या कम हो जाती है। यदि वर्ष 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले न्यायाधीशों के स्थान पर समय पर नई नियुक्तियाँ नहीं की गईं, तो इससे न्यायालय की न्यायिक क्षमता पर और अधिक दबाव पड़ सकता है।

विधि आयोग और न्यायिक सिफारिशें

- विधि आयोग की 120वीं और 245वीं रिपोर्ट में भी न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। साथ ही, All India Judges Association बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने भी जनसंख्या के अनुपात में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की थी।

चिंताएँ

- **केवल न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं:** केवल न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से लंबित मामलों की समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं होगी। इसके लिए व्यापक संस्थागत सुधारों की भी आवश्यकता है।
- **संरचनात्मक चुनौतियाँ:** न्यायिक कक्षों की कमी, कर्मचारियों की कमी और प्रशासनिक कमजोरियाँ आज भी न्यायपालिका की कार्यक्षमता को प्रभावित कर रही हैं।
- **मामलों के प्रबंधन की समस्या:** बार-बार सुनवाई टलना और प्रक्रियात्मक देरी लंबित मामलों की संख्या बढ़ने के प्रमुख कारण हैं।
- **अपीलों का अत्यधिक केंद्रीकरण:** उच्चतम न्यायालय में आने वाली अपीलों और विशेष अनुमति याचिकाओं की बड़ी संख्या के कारण न्यायालय का ध्यान उसके मुख्य संवैधानिक दायित्वों से हट जाता है।

अन्य जरूरी न्यायिक सुधार

- **पूरी न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करना:** लंबित मामलों की समस्या का प्रभावी समाधान करने के लिए उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों को भी समान रूप से मजबूत किया जाना चाहिए।
- **रिक्त पदों को शीघ्र भरना:** उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को न्यायपालिका और सरकार के बेहतर समन्वय से जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए।
- **अखिल भारतीय न्यायिक सेवा:** संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना से अधीनस्थ न्यायपालिका में भर्ती की गुणवत्ता और एकरूपता में सुधार हो सकता है।
- **सामान्य अपीलों को सीमित करना:** उच्चतम न्यायालय को सामान्य अपीलीय न्यायालय की तरह कार्य करने के बजाय मुख्य रूप से संवैधानिक और राष्ट्रीय महत्त्व के मामलों पर अधिक ध्यान देना चाहिए।
- **वैकल्पिक विवाद समाधान को मजबूत करना:** मध्यस्थता, पंचाट और लोक न्यायालयों का अधिक उपयोग करके मुकदमों का बोझ कम किया जा सकता है।
- **प्रौद्योगिकी और आधारभूत ढाँचे का विकास:** न्यायिक कक्षों का विस्तार, डिजिटल आधारभूत ढाँचा, AI आधारित मामला प्रबंधन, ई-कोर्ट, वर्चुअल सुनवाई तथा वैज्ञानिक आधार पर मामलों के आवंटन की प्रणाली को विकसित करना आवश्यक है।
- **स्थायी संविधान पीठों का गठन:** स्थायी संविधान पीठों का गठन करने से महत्त्वपूर्ण संवैधानिक मामलों का निपटारा अधिक तेजी से किया जा सकेगा।

निष्कर्ष

- उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या बढ़ाना, भारत में बढ़ते लंबित मामलों की समस्या से निपटने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण संस्थागत कदम है। हालाँकि, इससे मामलों के निस्तारण की क्षमता बढ़ सकती है और नागरिकों को समय पर न्याय मिलने में सहायता मिल सकती है, लेकिन दीर्घकालिक न्यायिक दक्षता केवल न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से नहीं आएगी। इसके लिए अदालती आधारभूत ढाँचे, मामलों के बेहतर प्रबंधन, प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग तथा पूरी न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने जैसे व्यापक सुधार भी आवश्यक हैं।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

न्यायाधीशों की नियुक्ति

- अनुच्छेद 217 के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद की जाती है।
- नियुक्ति का प्रस्ताव संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपने दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करके शुरू किया जाता है।
- इसके बाद यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय विधि मंत्री और अंत में उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम के पास अंतिम सिफारिश के लिए भेजा जाता है। सामान्य नीति के अनुसार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रायः उनके गृह राज्य के बाहर की जाती है।
- अनुच्छेद 224A के अंतर्गत, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उसी उच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को तदर्थ (Ad-hoc) न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

कार्यकाल और पद रिक्त होना

- उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है। यदि किसी न्यायाधीश की आयु को लेकर कोई विवाद हो, तो उसका निर्णय राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद लेते हैं और उनका निर्णय अंतिम होता है।
- कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को लिखित रूप में अपना इस्तीफा देकर पद छोड़ सकता है। किसी न्यायाधीश को पद से हटाया जाना केवल संसद की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्वारा, संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही संभव है। यदि किसी न्यायाधीश की उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति हो जाती है या उनका किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर दिया जाता है, तो उनका पद स्वतः रिक्त हो जाता है।

न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या

- अनुच्छेद 216 के अनुसार, प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा उतने अन्य न्यायाधीश होंगे, जितने राष्ट्रपति समय-समय पर आवश्यक समझें। व्यवहार में, केंद्र सरकार प्रत्येक तीन वर्ष में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या की समीक्षा करती है।
- यह समीक्षा पिछले 5 वर्षों के दौरान उस उच्च न्यायालय में दायर होने वाले नए मामलों की औसत संख्या तथा प्रत्येक न्यायाधीश द्वारा निपटाए गए मामलों की औसत संख्या के आधार पर की जाती है।
- इस पूरी प्रक्रिया में उच्च न्यायालय का कॉलेजियम, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का कॉलेजियम, राज्यपाल और मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाता है।
- राज्य सरकार की राय महत्त्वपूर्ण होती है, क्योंकि न्यायालयों के आधारभूत ढाँचे, प्रशासनिक खर्च और न्यायाधीशों के वेतन का खर्च राज्य सरकार वहन करती है। हालाँकि, राज्य सरकार के पास इस प्रक्रिया को रोकने (Veto) का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं होता।
- अंतिम स्वीकृति केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा दी जाती है और न्याय विभाग इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी करता है।

भारत-दक्षिण कोरिया

हाल ही में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा तथा इसके पश्चात् भारत के रक्षा मंत्री की सियोल यात्रा ने भारत-दक्षिण कोरिया द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

यात्रा के मुख्य परिणाम

- भारत और दक्षिण कोरिया ने अपनी विशेष रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने तथा रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।
- दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को लगभग 27 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 2030 तक US$ 50 अरब करने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य रखा।
- उन्होंने व्यापार दक्षता बढ़ाने और बाधाएँ कम करने के लिए CEPA के उन्नयन को तेज करने पर सहमति दी। महत्त्वपूर्ण तकनीकों, आपूर्ति शृंखला की मजबूती और रणनीतिक उद्योगों पर समन्वय के लिए एक नया आर्थिक सुरक्षा संवाद शुरू किया गया। दक्षिण कोरिया औपचारिक रूप से भारत की इंडो-पैसिफिक महासागर पहल (IPOI) में शामिल हुआ, जो बढ़ते समुद्री सामंजस्य को दर्शाता है।
- दोनों पक्षों ने लगभग 15 समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए, जिनमें शामिल हैं: दुर्लभ मृदा सहयोग, डिजिटल भुगतान, रक्षा तकनीक, जहाज निर्माण, शहरी शासन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान। AI, सेमीकंडक्टर और डिजिटल नवाचार में सहयोग के लिए भारत-कोरिया डिजिटल ब्रिज शुरू किया गया।
- जहाज निर्माण, समुद्री लॉजिस्टिक्स और शिपिंग सहयोग के लिए एक नया ढाँचा भी हस्ताक्षरित किया गया। दक्षिण कोरिया अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ। भारत ने दक्षिण कोरियाई मूल के रक्षा प्लेटफॉर्मों के लिए रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल (MRO) सहायता की पेशकश की।
- दोनों देशों ने UNCLOS 1982, नौवहन की स्वतंत्रता और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

भारत-दक्षिण कोरिया संबंधों का महत्त्व

- दक्षिण कोरिया पूर्वी एशिया में भारत का सबसे महत्त्वपूर्ण तकनीकी और विनिर्माण साझेदार देशों में से एक है। यह साझेदारी भारत की एक्ट ईस्ट नीति और दक्षिण कोरिया की ग्लोबल पिवोटल स्टेट रणनीति को मजबूत करती है।
- यह साझेदारी इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, महत्त्वपूर्ण खनिज और रक्षा विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में चीन पर रणनीतिक निर्भरता कम करने के भारत के प्रयासों को भी समर्थन देती है। उन्नत विनिर्माण, AI, इलेक्ट्रिक वाहन (EVs) और जहाज निर्माण में दक्षिण कोरिया की विशेषज्ञता, भारत के विशाल बाजार और श्रम शक्ति के साथ मिलकर एक-दूसरे की ताकत को बढ़ाती है।
- यह साझेदारी स्वतंत्र, खुला और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को मजबूत बनाने में योगदान देती है। साथ ही, यह एशिया में मध्यम शक्तियों के व्यापक सहयोग समूह के निर्माण में भारत की भूमिका को भी सशक्त बनाती है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- भारत और दक्षिण कोरिया के बीच प्राचीन सांस्कृतिक संबंध हैं। इनका उल्लेख कोरियाई ग्रंथ 'समगुक युसा (Samguk Yusa)' में मिलता है, जिसमें अयोध्या की रानी ह्वो ह्वांग-ओक (सुरिरत्ना) की कथा का वर्णन है।
- कोरियाई युद्ध (1950-53) के दौरान भारत ने 60वीं पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस भेजकर तथा तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग की अध्यक्षता करके महत्त्वपूर्ण मानवीय और कूटनीतिक भूमिका निभाई।
- 1962 में वाणिज्य दूतावास संबंध स्थापित होने के बाद 1973 में दोनों देशों के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित हुए। 2010 में दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी और 2015 में विशेष रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया।
- समय के साथ दोनों देशों के संबंध सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग से आगे बढ़कर रणनीतिक और तकनीकी सहयोग तक विकसित हो गए हैं।

भू-राजनीतिक सहयोग

- भारत और दक्षिण कोरिया स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की समान सोच रखते हैं। दोनों देश नौवहन की स्वतंत्रता, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान, UNCLOS पर आधारित समुद्री शासन के सिद्धांतों का समर्थन करते हैं।
- दक्षिण कोरिया का IPOI में शामिल होना समुद्री मामलों में दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक सामंजस्य को दर्शाता है। दक्षिण चीन सागर, ताइवान जलडमरूमध्य और व्यापक पूर्वी एशियाई समुद्री क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच यह साझेदारी और अधिक महत्त्वपूर्ण हो गई है।
- दोनों देश बहुध्रुवीय एशिया और मजबूत क्षेत्रीय संस्थाओं का समर्थन करते हैं। यह सहयोग क्षेत्र में आक्रामक एकतरफा कार्रवाइयों के विरुद्ध संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है।

रक्षा सहयोग

- रक्षा सहयोग भारत-दक्षिण कोरिया संबंधों के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक बन गया है। हाल की यात्रा के दौरान दोनों देशों ने निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की- साइबर रक्षा, सैन्य प्रशिक्षण, संयुक्त सैन्य अभ्यास, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन तथा रक्षा उद्योग सहयोग।
- भारत ने निम्नलिखित रक्षा प्लेटफॉर्मों के लिए रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल सहायता की पेशकश की- Su-30 लड़ाकू विमान, किलो-श्रेणी की पनडुब्बियाँ। दोनों देशों की प्रमुख रक्षा परियोजना K9 वज्र-टी तोप प्रणाली है, जिसका भारत में मेक इन इंडिया के अंतर्गत L-T और हानवा डिफेंस द्वारा संयुक्त रूप से निर्माण किया जा रहा है।
- दोनों देशों के रक्षा संबंध अब खरीदार-विक्रेता संबंधों से आगे बढ़कर संयुक्त उत्पादन और सह-विकास की दिशा में विकसित हो रहे हैं।
- उच्च-शक्ति माइक्रोवेव प्रणालियों पर DRDO और सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी के बीच 2025 का समझौता उन्नत रक्षा तकनीकों में बढ़ते सहयोग को दर्शाता है। पनडुब्बियों, प्रणोदन प्रणालियों और नौसैनिक तकनीकों में दक्षिण कोरिया की विशेषज्ञता दोनों देशों के सहयोग के नए अवसर खोलती है। प्रस्तावित KIND-X नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का उद्देश्य रक्षा स्टार्टअप्स और उन्नत सैन्य तकनीकों को एक साथ जोड़ना है।

आर्थिक और तकनीकी सहयोग

- व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता, जो 2010 से लागू है, भारत-दक्षिण कोरिया के आर्थिक संबंधों का आधार बना हुआ है। पिछले दस वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग दोगुना हो गया है और 27 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो चुका है।
- 2030 तक 50 अरब अमेरिकी डॉलर के नए व्यापार लक्ष्य से दोनों देशों की बढ़ती आर्थिक महत्त्वाकांक्षा दिखाई देती है। दक्षिण कोरिया, वर्ष 2000 से अब तक 6.9 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के निवेश के साथ भारत का 13वाँ सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक है।
- सैमसंग, हुंडई, एलजी, किया और पॉस्को जैसी प्रमुख दक्षिण कोरियाई कंपनियों की भारत में बड़ी औद्योगिक उपस्थिति है। दोनों देशों के बीच सहयोग अब सेमीकंडक्टर, AI, डिजिटल भुगतान, दुर्लभ मृदा खनिज, जहाज निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक विस्तृत हो रहा है।
- भारत-कोरिया डिजिटल ब्रिज का उद्देश्य दोनों देशों के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ना और नवाचार को बढ़ावा देना है। दुर्लभ मृदा खनिजों से संबंधित समझौता रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इससे विश्व के सीमित आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम होगी।
- यह साझेदारी अब तेजी से "चिप्स से लेकर जहाजों तक" के मॉडल पर आगे बढ़ रही है, जिसमें उन्नत तकनीक और भारी उद्योग दोनों शामिल हैं।

ऊर्जा और महत्त्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग

- दक्षिण कोरिया का अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होना जलवायु सहयोग की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, स्वच्छ परिवहन और सतत् औद्योगिक परिवर्तन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।
- महत्त्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा खनिजों में सहयोग इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी तकनीक, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- इन क्षेत्रों में संयुक्त सहयोग से दोनों देशों की रणनीतिक आत्मनिर्भरता और औद्योगिक लचीलापन मजबूत होगा।
- हरित औद्योगिक साझेदारी से ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु संबंधी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में भी सहायता मिलने की उम्मीद है।

जन-से-जन संबंध

- सभ्यतागत संबंध भारत-दक्षिण कोरिया साझेदारी का एक महत्त्वपूर्ण आधार बने हुए हैं। रानी सुरिरत्ना की विरासत आज भी भारत और दक्षिण कोरिया के बीच प्राचीन संबंधों का प्रतीक मानी जाती है।
- रवीन्द्रनाथ टैगोर की कविता "लैम्प ऑफ द ईस्ट" दक्षिण कोरिया की स्मृतियों में आज भी विशेष भावनात्मक महत्त्व रखती है।
- सांस्कृतिक आदान-प्रदान को निम्नलिखित माध्यमों से बढ़ावा दिया जा रहा है-
    - सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (2018)
    - ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण समझौता (2015)
- सियोल स्थित स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार का कार्य करता है।
- मुंबई कोरिया सेंटर भारत में कोरियाई संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- वर्तमान में लगभग 18,000 भारतीय दक्षिण कोरिया में रहते हैं, जिनमें पेशेवर, छात्र और शोधकर्ता शामिल हैं।
- के-पॉप और कोरियाई सिनेमा की बढ़ती लोकप्रियता ने दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क और सांस्कृतिक जुड़ाव को और मजबूत किया है।

चुनौतियाँ

- भारत को दक्षिण कोरिया के साथ लगातार व्यापार घाटे (Trade Deficit) का सामना करना पड़ रहा है।
- भारतीय दवा (Pharmaceuticals) और कृषि उत्पादों के निर्यात को अब भी गैर-शुल्क बाधाओं (Non-Tariff Barriers) का सामना करना पड़ता है।
- बार-बार प्रतिबद्धता जताए जाने के बावजूद CEPA की समीक्षा की प्रक्रिया धीमी गति से आगे बढ़ रही है।
- रक्षा सहयोग भी नौकरशाही संबंधी देरी और परियोजनाओं के धीमे क्रियान्वयन से प्रभावित हो रहा है।
- रणनीतिक क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (Technology Transfer) अभी भी सीमित है।
- संपर्क (Connectivity) और लॉजिस्टिक्स की लागत अब भी अधिक है। साथ ही, भाषा और नियामकीय बाधाओं के कारण प्रतिभाओं की आवाजाही (Talent Mobility) भी सीमित बनी हुई है।

आगे की राह

- CEPA 2.0 को शीघ्र लागू किया जाना चाहिए, ताकि बाजार तक बेहतर पहुँच मिले और व्यापार असंतुलन कम हो सके।
- पनडुब्बियों, मिसाइल प्रणालियों, नौसैनिक प्लेटफॉर्मों और AI आधारित रक्षा प्रणालियों के क्षेत्र में रक्षा सहयोग का विस्तार किया जाना चाहिए।
- भारत के घरेलू सेमीकंडक्टर विनिर्माण अभियान के अंतर्गत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में मजबूत साझेदारी विकसित की जानी चाहिए।
- दुर्लभ मृदा खनिज (Rare Earths) की आपूर्ति श्रृंखला में सहयोग को तेजी से आगे बढ़ाया जाना चाहिए।
- समुद्री क्षेत्र जागरूकता (Maritime Domain Awareness - MDA) और नौसैनिक समन्वय के माध्यम से समुद्री सहयोग को और मजबूत किया जाना चाहिए।
- उन्नत तकनीकों के क्षेत्र में शोध साझेदारी को मजबूत किया जाना चाहिए।
- शैक्षणिक आदान-प्रदान बढ़ाया जाना चाहिए तथा व्यावसायिक योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- बाहरी जोखिमों को कम करने के लिए स्थानीय मुद्राओं में व्यापारिक भुगतान (Local Currency Settlements) को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साथ ही, स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के क्षेत्र में हरित औद्योगिक सहयोग का विस्तार किया जाना चाहिए।

मादक पदार्थों का खतरा

हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय नशा-विरोधी सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री ने मादक पदार्थों की तस्करी और नार्को-आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए समान वैश्विक कानूनी ढाँचे, खुफिया जानकारी साझा करने की व्यवस्था तथा समन्वित अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया।

भारत के ड्रग संकट का बदलता स्वरूप

- भारत में मादक पदार्थों की समस्या अब केवल जनस्वास्थ्य का मुद्दा नहीं रह गई है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, संगठित अपराध और सामाजिक स्थिरता से जुड़ी एक गंभीर चुनौती बन गई है।
- AIIMS-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय रिपोर्ट, 2019 के अनुसार, 16 करोड़ से अधिक लोगों ने शराब का सेवन किया, जिनमें से लगभग 5.7 करोड़ लोगों को चिकित्सीय उपचार की आवश्यकता थी। वहीं, 2.3 करोड़ से अधिक लोग ओपिओइड और कैनाबिस का सेवन करते पाए गए, जबकि लगभग 1.18 करोड़ लोग बिना डॉक्टर की सलाह के शामक दवाओं का उपयोग कर रहे थे।
- 2026 के अद्यतन अनुमानों के अनुसार, भारत में लगभग 10.7 करोड़ लोग किसी-न-किसी प्रकार के नशे की लत से प्रभावित हैं, जो इस समस्या के लगातार बढ़ते स्तर को दर्शाता है।
- शराब सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला नशीला पदार्थ है, जिसके लगभग 17 करोड़ उपभोक्ता हैं। इसके बाद कैनाबिस का उपयोग करने वाले लगभग 3.1 करोड़ और ओपिओइड से प्रभावित लगभग 2.3 करोड़ लोग हैं।
- मादक पदार्थों के सेवन का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में मेथामफेटामिन, मेफेड्रोन, कोकीन और सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स जैसे कृत्रिम मादक पदार्थों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है।
- बच्चों और किशोरों में सूँघकर नशा करने वाले पदार्थों का उपयोग भी एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। यह कम उम्र में नशे की शुरुआत और युवाओं में बढ़ती संवेदनशीलता को दर्शाता है।

इनहेलेंट का दुरुपयोग

इनहेलेंट का दुरुपयोग का अर्थ है घरेलू, औद्योगिक या चिकित्सीय उपयोग की सामान्य वस्तुओं से निकलने वाली गैस, भाप या धुएँ को जानबूझकर साँस के माध्यम से अंदर लेना, ताकि थोड़े समय के लिए नशा या मस्तिष्क पर प्रभाव महसूस किया जा सके।

- **वाष्पशील विलायकः** ऐसे तरल पदार्थ जो सामान्य तापमान पर जल्दी भाप बन जाते हैं, जैसे नेल पॉलिश रिमूवर, पेंट थिनर, व्हाइटनर, मार्कर, गोंद (Glue), पेट्रोल, कॉन्टैक्ट क्लीनर
- **एरोसोलः** घरेलू स्प्रे, जैसे स्प्रे पेंट, डियोडोरेंट, हेयर स्प्रे, कपड़ों की सुरक्षा के लिए उपयोग होने वाले स्प्रे
- **गैसें:** चिकित्सा या व्यावसायिक उपयोग की गैसें, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, ब्यूटेन, प्रोपेन
- **नाइट्राइट्सः** मांसपेशियों को शिथिल करने वाले रासायनिक यौगिक, जिन्हें पॉपर्स या रूम फ्रेशनर के रूप में बेचा जाता है।

- मादक पदार्थों की तस्करी के तरीके भी तेजी से बदल रहे हैं। डार्कनेट, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म और क्रिप्टोकरेंसी आधारित भुगतान के उपयोग से मादक पदार्थों का लेन-देन अधिक गोपनीय हो गया है और इसकी निगरानी करना पहले की तुलना में अधिक कठिन हो गया है।
- यह दर्शाता है कि भारत केवल मादक पदार्थों के उपयोग में बढ़ती संख्या की चुनौती का ही सामना नहीं कर रहा है, बल्कि अधिक खतरनाक और तकनीक-संचालित मादक पदार्थों के नेटवर्क की ओर बढ़ते बदलाव का भी सामना कर रहा है।

मादक पदार्थों की समस्या के संरचनात्मक कारण

- भारत की भौगोलिक स्थिति उसे मादक पदार्थों की तस्करी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाती है। भारत गोल्डन क्रिसेंट (अफगानिस्तान-ईरान-पाकिस्तान) और गोल्डन ट्रायंगल (म्यांमार-लाओस-थाईलैंड) के बीच स्थित है, जो विश्व के सबसे बड़े मादक पदार्थों के उत्पादन वाले क्षेत्र हैं।
- इसके कारण भारत, विशेष रूप से पंजाब, मणिपुर, असम, मिजोरम और जम्मू-कश्मीर जैसे सीमावर्ती राज्यों में, मादक पदार्थों के पारगमन और उपभोग दोनों के लिए संवेदनशील बन गया है। ड्रोन के माध्यम से तस्करी और छिद्रयुक्त (Porous) स्थलीय सीमाओं के कारण मादक पदार्थों की आवाजाही पहले की तुलना में अधिक आसान और तेज हो गई है।
- बेरोजगारी, गरीबी और आर्थिक असुरक्षा के कारण कई युवा नशे की ओर आकर्षित हो रहे हैं, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ कृषि संकट है या रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं हैं। शहरीकरण और बदलती जीवनशैली के कारण डिजाइनर ड्रग्स और मनोरंजन के लिए उपयोग होने वाले मादक पदार्थों का सेवन भी बढ़ा है।
- साथियों का दबाव, पढ़ाई का तनाव, कार्यस्थल का तनाव और भावनात्मक अकेलापन जैसे मनोवैज्ञानिक कारण अक्सर नशे की लत की शुरुआत का कारण बनते हैं। पारंपरिक परिवार व्यवस्था और सामुदायिक सहयोग प्रणाली के कमजोर होने से मादक पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध सामाजिक सुरक्षा भी कमजोर हुई है।
- ट्रामाडोल, कोडीन और अल्प्राजोलम जैसी कुछ दवाओं पर कमजोर नियमन के कारण उनका दुरुपयोग बढ़ा है। मनोरंजन जगत और सोशल मीडिया के कुछ हिस्सों में मादक पदार्थों के सेवन को आकर्षक रूप में दिखाए जाने से भी नशे का चलन सामान्य होता जा रहा है।

मानव पूँजी, सामाजिक और सुरक्षा संबंधी परिणाम

- नशे की लत एक गंभीर जनस्वास्थ्य समस्या बन गई है, क्योंकि इससे अवसाद, चिंता, मनोविकृति और व्यवहार संबंधी विकार जैसी मानसिक बीमारियाँ बढ़ती हैं। लंबे समय तक मादक पदार्थों का सेवन हृदय, यकृत (लीवर), गुर्दे और मस्तिष्क जैसे महत्त्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुँचाता है। इससे इलाज का खर्च बढ़ता है और जीवन की गुणवत्ता कम हो जाती है।
- इंजेक्शन के माध्यम से नशा करने वाले लोग HIV/AIDS और हेपेटाइटिस C जैसी गंभीर संक्रामक बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।

- मादक पदार्थों का दुरुपयोग स्कूल छोड़ने की घटनाएँ बढ़ाता है, रोजगार पाने की क्षमता कम करता है और श्रम उत्पादकता को घटाता है, जिससे मानव पूँजी निर्माण कमजोर होता है। चूँकि नशा करने वालों का बड़ा हिस्सा 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग का है, इसलिए यह भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश के लिए सीधा खतरा है।
- नशे से प्रभावित परिवारों को अक्सर आर्थिक कठिनाइयों, सामाजिक कलंक, घरेलू हिंसा और लंबे समय तक मानसिक आघात का सामना करना पड़ता है। मादक पदार्थों का दुरुपयोग अपराध, सामाजिक अलगाव और सामुदायिक अस्थिरता को बढ़ाकर सामाजिक व्यवस्था को भी कमजोर करता है।
- राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी अब आतंकवाद के वित्तपोषण, उग्रवाद, धन शोधन और हथियारों की तस्करी से भी जुड़ गई है।
- सीमावर्ती क्षेत्रों में मादक पदार्थों का उपयोग अब हाइब्रिड युद्ध के एक साधन के रूप में किया जा रहा है, ताकि भारत की आंतरिक सुरक्षा को कमजोर किया जा सके। इसी कारण मादक पदार्थों की समस्या अब केवल सामाजिक समस्या नहीं रह गई है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुकी है।

संस्थागत ढाँचा और प्रवर्तन संबंधी प्रतिक्रिया

- भारत में मादक पदार्थों से संबंधित प्रमुख कानून स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 है। यह विधि मादक पदार्थों के उत्पादन, कब्जे, बिक्री और परिवहन को नियंत्रित करता है तथा इनके उल्लंघन पर कड़े दंड का प्रावधान करता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना 1986 में की गई थी। यह नशा-विरोधी अभियानों की शीर्ष प्रवर्तन एजेंसी है और केंद्र तथा राज्य की विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय करके कार्य करती है।
- NCB ने अपनी कार्यक्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय की संख्या 3 से बढ़कर 7, जोनल कार्यालय की संख्या 13 से बढ़कर 30 हो गई है तथा कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 1,496 हो गई है। इसके साथ ही, मादक पदार्थों का पता लगाने के लिए विशेष Nar-K9 यूनिट भी स्थापित की गई हैं।
- बेहतर समन्वय के लिए सरकार ने 2016 में नार्को-कोऑर्डिनेशन सेंटर (NCORD) की स्थापना की, जिसे 2019 में और मजबूत किया गया। यह राष्ट्रीय, कार्यकारी, राज्य और जिला स्तर पर चार-स्तरीय व्यवस्था के माध्यम से कार्य करता है। NCORD विभिन्न एजेंसियों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने, अभियान संबंधी समन्वय और नीतिगत तालमेल को मजबूत करता है।
- MANAS हेल्पलाइन (1933), NIDAAN पोर्टल और मिशन Lianu जैसी व्यवस्थाओं का उद्देश्य समुदाय की भागीदारी बढ़ाना और नशा मुक्ति सहायता को मजबूत करना है। NCB के अंतर्गत स्थापित डार्कनेट मॉनिटरिंग सेल ऑनलाइन मादक पदार्थों की तस्करी और डिजिटल ड्रग बाजारों पर निगरानी रखता है।
- सरकार ने राष्ट्रीय नशा-विरोधी अभियान (2026-2029) शुरू किया है, जो तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित है-
  - कड़ी कार्रवाई के माध्यम से मादक पदार्थों की आपूर्ति को कम करना।
  - जागरूकता और रोकथाम के माध्यम से नशे की माँग को कम करना।
  - उपचार और पुनर्वास के माध्यम से नशे से होने वाले नुकसान को कम करना।
- 2014 से 2025 के बीच लगभग 1.11 करोड़ किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग ₹1.71 लाख करोड़ थी। यह मादक पदार्थों के विरुद्ध सरकार की बढ़ी हुई प्रवर्तन क्षमता को दर्शाता है।

वैश्विक सहयोग और सुधार की प्राथमिकताएँ

- आज मादक पदार्थों की तस्करी एक सीमा-पार और अत्यधिक संगठित नेटवर्क का रूप ले चुकी है। इसलिए केवल राष्ट्रीय स्तर की कार्रवाई इस समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। भारत ने मादक पदार्थों के विरुद्ध एक समान वैश्विक कानूनी ढाँचा, मजबूत प्रत्यर्पण व्यवस्था तथा वास्तविक समय में खुफिया जानकारी साझा करने की प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया है।
- संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय और अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड जैसी संस्थाएँ वैश्विक स्तर पर मादक पदार्थों के विरुद्ध सहयोग को मजबूत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- भारत को ड्रोन, सेंसर और AI आधारित निगरानी प्रणाली जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करके सीमा निगरानी को और मजबूत करना चाहिए।
- मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए दवा आपूर्ति शृंखला और डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर अधिक प्रभावी नियमन आवश्यक है।
- विशेष रूप से युवाओं और संवेदनशील समुदायों के लिए नशा मुक्ति एवं पुनर्वास की सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए।
- कम उम्र में नशे की शुरुआत को रोकने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रमों का व्यापक स्तर पर संचालन किया जाना चाहिए।
- नागरिक समाज, परिवारों और सामुदायिक संस्थाओं को भी नशा-निवारण अभियानों में सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए।
- गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल से संचालित मादक पदार्थों की तस्करी के मार्गों को समाप्त करने के लिए पड़ोसी देशों के साथ क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना आवश्यक है। युवाओं को नशे की ओर धकेलने वाली सामाजिक और आर्थिक कमजोरियों को दूर करने के लिए कौशल विकास और रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

निष्कर्ष

- भारत में मादक पदार्थों की समस्या अब केवल जनस्वास्थ्य का मुद्दा नहीं रह गई है, बल्कि यह सामाजिक स्थिरता, आर्थिक उत्पादकता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी एक जटिल चुनौती बन चुकी है। सिंथेटिक ड्रग्स, डिजिटल माध्यमों से होने वाली तस्करी और नार्को-आतंकवाद के बढ़ते प्रभाव ने इस चुनौती को और अधिक गंभीर तथा नियंत्रित करना कठिन बना दिया है।
- यदि इस समस्या पर समय रहते प्रभावी नियंत्रण नहीं किया गया, तो यह युवाओं के स्वास्थ्य, उत्पादकता और भविष्य को कमजोर करके भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को गंभीर नुकसान पहुँचा सकती है।
- इस समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई, नशा मुक्ति एवं पुनर्वास, जागरूकता के माध्यम से रोकथाम तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर आधारित संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।
- नशा मुक्त भारत का लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है, जब मादक पदार्थों के दुरुपयोग को केवल अपराध के रूप में नहीं, बल्कि मानव सुरक्षा, सामाजिक लचीलापन और वैश्विक शासन से जुड़ी एक व्यापक चुनौती के रूप में देखा जाए।

भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया और इसके बाद नीदरलैंड, नॉर्वे तथा स्वीडन की आधिकारिक यात्रा की।

पृष्ठभूमि

- भारत और नॉर्डिक देशों ने 2018 में पहले भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान नवाचार, हरित ऊर्जा, स्वच्छ तकनीक और सतत् विकास पर केंद्रित एक बहुआयामी साझेदारी शुरू की।
  - इसके बाद से यह संबंध काफी विस्तृत हुए हैं, जिनमें व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग में मजबूत वृद्धि देखी गई है।
- भारत के नॉर्डिक देशों के साथ संबंध बढ़ते आर्थिक सहयोग, अनुसंधान एवं विकास (R&D) साझेदारी और जन-से-जन संपर्कों के माध्यम से मजबूत हुए हैं।
- नॉर्डिक देश मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया और स्वच्छ गंगा जैसी भारत की प्रमुख पहलों में भी रुचि दिखा रहे हैं। वे हरित विकास, स्वच्छ तकनीक, नवाचार और सतत् विकास पर केंद्रित भविष्य उन्मुख रणनीतिक साझेदारी बना रहे हैं।

नॉर्डिक देश (Nordic Countries)

- नॉर्डिक देश उत्तरी यूरोप और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र का एक भू-राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है। इसमें डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन शामिल हैं।
- इन पाँचों नॉर्डिक देशों की संयुक्त अर्थव्यवस्था (GDP) 1.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। साथ ही, ये देश नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) और सतत् महासागर शासन (Sustainable Ocean Governance) के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल हैं।

वर्तमान स्थिति

- **डेनमार्क:** भारत और डेनमार्क के बीच मजबूत आर्थिक तथा जन-से-जन संबंध हैं।
  - **आर्थिक:** 2025 में वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 2.05 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। इसमें भारत का निर्यात 1.06 अरब अमेरिकी डॉलर और आयात 0.98 अरब अमेरिकी डॉलर था। सेवाओं का व्यापार 4.25 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें निर्यात 1.9 अरब अमेरिकी डॉलर और आयात 2.3 अरब अमेरिकी डॉलर था।
    - डेनमार्क में भारतीय निवेश लगभग 560 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि भारत में डेनमार्क का FDI 2024 तक 1.413 अरब अमेरिकी डॉलर पहुँच गया। लगभग 40 भारतीय और 200 डेनिश कंपनियाँ प्रमुख क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं।
  - सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध भी मजबूत हैं। इन्हें 2022 के सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम, डेनमार्क के शहरों में योग समारोहों और प्रवासी भारतीय समुदाय की भागीदारी से समर्थन मिला है। 2026 में दोनों देशों ने लोगों की आवाजाही और जन-से-जन संपर्क बढ़ाने पर भी चर्चा की।
- **फिनलैंड:** भारत और फिनलैंड के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और जन-से-जन संबंध लगातार बढ़ रहे हैं।
  - **आर्थिक:** 2024-25 में वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 1.017 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें भारत का निर्यात 356.37 मिलियन अमेरिकी डॉलर और आयात 660.70 मिलियन अमेरिकी डॉलर था।
    - 2025 में सेवाओं का व्यापार 1.9 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। निवेश प्रवाह भी मजबूत है। फिनलैंड में भारतीय निवेश 2 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है और भारत में फिनलैंड का निवेश 4 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है। भारत में 100 से अधिक फिनिश कंपनियाँ कार्य कर रही हैं।
  - सांस्कृतिक और शैक्षणिक संबंध योग केंद्रों, कला और त्योहारों तथा दूतावास की "Terve-Namaste" छात्र संपर्क शृंखला के माध्यम से बढ़ रहे हैं।
    - फिनलैंड में भारतीय समुदाय लगभग 33,000 है, जिसमें लगभग 2,400 छात्र शामिल हैं। यह समुदाय IT और नवाचार क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है। ई-वीज़ा और हेलसिंकी-नई दिल्ली के बीच सीधी उड़ानों के कारण पर्यटन भी बढ़ रहा है।
- **आइसलैंड:** 2024-25 में आइसलैंड के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 77.06 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।
  - इसी वर्ष भारत का आइसलैंड को निर्यात 66.01 मिलियन अमेरिकी डॉलर और आयात 11.05 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।
  - आइसलैंड में भारतीय संस्कृति, विशेष रूप से योग, शास्त्रीय संगीत, नृत्य, चित्रकला, फिल्में और भोजन लोकप्रिय हैं। आइसलैंड में लगभग 600 भारतीय नागरिक रहते हैं।
  - 2026 में भारत और आइसलैंड ने सहयोग की समीक्षा की और जन-से-जन संपर्क, सांस्कृतिक एवं पर्यटन आदान-प्रदान तथा आर्कटिक अनुसंधान में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया।
- **नॉर्वे:** भारत और नॉर्वे ने 1947 में राजनयिक संबंध स्थापित किए। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA), जिसमें नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन शामिल हैं, ने 2024 में व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (TEPA) किया।
  - **आर्थिक:** 2024-25 में भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय व्यापार 1.05 अरब अमेरिकी डॉलर रहा।
    - इस अवधि में भारत ने 630 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया और 420 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात किया।
    - सेवाओं का व्यापार लगभग 1 अरब अमेरिकी डॉलर रहा।
    - इसके अलावा, अप्रैल 2000 से सितंबर 2025 तक नॉर्वे से भारत में FDI प्रवाह 764 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।
  - **आर्कटिक/ध्रुवीय सहयोग:** भारत ने 2008 में नॉर्वे के स्वालबार्ड में अपना पहला स्थायी आर्कटिक अनुसंधान केंद्र 'हिमाद्री' स्थापित किया।
    - भारत 2013 से आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक राज्य भी है।

- **प्रवासी भारतीय:** भारत और नॉर्वे के बीच लगभग 30,000 भारतीयों के समुदाय के माध्यम से मजबूत जन-से-जन संबंध हैं।
    - टर्बन्डेगन (Turbandagen) और ओस्लो कलर फेस्टिवल जैसे आयोजन नॉर्वे में भारतीय संस्कृति और सॉफ्ट पावर के बढ़ते प्रभाव को दर्शाते हैं।
    - **बहुपक्षीय सहयोग:** नॉर्वे ने सुधारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का समर्थन किया है।
- **स्वीडन:** भारत और स्वीडन ने 1948 में राजनयिक संबंध स्थापित किए और स्वीडन ने 2018 में पहला भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया।
    - **आर्थिक:** 2025 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 7.75 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया।
        - अप्रैल 2000 से दिसंबर 2024 तक स्वीडन से भारत में कुल FDI इक्विटी प्रवाह 2.596 अरब अमेरिकी डॉलर रहा।
        - भारतीय सांस्कृतिक परंपराएँ, जैसे भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य, योग, आयुर्वेद, भारतीय त्योहार और सिनेमा, स्वीडन में व्यापक रूप से सराही जाती हैं।
    - **सतत् विकास सहयोग:** भारत और स्वीडन ने 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन (LeadIT) की संयुक्त शुरुआत की।
    - **भारतीय प्रवासी:** स्वीडन में भारतीय प्रवासी समुदाय वर्तमान में लगभग 90,000 है, जिसमें लगभग 66,400 भारतीय नागरिक शामिल हैं। इनमें से कई लोग IT, फिनटेक और जीवन विज्ञान (Life Sciences) क्षेत्रों में उच्च-कुशल पेशेवर हैं।

भारत के लिए नॉर्डिक क्षेत्र का महत्त्व

- **नवाचार और बड़े पैमाने की साझेदारी:** नॉर्डिक देश नवाचार, डिजिटल तकनीकों और सतत् विकास के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देश हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) के अनुसार, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क विश्व की शीर्ष 10 सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं।
    - इन देशों के पास पूँजी, बौद्धिक संपदा (IP) और उन्नत अनुसंधान एवं विकास (R&D) की क्षमता है। वहीं, भारत के पास विशाल डेटा, बड़ी जनसंख्या और तेजी से बढ़ता बाजार है। इस प्रकार दोनों की साझेदारी एक-दूसरे की क्षमताओं को पूरा करने वाली है।
- **आर्कटिक-इंडो-पैसिफिक संबंध:** आर्कटिक क्षेत्र की बर्फ पिघलने से नए समुद्री व्यापार मार्ग खुल रहे हैं और महत्त्वपूर्ण खनिजों तक पहुँच बढ़ रही है, जिससे वैश्विक भू-राजनीति का महत्त्व भी बढ़ रहा है।
- भारत आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक है और ध्रुवीय अनुसंधान (जैसे नॉर्वे के स्वालबार्ड में भारत का हिमाद्री अनुसंधान केंद्र), जलवायु निगरानी तथा आर्कटिक क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए नॉर्डिक देशों को महत्त्वपूर्ण साझेदार मानता है।
- **रक्षा औद्योगिक आधार का विस्तार:** अब नॉर्डिक देशों की रक्षा कंपनियाँ भारत के रक्षा औद्योगिक गलियारों विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) कर सकती हैं। यह सहयोग रक्षा विनिर्माण में भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल को मजबूत करता है।
- **चक्रीय अर्थव्यवस्था की दिशा में सहयोग:** चक्रीय अर्थव्यवस्था, जैव-अर्थव्यवस्था और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में नॉर्डिक देशों का मॉडल (जो UNEA Resolution 5/14 के अनुरूप है) भारत के मिशन LiFE (Lifestyle for Environment) के लिए एक प्रभावी और अपनाने योग्य मॉडल है।
- **वैश्विक आपूर्ति शृंखला की मजबूती:** यह साझेदारी NB8 (Nordic-Baltic Eight) क्षेत्र को भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) से जोड़ने के लिए महत्त्वपूर्ण है। इससे चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) के विकल्प के रूप में एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग विकसित किया जा सकता है।

भारत-नीदरलैंड संबंध

- **राजनयिक संबंध:** भारत और नीदरलैंड ने 1947 में राजनयिक संबंध स्थापित किए।
- **आर्थिक सहयोग:** भारत और नीदरलैंड ने 2025 में संयुक्त व्यापार एवं निवेश समिति (Joint Trade & Investment Committee - JTIC) को औपचारिक रूप दिया। इससे द्विपक्षीय व्यापार, दो-तरफा निवेश, तथा प्रौद्योगिकी, MSMEs और उभरते क्षेत्रों में सहयोग को मजबूती मिली।
    - नीदरलैंड, 2000-2025 के दौरान 54.94 अरब अमेरिकी डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के साथ भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक है।
    - वित्त वर्ष 2025-26 (नवंबर 2025 तक) में भारत-नीदरलैंड द्विपक्षीय व्यापार 16.75 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया।
- **प्रौद्योगिकी सहयोग:** दोनों देश सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), क्वांटम प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, हरित हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं।
- **सांस्कृतिक सहयोग:** 2025 में दोनों देशों ने गुजरात के लोथल में विकसित किए जा रहे राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (National Maritime Heritage Complex - NMHC) के विकास में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
- **प्रवासी भारतीय:** नीदरलैंड में मुख्य भूमि यूरोप (Mainland Europe) में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की सबसे बड़ी आबादी है, जिसमें सूरीनामी-हिन्दुस्तानी (Surinami-Hindustani) समुदाय के बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं।
- **द्विपक्षीय संबंधों में चिंताएँ:** नीदरलैंड और यूरोपीय संघ (EU) के कुछ देशों ने भारत में प्रेस की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों (विशेषकर मुस्लिम और अन्य छोटे समुदायों) के अधिकार, लोकतांत्रिक मूल्यों और कानून के शासन (Rule of Law) से जुड़े मुद्दों पर चिंता व्यक्त की है।
    - **इंसिया हेमानी मामला :** इंसिया हेमानी की अभिरक्षा (Custody) से जुड़े विवाद के समाधान में हुई लंबी देरी भारत और नीदरलैंड के बीच एक संवेदनशील राजनयिक मुद्दा बन गई है।
    - इस मामले ने अंतरराष्ट्रीय बाल अभिरक्षा (International Child Custody) के क्रियान्वयन तथा भारत के साथ कानूनी सहयोग को लेकर नीदरलैंड में चिंताएँ बढ़ाई हैं।

सम्मेलन की मुख्य बातें (ओस्लो, 2026)

- **हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार साझेदारी:**
- भारत और नॉर्डिक देशों ने स्वच्छ ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, डिजिटल नवाचार और जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित साझेदारी शुरू की है। इससे हरित विकास, बेहतर शासन, रोजगार और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
- **भारत-EFTA TEPA का लाभ:** यह समझौता व्यापार और निवेश बढ़ाने, व्यापारिक बाधाएँ कम करने तथा रोजगार, नवाचार और सतत् विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
- **जलवायु परिवर्तन सहयोग:** यह सहयोग पर्यावरण संरक्षण, हरित रोजगार, निवेश और दीर्घकालिक सतत् आर्थिक विकास को मजबूत करेगा।
- **आर्कटिक सहयोग:** भारत ध्रुवीय अनुसंधान और जलवायु अध्ययन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, मानसून, कृषि और पारिस्थितिक संतुलन को बेहतर समझने पर कार्य करेगा।
- **STEM अनुसंधान सहयोग:** अनुसंधान, तकनीकी हस्तांतरण और 6G जैसी नई तकनीकों में सहयोग से नवाचार, रोजगार और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
- **ब्लू इकोनॉमी:** महासागरीय संसाधनों के सतत् उपयोग से आर्थिक विकास, रोजगार, समुद्री सुरक्षा और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की स्थिरता को मजबूती मिलेगी।
- **प्रतिभा की आवाजाही:** शोध और शिक्षा में सहयोग से भारतीय छात्रों और शोधकर्ताओं को वैश्विक अवसर मिलेंगे तथा कौशल, नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा।
- **रक्षा उत्पादन सहयोग:** रक्षा क्षेत्र में 100% FDI, तकनीकी हस्तांतरण और संयुक्त उत्पादन से घरेलू रक्षा उद्योग, रोजगार, निर्यात और रक्षा तैयारियों को मजबूती मिलेगी।

आगे की राह

- भारत और नॉर्डिक देशों ने हरित प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से अपने संबंधों को और मजबूत किया है।
- दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा, जलवायु कार्रवाई, व्यापार, डिजिटल नवाचार, ब्लू इकोनॉमी, STEM तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है, जिसे भारत-EFTA TEPA का भी समर्थन प्राप्त है।
- स्वच्छ ऊर्जा, नवाचार और सतत् विकास पर विशेष जोर दोनों देशों के आर्थिक विकास और हरित परिवर्तन के लक्ष्यों को आगे बढ़ा रहा है।
- भारत को नीदरलैंड, नॉर्वे और स्वीडन के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा, समुद्री मामलों और जलवायु कार्रवाई के क्षेत्रों में सहयोग और गहरा करना चाहिए।
- राजनीतिक संवाद, शैक्षणिक आदान-प्रदान और जन-से-जन संपर्क को बढ़ावा देकर दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग को और मजबूत किया जा सकता है।
- साथ ही, सॉफ्ट पावर के माध्यम से सहयोग बढ़ाने से यूरोप और आर्कटिक क्षेत्र में भारत के आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंध और अधिक मजबूत होंगे।

हाल की यात्राओं के परिणाम

नीदरलैंड	नॉर्वे	स्वीडन
• भारत और नीदरलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी (Strategic Partnership) के स्तर तक उन्नत किया है, जिसका मुख्य ध्यान सेमीकंडक्टर, रक्षा, प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्रों पर है। • दोनों देशों ने रक्षा सहयोग को और मजबूत किया, डच और भारतीय संस्थानों के बीच सेमीकंडक्टर प्रतिभा "ब्रेन ब्रिज (Brain Bridge)" की शुरुआत की तथा लाइडेन विश्वविद्यालय (Leiden University) द्वारा चोल कालीन ताम्रपत्र (Chola-era Copper Plates) लौटाए जाने के माध्यम से सांस्कृतिक संबंधों को भी सुदृढ़ किया।	• भारत और नॉर्वे ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को हरित रणनीतिक साझेदारी (Green Strategic Partnership) के स्तर तक बढ़ाने की औपचारिक घोषणा की। इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु सहनशीलता, ब्लू इकोनॉमी और ग्रीन शिपिंग जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है। • नॉर्वे औपचारिक रूप से भारत की इंडो-पैसिफिक महासागर पहल (IPOI) में शामिल हुआ, जिसे 2019 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य स्वतंत्र, खुला और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक को बढ़ावा देना है। • भारत और नॉर्वे मिलकर ग्लोबल साउथ में भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (Aadhaar-UPI-CoWIN stack) को बढ़ावा देंगे। • नॉर्वे ने सुधारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के प्रति अपना समर्थन दोहराया।	• भारत और स्वीडन ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी (Strategic Partnership) के स्तर तक उन्नत किया है। यह साझेदारी लोकतंत्र, नवाचार और सतत् विकास पर आधारित है तथा सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, उभरती प्रौद्योगिकियाँ, स्वास्थ्य, लचीलापन (Resilience) और पर्यावरणीय सतत्ता जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देती है। • दोनों देशों ने अपनी उन्नत साझेदारी को लागू करने के लिए संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 (Joint Action Plan 2026-2030) को अपनाया। यह राजनीतिक, आर्थिक, तकनीकी, सुरक्षा, जलवायु और जन-से-जन संबंधों में सहयोग के लिए एक स्पष्ट रोडमैप प्रदान करती है। • भारत और स्वीडन ने भारत-स्वीडन प्रौद्योगिकी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता गलियारा (India-Sweden Technology and Artificial Intelligence Corridor - SITAC) विकसित करने तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (SME) और स्टार्ट-अप प्लेटफॉर्म स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की, ताकि नवाचार, प्रौद्योगिकी सहयोग और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके।

असम में समान नागरिक संहिता (UCC)

असम विधान सभा ने समान नागरिक संहिता असम विधेयक, 2026 पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम, पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य और उत्तराखंड तथा गुजरात के बाद देश का तीसरा राज्य बन गया है, जिसने इस प्रकार का कानून अपनाया है।

समान नागरिक संहिता (UCC) क्या है?

- समान नागरिक संहिता का अर्थ है ऐसे समान नागरिक कानून, जो धर्म की परवाह किए बिना सभी नागरिकों पर विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति का उत्तराधिकार, गोद लेना, भरण-पोषण, गुजारा भत्ता और बच्चों की अभिरक्षा जैसे नागरिक मामलों में समान रूप से लागू हों।
- इसका उद्देश्य धर्म आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर एक समान कानूनी व्यवस्था लागू करना है तथा नागरिक मामलों में सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करना तथा कानूनी एकरूपता को बढ़ावा देना है।

संवैधानिक आधार

- अनुच्छेद 44, जो संविधान के भाग IV में शामिल है, राज्य को पूरे भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करने का निर्देश देता है।
- भाग IV में राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व दिए गए हैं। ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, लेकिन देश के शासन के लिए मूलभूत सिद्धांत माने जाते हैं।
- समान नागरिक संहिता पर होने वाली बहस में अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 25 से 28 के बीच संतुलन बनाने का प्रश्न शामिल है। अनुच्छेद 25 से 28 सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता और धार्मिक आचरण करने का अधिकार प्रदान करते हैं।

भारत में UCC

- गोवा देश का एकमात्र राज्य है जहाँ पुर्तगाली सिविल संहिता, 1867 के माध्यम से लगातार समान नागरिक संहिता जैसी व्यवस्था लागू रही है। इसके अंतर्गत विभिन्न धर्मों के लोगों पर विवाह, तलाक और उत्तराधिकार से संबंधित मामलों में लगभग समान कानून लागू होते हैं।
- गोवा, दमन और दीव प्रशासन अधिनियम, 1962 के माध्यम से गोवा के भारत में शामिल होने के बाद भी इस व्यवस्था को जारी रखने की अनुमति दी गई। 2024 में उत्तराखंड, स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना।
- अब असम UCC विधेयक, 2026 पारित होने के साथ असम इस प्रकार का कानून अपनाने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है।

असम UCC बिल, 2026 के मुख्य प्रावधान

- यह विधेयक इसके दायरे में आने वाले सभी लोगों के लिए एक पत्नी/एक पति की व्यवस्था अनिवार्य करता है तथा बहुविवाह और द्विविवाह पर प्रतिबंध लगाता है। इसका उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के अंतर्गत कारावास सहित दंड का प्रावधान है।
- कानून लागू होने से पहले हुए बहुविवाह कानूनी रूप से वैध बने रहेंगे।
- विधेयक में पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है।
- सभी विवाहों और तलाकों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। विवाह के 60 दिनों के भीतर विवाह ज्ञापन जमा करना होगा। पंजीकरण न कराने पर जुर्माना और अन्य दंड लगाया जा सकता है।
- विधेयक लिव-इन रिलेशनशिप के लिए भी कानूनी व्यवस्था प्रदान करता है तथा एक महीने के भीतर उसका पंजीकरण अनिवार्य करता है। ऐसा न करने पर दंड का प्रावधान है। पंजीकृत लिव-इन संबंधों से जन्मे बच्चों को वैध संतान माना जाएगा। यदि किसी लिव-इन संबंध में एक साथी को छोड़ दिया जाता है, तो उसे भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार होगा।
- विधेयक में क्रूरता, परित्याग और आपसी सहमति जैसे आधारों पर तलाक के समान नियम निर्धारित किए गए हैं। साथ ही, अवैध तलाक तथा पुनर्विवाह से पहले लगाई गई अवैध शर्तों पर दंड का प्रावधान है।
- यह विधेयक पति-पत्नी, बच्चों और माता-पिता को समान उत्तराधिकार अधिकार प्रदान करता है तथा धर्म की परवाह किए बिना उत्तराधिकार के लिए एक समान व्यवस्था लागू करता है। लिखित वसीयत के माध्यम से वसीयत आधारित उत्तराधिकार को मान्यता दी गई है।
- बाल विवाह, बिना वैध सहमति के विवाह, तथा बल, दबाव, धोखाधड़ी, तथ्य छिपाने या गलत जानकारी देकर किए गए विवाह पर दंड का प्रावधान किया गया है।
- यह कानून असम अनिवार्य मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण अधिनियम, 2024 को समाप्त कर उसकी जगह एक समान कानूनी व्यवस्था लागू करता है। असम में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों को उनकी पारंपरिक प्रथाओं और संवैधानिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है।

आदिवासी छूट का महत्त्व

- संविधान जनजातीय समुदायों को छठी अनुसूची जैसे प्रावधानों के माध्यम से विशेष सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अंतर्गत असम के बोडोलैंड, कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जैसे जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान की गई है। इसी प्रकार नागालैंड के लिए अनुच्छेद 371A और मिजोरम के लिए अनुच्छेद 371G के अंतर्गत भी विशेष संवैधानिक सुरक्षा उपलब्ध है।
- जनजातीय समुदायों में विवाह, उत्तराधिकार, संपत्ति का उत्तराधिकार और भूमि स्वामित्व जैसे विषयों पर अलग-अलग पारंपरिक कानून लागू होते हैं।
- इसलिए, जनजातीय समुदायों को इस कानून से छूट देने का उद्देश्य व्यापक नागरिक कानून सुधारों को लागू करते हुए उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना है।

भारत में मौजूदा पर्सनल लॉ सिस्टम

- वर्तमान में भारत में ऐसी व्यवस्था है, जिसमें विभिन्न धार्मिक समुदायों पर अलग-अलग व्यक्तिगत कानून लागू होते हैं। हिन्दू, सिख, जैन और बौद्ध समुदाय हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 जैसे कानूनों के अंतर्गत आते हैं।

- मुस्लिम समुदाय पर मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधिनियम, 1937 लागू होता है।
- ईसाई और पारसी समुदायों के लिए भी विवाह और तलाक से संबंधित अलग-अलग कानून हैं। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य इन अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था लागू करना है।

UCC के पक्ष में तर्क

- एक समान नागरिक कानून शासन व्यवस्था में एकरूपता लाने और न्याय प्रशासन को अधिक सरल बनाने में सहायक हो सकता है।
- समान नागरिक संहिता को लैंगिक न्याय की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम माना जाता है, क्योंकि वर्तमान व्यक्तिगत कानूनों में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और भरण-पोषण जैसे मामलों में महिलाओं के साथ अलग-अलग व्यवहार किया जाता है।
- UCC के समर्थकों का मानना है कि सभी नागरिकों के साथ धर्म की परवाह किए बिना समान व्यवहार सुनिश्चित करके यह धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करता है। इसे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और साझा नागरिक पहचान विकसित करने का माध्यम भी माना जाता है।
- एक समान कानूनी व्यवस्था से विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के कारण उत्पन्न कानूनी असंगतियाँ कम हो सकती हैं।
- लिव-इन संबंध, भरण-पोषण और बच्चों की वैधता से जुड़े प्रावधान कमजोर और संवेदनशील व्यक्तियों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं।
- उच्चतम न्यायालय भी अपने कई निर्णयों में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता और उपयोगिता पर जोर दे चुका है।

महत्त्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

- मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम (1985) मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 44 अब तक लागू नहीं किया गया है और समान नागरिक संहिता के महत्त्व पर जोर दिया।
- सरला मुद्गल बनाम भारत संघ (1995) मामले में न्यायालय ने व्यक्तिगत कानूनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर बल दिया।
- जॉन वल्लामट्टोम बनाम भारत संघ (2003) मामले में न्यायालय ने एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता को दोहराया।
- शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017) मामले में न्यायालय ने तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित किया और व्यक्तिगत कानूनों में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया।
- जोस पाउलो कूटिन्हो बनाम मारिया लुइजा वेलेंटीना परेरा (2019) मामले में न्यायालय ने गोवा को समान नागरिक संहिता का सफल उदाहरण बताया और इसे व्यापक स्तर पर लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया।

UCC के विरोध में तर्क

- आलोचकों का मानना है कि समान नागरिक संहिता संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकती है।
- यह भी चिंता व्यक्त की गई है कि एक समान कानून सभी समुदायों की परंपराओं और रीति-रिवाजों को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित नहीं कर पाएगा।
- कुछ अल्पसंख्यक समुदायों को आशंका है कि यह व्यवस्था वास्तव में पूरी तरह निष्पक्ष कानून बनने के बजाय बहुसंख्यक समुदाय की परंपराओं को अधिक महत्त्व दे सकती है।
- लिव-इन संबंधों के लिए अनिवार्य पंजीकरण के प्रावधान पर भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता के अधिकार को लेकर चिंता जताई गई है, विशेषकर पुट्टस्वामी निर्णय (2017) के संदर्भ में।
- भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को देखते हुए इस कानून को लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- भारत के विधि आयोग ने पहले यह कहा था कि वर्तमान समय में समान नागरिक संहिता न तो आवश्यक है और न ही उपयुक्त।
- कुछ विद्वानों का मानना है कि जनजातीय समुदायों को पूरी तरह छूट देने से कानूनी व्यवस्था में असमानता बनी रह सकती है और जनजातीय परंपराओं में मौजूद कुछ लैंगिक संबंधी समस्याएँ अनसुलझी रह सकती हैं।

आगे की राह

- समाज के सभी वर्गों से व्यापक परामर्श किया जाना चाहिए, ताकि समावेशिता, पारदर्शिता और जनस्वीकृति सुनिश्चित की जा सके। व्यक्तिगत कानूनों में सुधार संविधान के न्याय, समानता और गरिमा जैसे मूल सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए।
- वर्तमान व्यक्तिगत कानूनों को चरणबद्ध तरीके से संहिताबद्ध और सुधारित किया जाना चाहिए, ताकि उनमें मौजूद भेदभावपूर्ण प्रावधानों को समाप्त किया जा सके।
- समान नागरिक संहिता का कोई भी ढाँचा तैयार करते समय अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्राप्त संवैधानिक सुरक्षा के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन बनाया जाना चाहिए।
- जनजातीय क्षेत्रों में सुधार स्थानीय समुदायों से संवाद और सहभागिता के माध्यम से किए जाने चाहिए, ताकि सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रहे और साथ ही लैंगिक न्याय को भी बढ़ावा मिले।
- संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत करना तथा गोवा, उत्तराखंड और असम जैसे राज्यों के अनुभवों का अध्ययन करना व्यापक सहमति विकसित करने में सहायक हो सकता है।

निष्कर्ष

- असम समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक, 2026 भारत में समान नागरिक संहिता को लेकर चल रही बहस में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- यह कानून लैंगिक समानता, कानूनी एकरूपता और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। साथ ही, संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से जनजातीय परंपराओं की सुरक्षा की आवश्यकता को भी स्वीकार करता है।
- सबसे बड़ी चुनौती यह है कि समान नागरिक कानून लागू करने के संवैधानिक लक्ष्य और भारत की धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक विविधता तथा बहुलतावाद के प्रति प्रतिबद्धता के बीच संतुलन बनाया जाए, ताकि सुधार आपसी सहमति और संवैधानिक मूल्यों के आधार पर आगे बढ़े।

स्वयं सहायता समूह

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने SHE-MARTs (Self Help Entrepreneurs–Marketing Avenues for Rural Transformation) के लिए देशव्यापी कार्ययोजना शुरू की है।

SHE-MARTs

- केंद्रीय बजट 2026–27 में घोषित SHE-MARTs का उद्देश्य महिलाओं द्वारा संचालित ग्रामीण उद्यमों को मजबूत करना, बाजार तक पहुँच बढ़ाना और ग्रामीण आय में वृद्धि करना है। SHE-MARTs विकेंद्रीकृत और महिलाओं द्वारा संचालित विपणन एवं उद्यम नेटवर्क हैं, जो स्वयं सहायता समूहों और महिला उत्पादक समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए बाजार तक पहुँच, ब्रांडिंग, उत्पादों का संग्रह और खुदरा बिक्री की सुविधा प्रदान करते हैं।
- इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को केवल रोजगार की तलाश करने वाली नहीं, बल्कि उद्यमी और बाजार की अग्रणी के रूप में विकसित करना है। इसके लिए SHG महासंघों के माध्यम से समुदाय के स्वामित्व वाले खुदरा केंद्र संचालित किए जाएँगे।

स्वयं सहायता समूह क्या हैं?

- स्वयं सहायता समूह ऐसे स्वैच्छिक समूह होते हैं, जिनमें सामान्यत: समान सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाले 10 से 20 सदस्य शामिल होते हैं। ये सदस्य बचत, ऋण, आजीविका गतिविधियों और सामूहिक सशक्तीकरण के लिए एक साथ आते हैं।
- ये समूह आपसी विश्वास, सामूहिक जिम्मेदारी, नियमित बचत और लोकतांत्रिक भागीदारी के सिद्धांतों पर कार्य करते हैं।

महिला सशक्तीकरण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका

- **आर्थिक एवं वित्तीय लाभ:** स्वयं सहायता समूह बचत, ऋण, बीमा और बैंक सखी के माध्यम से डिजिटल बैंकिंग जैसी सुविधाओं द्वारा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हैं। इससे साहूकारों पर निर्भरता कम होती है, गरीबी घटती है और ग्रामीणू विकास को प्रोत्साहन मिलता है।
- **उद्यमिता:** SHGs MAVIM जैसी संस्थाओं के माध्यम से कौशल विकास, आजीविका के अवसर और बाजार से जुड़ाव को बढ़ावा देते हैं।
- **राजनीतिक एवं सामाजिक सशक्तीकरण:** SHGs ग्राम सभाओं और स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाते हैं (जैसे SEWA का नेतृत्व), स्वास्थ्य, शिक्षा और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाते हैं तथा बाल विवाह, दहेज प्रथा और शराब की लत जैसी सामाजिक बुराइयों से लड़ने में मदद करते हैं।
- **स्वायत्तता:** SHGs साक्षरता, डिजिटल कौशल, बालिका शिक्षा और घर के निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देकर उनके आत्मविश्वास और स्वायत्तता को मजबूत करते हैं। महिलाओं के स्वयं-सहायता समूहों (SHGs) को समर्थन देने वाली सरकारी पहलें
- दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन वित्तीय और संस्थागत सहायता के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों (SHGs), महिला समूहों और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देता है। इसके अंतर्गत 10.05 करोड़ से अधिक महिलाओं को 90.90 लाख SHGs से जोड़ा जा चुका है।
- लखपति दीदी पहल का उद्देश्य SHG से जुड़ी महिलाओं को कौशल विकास, उद्यम स्थापना, वित्तीय समावेशन और स्थायी आय सृजन के माध्यम से सफल उद्यमी बनाना है, ताकि उनकी वार्षिक आय कम-से-कम ₹1 लाख हो सके।
- नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत 15,000 चयनित महिला SHGs को किसानों को किराये पर ड्रोन सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए ड्रोन दिए जाएँगे। साथ ही महिलाओं को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा।
- SHG–cSad लिंकेज कार्यक्रम (SHG-BLP), जिसे NABARD ने 1992 में शुरू किया था, ने महिलाओं द्वारा संचालित SHGs के विस्तार और उन्हें औपचारिक बैंक ऋण उपलब्ध कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- सरस मेला जैसे मंच SHG उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराते हैं और उन्हें व्यापक पहचान (Visibility) दिलाने में मदद करते हैं।

सफलता की कहानियाँ

- कुडुम्बश्री (केरल) विश्व के सबसे बड़े महिला सामुदायिक नेटवर्कों में से एक है, जो गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तीकरण के लिए कार्य करता है।
- मिशन शक्ति (ओडिशा) ने पूरे राज्य में महिलाओं द्वारा संचालित उद्यमों और व्यापक स्वयं सहायता समूह नेटवर्क को सफलतापूर्वक बढ़ावा दिया है।
- जीविका (बिहार) ने ग्रामीण महिलाओं की आजीविका और वित्तीय समावेशन में महत्त्वपूर्ण सुधार किया है।
- बीबी फातिमा स्व-सहाय संग (कर्नाटक) 30 गाँवों के 5,000 से अधिक किसानों को मोटे अनाज आधारित बहुफसली खेती, बीज बैंक और सौर ऊर्जा से संचालित प्रसंस्करण इकाइयों के माध्यम से सहायता प्रदान करता है।

SHGs के सामने आने वाली चुनौतियाँ

- कई स्वयं सहायता समूह (SHGs) आज भी ब्रांडिंग, पैकेजिंग, परिवहन और बाजार से जुड़ने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, जिससे उनके व्यवसाय का विस्तार सीमित हो जाता है।
- वित्तीय और डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण उद्यमों का प्रभावी प्रबंधन और आधुनिक व्यावसायिक तरीकों को अपनाने में कठिनाई होती है।
- सरकारी सहायता और सब्सिडी पर अधिक निर्भरता के कारण स्थायी व्यावसायिक मॉडल विकसित करने में बाधा आती है।
- पितृसत्तात्मक सोच, महिलाओं की आवाजाही पर प्रतिबंध और सामाजिक बाधाएँ आज भी महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को प्रभावित करती हैं।
- कई SHGs को प्रबंधन, लेखा, तकनीकी ज्ञान और संगठनात्मक क्षमता को और मजबूत करने की आवश्यकता है।
- ऋण वितरण में देरी तथा बड़े स्तर पर वित्तीय सहायता की सीमित उपलब्धता के कारण उद्यमों के विस्तार में बाधा आती है।

भारत में बांध सुरक्षा ढाँचा

बाँधों ने पिछले कई दशकों में भारत में कृषि, उद्योग और समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास को महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया है।

भारत में बांधों की स्थिति

- भारत के पास विश्व में सबसे बड़े बाँध नेटवर्कों में से एक है और बाँधों की संख्या के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है।
- जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय निर्दिष्ट बाँध रजिस्टर, 2025 के अनुसार–
  - वर्तमान में भारत में 6,545 निर्दिष्ट बाँध संचालित हैं।
  - 83 निर्दिष्ट बाँध निर्माणाधीन हैं।
  - इन बाँधों की कुल जल भंडारण क्षमता लगभग 330 अरब घन मीटर है।
- तमिलनाडु का कल्लनई (ग्रैंड एनीकट) भारत का सबसे पुराना बाँध है, जो लगभग 2,000 वर्षों से कार्य कर रहा है। यह भारत की उत्कृष्ट इंजीनियरिंग और रखरखाव क्षमता का उदाहरण है।
- महाराष्ट्र में सबसे अधिक निर्दिष्ट बाँध हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक और ओडिशा का स्थान आता है।

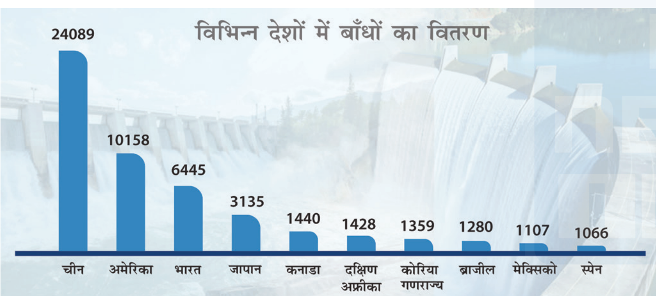

बांधों का महत्त्व

- **सिंचाई:** बाँध पानी का भंडारण करके कृषि कार्यों के लिए जल उपलब्ध कराते हैं, जिससे फसल उत्पादन बढ़ता है और खाद्य सुरक्षा को मजबूती मिलती है।
- **जलविद्युत उत्पादन:** बहते हुए पानी से स्वच्छ और नवीकरणीय बिजली उत्पन्न होती है, जिससे जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम होती है।
- **जल आपूर्ति:** बाँध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को पीने का पानी उपलब्ध कराते हैं तथा घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए भी जल की आपूर्ति करते हैं।
- **बाढ़ नियंत्रण:** बाँध नदियों के प्रवाह को नियंत्रित करके बाढ़ के प्रभाव को कम करते हैं तथा लोगों के जीवन, संपत्ति और कृषि भूमि की सुरक्षा करते हैं।
- **सूखा प्रबंधन:** वर्षा ऋतु में जल का भंडारण करके सूखे के समय उसका उपयोग किया जाता है।
- **नौवहन:** बाँध नदियों में जल स्तर बनाए रखने में सहायता करते हैं, जिससे अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा मिलता है।
- **मनोरंजन और पर्यटन:** बाँधों से बने जलाशय नौकायन, मछली पकड़ने और पर्यटन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, जिससे स्थानीय रोजगार और आय बढ़ती है।
- **भूजल पुनर्भरण:** बाँधों से होने वाले रिसाव और नियंत्रित जल प्रवाह के माध्यम से भूजल स्तर को पुनर्भरित करने में मदद मिलती है।
- **आर्थिक विकास:** बाँध कृषि, उद्योग, मत्स्य पालन और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देते हैं तथा रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में योगदान करते हैं।
- **पर्यावरणीय लाभ:** यदि उचित ढंग से प्रबंधन किया जाए, तो जलाशय मत्स्य पालन और कुछ जलीय पारिस्थितिक तंत्रों को भी समर्थन प्रदान कर सकते हैं।

भारतीय बांधों से जुड़ी चुनौतियाँ और समस्याएँ

- **पुराने होते बाँध:** राष्ट्रीय बड़े बाँध रजिस्टर (CWC) के अनुसार, भारत के 80% से अधिक बाँध 25 वर्ष से अधिक पुराने हैं। लगभग 234 बाँध 100 वर्ष से अधिक पुराने हो चुके हैं और कई बाँध अपनी निर्धारित डिजाइन आयु के करीब पहुँच चुके हैं या उसे पार कर चुके हैं। बाँधों के पुराने होने से संरचनात्मक कमजोरी, रिसाव, गेटों में खराबी और सुरक्षा संबंधी जोखिम बढ़ जाते हैं।
- **बाँधों की सुरक्षा और विफलता का जोखिम:** बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 को बाँधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव को मजबूत करने के लिए बनाया गया। इस कानून की आवश्यकता यह दर्शाती है कि संरचनात्मक सुरक्षा, अपर्याप्त रखरखाव, चरम मौसम की घटनाएँ और आपातकालीन तैयारियों को लेकर गंभीर चिंताएँ मौजूद हैं।
- **जलाशयों में गाद जमना:** समय के साथ गाद जमा होने के कारण जलाशयों की जल भंडारण क्षमता धीरे-धीरे कम होती जाती है। कई जलाशयों की उपयोगी जल भंडारण क्षमता में काफी कमी आई है। इससे सिंचाई क्षमता, जलविद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण क्षमता प्रभावित होती है।
- **जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक वर्षा:** अत्यधिक वर्षा की घटनाएँ बढ़ने से बाँधों के संचालन पर अधिक दबाव पड़ता है। अचानक अधिक पानी आने पर आपातकालीन स्थिति में बड़ी मात्रा में पानी छोड़ना पड़ सकता है, जिससे निचले क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। इससे बाढ़ की संवेदनशीलता बढ़ती है और पुराने बाँधों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।
- **मरम्मत और रखरखाव में देरी:** कई पुराने बाँधों में संरचनात्मक मजबूती, स्पिलवे (Spillway) का आधुनिकीकरण, उपकरणों का उन्नयन तथा गेटों के प्रतिस्थापन की आवश्यकता है।
- **विस्थापन और सामाजिक चुनौतियाँ:** बड़े बाँधों के निर्माण के कारण भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (R&R) तथा प्रभावित लोगों की आजीविका के नुकसान जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। इससे विस्थापित लोगों को लंबे समय तक सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- **पर्यावरणीय चिंताएँ:** बाँध नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को बदल देते हैं। इससे जलीय जैव विविधता, मछलियों के प्रवास, आर्द्रभूमियों और नदी के निचले हिस्से के पारिस्थितिक तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
  - इसका परिणाम नदी बेसिनों में पारिस्थितिक असंतुलन के रूप में सामने आता है।

संबंधित पहल और प्रयास

- **बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021:** यह भारत का बाँध सुरक्षा से संबंधित पहला व्यापक कानून है। यह बाँधों की निगरानी और निरीक्षण, संचालन एवं रखरखाव के मानकों, तथा आपातकालीन कार्ययोजना और जोखिम प्रबंधन के लिए कानूनी ढाँचा प्रदान करता है। यह देश के सभी निर्दिष्ट बाँधों (Specified Dams) पर लागू होता है।
- **राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधिकरण:** इसकी स्थापना बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के अंतर्गत की गई है। इसका उद्देश्य बाँध सुरक्षा नीतियों को लागू करना, राज्यों के बीच तकनीकी विवादों का समाधान करना, बाँध सुरक्षा मानकों की निगरानी करना तथा बाँध मालिकों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना है।
- **राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा समिति:** यह बाँध सुरक्षा नीति और नियमों से संबंधित शीर्ष (Apex) संस्था है। यह सुरक्षा मानकों, निरीक्षण प्रक्रियाओं और जोखिम आकलन की रूपरेखा की सिफारिश करती है।
- **बाँध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना** (DRIP)**:** इसका उद्देश्य बाँधों की संरचनात्मक सुरक्षा में सुधार, प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना, संचालन क्षमता बढ़ाना तथा स्पिलवे), गेटों और निगरानी प्रणालियों का उन्नयन करना है। यह परियोजना कई राज्यों के सैकड़ों बाँधों को कवर करती है।
- **राष्ट्रीय निर्दिष्ट बाँध रजिस्टर** (NRSD)**:** यह देश के बाँधों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करता है तथा बाँधों के स्वामित्व, आयु, स्थान, सुरक्षा स्थिति और तकनीकी विशेषताओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराता है।
- **नियमित बाँध सुरक्षा निरीक्षण:** राज्य बाँध सुरक्षा संगठन (SDSOs), राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधिकरण (NDSA) और केंद्रीय जल आयोग (CWC) द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किए जाते हैं। इनका उद्देश्य संरचनात्मक कमजोरियों की पहचान करना और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना है।
- **आपातकालीन कार्ययोजनाएँ** (EAPs)**:** बाँधों के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाएँ तैयार की जाती हैं। इनमें पूर्व चेतावनी प्रणाली (Early Warning Systems), बाढ़ प्रबंधन व्यवस्था और आपदा तैयारी के उपाय शामिल होते हैं। इनका उद्देश्य आपात स्थिति में जन-धन की हानि को कम करना है।
- **जलाशयों में गाद अध्ययन:** केंद्रीय जल आयोग (CWC) द्वारा यह अध्ययन किया जाता है, ताकि गाद जमने के कारण जलाशयों की भंडारण क्षमता में हुई कमी का आकलन किया जा सके तथा गाद हटाने और जलाशय प्रबंधन की रणनीति बनाई जा सके।
- **क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण:** बाँध अभियंताओं, संचालकों और सुरक्षा अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इनका उद्देश्य आधुनिक बाँध इंजीनियरिंग और जोखिम प्रबंधन की जानकारी प्रदान करना है।
- **आधुनिक निगरानी तकनीकों का उपयोग:** उपकरण आधारित निगरानी प्रणाली, रिमोट मॉनिटरिंग, जल विज्ञान पूर्वानुमान उपकरण तथा डिजिटल डेटा प्रबंधन प्रणाली का उपयोग कर वास्तविक समय में बाँधों की निगरानी और बेहतर निर्णय लेने की व्यवस्था की जा रही है।
- **डिजिटल पहल:** DHARMA जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म, उपकरण आधारित निगरानी तथा पूर्व चेतावनी प्रणालियों के माध्यम से वास्तविक समय की निगरानी और डेटा आधारित बाँध सुरक्षा प्रबंधन को मजबूत किया जा रहा है।

आगे की राह

- **संरचनात्मक आधुनिकीकरण में तेजी लाना:** बाँध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (DRIP) जैसी पहलों का विस्तार किया जाए, ताकि 80% से अधिक पुराने बाँधों के रखरखाव से जुड़ी समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सके। विशेष रूप से स्पिलवे (Spillway) का उन्नयन, गेटों का प्रतिस्थापन और संरचनात्मक मजबूती को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- **संस्थागत समन्वय को मजबूत करना:** बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधिकरण (NDSA) और राज्य बाँध सुरक्षा संगठनों (SDSOs) के बीच मजबूत समन्वय सुनिश्चित किया जाए, ताकि समयबद्ध और नियमित निरीक्षण प्रभावी रूप से किए जा सकें।
- **तकनीक आधारित जलवायु सहनशीलता बढ़ाना:** DHARMA जैसे उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म, वास्तविक समय जल विज्ञान पूर्वानुमान (Real-Time Hydrological Forecasting) तथा पूर्व चेतावनी प्रणाली (Early Warning System - EWS) का व्यापक उपयोग किया जाए, ताकि जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली अत्यधिक वर्षा और अचानक बढ़ने वाले जल प्रवाह का प्रभावी प्रबंधन किया जा सके।
- **जलाशयों में गाद का व्यवस्थित प्रबंधन:** केंद्रीय जल आयोग (CWC) द्वारा नियमित रूप से गाद (Siltation) का अध्ययन किया जाए तथा गाद हटाने (Desiltation) की प्रभावी रणनीतियाँ लागू की जाएँ, ताकि जलाशयों की उपयोगी भंडारण क्षमता बढ़ाई जा सके और सिंचाई तथा जलविद्युत उत्पादन की क्षमता लंबे समय तक बनी रहे।
- **पर्यावरणीय और सामाजिक संतुलन बनाए रखना:** विस्थापित लोगों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (R&R) के लिए व्यापक व्यवस्था विकसित की जाए। साथ ही, नदियों में आवश्यक पर्यावरणीय जल प्रवाह (Environmental Flows) बनाए रखा जाए, ताकि नदी के निचले हिस्से के पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

1 राजव्यवस्था एवं शासन

भारत में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में वृद्धि

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा आयोजित घरेलू सामाजिक उपभोग: स्वास्थ्य पर 80वें चक्र का सर्वेक्षण आयुष्मान भारत-PMJAY तथा अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों के विस्तार के दौरान भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था का महामारी के बाद का एक प्रमुख आकलन प्रस्तुत करता है।

सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष

- **सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में बाह्य-रोगी उपचार** (Outpatient Treatment) हेतु जेब से होने वाला व्यय (OOPE) लगभग नगण्य था, जो निःशुल्क आवश्यक सेवाओं की बढ़ती उपलब्धता को दर्शाता है। सरकारी अस्पतालों में 50% से अधिक रोगियों ने उपचार पर ₹1,100 से कम व्यय किया।
- यद्यपि औसत OOPE में वृद्धि हुई, फिर भी प्रति अस्पताल-भर्ती (Hospitalisation) माध्यिका OOPE घटकर लगभग ₹11,285 रह गई, जो सार्वजनिक क्षेत्र में अपेक्षाकृत किफायती उपचार को दर्शाती है, जबकि निजी क्षेत्र में विशेषकर निदान (Diagnostics) संबंधी लागत अभी भी अधिक बनी हुई है।
- बीमारी की सूचना देने वाली जनसंख्या का अनुपात (PPRA) लगभग दोगुना हो गया, जो बेहतर जागरूकता और रिपोर्टिंग व्यवहार को दर्शाता है। ग्रामीण PPRA 6.8% से बढ़कर 12.2% हो गया, जबकि शहरी PPRA 9.1% से बढ़कर 14.9% हो गया।
- संस्थागत प्रसव में उल्लेखनीय सुधार हुआ और यह ग्रामीण क्षेत्रों में 95.6% तथा शहरी क्षेत्रों में 97.8% तक पहुँच गया।

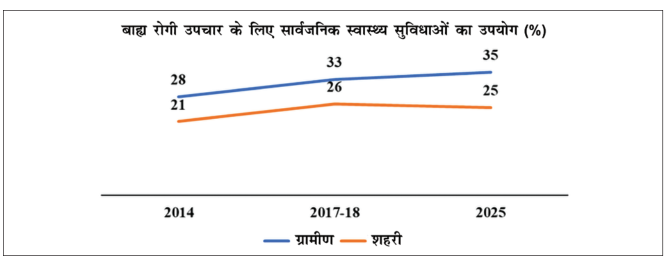

- PMJAY के बाद सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा कवरेज में तीव्र विस्तार हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में कवरेज 12.9% से बढ़कर 45.5% तथा शहरी क्षेत्रों में 8.9% से बढ़कर 31.8% हो गया।
- तथापि, अस्पताल-भर्ती की दरें अभी भी 2014 के स्तर तक नहीं लौट पाई हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि केवल बीमा कवरेज ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच की गारंटी नहीं देता।
- सर्वेक्षण में यह भी उल्लेख किया गया कि संक्रामक रोगों से गैर-संचारी रोगों (NCDs) के बढ़ते बोझ की ओर संक्रमण हो रहा है।

प्रमुख चुनौतियाँ

- भारत अभी भी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों, नर्सों, पैरामेडिकल कर्मियों, निदान सुविधाओं तथा स्वास्थ्य अवसंरचना की कमी का सामना कर रहा है। चिकित्सक-जनसंख्या अनुपात लगभग 0.7 प्रति 1,000 जनसंख्या है, जो डबल्यूएचओ के मानक से कम है।
- आयुष्मान भारत नेटवर्क को पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है, विशेष रूप से दीर्घकालिक रोग प्रबंधन के क्षेत्र में, जहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाओं का वर्चस्व है।
- **कवरेज असमानता:** निर्धन परिवारों के पास नाममात्र का बीमा तो हो सकता है, परन्तु उनकी व्यावहारिक पहुँच सीमित रहती है, जबकि मध्यम वर्गीय परिवार अभी भी अत्यधिक चिकित्सा व्यय (Catastrophic Medical Expenditure) का सामना करते हैं।

आगे की राह

- स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधारों के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों की क्षमता को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, ताकि वे उच्च गुणवत्ता वाली उन्नत चिकित्सा सेवाएँ (तृतीयक देखभाल) प्रदान कर सकें, जो निजी संस्थानों के समकक्ष हों।
- सार्वजनिक अस्पतालों के उन्नयन से रोगियों को ऐसे भारी चिकित्सा ऋणों से सुरक्षा मिलेगी जो उन्हें गरीबी की ओर धकेलते हैं, साथ ही लगभग सभी लोगों के लिए सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं का मार्ग प्रशस्त होगा।

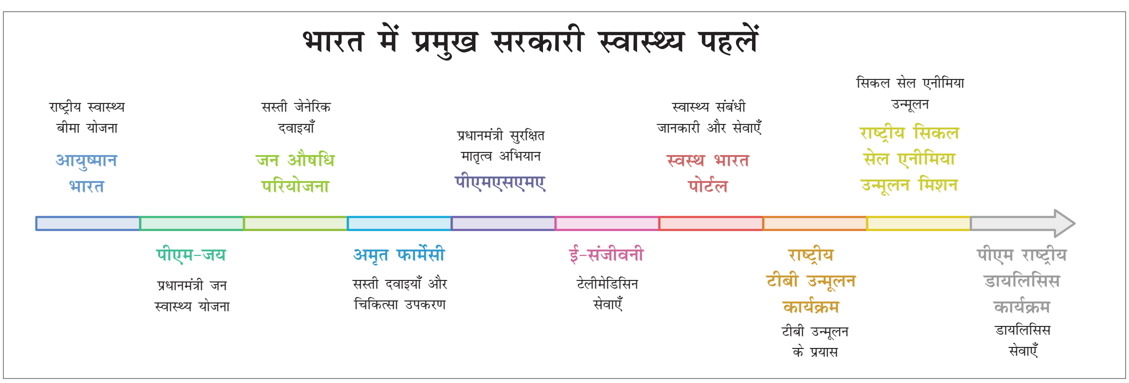

सिक्किम: भारत का पहला पूर्णतः कागजरहित न्यायपालिकायुक्त राज्य

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने सिक्किम को भारत का पहला पूर्णतः कागजरहित न्यायपालिका राज्य घोषित किया।

परिचय

- यह एक पूर्णतः डिजिटीकृत न्यायिक पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना को दर्शाता है, जहाँ ई-फाइलिंग, वाद प्रबंधन, न्यायालय अभिलेख, आदेश तथा निर्णय जैसी प्रक्रियाएँ भौतिक कागजात के बिना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संचालित की जाती हैं।
- इसकी प्रमुख विशेषताओं में डिजिटल वाद-ट्रैकिंग, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, स्वचालित कार्यप्रवाह, ई-आदेश तथा आभासी सुनवाई शामिल हैं, जिससे न्यायालय अधिक तीव्र, पारदर्शी तथा नागरिक-अनुकूल बनते हैं।
- इस पहल का उद्देश्य विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में दक्षता, पहुँच तथा समावेशी न्याय वितरण को बढ़ावा देना है, साथ ही वादों में होने वाली देरी को कम कर उनके शीघ्र निस्तारण को सुनिश्चित करना है।
- यह कागज के उपयोग को कम करके पर्यावरण-अनुकूल तथा लागत-प्रभावी शासन को भी प्रोत्साहित करता है और विकसित भारत 2047 के विज़न के अनुरूप है।

भारत में उच्च न्यायालय

- भारत में प्रथम उच्च न्यायालयों की स्थापना वर्ष 1862 में कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास में की गई थी। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 के अंतर्गत किया गया है।

नागरिकता नियमों में परिवर्तन, 2026

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता (संशोधन) नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं, जिनके माध्यम से भारतीय प्रवासी नागरिक (OCI) व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण डिजिटल सुधार तथा नाबालिगों द्वारा दोहरे पासपोर्ट रखने संबंधी अधिक कठोर प्रावधान लागू किए गए हैं।

प्रमुख परिवर्तन

- नागरिकता नियम, 2009 के अंतर्गत जोड़े गए एक नए प्रावधान के अनुसार, भारतीय पासपोर्ट रखने वाला कोई भी नाबालिग एक साथ किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं रख सकता। इसका उद्देश्य दोहरी नागरिकता संबंधी व्यवस्थाओं के दुरुपयोग को रोकना है।
- अनुच्छेद 7A के अंतर्गत OCI पंजीकरण हेतु आवेदन, त्याग (Renunciation) तथा निरस्तीकरण की प्रक्रियाएँ अब पूर्णतः ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से संचालित की जाएँगी, जिससे भौतिक दस्तावेजों की दोहरी प्रस्तुति की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।
- नियमों में इलेक्ट्रॉनिक OCI (e-OCI) की व्यवस्था की गई है, जिससे एक अधिक कागजरहित डिजिटल पहचान ढाँचा विकसित होगा। इसके अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को भौतिक OCI कार्ड अथवा इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण प्रदान किया जा सकेगा।
- OCI आवेदकों को अब फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन प्रोग्राम (FTIP) के साथ एकीकरण हेतु बायोमेट्रिक डेटा संग्रह के लिए सहमति प्रदान करनी होगी।
- OCI कार्डधारकों का एक केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर डिजिटल स्वरूप में बनाए रखा जाएगा।
- नियम 34 एवं 35 के अंतर्गत त्याग और निरस्तीकरण प्रक्रियाओं को भी ऑनलाइन कर दिया गया है तथा इनमें अपील और अनुपालन संबंधी प्रावधान शामिल किए गए हैं।
- OCI दर्जा त्यागने वाले व्यक्तियों को अपना भौतिक OCI कार्ड निकटतम भारतीय मिशन, डाक कार्यालय (Post) अथवा विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) में जमा करना होगा।

OCI योजना का परिचय

- OCI योजना को नागरिकता अधिनियम, 1955 के अंतर्गत नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा प्रारम्भ किया गया था।
- OCI पंजीकरण उन विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध है जो: 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारतीय नागरिक रहे हों; ऐसे क्षेत्रों से संबंधित हों जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बने; अथवा उस समय भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के पात्र रहे हों।
- पात्रता उनके बच्चों, पौत्र-पौत्रियों, प्रपौत्र-प्रपौत्रियों, कम-से-कम एक भारतीय अभिभावक वाले नाबालिग बच्चों तथा भारतीय नागरिकों या OCI कार्डधारकों के जीवनसाथियों तक भी विस्तारित है, बशर्ते उनका विवाह कम-से-कम दो वर्ष से पंजीकृत हो।
- जिन व्यक्तियों का संबंध उनके माता-पिता, दादा-दादी/नाना-नानी अथवा परदादा-परदादी/परनाना-परनानी के माध्यम से पाकिस्तान या बांग्लादेश से है, वे OCI के लिए पात्र नहीं हैं।

OCI के लाभ

- OCI कार्डधारकों को भारत में आजीवन बहु-प्रवेश (Multiple Entry) वीजा की सुविधा प्राप्त होती है।
- उन्हें आर्थिक, वित्तीय तथा शैक्षिक मामलों में अनिवासी भारतीयों (NRI) के समान सुविधाएँ प्राप्त होती हैं, किन्तु उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं होता।

भगोड़े आर्थिक अपराधी (FEOS)

उच्च-मूल्य वित्तीय अपवंचना से निपटने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आधिकारिक रूप से 21 व्यक्तियों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी (FEO) घोषित किया है।

FEO की परिभाषा

- भगोड़े (Fugitives) वे आरोपी या दोषसिद्ध अपराधी होते हैं जो गिरफ्तारी, अभियोजन या दंड से बचने के लिए जानबूझकर अपने देश के विधिक अधिकार-क्षेत्र से भाग जाते हैं।
- उन्हें वापस लाने के लिए औपचारिक अंतरराष्ट्रीय प्रत्यर्पण (Extradition) प्रक्रिया की आवश्यकता होती है।

- भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध ₹100 करोड़ या उससे अधिक राशि से संबंधित निर्दिष्ट वित्तीय अपराध के लिए भारतीय न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया हो, तो उसे FEO घोषित किया जा सकता है।

भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 की प्रमुख विशेषताएँ

- **परिसंपत्तियों की जब्ती (Asset Seizure):** यह कानून अधिकारियों को अपराधी की भारत तथा विदेशों में स्थित संपत्तियों को जब्त एवं अधिग्रहित (Confiscate) करने की अनुमति देता है। इसमें बेनामी परिसंपत्तियाँ अथवा वे संपत्तियाँ भी शामिल हैं जिन पर अपराधी का अप्रत्यक्ष नियंत्रण हो।
- **दीवानी दावों पर प्रतिबंध (Ban on Civil Claims):** FEO घोषित व्यक्ति भारतीय न्यायालयों में किसी भी दीवानी वाद (Civil Suit) को प्रारम्भ करने अथवा उसका बचाव करने का अधिकार खो देता है।
- **विशेष न्यायनिर्णयन (Dedicated Adjudication):** इन मामलों की सुनवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के अंतर्गत स्थापित नामित विशेष न्यायालयों द्वारा की जाती है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED)

- इसकी स्थापना वर्ष 1956 में 'प्रवर्तन इकाई' के रूप में आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA), 1947 के उल्लंघनों से निपटने हेतु की गई थी।
- वर्ष 1957 में इसका नाम बदलकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर दिया गया तथा इसे राजस्व विभाग के अधीन कर दिया गया।
- यह धन शोधन तथा विदेशी मुद्रा संबंधी उल्लंघनों की जाँच करने वाली एक विशेषीकृत बहु-विषयक एजेंसी है।
- ED द्वारा प्रवर्तित प्रमुख अधिनियम
  - धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA)
  - विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA)
  - भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (FEOA)

नोट: इन तीनों अधिनियमों के प्रवर्तन का वैधानिक दायित्व प्रवर्तन निदेशालय (ED) के पास है।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2026

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2026 को लेकर गंभीर संवैधानिक चिंताएँ व्यक्त की हैं। याचिकाओं में इस कानून को चुनौती देते हुए कहा गया है कि यह अधिकार-आधारित मॉडल से हटकर एक कठोर नियामक ढाँचे की ओर प्रतिगामी परिवर्तन को बाध्य करता है।

विधिक ढाँचे का विकास

- **नालसा निर्णय (2014):** NALSA बनाम भारत संघ निर्णय ने "तृतीय लिंग" (Third Gender) को मान्यता प्रदान की। इसने अनुच्छेद 21 (गरिमा एवं जीवन के अधिकार) के अंतर्गत आत्म-पहचान के अधिकार को स्थापित किया तथा किसी चिकित्सीय सत्यापन की आवश्यकता को अस्वीकार किया।
- **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिनियम (2019):** इसने स्व-अनुभूत लैंगिक पहचान को संरक्षण प्रदान किया। भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया। जिला मजिस्ट्रेट (DM) के माध्यम से सत्यापन की व्यवस्था की गई।
- **संशोधन अधिनियम (2026):** स्व-पहचान के स्पष्ट वैधानिक अधिकार को हटा दिया गया। कानूनी मान्यता प्राप्त करने हेतु राज्य चिकित्सा बोर्ड द्वारा मूल्यांकन को अनिवार्य बना दिया गया।

संवैधानिक मुद्दे

- **स्वायत्तता बनाम जैविक अनिवार्यवाद:** चिकित्सीय मूल्यांकन को अनिवार्य बनाना पुनः चिकित्सा-आधारित नियंत्रण को स्थापित करता है। यह शारीरिक स्वायत्तता पर प्रत्यक्ष आघात माना जा रहा है।
- **कल्याणकारी योजनाओं की सुरक्षा बनाम प्रणालीगत बहिष्करण:** सरकार कल्याणकारी आरक्षणों के 'दुरुपयोग' की आशंका व्यक्त करती है। आलोचकों का तर्क है कि यह खतरा अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है, जबकि वास्तविक परिणाम बड़े पैमाने पर सामाजिक बहिष्करण के रूप में सामने आ सकते हैं।
- **कलंक और गलत वर्गीकरण:** जबरन तस्करी (Trafficking) के पीड़ितों को ट्रांसजेंडर पहचान के साथ कठोर आपराधिक श्रेणियों में रखना मनमाना वर्गीकरण माना गया है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन माना जा रहा है।
- **स्वास्थ्य सेवाओं में व्यवधान:** शल्य चिकित्सा (Surgery) की अनिवार्य रिपोर्टिंग से निगरानी तंत्र बनने की आशंका है। इसके कारण भयवश आवश्यक लैंगिक-पुष्टि चिकित्सा प्रभावित हो सकती हैं।

आगे की राह

- एक संतुलित मॉडल में आत्म-निर्णय तथा सुरक्षात्मक शपथपत्रों का समन्वय होना चाहिए।
- वास्तविक कानूनी समानता के लिए प्रशासनिक एवं चिकित्सा बोर्डों का संस्थागत संवेदनशीलकरण, पहचान के प्रश्न को तस्करी संबंधी अपराधों से पृथक करना तथा नालसा निर्णय के मूल मानवाधिकार मूल्यों के साथ पूर्ण सामंजस्य आवश्यक है।

आदर्श आचार संहिता (MCC)

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के एक हालिया प्रसारण के बाद यह बहस पुनः प्रारम्भ हो गई है कि क्या आदर्श आचार संहिता चुनाव प्रचार में सरकारी संपत्ति और सार्वजनिक धन के उपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त रूप से प्रभावी है।

परिचय

- आदर्श आचार संहिता (MCC), भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किए गए नियमों का एक समूह है, जो चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के आचरण को नियंत्रित करता है।

- इसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को नैतिक, स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाए रखना तथा सभी प्रतिभागियों को समान अवसर प्रदान करना है।

विकास

- आदर्श आचार संहिता की शुरुआत वर्ष 1960 में केरल सरकार द्वारा तैयार किए गए एक छोटे प्रारूप (Draft) के रूप में हुई थी।
- निर्वाचन आयोग ने वर्ष 1968 में इसे राष्ट्रीय स्तर पर एक समान नीति का स्वरूप दिया तथा 1974 में इसके दायरे का विस्तार किया।
- वर्ष 1991 के बाद इसे व्यापक प्रभाव और जनविश्वास प्राप्त हुआ, जब तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त टी. एन. शेषन के नेतृत्व में इसका कठोरता से पालन सुनिश्चित किया गया।

विधिक एवं संवैधानिक आधार

- आदर्श आचार संहिता कोई विधिवत पारित कानून नहीं है, बल्कि एक नैतिक आचार-संहिता है।
- इसकी मूल शक्ति संविधान के अनुच्छेद 324 से प्राप्त होती है, जो निर्वाचन आयोग को चुनावों के संचालन और पर्यवेक्षण की व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता है।
- विशिष्ट उल्लंघनों पर कार्रवाई करने के लिए निर्वाचन आयोग MCC के प्रावधानों को निम्नलिखित कानूनों से जोड़ सकता है- भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

न्यायिक निर्णय

- **मोहितर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त मामला:** इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को चुनाव प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने हेतु व्यापक अधिकार प्रदान करता है।
- **हरबंस सिंह जलाल मामला:** पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आदर्श आचार संहिता उसी दिन प्रभावी हो जाती है, जिस दिन चुनाव कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा की जाती है।

जबरन एसिड पिलाना

सर्वोच्च न्यायालय ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत 'एसिड हमले के पीड़ितों' (Acid Attack Victims) की परिभाषा का विस्तार करते हुए उन व्यक्तियों को भी इसमें शामिल किया है जिन्हें जबरन एसिड (Acid) पिलाया गया हो।

प्रमुख प्रावधान

- पूर्व में 2016 के कानून में केवल उन व्यक्तियों को मान्यता दी गई थी जिन पर एसिड फेंका गया था। इस नए समावेशन के बाद जबरन एसिड पिलाने के पीड़ित भी सभी वैधानिक दिव्यांगता लाभों का दावा कर सकेंगे। यह प्रावधान अधिनियम के प्रारम्भ (2016) से प्रभावी माना जाएगा, अर्थात इसका पूर्वव्यापी प्रभाव होगा।
- **चोट की परिधि:** न्यायालय ने निर्देश दिया कि परिभाषा में उन व्यक्तियों को भी शामिल किया जाए जिन्हें अम्ल पिलाया गया हो और जिनके शरीर के भीतर गंभीर चोटें हुई हों, भले ही उनके शरीर पर कोई बाहरी विकृति दिखाई न देती हो।
- **नीतिगत निर्देश:** न्यायालय ने स्वीकार किया कि ऐसे पीड़ितों को दीर्घकालिक एवं निरंतर चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है। इसलिए उनके दीर्घकालिक संरक्षण एवं सहायता हेतु एक व्यापक नीतिगत ढाँचा तैयार करने का सुझाव दिया गया है।

जनहित याचिका (PIL)

सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि हाल के वर्षों में जनहित याचिका कई मामलों में 'निजी हित', 'प्रचार हित', 'राजनीतिक हित' अथवा 'पैसा हित (Monetary Interest)' याचिका में परिवर्तित होती दिखाई दे रही है।

जनहित याचिका क्या है?

- जनहित याचिका (PIL) वह याचिका है जो आम जनता के हितों की रक्षा और प्रवर्तन के लिए दायर की जाती है। इसका विकास आपातकाल के बाद न्यायपालिका द्वारा किया गया ताकि सामाजिक न्याय आम नागरिकों तक सुलभ बनाया जा सके।
- जनहित याचिका का संविधान में प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है, बल्कि यह न्यायिक नवाचार के माध्यम से विकसित हुई है।
- कोई भी नागरिक अथवा संगठन अनुच्छेद 32 (सर्वोच्च न्यायालय) या अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय) के अंतर्गत जनहित याचिका दायर कर सकता है, बशर्ते वह यह सिद्ध करे कि मामला व्यापक जनहित से जुड़ा है, न कि किसी निजी समूह के हित से।
- महत्त्वपूर्ण रूप से, जनहित याचिका केवल केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकायों के विरुद्ध दायर की जा सकती है; निजी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं।

प्रमुख निर्णय

- **हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य मामला:** इसे पहली चर्चित जनहित याचिका माना जाता है। इसने विचाराधीन कैदियों की दयनीय स्थिति को उजागर किया।
- **विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामला:** इस मामले में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मुद्दे को उठाया गया।इसके परिणामस्वरूप 1997 के ऐतिहासिक विशाखा दिशानिर्देश अस्तित्व में आए।
- **एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ मामला:** इस मामले में गंगा नदी बेसिन में पर्यावरणीय क्षरण का मुद्दा उठाया गया।इसके फलस्वरूप जल एवं वायु प्रदूषण के विरुद्ध महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए।
- **परमानंद कटारा बनाम भारत संघ मामला:** न्यायालय ने निर्णय दिया कि सभी सरकारी एवं निजी चिकित्सकों का दायित्व है कि वे सड़क दुर्घटना पीड़ितों को पुलिस की अनुमति की प्रतीक्षा किए बिना तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करें।

महत्त्व

- जनहित याचिकाएँ सार्वजनिक प्राधिकरणों को उत्तरदायी बनाती हैं। ये विधिक व्याख्याओं का विस्तार करती हैं तथा मानवाधिकार, उपभोक्ता कल्याण एवं पर्यावरण से संबंधित संरचनात्मक समस्याओं को उजागर करती हैं।
- इसके अलावा ये वंचित एवं हाशिए पर स्थित समूहों को अपनी आवाज उठाने का अवसर प्रदान करती है। सार्वजनिक बहसों एवं मीडिया कवरेज के माध्यम से नागरिक जागरूकता को भी बढ़ावा मिलता है।

चिंताएँ

- निरर्थक एवं तुच्छ याचिकाओं के कारण पहले से ही बोझिल न्यायिक व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। अनेक बार जनहित याचिका का उपयोग व्यक्तिगत प्रतिशोध अथवा निजी एजेंडा साधने के लिए किया जाता है। न्यायालय के आदेशों के कमजोर क्रियान्वयन से इनके प्रभाव में कमी आती है।
- इसके अतिरिक्त, अत्यधिक न्यायिक हस्तक्षेप कार्यपालिका एवं विधायिका के क्षेत्र में प्रवेश कर न्यायिक अतिक्रमण की स्थिति उत्पन्न कर सकता है।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) 2.0 दिशानिर्देश

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण में उत्कृष्ट प्रथाओं एवं नवाचारों पर आयोजित राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के दौरान अद्यतन RBSK 2.0 दिशानिर्देश लॉन्च किए।

परिचय

- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) का उद्देश्य जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों को व्यापक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करके उनके जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना है।
- यह कार्यक्रम "4D" के अंतर्गत वर्गीकृत 32 सामान्य स्वास्थ्य स्थितियों की जाँच करता है:
    - जन्मजात विकृतियाँ, रोग, कमियाँ/पोषणीय अभाव, विकासात्मक विलंब एवं विकलांगताएँ।
    - यह पहल शीघ्र पहचान, निःशुल्क चिकित्सा प्रबंधन तथा तृतीयक स्तर की शल्य-चिकित्सा सुनिश्चित करती है, जिसके बाद जिला स्तर पर प्रारम्भिक हस्तक्षेप एवं देखभाल प्रदान की जाती है।

RBSK 2.0 में प्रमुख सुधार

- **विस्तारित 4D ढाँचा:** अद्यतन मॉडल पारंपरिक 4D ढाँचे को सुदृढ़ करते हुए व्यवहार संबंधी समस्याओं, मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों तथा गैर-संचारी रोगों (NCDs) जैसे आधुनिक स्वास्थ्य खतरों को भी सम्मिलित करता है।
- **समग्र रणनीति:** इसका फोकस केवल जीवित रहने तक सीमित न रहकर एक पूर्ण स्वास्थ्य देखभाल चक्र पर है, जिसमें निवारक, प्रोत्साहक तथा उपचारात्मक सेवाएँ शामिल हैं। यह मात्र अस्तित्व के बजाय बच्चों के समग्र कल्याण एवं विकास को प्राथमिकता देता है।
- **स्क्रीनिंग व्यवस्था:** मोबाइल स्वास्थ्य दल सीधे विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों का दौरा करेंगे। वे विकासात्मक असामान्यताओं, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं तथा NCDs के जोखिम कारकों की पहचान करेंगे, जिससे सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित होगी।
- **डिजिटलीकरण:** कार्यक्रम के अंतर्गत डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड, रीयल-टाइम ट्रैकिंग डेटाबेस तथा एकीकृत सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म शुरू किए गए हैं। इससे पारदर्शिता, परिचालन दक्षता तथा आँकड़ा-आधारित योजना निर्माण को बढ़ावा मिलेगा।
- **अंतर-मंत्रालयी समन्वय:** दिशानिर्देश स्वास्थ्य, शिक्षा तथा महिला एवं बाल विकास क्षेत्रों के बीच निर्बाध समन्वय को अनिवार्य बनाते हैं। इसका उद्देश्य ट्रैकिंग, सामुदायिक जागरूकता तथा अनुवर्ती उपचारों में तालमेल स्थापित करना है।

राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1971 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय गीत वन्दे मातरम् के अपमान अथवा उसके गायन में बाधा उत्पन्न करने को दंडनीय अपराध बनाना है।

वर्तमान स्थिति

- वर्तमान में यह अधिनियम केवल राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज तथा भारतीय संविधान के अपमान को दंडनीय बनाता है।
- इसके लिए अधिकतम तीन वर्ष का कारावास, जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।

वन्दे मातरम् का परिचय

- वन्दे मातरम् की रचना संस्कृत में बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय द्वारा की गई थी।
- यह गीत पहली बार उनके 1882 के उपन्यास आनंदमठ में प्रकाशित हुआ था, जिसकी पृष्ठभूमि संन्यासी विद्रोह तथा 1769-73 के बंगाल अकाल पर आधारित थी।
- रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इसे गाकर राष्ट्रीय पहचान प्रदान की।
- यह 1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान नागरिक प्रतिरोध का प्रमुख गीत बन गया तथा 7 अगस्त 1905 को पहली बार राजनीतिक नारे के रूप में प्रयुक्त हुआ।
- 24 जनवरी 1950 को इसे आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया।

विधिक एवं संवैधानिक स्थिति

- संविधान के अनुच्छेद 51A(a) में नागरिकों के मौलिक कर्त्तव्यों का उल्लेख है, जिसके अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है कि वह संविधान, उसके आदर्शों एवं संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान करे।
- तथापि, वन्दे मातरम् को संविधान में स्पष्ट संवैधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं है।
- इसकी आधिकारिक मान्यता संविधान सभा के संकल्पों पर आधारित है, न कि किसी प्रत्यक्ष रूप से प्रवर्तनीय संवैधानिक प्रावधान पर।

कर्नाटक की नई गिग श्रमिक शिकायत निवारण प्रणाली

कर्नाटक ने प्लेटफॉर्म-आधारित गिग श्रमिकों के लिए भारत की पहली विशेषीकृत शिकायत निवारण प्रणाली प्रारम्भ की है।

पृष्ठभूमि

- कर्नाटक प्लेटफॉर्म-आधारित गिग श्रमिक (सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण) अधिनियम, 2025 के बाद कर्नाटक इस कानून के कार्यान्वयन हेतु आधिकारिक नियम जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है।
- ये नियम पारंपरिक अर्थव्यवस्था से बाहर कार्य करने वाले श्रमिकों को एक संरचित कानूनी उपचार प्रदान करते हैं।

शिकायत निवारण प्रणाली

- श्रमिक वेतन, कार्य परिस्थितियों अथवा प्लेटफॉर्म-विशिष्ट विवादों से संबंधित शिकायतें एकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली (IPGRS) के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं।
- **समाधान ढाँचा:** प्रत्येक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के लिए आंतरिक विवाद समाधान समिति (IDRC) की स्थापना अनिवार्य होगी। IPGRS के माध्यम से प्राप्त शिकायतें स्वतः संबंधित प्लेटफॉर्म की IDRC को भेजी जाएँगी।
    - समिति को 15 कार्य दिवसों के भीतर विवाद समाधान का प्रयास करना होगा। 45 दिनों के भीतर सरकारी पर्यवेक्षण में अंतिम आदेश जारी करना होगा। समिति के निर्णय के विरुद्ध 30 दिनों के भीतर कर्नाटक गिग श्रमिक कल्याण बोर्ड में अपील की जा सकेगी।
- **प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारियाँ:** 2025 के अधिनियम के अंतर्गत एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म को आंतरिक समिति बनाए रखना अनिवार्य है। उन्हें एक निर्धारित सीमा (Cap) के अधीन 1% अनिवार्य कल्याण योगदान भी जमा करना होगा।
- **गिग अर्थव्यवस्था से संबंधित आँकड़े:** गिग श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों से बाहर लचीली कार्य व्यवस्थाओं के माध्यम से आय अर्जित करता है। भारत में गिग श्रमिकों की संख्या 2024-25 में लगभग 1.2 करोड़ थी। इसके 2029-30 तक बढ़कर लगभग 2.35 करोड़ होने का अनुमान है।
- **व्यापक नीतिगत पहलें:** केंद्रीय स्तर पर सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, ई-श्रम पोर्टल,आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना राज्य स्तर पर राजस्थान ने वर्ष 2023 में पंजीकरण एवं कल्याण संबंधी अधिनियम पारित किया था, जो कर्नाटक के 2025 के कानून से पूर्व की पहल थी।

अनुच्छेद 26(b) और बहिष्कार

यह मुद्दा इस प्रश्न से संबंधित है कि क्या किसी धार्मिक समुदाय को अपने सदस्यों का बहिष्कार करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 26(b) के अंतर्गत संरक्षित है।

अनुच्छेद 26

- अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को लोक व्यवस्था, नैतिकता तथा स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।

आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का सिद्धांत

- यह सिद्धांत धर्म की आवश्यक धार्मिक प्रथाओं और धर्म से संबंधित लौकिक गतिविधियों के बीच अंतर करता है। केवल वे प्रथाएँ जिन्हें किसी धर्म का मूल एवं अनिवार्य अंग माना जाता है, संवैधानिक संरक्षण प्राप्त करती हैं।

उदाहरण:

- **तीन तलाक:** शायरा बानो बनाम भारत संघ में उच्चतम न्यायालय ने तत्काल तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) को निरस्त कर दिया और निर्णय दिया कि यह महिलाओं के समानता तथा भेदभाव-निषेध के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
- **अजान के लिए ध्वनि-विस्तारक यंत्र:** उच्च न्यायालयों ने यह स्थापित किया है कि यद्यपि अजान धर्म का एक अनिवार्य अंग है, किन्तु ध्वनि-विस्तारक यंत्रों अथवा ध्वनि-वर्धन साधनों का उपयोग धर्म की अनिवार्य प्रथा नहीं है और यह राष्ट्रीय ध्वनि-प्रदूषण विनियमन संबंधी विधियों के अधीन है।
- **संथारा:** निखिल सोनी बनाम राजस्थान राज्य (2015) में राजस्थान उच्च न्यायालय ने जैन धर्म के इस पारम्परिक उपवास-अनुष्ठान को असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा कि यह धर्म की अनिवार्य प्रथा नहीं है।
- **कृपाण धारण करना (सिख धर्म):** संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से संरक्षित है, जो कृपाण को धारण करने और साथ रखने को सिख धर्म के पालन का एक मूलभूत अंग मानता है।
- **पुरोहितीय अनुष्ठान (हिन्दू धर्म):** शेषम्मल बनाम तमिलनाडु राज्य (1972) में उच्चतम न्यायालय ने आगमों (पवित्र ग्रन्थों) द्वारा निर्धारित दैनिक धार्मिक अनुष्ठानों तथा अर्पणों को धर्म की अनिवार्य प्रथाओं के रूप में संरक्षित किया, जबकि यह भी स्पष्ट किया कि पुरोहितों की वंशानुगत नियुक्ति एक लौकिक एवं प्रशासनिक विषय है।

- इसके अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं:
    - धार्मिक एवं धर्मार्थ संस्थाओं की स्थापना और रखरखाव करना।
    - धर्म संबंधी मामलों का प्रबंधन करना।
    - संपत्ति अर्जित करना और उसका स्वामित्व रखना।
    - विधि के अनुसार ऐसी संपत्ति का प्रशासन करना।

बहिष्करण का मुद्दा

- बहिष्करण का अर्थ है किसी व्यक्ति को धार्मिक समुदाय से निष्कासित करना तथा उसे समुदाय के अधिकारों और गतिविधियों में भागीदारी से वंचित करना।
- इस प्रथा के समर्थकों का तर्क है कि धार्मिक अनुशासन बनाए रखने तथा धार्मिक सम्प्रदाय की पहचान को सुरक्षित रखने के लिए यह आवश्यक है।
- इसके विरोधियों का तर्क है कि यह व्यक्ति की गरिमा, समानता और स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है तथा धर्म की मूल भावना के विरुद्ध है।

न्यायिक एवं विधिक विकास

- वर्ष 1962 में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि बहिष्करण की शक्ति धार्मिक मामलों के प्रबन्धन का एक भाग है और यह संविधान के अनुच्छेद 26(b) के अंतर्गत संरक्षित है।

- बाद में, व्यक्तियों को सामाजिक बहिष्कार से संरक्षण प्रदान करने के लिए सामाजिक बहिष्कार एवं बहिष्करण के विरुद्ध विधियाँ बनाई गईं।
- वर्तमान में, धार्मिक प्रथा के रूप में बहिष्करण की संवैधानिक वैधता का प्रश्न विचारार्थ उच्चतम न्यायालय की एक बड़ी पीठ को संदर्भित किया गया है।

वन केस वन डेटा तथा 'सु सहाय' पहल

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने डिजिटल न्यायिक सेवाओं में सुधार के लिए 'वन केस वन डेटा' पहल तथा 'सु सहाय' कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित संवाद-सहायक का शुभारम्भ किया।

वन केस वन डेटा पहल

- यह एक प्रमुख डिजिटल पहल है, जिसका उद्देश्य तालुका न्यायालयों, जिला न्यायालयों, उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय को एकीकृत आँकड़ा-आधारित प्रणाली के माध्यम से जोड़ना है।
- इस पहल का उद्देश्य बेहतर वाद-प्रबन्धन तथा आँकड़ों के एकीकरण के लिए परस्पर जुड़ी हुई डिजिटल न्यायिक सूचना प्रणाली का निर्माण करना है।

'सु सहाय' चौटबॉट

- 'सु सहाय' कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित संवाद-सहायक है, जिसे उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट के साथ एकीकृत किया गया है।
- यह वादकारियों को न्याय तथा न्यायालय से संबंधित सेवाओं तक अधिक सरलता से पहुँचने में सहायता प्रदान करता है।
- इस संवाद-सहायक का विकास राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) ने उच्चतम न्यायालय के पंजीयक कार्यालय के सहयोग से किया है।

फोरम ऑफ रेगुलटर्स

हाल ही में फोरम ऑफ रेगुलटर्स (FOR) की स्थापना के 21 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर इसकी 100वीं बैठक भारत मंडपम में आयोजित की गई।

FOR का परिचय

- एफओआर, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 166(2) के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक मंच है। इसकी स्थापना 16 फरवरी, 2005 को विद्युत क्षेत्र में समन्वय तथा विनियामक कार्यप्रणालियों में सुधार के उद्देश्य से की गई थी।

संरचना

- इसमें केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (CERC) के अध्यक्ष तथा सभी राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (SERC) के अध्यक्ष सदस्य होते हैं।
- सीईआरसी के अध्यक्ष, मंच के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
- सीईआरसी के सचिव, एफओआर के पदेन सचिव होते हैं।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

प्रमुख कार्य

- शुल्क आदेशों तथा विनियामक निर्णयों से संबंधित आँकड़ों का संग्रहण एवं विश्लेषण करना।
- वितरण कंपनियों को दी जाने वाली सब्सिडी के लेखांकन तथा भुगतान की निगरानी करना।
- नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) के अनुपालन की निगरानी करना। विद्युत क्षेत्र में विनियमों के सामंजस्य को बढ़ावा देना।
- विनियामक निकायों के बीच समन्वय, सूचना-साझाकरण तथा अनुसंधान को प्रोत्साहित करना।
- दक्षता, मितव्ययिता तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हुए उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना।
- विद्युत क्षेत्र से जुड़े विषयों पर अध्ययन, क्षमता-विकास कार्यक्रम आयोजित करना तथा प्रतिवेदन तैयार करना।

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, 2025

ग्रामीण विकास में समावेशी, सहभागितापूर्ण तथा सतत् उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को सम्मानित करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, 2025 की घोषणा की। मिजोरम की कावरथाह नॉर्थ ग्राम परिषद ने "स्वच्छ एवं हरित पंचायत" श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया।

पुरस्कारों का परिचय

- ये पुरस्कार प्रतिवर्ष पंचायत प्रोत्साहन योजना (IoP) के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं, जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) का एक घटक है।
- इनका उद्देश्य स्थानीय शासन, सेवा प्रदायगी, सामुदायिक सहभागिता तथा सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) की प्राप्ति को सुदृढ़ करना है।
- वर्ष 2023 में पुरस्कारों की रूपरेखा में संशोधन कर इसे सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (LSDG) के नौ विषयों के अनुरूप बनाया गया, ताकि मूल्यांकन अधिक पारदर्शी तथा आँकड़ा-आधारित हो सके।

श्रेणियाँ

- दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत् विकास पुरस्कार
  - यह पुरस्कार ग्राम पंचायतों को निर्धनता उन्मूलन, स्वास्थ्य, जल-पर्याप्तता, स्वच्छता, महिला-अनुकूल शासन तथा सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। पुरस्कारों का निर्धारण पंचायत उन्नति सूचकांक (पीएआई) 2.0 के अंकों के आधार पर किया जाता है।
  - नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत् विकास पुरस्कार
- यह पुरस्कार जिला, विकास खण्ड तथा ग्राम स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को प्रदान किया जाता है।

प्रमुख विशेषताएँ

- दोनों पुरस्कार श्रेणियों में कुल 42 पंचायतों का चयन किया गया। कर्नाटक ने सर्वाधिक 6 पंचायतों के साथ सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए, जबकि आंध्र प्रदेश और ओडिशा को 5-5 पुरस्कार प्राप्त हुए।
- पुरस्कार राशि श्रेणी एवं स्तर के अनुसार भिन्न-भिन्न है, जिसमें 25 लाख रुपये, 50 लाख रुपये, 75 लाख रुपये तथा 1 करोड़ रुपये तक की राशि शामिल है।

महत्त्व

- ये पुरस्कार पंचायतों की भूमिका को सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति तथा विकसित भारत@2047 की परिकल्पना को साकार करने में सुदृढ़ करते हैं।

सेहत मिशन

हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने नई दिल्ली में सेहत मिशन का शुभारम्भ किया।

परिचय

- सेहत (SEHAT) का पूर्ण रूप है- कृषि रूपान्तरण के माध्यम से स्वास्थ्य के लिए वैज्ञानिक उत्कृष्टता। यह कृषि, पोषण तथा जनस्वास्थ्य को परस्पर जोड़ने वाला राष्ट्रीय मिशन-आधारित कार्यक्रम है।
- इसका उद्देश्य कृषि नवाचारों को भारत के लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य परिणामों में परिवर्तित करना है। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) तथा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की संयुक्त पहल है।

उद्देश्य

- मिशन का उद्देश्य "स्वस्थ भोजन, स्वस्थ खेत और स्वस्थ भारत" के लिए एक समग्र रूपरेखा विकसित करना है।
- इसका मुख्य ध्यान पोषण, निवारक स्वास्थ्य देखभाल, गैर-संचारी रोगों, किसान कल्याण तथा एक स्वास्थ्य (वन हेल्थ) दृष्टिकोण पर है। यह साक्ष्य-आधारित तथा आँकड़ा-आधारित नीतिनिर्माण को भी प्रोत्साहित करता है।

प्राथमिकता वाले क्षेत्र

- कुपोषण को कम करने के लिए जैव-सुदृढ़ीकृत तथा पोषक तत्वों से समृद्ध फसल किस्मों का विकास।
- आहार विविधीकरण, कृषि आय में वृद्धि तथा लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत कृषि प्रणालियों का संवर्धन।
- कृषि श्रमिकों के व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिमों का समाधान।
- गैर-संचारी रोगों की रोकथाम एवं प्रबन्धन के लिए कार्यात्मक खाद्य पदार्थों तथा पोषण की दृष्टि से श्रेष्ठ फसलों को बढ़ावा देना।
- मानव-पशु-पर्यावरण के परस्पर संबंधों पर एकीकृत निगरानी, निदान तथा अनुसंधान के माध्यम से एक स्वास्थ्य (वन हेल्थ) तैयारी को सुदृढ़ करना।

त्वरित विचारण का अधिकार

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि त्वरित विचारण का अधिकार न केवल अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक संवैधानिक गारंटी है, बल्कि यह एक मानवाधिकार भी है। यह टिप्पणी लगभग 35 वर्षों से लंबित एक आपराधिक मामले की सुनवाई के दौरान की गई।

परिचय

- त्वरित विचारण का अधिकार सुनिश्चित करता है कि आपराधिक मामलों का अनावश्यक विलम्ब के बिना निपटारा हो।
- इसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न अंग माना जाता है।
- यह व्यक्तियों को दीर्घकालीन निरुद्धीकरण, मानसिक तनाव, सामाजिक कलंक तथा अनुचित व्यवहार से संरक्षण प्रदान करता है।

न्यायिक विकास

- **हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य (1979):** उच्चतम न्यायालय ने पहली बार त्वरित विचारण को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी तथा विचाराधीन बंदियों की दयनीय स्थिति पर प्रकाश डाला।
- **ए. आर. अंतुले बनाम आर. एस. नायक (1992):** न्यायालय ने अनुचित विलम्ब के कारण अधिकारों के उल्लंघन की पहचान के लिए सिद्धांत निर्धारित किए, जिनमें न्यायिक व्यवस्था की संरचनात्मक कमियाँ भी शामिल थीं।
- **मेनका गाँधी बनाम भारत संघ:** न्यायालय ने निर्णय दिया कि विधिक प्रक्रिया न्यायसंगत, उचित तथा युक्तिसंगत होनी चाहिए।

लम्बे समय से लंबित मामलों के हालिया उदाहरण

- **33 वर्ष पुराना हत्या के प्रयास का मुकदमा (बिहार):** वैशाली जिले में वर्ष 1992 के एक पड़ोसी विवाद से जुड़े मामले में 33 वर्षों तक चले विचारण के दौरान पाँच में से चार सह-अभियुक्तों की वृद्धावस्था के कारण मृत्यु हो गई। एकमात्र जीवित अभियुक्त दीप राय (85 वर्ष) को जून 2026 में दोषी ठहराया गया।
- **प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य:** यह एक महत्त्वपूर्ण संवैधानिक मामला था, जो 32 वर्षों से अधिक समय तक उच्चतम न्यायालय में लंबित रहा। अंततः वर्ष 2024 के उत्तरार्ध में नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने इसका निपटारा किया। यह विवाद जर्जर निजी भवनों पर राज्य की शक्तियों से संबंधित वर्ष 1986 के संशोधन को चुनौती देता था।
- **असम राज्य बनाम भारत संघ:** यह उच्चतम न्यायालय के सबसे पुराने सक्रिय संवैधानिक विवादों में से एक है। यह मामला 30 वर्षों से अधिक समय से लंबित है और नागरिकता, सीमा-पार प्रवासन तथा नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की वैधता से संबंधित है।
- **विचाराधीन बंदियों का व्यापक निरुद्धीकरण:** महत्त्वपूर्ण संवैधानिक मामलों से इतर, सामान्य नागरिकों को भी अक्सर 6 से 8 वर्षों तक बिना गवाहों की जिरह प्रारम्भ हुए ही निरुद्ध रहना पड़ता है, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत त्वरित विचारण की गारंटी का उल्लंघन है।

त्वरित विचारण की आवश्यकता

- मौलिक अधिकारों की रक्षा तथा निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करना।
- समय के साथ साक्ष्यों एवं गवाहों की स्मृति के कमजोर होने से बचाना।
- विशेषकर निर्धन एवं वंचित विचाराधीन बंदियों के अनावश्यक निरुद्धीकरण को कम करना।
- मानसिक तनाव एवं सामाजिक कलंक को कम करना।
- न्यायिक दक्षता बढ़ाना तथा लंबित मामलों की संख्या कम करना।

विलम्ब के कारण

- न्यायाधीशों की कमी तथा अपर्याप्त आधारभूत संरचना।
- बार-बार स्थगन तथा प्रक्रियागत विलम्ब।
- जाँच, न्यायालयीय विज्ञान प्रतिवेदन तथा अभियोजन प्रक्रिया में धीमी गति।
- लंबित मामलों का अत्यधिक बोझ।

त्वरित न्याय के उपाय

- छोटे अपराधों के लिए दोष-स्वीकार समझौता।
- लोक अदालत, मध्यस्थता, सुलह तथा न्याय पंचायतों के माध्यम से शीघ्र विवाद निपटारा।
- छोटे आपराधिक मामलों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 359 (पूर्व में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 320) के अंतर्गत अपराधों का शमन।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का त्रिभाषा सूत्र

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जुलाई 2026 से कक्षा 9 से तीसरी भाषा का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। विद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 तथा विद्यालयी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, 2023 के अंतर्गत त्रिभाषा सूत्र को लागू कर रहे हैं।

त्रिभाषा सूत्र का परिचय

- विद्यार्थियों को तीन भाषाओं का अध्ययन करना होगा, जिनमें कम-से-कम दो भारतीय भाषाएँ होंगी। यह नीति सरकारी तथा निजी दोनों प्रकार के विद्यालयों पर लागू होगी।
- राज्यों एवं विद्यालयों को भाषाओं के चयन में लचीलापन दिया गया है तथा किसी भी भाषा को आधिकारिक रूप से अनिवार्य नहीं किया गया है।
- इस सूत्र की पहली बार कोठारी आयोग (1964-66) ने अनुशंसा की थी और इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में लागू किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में परिवर्तन

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 ने त्रिभाषा सूत्र को बनाए रखते हुए पहले की नीतियों की तुलना में अधिक लचीलापन प्रदान किया।
- सामान्यत: विद्यार्थी अपनी क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी तथा एक अन्य भारतीय भाषा का अध्ययन करेंगे। कुछ विद्यालयों ने फ्रांसीसी एवं जर्मन जैसी विदेशी भाषाओं के स्थान पर संस्कृत तथा अन्य भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं को अपनाया है।
- विदेशी भाषाएँ वैकल्पिक अथवा रुचि-आधारित विषय के रूप में जारी रह सकती हैं, किन्तु वे भारतीय भाषा की अनिवार्यता का स्थान नहीं ले सकतीं।

उद्देश्य

- बहुभाषिकता तथा संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देना।
- भारतीय भाषाओं का संरक्षण एवं संवर्धन करना।
- राष्ट्रीय एकता तथा सांस्कृतिक समझ को सुदृढ़ करना।
- अंग्रेजी तथा वैकल्पिक विदेशी भाषाओं के माध्यम से वैश्विक संपर्क बनाए रखना।

चुनौतियाँ

- कुछ दक्षिणी राज्यों में हिन्दी को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दिए जाने को लेकर चिंताएँ।
- प्रशिक्षित भाषा शिक्षकों तथा पाठ्यपुस्तकों की कमी।
- पहले से विदेशी भाषाएँ पढ़ रहे अथवा बार-बार स्थान परिवर्तन करने वाले विद्यार्थियों के लिए कठिनाई।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नवीनतम निर्देश

- तीसरी भाषा का मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन के माध्यम से किया जाएगा तथा कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी।
- शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए विद्यालय ऑनलाइन कक्षाओं, साझा शिक्षकों अथवा सेवानिवृत्त शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

हाल ही में मंत्रिमण्डलीय नियुक्ति समिति (एसीसी) ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक के कार्यकाल में एक वर्ष के विस्तार को स्वीकृति प्रदान की।

CBI का परिचय

- सीबीआई भारत की प्रमुख अन्वेषण पुलिस संस्था है। यह कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करती है।

इतिहास एवं स्थापना

- सीबीआई की उत्पत्ति द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान हुई, जब औपनिवेशिक सरकार ने युद्ध एवं आपूर्ति विभाग में भ्रष्टाचार की जाँच के लिए एक व्यवस्था स्थापित की।
- वर्ष 1941 में विशेष पुलिस स्थापना (एसपीई) की स्थापना की गई तथा बाद में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 अधिनियमित किया गया।
- वर्ष 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प के माध्यम से सीबीआई की औपचारिक स्थापना की गई। इसकी स्थापना की अनुशंसा भ्रष्टाचार निवारण संबंधी संथानम समिति ने की थी।

कार्य

- सीबीआई निम्नलिखित गंभीर अपराधों की जाँच करती है- भ्रष्टाचार,आर्थिक अपराध, धोखाधड़ी, छल तथा गबन।
- राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अंतर्राज्यीय हितों को प्रभावित करने वाले अपराध।
- जमाखोरी, कालाबाजारी तथा मुनाफाखोरी जैसे सामाजिक अपराध।
- यह इंटरपोल के साथ समन्वय के लिए भारत की नोडल संस्था भी है।

अधिकार-क्षेत्र

- सीबीआई को अपनी अन्वेषण शक्तियाँ दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 से प्राप्त होती हैं।
- धारा 2 के अनुसार इसका अधिकार-क्षेत्र मूल रूप से केवल संघ राज्य क्षेत्रों तक सीमित है।

- धारा 5 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार इसकी शक्तियों का विस्तार राज्यों तक कर सकती है।
- धारा 6 के अनुसार ऐसा विस्तार संबंधित राज्य सरकार की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता।

सीबीआई के लिए सामान्य सहमति

- **नियमः** दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6 के अंतर्गत राज्य सरकारें सीबीआई को या तो मामला-विशिष्ट सहमति अथवा सामान्य सहमति प्रदान करती हैं।
- **सामान्य सहमतिः** सामान्यतः राज्य, अपने क्षेत्र में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों की निर्बाध जाँच के लिए सीबीआई को सामान्य सहमति प्रदान करते हैं।
- **कार्यप्रणालीः** यह पूर्व-स्वीकृति के रूप में कार्य करती है, जिससे सीबीआई प्रत्येक मामले में अलग से अनुमति लिए बिना तत्काल जाँच प्रारम्भ कर सकती है।
- **सामान्य सहमति वापस लेने परः** यदि कोई राज्य सामान्य सहमति वापस ले लेता है, तो सीबीआई को प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में कार्रवाई से पूर्व राज्य सरकार से औपचारिक अनुमति प्राप्त करनी होती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड पर लागू नहीं

हाल ही में केन्द्रीय सूचना आयोग ने निर्णय दिया कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई), सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत "लोक प्राधिकारी" नहीं है। यह निर्णय आयोग के वर्ष 2018 के उस आदेश को पलटता है, जिसमें बीसीसीआई को लोक प्राधिकारी माना गया था।

परिचय

- बीसीसीआई को सूचना के अधिकार अधिनियम से बाहर रखने के कारण बीसीसीआई एक स्वायत्त निजी निकाय के रूप में कार्य करता है तथा इसे सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषण प्राप्त नहीं होता। इसका पंजीकरण तमिलनाडु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1975 के अंतर्गत हुआ है।
- भारत में यह निर्णय कि बीसीसीआई संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत 'राज्य' है या नहीं, उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है।
- इसकी स्थापना संविधान, संसद, राज्य विधानमण्डल अथवा किसी सरकारी अधिसूचना द्वारा नहीं की गई है।
- सरकार इसके पदाधिकारियों की नियुक्ति नहीं करती और न ही इसके प्रशासनिक कार्यों पर नियंत्रण रखती है।
- इसकी आय का प्रमुख स्रोत प्रसारण अधिकार, प्रायोजन तथा क्रिकेट संबंधी गतिविधियों से प्राप्त बाजार-आधारित राजस्व है।
- केन्द्रीय सूचना आयोग ने स्पष्ट किया कि कर छूट अथवा वैधानिक रियायतें 'पर्याप्त वित्तपोषण' नहीं मानी जा सकतीं, जो सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(h) के अंतर्गत किसी संस्था को लोक प्राधिकारी घोषित करने के लिए आवश्यक है।

न्यायिक आधार

- **जी टेलीफिल्म्स बनाम भारत संघ (2005):** निर्णय दिया कि बीसीसीआई अनुच्छेद 12 के अंतर्गत 'राज्य' नहीं है।
- **थलप्पलम सेवा सहकारी बैंक बनाम केरल राज्य (2013):** अप्रत्यक्ष लाभ अथवा सीमित सरकारी सहायता से कोई संस्था लोक प्राधिकारी नहीं बन जाती।
- **डाल्को इंजीनियरिंग बनाम सतीश प्रभाकर पाध्ये (2010):** वैधानिक उत्तरदायित्व के लिए सरकार का पर्याप्त नियंत्रण अथवा वित्तपोषण आवश्यक है।
- **बीसीसीआई बनाम बिहार क्रिकेट संघ (2016):** न्यायालय ने प्रशासनिक सुधारों का निर्देश दिया, किन्तु बीसीसीआई को लोक प्राधिकारी घोषित नहीं किया। न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति (2015) तथा विधि आयोग की 275वीं प्रतिवेदन (2018) की अनुशंसाओं को केवल परामर्शात्मक माना गया।

केन्द्रीय सूचना आयोग (CIC)

- यह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह सूचना के अधिकार से संबंधित मामलों में सर्वोच्च अपीलीय प्राधिकरण है।
- इसमें मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त होते हैं। इनके सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

BCCI

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड की स्थापना वर्ष 1928 में हुई थी। भारत ने अपना पहला परीक्षण क्रिकेट मैच वर्ष 1932 में खेला। रणजी ट्रॉफी का प्रारम्भ वर्ष 1934 में हुआ, जिसका नाम के. एस. रणजीतसिंहजी के नाम पर रखा गया।

सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005

- यह अधिनियम नागरिकों को लोक प्राधिकारियों के पास उपलब्ध सूचनाओं तक पहुँच का अधिकार प्रदान करता है। यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में निहित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भावना को सुदृढ़ करता है।
- यह सरकारी निकायों तथा धारा 2(h) के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं पर लागू होता है। संप्रभुता, सुरक्षा, सामरिक हितों तथा विदेश संबंधों से संबंधित कुछ सूचनाओं को प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है।
- यदि लोकहित संभावित हानि से अधिक महत्त्वपूर्ण हो, तो छूट प्राप्त सूचना भी प्रकट की जा सकती है।

रेबीजग्रस्त एवं खतरनाक आवारा कुत्तों के लिए इच्छामृत्यु

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने रेबीजग्रस्त, असाध्य रूप से बीमार, अंतिम अवस्था में घायल अथवा स्पष्ट रूप से खतरनाक आवारा कुत्तों के लिए, विधिसम्मत सीमा के भीतर इच्छामृत्यु (Euthanasia) सहित आवश्यक उपायों की अनुमति दी है। इस निर्णय का उद्देश्य मानव जीवन, सार्वजनिक सुरक्षा एवं जनस्वास्थ्य की रक्षा करना है।

उच्चतम न्यायालय के प्रमुख निर्देश

- न्यायालय ने कहा कि आवारा कुत्तों के हमलों एवं रेबीज के खतरे से नागरिकों की रक्षा करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है।
- सार्वजनिक सड़कों पर आवारा कुत्तों को भोजन कराने पर प्रतिबंध संबंधी अपने पूर्व निर्देशों को बरकरार रखा। स्थानीय निकायों को भोजन कराने के लिए निर्धारित स्थान चिन्हित एवं आवंटित करने होंगे।
- आवारा कुत्तों को विद्यालयों, अस्पतालों, बाजारों, सार्वजनिक उपयोगिताओं तथा अन्य अधिक भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से हटाया जाए।
- प्रत्येक राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश को प्रत्येक जिले में पशु चिकित्सकों, शल्य-चिकित्सा सुविधाओं एवं आवश्यक अवसंरचना सहित कम-से-कम एक पूर्णतः कार्यशील पशु जन्म नियंत्रण (ABC) केंद्र स्थापित करना होगा।
- राज्यों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त मात्रा में रेबीज-रोधी टीकों एवं इम्यूनोग्लोब्युलिन की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। NHAI को राजमार्गों एवं एक्सप्रेसवे से आवारा मवेशियों एवं अन्य पशुओं के सुरक्षित प्रबंधन एवं पुनर्स्थापन हेतु व्यवस्था विकसित करने का निर्देश दिया गया है।
- इन निर्देशों को लागू करने वाले अधिकारियों को, दुर्भावना या अधिकारों के गंभीर दुरुपयोग के प्रमाण के अभाव में, आपराधिक कार्यवाही से संरक्षण प्राप्त होगा। न्यायालय ने वर्ष 2001 से स्थानीय निकायों द्वारा ABC नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन में लंबे समय से चली आ रही विफलताओं पर भी ध्यान आकर्षित किया।

संवैधानिक एवं विधिक आधार

- **अनुच्छेद 21:** जीवन एवं व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार की रक्षा करता है।
- **अनुच्छेद 19(1)(d):** आवागमन की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो अनियंत्रित आवारा कुत्तों की समस्या से प्रभावित हो सकती है।
- **अनुच्छेद 51A(g):** नागरिकों पर सभी जीवों के प्रति करुणा रखने का मूल कर्त्तव्य अधिरोपित करता है।
- **पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960:** अनावश्यक क्रूरता को रोकते हुए पशुओं के मानवीय व्यवहार की अनुमति देता है।

पशु जन्म नियंत्रण (ABC) नियम, 2023

- ये नियम पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत जारी किए गए हैं। आवारा कुत्तों की जनसंख्या नियंत्रण के लिए नसबंदी एवं रेबीज-रोधी टीकाकरण को प्राथमिक उपाय के रूप में अपनाते हैं।
- नसबंदी किए गए कुत्तों को सामान्यतः उसी क्षेत्र में वापस छोड़ा जाता है।
- अंधाधुंध हत्या या पुनर्स्थापन की अनुमति नहीं है। इच्छामृत्यु केवल रेबीजग्रस्त, अंतिम अवस्था के रोगी, घातक रूप से घायल अथवा विधिक रूप से खतरनाक घोषित कुत्तों के लिए ही अनुमेय है।

गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA)

हाल ही में, दिल्ली पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के अंतर्गत जमानत संबंधी कठोर प्रतिबंधों की समीक्षा हेतु उच्चतम न्यायालय की एक बड़ी पीठ गठित करने का सुझाव दिया है।

परिचय

- उच्चतम न्यायालय के एक पूर्व निर्णय में कहा गया था कि "जमानत नियम है और जेल अपवाद", यहाँ तक कि UAPA के अंतर्गत अभियोजन के मामलों में भी।
- UAPA की धारा 43D(5) जमानत पर कठोर प्रतिबंध लगाती है। जमानत पर निर्णय लेते समय न्यायालय को यह संतुष्ट होना होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रथमदृष्टया सत्य प्रतीत होते हैं।

गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA)

- UAPA भारत का प्रमुख आतंकवाद-रोधी कानून है, जिसका उद्देश्य भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न करने वाली गैरकानूनी एवं आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम करना है।
- यह अधिनियम वर्ष 1967 में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था।
- केंद्र सरकार किसी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर सकती है।
- कुछ मामलों में आरोपपत्र दाखिल किए बिना अभियुक्त को 180 दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। ऐसे मामलों की जाँच प्रायः राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) द्वारा की जाती है।

आयुष अनुदान पोर्टल

हाल ही में, आयुष मंत्रालय ने नई दिल्ली स्थित कर्त्तव्य भवन में आयुष अनुदान पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल आयुष ग्रिड पहल के अंतर्गत विकसित किया गया है।

परिचय

- यह आयुष मंत्रालय की विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत अनुदानों के प्रबंधन हेतु एक केंद्रीकृत डिजिटल मंच है।
- यह अनुदान प्रस्तावों के ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण, प्रसंस्करण, मूल्यांकन, अनुमोदन, निगरानी एवं प्रगति-ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है।
- यह कागज-रहित शासन, व्यवसाय करने में सुगमता (Ease of Doing Business) तथा जीवनयापन में सुगमता (Ease of Living) को बढ़ावा देता है।
- इसका उद्देश्य अनुदान प्रबंधन में पारदर्शिता, दक्षता एवं जवाबदेही को सुदृढ़ करना है।

प्रमुख विशेषताएँ

- **एनजीओ दर्पण एकीकरण:** आवेदक संस्थाओं के तेज एवं विश्वसनीय सत्यापन की सुविधा।
- **योजना-वार आवेदन प्रबंधन:** विभिन्न योजनाओं की आवश्यकताओं के अनुसार आवेदनों का प्रसंस्करण।
- **वास्तविक समय ट्रैकिंग:** आवेदक अपने प्रस्तावों की स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं।
- **उपयोगकर्ता-अनुकूल डिजिटल इंटरफेस:** मैनुअल एवं कागज-आधारित प्रक्रियाओं का स्थान लेता है।

आयुष ग्रिड पहल

- यह आयुष क्षेत्र के लिए एक व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी आधारित आधारभूत संरचना है। इसे डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2018 में आयुष मंत्रालय द्वारा परिकल्पित किया गया था।
- इसका उद्देश्य आयुष क्षेत्र के लिए एक एकीकृत, पारदर्शी, सुरक्षित एवं नागरिक-केंद्रित डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है। यह 'स्वस्थ भोजन, स्वस्थ खेत और स्वस्थ भारत' की परिकल्पना को समर्थन प्रदान करता है।
- **प्रमुख कार्यक्षेत्र:** स्वास्थ्य सेवाएँ, शिक्षा, अनुसंधान, औषधि प्रशासन, औषधीय पौधे, आयुष मंत्रालय की निगरानी तथा क्षमता निर्माण एवं मीडिया जनसंपर्क।

न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968

हाल ही में, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जाँच करने वाली न्यायाधीश जाँच समिति ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 के अंतर्गत निर्धारित औपचारिक कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रस्तुत की गई।

परिचय

- संविधान के अनुसार, किसी न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति के आदेश की आवश्यकता होती है, जो तभी जारी किया जा सकता है जब संसद के दोनों सदनों द्वारा हटाने का प्रस्ताव पारित कर दिया जाए।
- इस जाँच प्रक्रिया की विस्तृत कार्यविधि न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 में निर्धारित की गई है।

हटाने की प्रक्रिया

- लोकसभा के मामले में 100 सदस्यों तथा राज्यसभा के मामले में 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित हटाने का प्रस्ताव क्रमश: लोकसभा अध्यक्ष/राज्यसभा सभापति को दिया जाता है। यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो आरोपों की जाँच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है।
- यदि समिति न्यायाधीश को दुराचार अथवा असमर्थता का दोषी पाती है, तो जिस सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, वह उस पर विचार कर सकता है।
- **विशेष बहुमत:** सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है।
- प्रथम सदन से विशेष बहुमत से पारित होने के बाद प्रस्ताव दूसरे सदन में भेजा जाता है, जहाँ उसे भी विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है।
- दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति को न्यायाधीश को पद से हटाने हेतु अभिभाषण प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति न्यायाधीश को पद से हटाने का आदेश जारी करते हैं।
- यह अधिनियम उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों के कार्यरत न्यायाधीशों को पद से हटाने की आधिकारिक कानूनी रूपरेखा प्रदान करता है।

पद से हटाने के आधार

- **सिद्ध कदाचार:** व्यावसायिक कदाचार, न्यायिक आचार-संहिता का उल्लंघन, अथवा ऐसा कोई व्यवहार जिससे न्यायपालिका की सार्वजनिक प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचे।
- **असमर्थता:** ऐसी शारीरिक या मानसिक स्थिति जिसके कारण न्यायाधीश अपने आधिकारिक कर्त्तव्यों का समुचित निर्वहन करने में सक्षम न हो।

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम, 2022 में प्रस्तावित संशोधन

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम, 2022 में संगठित डोपिंग गतिविधियों तथा प्रतिबंधित पदार्थों की अवैध आपूर्ति पर अंकुश लगाने के लिए संशोधन प्रस्तावित किए हैं।

डोपिंग क्या है?

- डोपिंग से आशय खिलाड़ियों द्वारा अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए प्रतिबंधित पदार्थों या तरीकों का उपयोग करना है।
- वैश्विक डोपिंग रोधी व्यवस्था का संचालन विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (WADA) द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी।
- WADA की प्रतिबंधित सूची में एनाबॉलिक स्टेरॉयड, ईपीओ (EPO), उत्तेजक, मूत्रवर्धक, मानव वृद्धि हार्मोन तथा मास्किंग एजेंट्स शामिल हैं।
- WADA की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत लगातार तीन वर्षों तक डोपिंग रोधी नियम उल्लंघनों की सर्वाधिक संख्या वाला देश रहा।

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम, 2022

- यह अधिनियम राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी की स्थापना तथा अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप डोपिंग रोधी गतिविधियों के विनियमन के लिए बनाया गया।
- प्रस्तावित संशोधन खेल में डोपिंग के विरुद्ध यूनेस्को के अंतरराष्ट्रीय अभिसमय के अंतर्गत भारत की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप हैं।

प्रमुख प्रस्तावित संशोधन

- संगठित डोपिंग नेटवर्क को आपराधिक अपराध घोषित किया जाएगा।
- प्रतिबंधित पदार्थों की तस्करी, आपूर्ति और वितरण के लिए दंड का प्रावधान किया गया है।
- प्रशिक्षक, कोच, चिकित्सक तथा अन्य सहयोगी कर्मियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी यदि वे जानबूझकर प्रतिबंधित पदार्थ खिलाड़ियों को उपलब्ध कराते हैं। 18 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों को प्रतिबंधित पदार्थ उपलब्ध कराने पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है।
- डोपिंग को बढ़ावा देने या उससे लाभ कमाने वाले संगठित गिरोहों को आपराधिक दायित्व के दायरे में लाया जाएगा।
- बिना लेबल वाले अथवा भ्रामक लेबल वाले प्रतिबंधित पदार्थों की बिक्री तथा डोपिंग को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों को दंडनीय बनाया जाएगा।
- वैध चिकित्सीय उपयोग छूट प्राप्त खिलाड़ियों के लिए सुरक्षा प्रावधान किए गए हैं। आपातकालीन परिस्थितियों में कार्य करने वाले सद्भावनापूर्ण चिकित्सकों को भी संरक्षण प्रदान किया गया है।

खेलों में डोपिंग से जुड़ी चिंताएँ

भारत में डोपिंग के कारण

- पूरक आहार का कमजोर नियमन, जिससे दूषित एवं निम्न-स्तरीय उत्पाद खिलाड़ियों तक पहुँच जाते हैं। खिलाड़ियों एवं सहयोगी कर्मियों में WADA की प्रतिबंधित सूची के प्रति जागरूकता का अभाव।
- सामाजिक-आर्थिक दबाव के कारण कुछ खिलाड़ी अनुचित लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।
- संस्थागत एवं परीक्षण अवसंरचना की कमियों के कारण डोपिंग रोधी प्रवर्तन कमजोर रहा है।

भारत में डोपिंग रोधी उपाय

- राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी परीक्षण, जाँच, जागरूकता कार्यक्रम तथा नियमों के कार्यान्वयन की नोडल एजेंसी है।
- राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला खिलाड़ियों के नमूनों का वैज्ञानिक विश्लेषण करती है।
- NIDAMS पोर्टल डोपिंग रोधी योजना, परीक्षण एवं नमूना संग्रहण की प्रक्रिया का डिजिटलीकरण करता है।
- PEADS कार्यक्रम खेलों में डोपिंग के प्रति शिक्षा एवं जागरूकता को बढ़ावा देता है।
- Know Your Medicine (KYM) ऐप खिलाड़ियों को यह पहचानने में सहायता करता है कि किसी दवा में प्रतिबंधित पदार्थ तो नहीं हैं।
- NADA प्रतियोगिता के दौरान तथा प्रतियोगिता से बाहर भी परीक्षण आयोजित करती है।

प्रस्तावित संशोधनों का महत्त्व

- ये संशोधन अंतरराष्ट्रीय खेलों में भारत की विश्वसनीयता को बढ़ाएंगे।
- खेल शासन तथा खेलों की निष्पक्षता को सुदृढ़ करेंगे।
- व्यक्तिगत खिलाड़ियों के बजाय संगठित डोपिंग नेटवर्क पर कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
- ये संशोधन खिलाड़ियों, विशेषकर युवा खिलाड़ियों, को शोषण से बेहतर सुरक्षा प्रदान करेंगे।

भव्य (BHAVYA) योजना

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने भव्य (BHAVYA) योजना के कार्यान्वयन हेतु परिचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं।

परिचय

- भव्य (BHAVYA – भारत औद्योगिक विकास योजना) पूरे भारत में निवेश-तैयार, विश्वस्तरीय औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है।
- यह मेक इन इंडिया, पीएम गतिशक्ति तथा भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण केंद्र बनाने के लक्ष्य को समर्थन प्रदान करती है।
- योजना का उद्देश्य एकीकृत औद्योगिक अवसंरचना के माध्यम से विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना है।

प्रमुख विशेषताएँ

- योजना का कुल वित्तीय परिव्यय लगभग ₹33,660 करोड़ है। इसका लक्ष्य 2026-27 से 2031-32 के बीच 100 औद्योगिक पार्कों का विकास करना है। प्रथम चरण में चुनौती-आधारित प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से अधिकतम 50 औद्योगिक पार्कों का चयन किया जाएगा।
- 100 से 1,000 एकड़ क्षेत्रफल वाले औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएँगे।
- योजना में ग्रीनफील्ड तथा पात्र ब्राउनफील्ड दोनों प्रकार के औद्योगिक पार्क शामिल हैं।
- **न्यूनतम भूमि आवश्यकता:** गैर-पहाड़ी राज्यों के लिए 100 एकड़ पहाड़ी राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों तथा छोटे राज्यों के लिए 25 एकड़

अवसंरचना पर विशेष ध्यान

- योजना के अंतर्गत प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किए जाएँगे।
- इसमें बहु-माध्यमीय लॉजिस्टिक्स, विश्वसनीय उपयोगिता सेवाएँ, श्रमिक सहायता सुविधाएँ, डिजिटल शासन प्रणाली तथा सतत अवसंरचना उपलब्ध कराई जाएगी।

कार्यान्वयन एवं निगरानी

- परियोजनाओं का कार्यान्वयन कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत गठित विशेष प्रयोजन वाहनों (SPVs) के माध्यम से किया जाएगा।
- राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम (NICDC) परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA) के रूप में कार्य करेगा।
- योजना में GIS-आधारित निगरानी, समय-समय पर रिपोर्टिंग, लेखा-परीक्षण तथा राष्ट्रीय स्तरीय संचालन समिति द्वारा पर्यवेक्षण का प्रावधान है।

महत्त्व

- यह योजना विनिर्माण क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने, आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करने, रोजगार सृजन करने तथा वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत के एकीकरण को मजबूत करने में सहायक होगी।

जीवन ऐप एवं शतायु डैशबोर्ड

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता एवं देखभाल सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु जीवन ऐप तथा शतायु जेरियाट्रिक केयरगिवर डैशबोर्ड का शुभारंभ किया है।

जीवन (JEEVAN) ऐप

- जीवन (JEEVAN-Joint Elderly Empowerment and Virtual Assistance Network) वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक एकल-खिड़की सहायता मंच के रूप में विकसित मोबाइल अनुप्रयोग है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को कल्याणकारी सेवाओं एवं सहायता तक बेहतर पहुँच प्रदान करना है।
- यह केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं, कल्याणकारी कार्यक्रमों, पेंशन लाभों तथा स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों की जानकारी उपलब्ध कराता है। इसमें वरिष्ठ नागरिकों के अनुकूल सरल नेविगेशन एवं सुगम्यता सुविधाएँ उपलब्ध हैं।
- यह आपातकालीन सहायता तथा वृद्धाश्रमों एवं देखभाल केंद्रों की जानकारी भी प्रदान करता है।

शतायु (SHATAYU) डैशबोर्ड

- शतायु (SHATAYU-Senior Holistic Care Assistance and Training for Your Utility) वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु एक केंद्रीकृत डैशबोर्ड है।
- इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, कल्याण, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, गरिमा एवं सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना है।
- यह जिला एवं राज्य स्तर पर उपलब्ध जेरियाट्रिक देखभालकर्ताओं की जानकारी उपलब्ध कराता है। यह देखभालकर्ताओं के प्रशिक्षण, प्रमाणन एवं कौशल विकास की निगरानी करता है।
- इसमें सत्यापित देखभालकर्ताओं एवं सेवा प्रदाताओं की निर्देशिका उपलब्ध है, जिससे विश्वसनीय सेवाएँ सुनिश्चित होती हैं। यह प्रशिक्षित देखभालकर्ताओं की कमी वाले क्षेत्रों की पहचान करने में भी सहायता करता है।

महत्त्व

- ये पहलें भारत की बढ़ती वृद्ध आबादी के समर्थन हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करती हैं।
- ये वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल व्यवस्था को अधिक संगठित, सुलभ एवं जवाबदेह बनाती हैं।
- साथ ही, पूरे देश में देखभाल सेवाओं की बेहतर योजना एवं प्रभावी वितरण को बढ़ावा देती हैं।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (PMFME) योजना

वर्ष 2024-25 के दौरान PMFME योजना के कार्यान्वयन में बिहार ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

परिचय

- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (PMFME) योजना का शुभारंभ 29 जून, 2020 को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत किया गया।
- यह असंगठित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को समर्थन एवं औपचारिक स्वरूप प्रदान करने हेतु एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- इसका उद्देश्य ऋण, प्रौद्योगिकी, साझा अवसंरचना, ब्रांडिंग, विपणन, प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता तक पहुँच में सुधार करना है।
- यह एक जिला एक उत्पाद (ODOP) दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देती है, जिससे पैमाने की अर्थव्यवस्था तथा बेहतर बाजार संपर्क प्राप्त हो सके।

कवरेज एवं वित्तपोषण

- योजना का कुल परिव्यय ₹10,000 करोड़ है। इसे 2020-21 से 2024-25 तक के लिए स्वीकृत किया गया था जिसे सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है।
- योजना का लक्ष्य ऋण-संबद्ध सहायता के माध्यम से 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को समर्थन देना है।
- **व्यय साझेदारी:** केंद्र एवं राज्य: 60:40 पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्य: 90:10 विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेश: 60:40 अन्य केंद्रशासित प्रदेश: 100% केंद्रीय वित्तपोषण

वित्तीय सहायता

- व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों को 35% ऋण-संबद्ध सब्सिडी (अधिकतम ₹10 लाख) प्रदान की जाती है।
- लाभार्थियों को परियोजना लागत का कम-से-कम 10% योगदान करना होता है, जबकि शेष राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है।
- स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को प्रति समूह ₹4 लाख की बीज पूँजी सहायता प्रदान की जाती है।
- एफपीओ, एसएचजी, सहकारी समितियाँ एवं सरकारी एजेंसियाँ साझा अवसंरचना हेतु ₹3 करोड़ तक की 35% ऋण-संबद्ध पूँजी सब्सिडी प्राप्त कर सकती हैं।
- समूहों को ब्रांडिंग एवं विपणन गतिविधियों के लिए 50% तक अनुदान दिया जा सकता है।
- योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण एवं हैंडहोल्डिंग सहायता भी प्रदान की जाती है।

उपलब्धियाँ

- योजना के अंतर्गत 35 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के 726 जिलों में 137 विशिष्ट उत्पादों की पहचान की गई है।
- ऋण-संबद्ध सब्सिडी घटक के अंतर्गत 1,96,270 सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान की गई है।
- लाभार्थियों में 40% से अधिक महिलाएँ हैं। ब्रांडिंग एवं विपणन सहायता के अंतर्गत 32 प्रस्ताव तथा 40 ODOP ब्रांड स्वीकृत किए गए हैं।
- इन पहलों के परिणामस्वरूप 200 से अधिक खाद्य उत्पाद बाजार में उतारे गए हैं तथा 1,164 सूक्ष्म उद्यमों को लाभ प्राप्त हुआ है।

राष्ट्रीय खेल शासन नियम, 2026

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल शासन (राष्ट्रीय खेल बोर्ड) नियम, 2026 तथा राष्ट्रीय खेल शासन (राष्ट्रीय खेल अधिकरण) नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं।

राष्ट्रीय खेल बोर्ड (NSB)

- राष्ट्रीय खेल बोर्ड में एक अध्यक्ष तथा दो सदस्य होंगे। इनकी नियुक्ति खोज-सह-चयन समिति द्वारा अनुशंसित पैनल से केंद्र सरकार करेगी।
- बोर्ड राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता प्रदान करने वाली केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा।
- यह शासन, वित्तीय एवं नैतिक मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा।
- केवल मान्यता प्राप्त खेल निकाय ही केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे।

राष्ट्रीय खेल अधिकरण (NST)

- राष्ट्रीय खेल अधिकरण खेल-संबंधी विवादों के निपटारे हेतु एक समर्पित न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करेगा।
- यह दीवानी न्यायालयों पर निर्भरता कम करेगा तथा स्वतंत्र, त्वरित, प्रभावी एवं कम लागत वाली विवाद निवारण व्यवस्था प्रदान करेगा।
- अधिकरण में एक अध्यक्ष तथा दो सदस्य होंगे।
- अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के वर्तमान अथवा पूर्व न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हों।
- सदस्यों का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा।
- अधिकरण को दीवानी न्यायालय के समान शक्तियाँ प्राप्त होंगी।
- इसके निर्णयों के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में होगी, जब तक कि अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार अपील कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट (CAS), स्विट्जरलैंड में करना आवश्यक न हो।

डिजिटल शासन

- नियमों के अंतर्गत विवाद दर्ज करने, दस्तावेज प्रस्तुत करने, नोटिस जारी करने, आभासी सुनवाई आयोजित करने, आदेश प्रकाशित करने तथा अभिलेखों के रख-रखाव हेतु एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल का प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 के प्रमुख प्रावधान

- यह अधिनियम खेल निकायों की मान्यता एवं विनियमन हेतु वैधानिक ढाँचा प्रदान करता है।
- इसमें राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति तथा राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय खेल महासंघों का प्रावधान किया गया है।
- प्रत्येक राष्ट्रीय खेल निकाय के लिए आचार संहिता तथा शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना अनिवार्य होगा।
- प्रत्येक राष्ट्रीय खेल निकाय में एक सामान्य निकाय तथा अधिकतम 15 सदस्यों वाली कार्यकारी समिति होगी, जिसमें कम-से-कम दो उत्कृष्ट खिलाड़ी तथा चार महिलाएँ शामिल होंगी।
- प्रत्येक राष्ट्रीय खेल निकाय में अध्यक्ष, महासचिव एवं कोषाध्यक्ष होंगे।
- कोई भी व्यक्ति इन पदों पर लगातार तीन कार्यकाल से अधिक नहीं रह सकेगा।
- राष्ट्रीय खेल निकायों के चुनावों की निगरानी हेतु केंद्र सरकार निर्वाचन अधिकारियों का राष्ट्रीय पैनल गठित करेगी।
- किसी खेल के संवर्धन के सार्वजनिक हित में केंद्र सरकार किसी खेल निकाय को अधिनियम के प्रावधानों से छूट प्रदान कर सकती है।

महत्त्व

- यह अधिनियम खेल शासन के लिए एक वैधानिक ढाँचा प्रदान करता है।
- यह पारदर्शिता, जवाबदेही एवं पेशेवर प्रशासन को बढ़ावा देता है।
- यह खिलाड़ियों के प्रतिनिधित्व एवं कल्याण को सुदृढ़ करता है।
- यह विवाद निवारण एवं नियामकीय निगरानी को अधिक प्रभावी बनाता है।
- यह भारतीय खेल शासन को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाते हुए भारत की वैश्विक खेल आकांक्षाओं को समर्थन देता है।

पूर्ण न्याय

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राजमार्गों पर सुरक्षित यात्रा तथा सड़क दुर्घटनाओं से सुरक्षा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 142 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया।

पूर्ण न्याय का सिद्धांत

- पूर्ण न्याय का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को एक विशेष एवं सर्वोच्च शक्ति प्रदान करता है।
- इसके माध्यम से न्यायालय किसी भी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आदेश या निर्णय पारित कर सकता है।
- अनुच्छेद 142 के अंतर्गत पारित आदेश पूरे भारत में प्रवर्तनीय होते हैं।
- जब विद्यमान कानून पर्याप्त उपचार उपलब्ध नहीं कराते, तब यह संवैधानिक सुरक्षा-उपाय (Safety Valve) के रूप में कार्य करता है।
- यह शक्ति संविधान से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त अंतर्निहित एवं अवशिष्ट शक्ति है, न कि किसी सामान्य कानून से।
- न्यायालय संवैधानिक मूल्यों, लोकहित, मानवाधिकारों एवं मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु निर्देश, दिशानिर्देश या आदेश जारी कर सकता है।
- यह संविधान के संरक्षक एवं कानून के अंतिम व्याख्याकार के रूप में उच्चतम न्यायालय की भूमिका को सुदृढ़ करता है।

महत्त्वपूर्ण न्यायिक टिप्पणियाँ

- **दिल्ली न्यायिक सेवा संघ बनाम गुजरात राज्य** (1991): न्यायालय ने कहा कि वैधानिक प्रतिबंध अनुच्छेद 142 के अंतर्गत उसकी शक्तियों को सीमित नहीं कर सकते।
- **केनरा बैंक बनाम देबाशीष दास** (2003): न्यायालय ने कहा कि जब विधिक प्रक्रियाएँ अपर्याप्त हों, तब वास्तविक न्याय एवं निष्पक्षता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- **अनिल कुमार जैन बनाम माया जैन** (2009): न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 142 के समान शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं।
- **हितेश भटनागर बनाम दीपा भटनागर** (2011): न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 142 का प्रयोग अत्यंत सावधानी से किया जाना चाहिए।

राजमार्ग सुरक्षा संबंधी निर्णय

- न्यायालय ने 2025 में हुई दो सड़क दुर्घटनाओं, जिनमें 34 लोगों की मृत्यु हुई थी, का स्वत: संज्ञान लिया।
- न्यायालय ने कहा कि सुरक्षित एवं यातायोग्य सड़कें बनाए रखना अनुच्छेद 21 के अंतर्गत राज्य का संवैधानिक दायित्व है।
- न्यायालय ने उल्लेख किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग, कुल सड़क नेटवर्क का केवल 2% हैं, किंतु इन पर लगभग 30% सड़क दुर्घटना मृत्यु होती हैं।
- यह निर्णय 4E ढाँचे- शिक्षा, अभियांत्रिकी, प्रवर्तन तथा आपातकालीन चिकित्सा सेवाएँ- के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के प्रयासों को समर्थन देता है।

चिंताएँ

- आलोचकों का मत है कि अनुच्छेद 142 का प्रयोग शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को प्रभावित कर सकता है।
- इसके बार-बार उपयोग को कुछ लोग न्यायिक अतिक्रमण मानते हैं।
- समर्थकों का तर्क है कि जब विद्यमान कानून अपर्याप्त हों, तब यह न्यायालय को अधिकारों की प्रभावी रक्षा करने में सक्षम बनाता है।

मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)

उच्चतम न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा कराए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision- SIR) की वैधानिक वैधता को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य सटीक एवं विश्वसनीय मतदाता सूची बनाए रखकर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है।

परिचय

- SIR, निर्वाचन आयोग द्वारा अपनी संवैधानिक एवं वैधानिक शक्तियों के अंतर्गत कराई जाने वाली मतदाता सूचियों का व्यापक पुनरीक्षण है।
- निर्वाचन आयोग मतदाता सूची की शुद्धता एवं विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए समय-समय पर ऐसा पुनरीक्षण करता है।
- **2025 के SIR के प्रमुख कारण:** 2003 में हुए अंतिम गहन पुनरीक्षण के बाद तीव्र शहरीकरण एवं प्रवासन के कारण हुए जनसांख्यिकीय परिवर्तन। अनुच्छेद 326 के अनुरूप यह सुनिश्चित करना कि केवल भारतीय नागरिकों के नाम ही मतदाता सूची में सम्मिलित हों।

वैधानिक एवं संवैधानिक आधार

- अनुच्छेद 324(1) निर्वाचन आयोग को चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(3) निर्वाचन आयोग को किसी भी समय मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कराने का अधिकार देती है।
- इसी अधिनियम की धारा 16 गैर-नागरिकों को मतदाता के रूप में पंजीकृत होने से अयोग्य ठहराती है। निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 नामांकन एवं पुनरीक्षण की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं।
- ADR बनाम निर्वाचन आयोग (2025) में उच्चतम न्यायालय ने SIR कराने की निर्वाचन आयोग की शक्ति की पुष्टि की।

उच्चतम न्यायालय की प्रमुख टिप्पणियाँ

- न्यायालय ने कहा कि SIR आनुपातिकता के सिद्धांत पर खरा उतरता है।
- इसका उद्देश्य विश्वसनीय निर्वाचन प्रक्रिया बनाए रखना है।
- इसमें गणना एवं सत्यापन की सुव्यवस्थित प्रक्रिया अपनाई जाती है। यह समस्या की गंभीरता के अनुरूप उचित एवं संतुलित उपाय है।
- निर्वाचन आयोग केवल निर्वाचन पात्रता के उद्देश्य से नागरिकता से संबंधित पहलुओं की जाँच कर सकता है।
- यह प्रक्रिया नागरिकता अधिनियम, 1955 के अंतर्गत नागरिकता का अंतिम निर्धारण नहीं करती।
- नागरिकता संबंधी विवाद सक्षम प्राधिकारी को भेजे जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति अंतत: भारतीय नागरिक पाया जाता है, तो उसका नाम पुन: मतदाता सूची में सम्मिलित किया जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस

1 मई को विश्वभर में अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस अथवा मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य श्रमिकों के योगदान का सम्मान करना तथा श्रम अधिकारों एवं न्यायसंगत कार्य परिस्थितियों के लिए उनके निरंतर संघर्ष को रेखांकित करना है।

परिचय

- यह दिवस अनौपचारिकीकरण, गिग कार्य, स्वचालन तथा सामाजिक सुरक्षा में कमियों जैसी उभरती श्रम चुनौतियों की ओर भी ध्यान आकर्षित करता है, जो विश्वभर में श्रम शासन को प्रभावित कर रही हैं।
- अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस, जिसे मई दिवस (May Day) भी कहा जाता है, प्रतिवर्ष 1 मई को मनाया जाता है, यद्यपि कुछ देशों में इसे मई के प्रथम सोमवार को मनाया जाता है।
- यह बेहतर कार्य परिस्थितियों, उचित वेतन तथा श्रमिक अधिकारों के लिए श्रमिकों के संघर्ष की स्मृति में मनाया जाता है।

विकासक्रम

- इसकी उत्पत्ति उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका के श्रमिक आंदोलन से हुई। 1 मई, 1886 को शिकागो में श्रमिकों ने आठ घंटे के कार्यदिवस की माँग को लेकर व्यापक हड़ताल की।

- यह आंदोलन हेमार्केट घटना (4 मई, 1886) में परिणत हुआ, जहाँ बम विस्फोट के बाद हुई हिंसा में कई लोगों की मृत्यु हुई।
- 1889 में पेरिस में आयोजित द्वितीय इंटरनेशनल की बैठक में 1 मई को औपचारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय श्रमिक एकजुटता दिवस घोषित किया गया।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)

- वैश्विक स्तर पर श्रम अधिकारों के संस्थानीकरण को प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साय की संधि (1919) के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना के साथ गति मिली।
- ILO वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र की प्रथम विशिष्ट अभिकरण बना। भारत 1919 से, अर्थात् स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ही, इसका संस्थापक सदस्य रहा है। वर्तमान में ILO के 187 सदस्य देश हैं तथा इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है।
- यह आज भी संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र त्रिपक्षीय अभिकरण है, जिसमें सरकारों, नियोक्ताओं तथा श्रमिकों– तीनों का प्रतिनिधित्व होता है।
- ILO वैश्विक स्तर पर श्रम मानकों का निर्धारण करता है तथा सम्मानजनक कार्य, श्रमिक कल्याण और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है।

- यद्यपि इस आन्दोलन की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी, फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों में श्रम दिवस सितम्बर के प्रथम सोमवार को मनाया जाता है। वर्तमान में भारत, चीन और क्यूबा सहित 80 से अधिक देश अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाते हैं।
- भारत में, प्रथम श्रमिक दिवस समारोह वर्ष 1923 में हिन्दुस्तान लेबर किसान पार्टी द्वारा चेन्नई में आयोजित किया गया था।

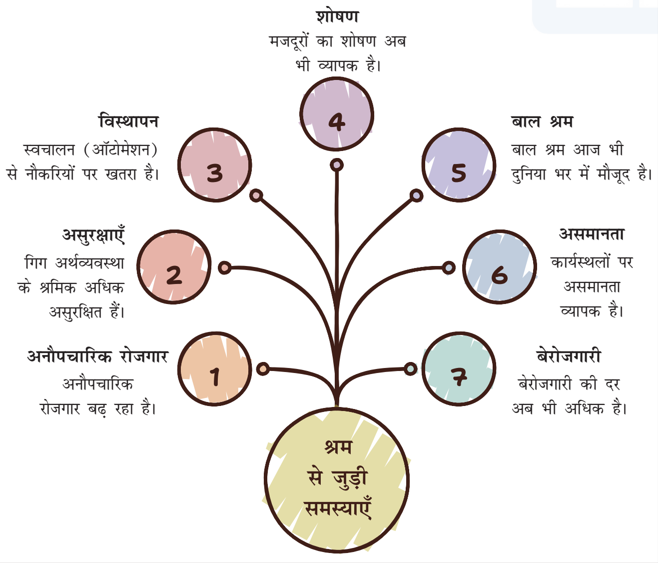

भारत में अपराध रिपोर्ट 2024

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 में महिलाओं के विरुद्ध 13,396 तथा बच्चों के विरुद्ध 7,662 अपराध आधिकारिक रूप से दर्ज किए गए।

प्रमुख आँकड़े

- भारत की कुल अपराध दर वर्ष 2023 की तुलना में 6% घट गई। हालाँकि, साइबर अपराध के मामलों में 17% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई।
- मादक पदार्थों की अधिक मात्रा (ओवरडोज) से होने वाली मृत्यु में 50% की वृद्धि हुई, जिसमें तमिलनाडु में सर्वाधिक मृत्यु दर्ज की गई।
- आर्थिक अपराधों में भी 4.6% की वृद्धि हुई और इनकी कुल संख्या 2.14 लाख से अधिक रही।

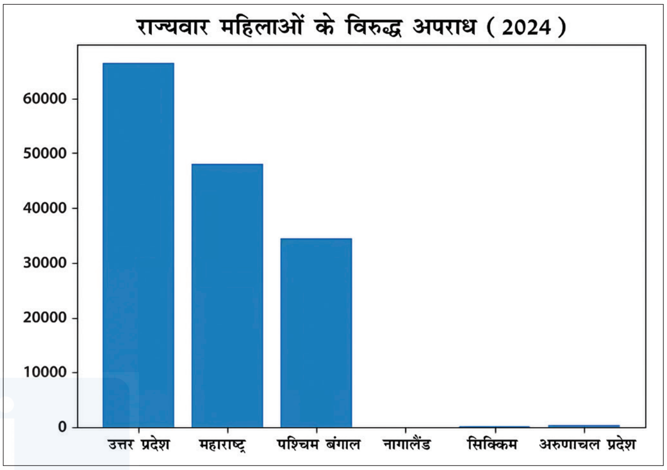

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)

- यह देश में अपराध एवं अपराधियों से संबंधित आँकड़ों के संग्रह, विश्लेषण तथा प्रकाशन के लिए उत्तरदायी सरकारी संस्था है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1986 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977-1981) के कार्यबल तथा गृह मंत्रालय के अपराध अभिलेख विशेषज्ञ समूह (1985) की सिफारिशों पर की गई थी।
- यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
- **NCRB की प्रमुख रिपोर्टें:**
  - भारत में अपराध (Crime in India), भारत में आकस्मिक मृत्यु एवं आत्महत्याएँ (ADSI), भारत में कारागार सांख्यिकी (Prison Statistics India), विशेषीकृत उपकरण, CyTrain– साइबर अपराध जाँच हेतु प्रशिक्षण पोर्टल।
  - Cri-MAC (Crime Multi-Agency Centre) – विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को सुगम बनाने वाला मंच।

- महिलाओं के विरुद्ध अपराध में 1.5% की कमी आई और यह प्रति लाख जनसंख्या 66.2 से घटकर 64.6 रह गया।
- इसके विपरीत, बच्चों के विरुद्ध अपराध में 5.9% की वृद्धि हुई, जिसका प्रमुख कारण अपहरण (40%) तथा यौन अपराध (36.9%) रहे।
- भारत के 19 महानगरों में दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों एवं महिलाओं के विरुद्ध सर्वाधिक अपराध दर्ज किए गए।
- चोरी के मामलों में भी दिल्ली देश में शीर्ष पर रही, जहाँ राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज कुल चोरी के लगभग 30% मामले दर्ज किए गए।

2 अंतरराष्ट्रीय संबंध

संयुक्त राष्ट्र महासचिव का निर्वाचन

संयुक्त राष्ट्र के अगले महासचिव के चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। वर्तमान महासचिव अंतोनियो गुटेरेस का कार्यकाल 2026 के अंत में समाप्त होने के बाद, नए महासचिव जनवरी 2027 में पदभार ग्रहण करेंगे।

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव

- संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 97 के अंतर्गत महासचिव को संयुक्त राष्ट्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी नामित किया गया है। महासचिव, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों द्वारा सौंपे गए दायित्वों का पालन करते हैं।
- अनुच्छेद 99 महासचिव को स्वतंत्र राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है, जिसके माध्यम से वे वैश्विक शान्ति के लिए उत्पन्न खतरों की ओर सुरक्षा परिषद का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं।
- महासचिव संयुक्त राष्ट्र के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के कार्यों का पर्यवेक्षण करते हैं तथा संगठन के प्रमुख अंगों द्वारा सौंपे गए अन्य दायित्वों का भी निर्वहन करते हैं।
- महासचिव को यह अधिकार भी प्राप्त है कि वे वैश्विक शान्ति और सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले किसी भी विषय को सुरक्षा परिषद के समक्ष प्रस्तुत कर सकें।
- **महासचिव को प्रायः** विश्व का श्मुख्य राजनयिकश कहा जाता है। वे अंतरिक्ष में शस्त्रों की होड़, जलवायु परिवर्तन तथा लगातार बनी हुई असमानता जैसे विषयों पर विश्व की नैतिक चेतना के स्वर के रूप में अपनी बात रखते हैं।
- **निर्वाचन**
  - महासचिव की नियुक्ति महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर की जाती है। इसका अर्थ है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य-चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के पास महासचिव के निर्वाचन में महत्त्वपूर्ण प्रभाव होता है।
  - यद्यपि महासचिव का कार्यकाल तकनीकी रूप से विवेकाधीन है, फिर भी 1981 से पदासीन महासचिवों ने स्वेच्छा से स्वयं को अधिकतम दो कार्यकालों तक ही सीमित रखा है। परम्परा के अनुसार, यह पद विश्व के पाँच क्षेत्रों-अफ्रीका, एशिया, पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप तथा लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन क्षेत्र के बीच क्रमशः परिवर्तित होता है।

यूरोपीय संघ-मर्कोसुर व्यापार समझौता

यूरोपीय संघ (EU) और मर्कोसुर (MERCOSUR) ने जनवरी 2026 में एक महत्त्वपूर्ण व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह 1 मई 2026 से अस्थायी रूप से प्रभावी है और लगभग 70 करोड़ लोगों को समाहित करने वाले विश्व के सबसे बड़े मुक्त व्यापार क्षेत्रों में से एक का निर्माण करता है, यद्यपि यूरोपीय संघ के भीतर कुछ चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं।

प्रमुख प्रावधान

- **टैरिफ का उन्मूलनः** मर्कोसुर, यूरोपीय संघ से आने वाले 91% वस्तुओं पर आयात शुल्क समाप्त करेगा, जिससे मोटर वाहन, मशीनरी तथा औषधियों पर लगने वाले ऊँचे शुल्क में उल्लेखनीय कमी आएगी।
  - यूरोपीय संघ, मर्कोसुर से आने वाली 92% वस्तुओं पर आयात शुल्क समाप्त करेगा।
- **कृषि एवं संरक्षणः**
  - यह समझौता यूरोपीय संघ की मदिरा, जैतून के तेल तथा आसवित मादक पेयों पर शुल्कों में शीघ्र कटौती का प्रावधान करता है तथा यूरोपीय संघ के 344 भौगोलिक संकेतकों को संरक्षण प्रदान करता है।
  - साथ ही, यूरोपीय बाजारों की रक्षा के लिए गोमांस तथा कुक्कुट मांस जैसे मर्कोसुर के संवेदनशील निर्यातों पर सीमित आयात-कोटा निर्धारित करता है।

मर्कोसुर

- **स्थापनाः** वर्ष 1991 में वस्तुओं, पूँजी तथा लोगों की मुक्त आवाजाही के उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई। वर्ष 1995 से यह सीमा शुल्क संघ के रूप में कार्य कर रहा है।
- **सदस्यः** अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे तथा उरुग्वे। वेनेजुएला को वर्ष 2017 में निलंबित कर दिया गया था।
- **विस्तारः** बोलिविया ने जुलाई 2024 में अपनी अनुमोदन-पत्र जमा कर दिया और उसे वर्ष 2028 तक इस समूह के समस्त नियामकीय ढाँचे को पूर्णतः अपनाना होगा।

भू-राजनीतिक परिप्रेक्ष्य

- **समर्थकः** जर्मनी और स्पेन जैसे देशों का मानना है कि यह समझौता बाह्य व्यापारिक झटकों (जैसे अमेरिका द्वारा लगाए गए शुल्क) के विरुद्ध एक महत्त्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। साथ ही, यह चीन पर निर्भरता कम करने के लिए दक्षिण अमेरिका के महत्त्वपूर्ण खनिजों (जैसे लिथियम और नायोबियम) की आपूर्ति सुनिश्चित करने का एक रणनीतिक माध्यम भी है।
- **आलोचकः** पर्यावरणविदों का तर्क है कि सस्ते कृषि आयात यूरोप के घरेलू किसानों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को कमजोर करेंगे। उनका यह भी कहना है कि व्यापार में वृद्धि से अमेजन वर्षावन का विनाश और तेज होगा।

भारत के लिए निहितार्थ

- वर्तमान में भारत और मर्कोसुर के बीच केवल एक अधिमान्य व्यापार समझौता (PTA) है, जिसके अंतर्गत 500 से भी कम वस्तुएँ शामिल हैं।
- यूरोपीय संघ-मर्कोसुर समझौते के क्रियान्वयन से यह अपेक्षा की जा रही है कि भारत, दक्षिण अमेरिकी समूह के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) पर चल रही वार्ताओं में तेजी लाएगा।

प्रोजेक्ट फ्रीडम

संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी हाल ही में प्रारम्भ की गई सैन्य एवं मानवीय पहल प्रोजेक्ट फ्रीडम को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। इस स्थगन का उद्देश्य पाकिस्तान की मध्यस्थता में चल रही कूटनीतिक वार्ताओं को ईरान के साथ अंतिम समझौता सुनिश्चित करने का अवसर प्रदान करना है।

परिचय

- **पृष्ठभूमि:** 28 फरवरी से हॉर्मुज जलडमरूमध्य अधिकांशतः बंद है, जिसका कारण ईरान पर अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए हवाई हमले हैं। यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण जलमार्ग सामान्यतः वैश्विक कच्चे तेल एवं द्रवीकृत प्राकृतिक गैस के लगभग 20% समुद्री परिवहन का वहन करता है। इसके बंद होने से अनेक तटस्थ व्यापारिक पोत फँस गए हैं।

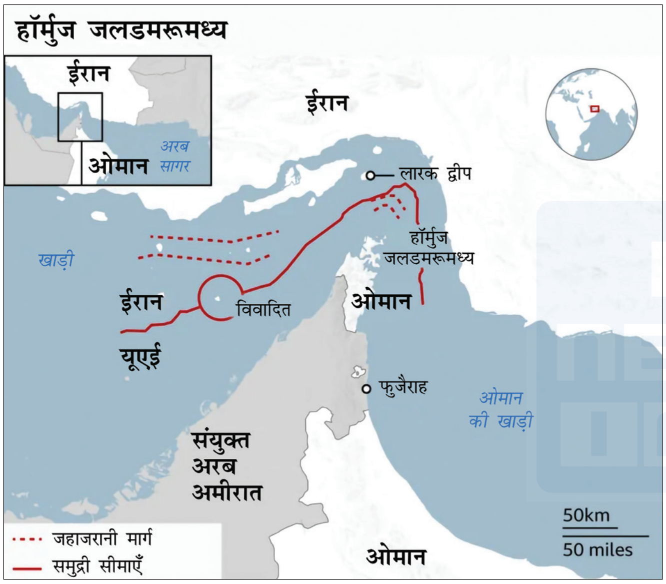

- **प्रोजेक्ट फ्रीडम:** इस परियोजना की शुरुआत मई 2026 में की गई।
    - अमेरिकी केंद्रीय कमान (CENTCOM) के इस अभियान के अंतर्गत 15,000 सैन्यकर्मी, निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विध्वंसक युद्धपोत (जिसमें यूएसएस ट्रिपोली समूह भी शामिल है), मानव रहित प्रणालियाँ तथा 100 से अधिक विमान (एफ-16, एफ-35 तथा सी हॉक) तैनात किए गए, ताकि चौबीसों घंटे सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
- **उद्देश्य:** कई सप्ताह से जहाजों पर फँसे 87 देशों के लगभग 23,000 नागरिकों को सुरक्षित निकालना। हॉर्मुज जलडमरूमध्य को पुनः खोलकर वैश्विक ऊर्जा व्यापार को पुनः प्रारम्भ करना। ओमान के समुद्री क्षेत्र में एक 'उन्नत सुरक्षा क्षेत्र' स्थापित करना, जिससे तटस्थ जहाजों को ईरान के ड्रोन, समुद्री सुरंगों तथा तीव्र गति वाली नौकाओं से सुरक्षा प्रदान की जा सके।

भारत-श्रीलंका आर्थिक सहयोग

भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) तथा सीलोन वाणिज्य मंडल के संयुक्त तत्वावधान में मुंबई में आयोजित भारत-श्रीलंका व्यापार मंच ने सहयोग के छह प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान की।

पृष्ठभूमि

- भारत, श्रीलंका का सबसे निकटतम पड़ोसी है तथा दोनों देशों के संबंध 2,500 वर्षों से भी अधिक पुराने हैं। दोनों के बीच गहरे सभ्यतागत एवं ऐतिहासिक संबंध हैं।
- श्रीलंका हिंद महासागर के महत्त्वपूर्ण समुद्री संचार मार्गों (SLOCs) के निकट स्थित है, जिनसे होकर भारत की 60% से अधिक ऊर्जा आपूर्ति तथा उसका महत्त्वपूर्ण व्यापार संचालित होता है।
- श्रीलंका, भारत की 'पड़ोसी प्रथम' नीति तथा महासागर (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास हेतु पारस्परिक एवं समग्र प्रगति) दृष्टि में अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।

सहयोग के प्रमुख क्षेत्र

- **बंदरगाह:** भारत और श्रीलंका व्यापार तथा क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखलाओं को सुदृढ़ करने के लिए बंदरगाह अवसंरचना और समुद्री संपर्क में सहयोग की संभावनाओं का अध्ययन कर रहे हैं।
- **परिवहन एवं रसद:** नौवहन मार्गों, रेल संपर्क, भंडारण सुविधाओं तथा शीत भंडारण अवसंरचना में सुधार कर रसद दक्षता बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है।
- **औषधि क्षेत्र:** श्रीलंका ने वर्तमान मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के अंतर्गत भारत से किफायती जेनेरिक औषधियों के आयात में रुचि दिखाई है।
- **डिजिटल भुगतान:** श्रीलंका, भारत के साथ यूपीआई जैसी सीमा-पार डिजिटल भुगतान प्रणाली विकसित करने की संभावनाओं का अध्ययन कर रहा है।
- **यात्रा एवं पर्यटन:** बेहतर वीजा सुविधाओं तथा पर्यटन परिपथों के माध्यम से पर्यटन एवं यात्रा संपर्क का विस्तार किया जा रहा है।

द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग की चुनौतियाँ

- **व्यापार असंतुलन:** श्रीलंका को भारत के साथ व्यापार घाटे की चिंता है।
- **नियामकीय बाधाएँ:** सीमा शुल्क निकासी तथा नियामकीय अनुमोदनों में विलंब व्यापार की दक्षता को प्रभावित करता है।
- **अवसंरचनात्मक सीमाएँ:** अपर्याप्त रसद एवं परिवहन अवसंरचना व्यापार लागत बढ़ा सकती है।
- **आर्थिक अस्थिरता:** श्रीलंका के हालिया आर्थिक संकट ने निवेशकों के विश्वास को प्रभावित किया है।
- **भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा:** बंदरगाहों एवं अवसंरचना जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में बाहरी शक्तियों के बीच प्रभाव स्थापित करने की प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है।

भारत-श्रीलंका संबंध

- **व्यापारिक संबंध:** भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता (ISFTA), जो वर्ष 2000 में लागू हुआ, ने दोनों देशों के बीच व्यापार के विस्तार में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।
- **सांस्कृतिक संबंध:** वर्ष 1977 में हस्ताक्षरित सांस्कृतिक सहयोग समझौता दोनों देशों के बीच समय-समय पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों का आधार है।

- **पर्यटन:** भारत परंपरागत रूप से श्रीलंका में आने वाले विदेशी पर्यटकों का सबसे बड़ा स्रोत रहा है, जबकि चीन दूसरे स्थान पर है।
- **समुद्री सुरक्षा एवं रक्षा सहयोग:** वर्ष 2011 में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की स्थापना का निर्णय लिया गया, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करना है।
- भारत और श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास 'मित्र शक्ति', त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 'दोस्ती' तथा नौसैनिक अभ्यास 'स्लाइनेक्स (SLINEX)' का आयोजन करते हैं।
- **बहुपक्षीय मंचों में सहयोग:** भारत और श्रीलंका दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC), दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम, दक्षिण एशियाई आर्थिक संघ तथा बिम्सटेक (BIMSTEC) के सदस्य हैं और सांस्कृतिक तथा व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए मिलकर कार्य करते हैं।

फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत का दो-राष्ट्र समाधान का समर्थन

हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पुनः दोहराया कि वह दो-राष्ट्र समाधान का समर्थन करता है, जिसके अंतर्गत फिलिस्तीनियों को सुरक्षित सीमाओं के भीतर एक स्वतंत्र राष्ट्र में स्वतंत्रतापूर्वक रहने का अधिकार मिले, साथ ही इजराइल की वैध सुरक्षा चिंताओं का भी समाधान सुनिश्चित किया जाए।

पृष्ठभूमि

- दो-राष्ट्र समाधान की अवधारणा ब्रिटिश शासनाधीन फिलिस्तीन में अरबों और यहूदियों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष से उत्पन्न हुई।
- वर्ष 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को अलग-अलग अरब और यहूदी राज्यों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा, किंतु अरब देशों ने इसे अस्वीकार कर दिया।
- वर्ष 1948 में इजराइल की स्थापना हुई। इसके बाद पड़ोसी अरब देशों के साथ युद्ध छिड़ गया, जिसके परिणामस्वरूप इजराइल ने अधिकांश क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया।
- वर्ष 1967 में इजराइल ने पश्चिमी तट (वेस्ट बैंक), पूर्वी यरुशलम तथा गाजा पट्टी पर अधिकार कर लिया, जिससे बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी या तो विस्थापित हो गए अथवा कब्जे वाले क्षेत्रों में रहने के लिए विवश हुए।
- ओस्लो समझौते, जिनकी मध्यस्थता संयुक्त राज्य अमेरिका ने की और जिन पर 1990 के दशक में इजराइल तथा फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (PLO) ने हस्ताक्षर किए, के परिणामस्वरूप फिलिस्तीनी प्राधिकरण की स्थापना हुई तथा उसे पश्चिमी तट के कुछ भागों का प्रशासनिक नियंत्रण प्रदान किया गया।

दो-राष्ट्र समाधान क्या है?

- दो-राष्ट्र समाधान इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष के समाधान हेतु प्रस्तावित एक शांति योजना है, जिसके अंतर्गत दोनों देश स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण रूप से साथ-साथ अस्तित्व में रहेंगे।
- यह विचार वर्ष 1967 के अरब-इजराइल युद्ध के बाद सामने आया, जब इजराइल ने पश्चिमी तट और गाजा पट्टी पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया।
- इस योजना के अंतर्गत इजराइल, फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा, जबकि फिलिस्तीन इजराइल के अस्तित्व के अधिकार को स्वीकार करेगा। दोनों देशों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाएँ होंगी तथा पूर्वी यरुशलम फिलिस्तीन की राजधानी होगी।

वैश्विक मान्यता

- संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने दो-राष्ट्र समाधान का प्रबल समर्थन करते हुए इसे वर्षों से चले आ रहे संघर्ष और हिंसा के बाद स्थायी शांति प्राप्त करने का एकमात्र व्यावहारिक उपाय बताया।
- संयुक्त राज्य अमेरिका ने फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देने संबंधी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को अपने वीटो अधिकार का प्रयोग कर अवरुद्ध कर दिया।

भारत का दृष्टिकोण

- भारत ने पुनः दोहराया कि वह दो-राष्ट्र समाधान का समर्थन करता है तथा एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना के साथ-साथ इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने का पक्षधर है।
- फिलिस्तीन की संयुक्त राष्ट्र सदस्यता के आवेदन पर पुनर्विचार किया जाएगा। भारत ने इस विषय पर होने वाली आगामी संयुक्त राष्ट्र चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी का भी आश्वासन दिया।

प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात यात्रा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की ऐतिहासिक राजनयिक यात्रा की। यह उनकी नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली सहित पाँच देशों की यात्रा का पहला पड़ाव था।

प्रमुख परिणाम

- भारतीय सामरिक पेट्रोलियम भंडार लिमिटेड (ISPRL) और अबू धाबी राष्ट्रीय तेल कंपनी (ADNOC) के बीच सामरिक सहयोग पर समझौता ज्ञापन। ऊर्जा भंडारण तथा आपूर्ति सुरक्षा में सहयोग।
- भारत में द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) तथा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) भंडारण अवसंरचना के विकास में सहयोग।

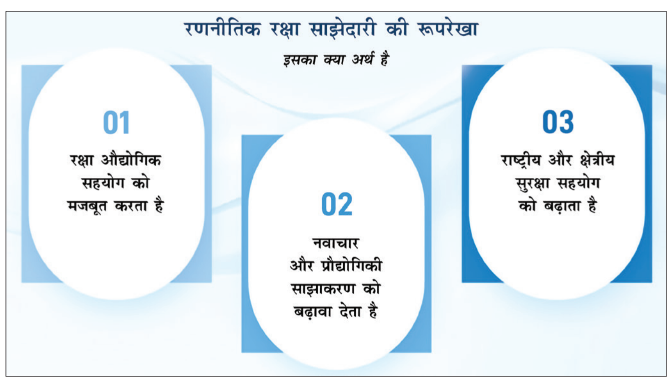

- **सामरिक रक्षा साझेदारी की रूपरेखा:**
  - कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) और ड्राईडॉक्स वर्ल्ड (DDW) के बीच गुजरात के वाडीनार में जहाज मरम्मत समूह स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन।
  - भारत सरकार की समुद्री विकास निधि योजना के अंतर्गत अपतटीय निर्माण कार्यों में सहयोग।
- कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL), ड्राईडॉक्स वर्ल्ड (DDW) तथा समुद्री एवं जहाज निर्माण उत्कृष्टता केंद्र (CEMS) के बीच जहाज मरम्मत क्षेत्र में कौशल विकास हेतु समझौता ज्ञापन।
- **सुपर कम्प्यूटिंग क्लस्टर्स:** भारत के सी-डैक (CDAC) तथा संयुक्त अरब अमीरात की जी-42 के बीच साझेदारी में 8 एक्साफ्लॉप क्षमता वाले अति-उच्च क्षमता संगणन समूह स्थापित करने हेतु प्रारूप समझौता।
  - यह भारत के कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन के अंतर्गत अति-उच्च क्षमता संगणन अवसंरचना विकसित करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
- **संयुक्त अरब अमीरात का भारत में निवेश:** अबू धाबी निवेश प्राधिकरण (ADIA) तथा भारत के राष्ट्रीय अवसंरचना एवं निवेश कोष (NIIF) ने भारत के अवसंरचना क्षेत्र में 1 अरब अमेरिकी डॉलर तक निवेश की संभावनाओं का अध्ययन करने पर सहमति व्यक्त की।

भारत-संयुक्त अरब अमीरात संबंध राजनीतिक संबंध

- भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने वर्ष 1972 में राजनयिक संबंध स्थापित किए। वर्ष 2017 में इन संबंधों को व्यापक सामरिक साझेदारी (CSP) का स्वरूप दिया गया।
- **व्यापार एवं निवेश संबंध:** वित्तीय वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वस्तु व्यापार पहली बार 101.25 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचा।
  - दोनों देशों ने वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
  - दोनों देशों ने वर्ष 2024 में द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए।
  - वर्ष 2000 से 2025 के बीच संयुक्त अरब अमीरात से भारत में 25.19 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ, जिससे वह भारत का सातवाँ सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बन गया।
- **ऊर्जा व्यापार वित्तीय वर्ष 2024-25 में संयुक्त अरब अमीरात भारत के लिए:** कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा स्रोत, द्रवीकृत प्राकृतिक गैस का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता, तथा परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य रहा।
- **रक्षा सहयोग:** रक्षा सहयोग का संचालन संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (JDCC) के माध्यम से किया जाता है। वर्ष 2003 में रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जो वर्ष 2004 में प्रभावी हुआ।
- **अंतरिक्ष सहयोग:** वर्ष 2016 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) तथा संयुक्त अरब अमीरात अंतरिक्ष एजेंसी ने बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग एवं अन्वेषण में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- **भारतीय समुदाय:** संयुक्त अरब अमीरात में लगभग 35 लाख भारतीय निवास करते हैं, जो वहाँ का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है और देश की कुल जनसंख्या का लगभग 35% है।
- **बहुपक्षीय सहयोग:** भारत और संयुक्त अरब अमीरात भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC), आई2यू2 (भारत-इजराइल-संयुक्त अरब अमीरात-संयुक्त राज्य अमेरिका) तथा संयुक्त अरब अमीरात-फ्रांस-भारत त्रिपक्षीय मंच (UFI) सहित अनेक बहुपक्षीय पहलों में सहयोग कर रहे हैं।

चुनौतियाँ

- **व्यापार असंतुलन:** संयुक्त अरब अमीरात से बड़े पैमाने पर कच्चे तेल के आयात के कारण भारत को व्यापार घाटे का सामना करना पड़ता है।
- **क्षेत्रीय भू-राजनीतिक तनाव:** मध्य पूर्व एवं खाड़ी क्षेत्र की राजनीतिक अस्थिरता भारत के रणनीतिक हितों और द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करती है।
- **श्रम एवं प्रवासन संबंधी मुद्दे:** संयुक्त अरब अमीरात में कार्यरत भारतीय श्रमिकों के कल्याण और अधिकारों से जुड़े विषय समय-समय पर चिंता का कारण बनते हैं।
- **संयुक्त अरब अमीरात की विदेश नीति:** ईरान और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ भारत के संबंध कभी-कभी संयुक्त अरब अमीरात के साथ उसके संबंधों को प्रभावित करते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय रणनीतिक प्राथमिकताएँ भिन्न हैं।

आगे की राह

- भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध पारंपरिक व्यापारिक संपर्कों से आगे बढ़कर एक व्यापक सामरिक साझेदारी में परिवर्तित हो चुके हैं।
- आज यह साझेदारी ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश तथा रक्षा सहयोग जैसे अनेक क्षेत्रों तक विस्तृत हो चुकी है।
- प्रधानमंत्री की वर्ष 2026 की यात्रा के परिणामों ने द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक सुदृढ़ किया है। जैसे-जैसे दोनों देश अपनी आर्थिक एवं भू-राजनीतिक प्राथमिकताओं में सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं, यह साझेदारी क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकीय प्रगति में और अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना रखती है।

किम्बर्ली प्रक्रिया

किम्बर्ली प्रक्रिया की अंतरिम बैठक 2026 का समापन मुंबई में हुआ।

परिचय

- किम्बर्ली प्रक्रिया सरकारों, अंतरराष्ट्रीय हीरा उद्योग तथा नागरिक समाज की एक त्रिपक्षीय पहल है, जिसका उद्देश्य संघर्षग्रस्त हीरों के व्यापार को रोकना है। यह किम्बर्ली प्रक्रिया प्रमाणन योजना (KPCS) के माध्यम से संचालित होती है।
- **इतिहास:** किंबरले प्रक्रिया प्रमाणन योजना (KPCS) की स्थापना संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव के अनुरूप की गई थी और यह 1 जनवरी 2003 से प्रभावी हुई।
- **सदस्य:** किम्बर्ली प्रक्रिया की सदस्यता किसी भी ऐसे देश के लिए खुली है, जो इसके निर्धारित मानकों को पूरा करता हो।
  - वर्तमान में इसमें 60 प्रतिभागी हैं, जो 86 देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यूरोपीय संघ तथा उसके 27 सदस्य देश यूरोपीय आयोग के अंतर्गत एक ही प्रतिभागी के रूप में गिने जाते हैं।

- भारत किम्बर्ली प्रक्रिया का संस्थापक सदस्य है। इसके सदस्य वैश्विक कच्चे हीरों के व्यापार के 99% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- अध्यक्ष, किम्बर्ली प्रक्रिया प्रमाणन योजना (KPCS) के क्रियान्वयन तथा इसके कार्य समूहों, समितियों और प्रशासनिक तंत्र के संचालन की देखरेख करता है।
- **सचिवालय:** किम्बर्ली प्रक्रिया का सचिवालय गाबोरोन (बोत्सवाना) में स्थित है।

कंफ्लिक्ट डायमंड क्या हैं?

- वे कच्चे हीरे हैं, जिनका खनन युद्धग्रस्त क्षेत्रों में किया जाता है तथा जिनकी बिक्री से प्राप्त धन का उपयोग सशस्त्र संघर्ष, विद्रोह अथवा वैध सरकारों के विरुद्ध विद्रोही गतिविधियों के वित्तपोषण में किया जाता है।
- 1990 के दशक में सिएरा लियोन, अंगोला तथा लाइबेरिया जैसे अफ्रीकी देशों के गृहयुद्धों में ऐसे हीरों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही थी।

थ्यूसीडिडीज ट्रैप

हाल के वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के संबंधों पर चर्चा के दौरान 'थ्यूसीडिडीज ट्रैप' की अवधारणा का बार-बार उल्लेख किया जा रहा है।

'थ्यूसीडिडीज ट्रैप' क्या है?

- थ्यूसीडिडीज ट्रैप वह अवधारणा है, जिसके अनुसार जब कोई उभरती हुई शक्ति किसी स्थापित शक्ति का स्थान लेने की स्थिति में पहुँचती है, तो युद्ध की संभावना बढ़ जाती है।
- यह विचार प्राचीन यूनानी इतिहासकार थ्यूसीडिडीज से जुड़ा है, जिन्होंने स्पार्टा द्वारा एथेंस के बढ़ते प्रभाव के प्रति उत्पन्न भय को पेलोपोनीशियन युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक बताया था।
- हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विद्वान ग्राहम एलिसन ने विश्व इतिहास के विभिन्न उदाहरणों का अध्ययन करने के बाद 'थ्यूसीडिडीज ट्रैप' शब्द को लोकप्रिय बनाया।
- आधुनिक विदेश नीति के संदर्भ में इस अवधारणा का प्रयोग प्रायः संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव को समझाने के लिए किया जाता है। इसके अनुसार चीन का उदय अमेरिका के साथ संघर्ष की संभावना को बढ़ा सकता है।

सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायाधिकरण का निर्णय

भारत ने मध्यस्थता न्यायाधिकरण (CoA) के नवीनतम निर्णय को अस्वीकार कर दिया है। यह पाँच सदस्यीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण वर्ष 2023 में पाकिस्तान के अनुरोध पर जम्मू-कश्मीर में भारत की किशनगंगा तथा रतले जलविद्युत परियोजनाओं की अभिकल्पना से संबंधित विवाद के समाधान हेतु गठित किया गया था।

सिंधु जल संधि (IWT) क्या है?

- सिंधु जल संधि पर 19 सितम्बर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में नौ वर्षों की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। विश्व बैंक भी इस संधि का हस्ताक्षरकर्ता है।
- इस संधि के अंतर्गत पाकिस्तान को तीन पश्चिमी नदियों यथा; सिंधु, झेलम और चिनाब पर अधिकार प्राप्त है, जबकि भारत के पास तीन पूर्वी नदियों यथा; रावी, ब्यास और सतलुज का नियंत्रण है।
- इस संधि के अनुसार सिंधु नदी प्रणाली के लगभग 80% जल तक पाकिस्तान की पहुँच सुनिश्चित होती है, जबकि भारत के पास लगभग 20% जल तथा पश्चिमी नदियों पर सिंचाई, विद्युत उत्पादन और अन्य गैर-उपभोगात्मक उपयोगों के सीमित अधिकार हैं।
- संधि के अंतर्गत स्थायी सिंधु आयोग (PIC) की स्थापना की गई, जो सहयोग और सूचनाओं के आदान-प्रदान का तंत्र है तथा विवाद समाधान का प्रथम स्तर भी है।
- पहलगाम आतंकवादी हमले के एक दिन बाद भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध दंडात्मक उपायों के अंतर्गत 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया।

सिंधु जल संधि के अंतर्गत विवाद समाधान तंत्र

सिंधु जल संधि में तीन-स्तरीय विवाद समाधान व्यवस्था का प्रावधान है-

- **टियर 1:** स्थायी सिंधु आयोग (PIC) यह दोनों देशों के आयुक्तों से मिलकर बना द्विपक्षीय निकाय है। यह सामान्य प्रश्नों का समाधान करता है।
- **टियर 2:** तटस्थ विशेषज्ञ किसी भी पक्ष के अनुरोध पर विश्व बैंक द्वारा तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाती है। यह तकनीकी मतभेदों का समाधान करता है।
- **टियर 3:** मध्यस्थता न्यायाधिकरण (CoA) जब कानूनी अथवा संधि की व्याख्या से संबंधित विवाद अन्य स्तरों पर हल नहीं हो पाते, तब मध्यस्थता न्यायाधिकरण का गठन किया जाता है।

भारत-इटली विशेष सामरिक साझेदारी

भारत और इटली ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष सामरिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया है।

प्रमुख विशेषताएँ

- दोनों देशों ने 10 समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए, जिनमें महत्त्वपूर्ण खनिजों, कृषि, समुद्री परिवहन तथा समुद्री उत्पादों के क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने से संबंधित समझौते शामिल हैं।
- भारत और इटली ने सैन्य उपकरणों एवं रक्षा मंचों, जिनमें हेलीकॉप्टर तथा नौसैनिक आयुध शामिल हैं, के संयुक्त विकास और संयुक्त उत्पादन के लिए एक रक्षा औद्योगिक रूपरेखा प्रस्तुत की।
- दोनों देशों ने भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEEC) में सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। दोनों देशों ने वर्तमान 14 अरब यूरो के द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर वर्ष 2029 तक 20 अरब यूरो करने का संकल्प लिया।

भारत-इटली द्विपक्षीय संबंध: संक्षिप्त परिचय

- **राजनीतिक संबंध:** भारत और इटली के बीच वर्ष 1947 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए। राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगाँठ के अवसर पर वर्ष 2023 में इन्हें सामरिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया गया।

- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र:** वर्ष 2021 में भारत-इटली-जापान त्रिपक्षीय संवाद प्रारम्भ किया गया, जिसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा, स्थिरता, समृद्धि तथा बहुपक्षवाद को बढ़ावा देना है।
- **संयुक्त कार्य योजना:** जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री तथा उनके इतालवी समकक्ष ने संयुक्त सामरिक कार्य योजना 2025-29 का अनावरण किया।
    - यह पाँच वर्षीय कार्य योजना रक्षा, अर्थव्यवस्था, संपर्क, विज्ञान एवं नवाचार, प्रवासन एवं गतिशीलता, अंतरिक्ष तथा ऊर्जा संक्रमण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की रूपरेखा प्रस्तुत करती है।
- **वैश्विक मंचों पर सहयोग:** इटली ने जी-20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर प्रारम्भ की गई दोनों प्रमुख पहलों- वैश्विक जैव-ईंधन गठबंधन तथा भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEEC)- में भागीदारी की।
    - वर्ष 2021 में इटली अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) का सदस्य बना। उसी वर्ष इटली जी-20 का अध्यक्ष तथा COP-26 का सह-अध्यक्ष भी था।
- **आर्थिक संबंध:** इटली, यूरोपीय संघ में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वर्ष 2025 में दोनों देशों के बीच व्यापार 14.25 अरब यूरो तक पहुँचा, जिसमें भारत का निर्यात 8.55 अरब यूरो रहा तथा 2.85 अरब यूरो का व्यापार अधिशेष भारत के पक्ष में रहा।
    - यूरोपीय संघ-भारत मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करता है।

भारतीय प्रवासी समुदाय

- इटली में रहने वाला भारतीय समुदाय यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा भारतीय प्रवासी समुदाय है। भारतीय समुदाय इटली में रहने वाले विदेशी नागरिकों का सातवाँ सबसे बड़ा समुदाय है, जो वहाँ की विदेशी आबादी का लगभग 3.25% है।
- वर्ष 2023 में प्रवासन एवं गतिशीलता समझौते (MMA) पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे श्रमिकों का सुरक्षित एवं वैध प्रवासन सुगम बनाया जा सके

भारत के लिए इटली का महत्त्व

- इटली, यूरोपीय संघ, जी-7 तथा नाटो का प्रमुख सदस्य होने के कारण भारत के लिए यूरोप के साथ सामरिक सहयोग का एक महत्त्वपूर्ण भागीदार है।
- यह साझेदारी विनिर्माण, विलासिता उत्पाद, अभियांत्रिकी, रक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा तथा जलवायु प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को सुदृढ़ करती है।
- भूमध्यसागर में इटली की भौगोलिक स्थिति भारत की समुद्री संपर्क क्षमता तथा यूरोप एवं उत्तरी अफ्रीका तक पहुँच को भी सशक्त बनाती है।

प्रधानमंत्री मोदी को एग्रीकोला पदक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इटली के रोम स्थित खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) मुख्यालय में प्रतिष्ठित एग्रीकोला पदक से सम्मानित किया गया।

एग्रीकोला पदक

- एग्रीकोला पदक खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है।
- इस पदक का नाम जॉर्जियस एग्रीकोला के नाम पर रखा गया है, जिन्हें व्यापक रूप से 'खनिज विज्ञान का जनक' तथा कृषि एवं खनन विज्ञान का अग्रदूत माना जाता है।
- यह सम्मान उन विशिष्ट विश्व नेताओं एवं व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है, जिन्होंने वैश्विक खाद्य सुरक्षा, सतत कृषि, निर्धनता उन्मूलन तथा बेहतर पोषण के क्षेत्र में दीर्घकालिक और असाधारण योगदान दिया हो।

खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO)

- खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है, जो विश्व से भूख समाप्त करने तथा खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है।
- इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी।
- **सदस्य:** इसमें 194 देश तथा यूरोपीय संघ सहित कुल 195 सदस्य हैं।
- **मुख्यालय:** रोम, इटली।

उपहारों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक कूटनीति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड और इटली की अपनी पाँच देशों की राजनयिक यात्रा के दौरान विश्व नेताओं को भारत की पारंपरिक हस्तकलाएँ, वस्त्र तथा क्षेत्रीय कलाकृतियाँ भेंट कीं।

विश्व नेताओं को दिए गए उपहार

- इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को असम का मूगा रेशम का दुपट्टा तथा मणिपुर का शिरुई लिली रेशम का धवल दुपट्टा भेंट किया गया।
- मूगा रेशम को असम का "स्वर्णिम रेशम" कहा जाता है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी में बिना कृत्रिम रंगों के तैयार किया जाने वाला दुर्लभ वस्त्र है।
- शिरुई लिली रेशम का दुपट्टा मणिपुर की शिरुई काशोंग चोटी तथा दुर्लभ शिरुई लिली पुष्प से प्रेरित है।
- नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा को राजस्थान की मीनाकारी और कुंदन की बालियाँ भेंट की गईं।
- नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गाहर स्तोरे को सिक्किम के वास्तविक दबाए गए ऑर्किड एवं फर्न से निर्मित ऑर्किड चित्रकला तथा कागज दबाने के अलंकरण भेंट किए गए। नॉर्वे के राजा हैराल्ड पंचम को ओडिशा के कटक की पारंपरिक तारकशी रजत जड़ाई कला से निर्मित रजत नौका का प्रतिरूप भेंट किया गया।
- स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन को पश्चिम बंगाल का शांतिनिकेतन संदेशवाहक थैला तथा रवीन्द्रनाथ ठाकुर की रचनाएँ भेंट की गईं।
- संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नाहयान को गुजरात की रोगन चित्रकला भेंट की गई, जिसमें "जीवन वृक्ष" की आकृति अंकित थी।
    - रोगन कला गुजरात के कच्छ क्षेत्र की एक दुर्लभ वस्त्र चित्रकला परंपरा है।
    - इसके साथ गुजरात के जूनागढ़ के केसर आमों का एक उपहार-पात्र भी भेंट किया गया।

ऐसे उपहारों का महत्त्व

- ये उपहार भारत के स्थानीय शिल्पकारों, पारंपरिक हस्तकलाओं तथा भौगोलिक संकेतक (GI) से जुड़े उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाते हैं।
- ये भारत की सांस्कृतिक कूटनीति को सुदृढ़ करते हैं तथा विश्व स्तर पर भारत की सॉफ्ट पावर (Soft Power) को बढ़ावा देते हैं।

भारत द्वारा इथियोपिया के विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश का समर्थन

भारत और इथियोपिया ने जिनेवा में एक द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। यह इथियोपिया के विश्व व्यापार संगठन (WTO) का सदस्य बनने की प्रक्रिया का एक महत्त्वपूर्ण चरण है।

विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश (WTO Accession)

- विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश वह प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से कोई गैर-सदस्य देश विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनता है।
- **इस प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं-**
  - विश्व व्यापार संगठन को सदस्यता हेतु आवेदन प्रस्तुत करना।
  - देश की व्यापार नीतियों की समीक्षा के लिए कार्यकारी दल का गठन।
  - देश के घरेलू व्यापार एवं आर्थिक कानूनों को विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप बनाना।
  - वर्तमान सदस्य देशों के साथ बाजार पहुँच संबंधी प्रतिबद्धताओं पर वार्ता करना।
- वार्ता पूर्ण होने के बाद सदस्यता की शर्तों को विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों द्वारा अनुमोदित किया जाता है तथा उसके पश्चात आवेदक देश द्वारा उनका अनुमोदन (अनुसमर्थन) किया जाता है।
- **नोट:** इथियोपिया ने वर्ष 2003 में विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता के लिए आवेदन किया था और वर्तमान में वह सदस्यता प्रक्रिया के उन्नत चरण में है।

विश्व व्यापार संगठन (WTO)

- विश्व व्यापार संगठन (WTO) एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जो देशों के बीच व्यापार से संबंधित नियमों का संचालन करता है।
- **इतिहास:** विश्व व्यापार संगठन, सीमा शुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते (GATT) का उत्तराधिकारी संगठन है, जिसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना संबंधी मराकेश समझौते पर वर्ष 1994 में 123 देशों ने हस्ताक्षर किए, जिसके परिणामस्वरूप 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई।
- **मुख्यालय:** जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड
- **सदस्य:** वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के 166 सदस्य हैं।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना है, जिसे सदस्य देशों के बीच होने वाले व्यापार समझौतों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है। मराकेश समझौते की प्रस्तावना में इस संगठन के विकासात्मक उद्देश्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है।

एशियाई उत्पादकता संगठन (APO)

भारत ने 68वीं एशियाई उत्पादकता संगठन शासी निकाय बैठक की मेजबानी की, जिसमें क्षेत्रीय उत्पादकता सहयोग पर विशेष बल दिया गया।

परिचय

- एशियाई उत्पादकता संगठन की स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी। यह टोक्यो स्थित एक अंतर-सरकारी संगठन है, जो एशिया-प्रशांत क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग एवं क्षमता निर्माण के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने का कार्य करता है।
- **सदस्य:** वर्तमान में संगठन के 21 सदस्य अर्थतंत्र हैं, जिनमें बांग्लादेश, कंबोडिया, ताइवान, फिजी, हांगकांग (निष्क्रिय), भारत, इंडोनेशिया, ईरान, जापान, दक्षिण कोरिया, लाओस, मलेशिया, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, तुर्किये और वियतनाम शामिल हैं।
- भारत, संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक है तथा संगठन की दृष्टि को आकार देने और इसकी विभिन्न पहलों को समर्थन देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है।

शांति स्थापना अभियानों के समक्ष खतरे

स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान (SIPRI) ने चेतावनी दी है कि बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव तथा वित्तीय संकट के कारण, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र के अधीन संचालित शांति स्थापना अभियान गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों पर SIPRI की रिपोर्ट

- **शांति स्थापना कर्मियों की संख्या में तीव्र गिरावट:** दिसंबर 2025 तक संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना अभियानों में तैनात कर्मियों की संख्या घटकर 78,633 रह गई, जो पिछले 25 वर्षों का सबसे निम्न स्तर है। वर्ष 2016 की तुलना में यह लगभग 49% की कमी है।
  - वर्तमान में 34 देशों में केवल 58 सक्रिय बहुपक्षीय शांति अभियान संचालित हैं, जो वैश्विक संघर्ष-प्रबंधन में घटती भागीदारी को दर्शाता है।
- **संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में अभियानों का केंद्रीकरण:** शांति स्थापना बल मुख्यत: कुछ गंभीर संकटग्रस्त क्षेत्रों- मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिण सूडान, सोमालिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य तथा लेबनान में केंद्रित रहे।
- **वित्तीय संकट:** वर्ष 2025 में सदस्य देशों द्वारा अंशदान में विलंब अथवा भुगतान न किए जाने के कारण संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों को लगभग 2 अरब अमेरिकी डॉलर की वित्तीय कमी का सामना करना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप बजट में कटौती तथा कर्मियों की तैनाती में कमी आई।
- **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भू-राजनीतिक गतिरोध:** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के बीच बढ़ते मतभेदों के कारण नए शांति अभियानों को प्रारम्भ करना कठिन होता जा रहा है।
- **बहुपक्षवाद के प्रति घटता राजनीतिक समर्थन:** प्रमुख शक्तियाँ अब संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाले प्रयासों के बजाय राष्ट्रीय तथा द्विपक्षीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को प्राथमिकता दे रही हैं। इससे सामूहिक शांति स्थापना व्यवस्था कमजोर हो रही है तथा वैश्विक सुरक्षा प्रतिक्रियाएँ खंडित हो रही हैं।

- **आधुनिक संघर्षों की बदलती प्रकृति:** वर्तमान समय के अधिकांश संघर्ष आंतरिक, विद्रोह तथा आतंकवाद से प्रेरित हैं, जिससे पारंपरिक शांति स्थापना पद्धतियाँ कम प्रभावी होती जा रही हैं।
- **मेजबान देशों का प्रतिरोध:** अनेक देश शांति स्थापना बलों की पहुँच तथा कार्य करने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, जिससे अभियानों की प्रभावशीलता कम हो रही है।
- **क्षेत्रीय विकल्पों की सीमाएँ:** यद्यपि कई क्षेत्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र के स्थान पर शांति स्थापना की भूमिका निभा रहे हैं, किंतु उनके पास दीर्घकालिक अभियानों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हैं।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियान

- संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियान वैश्विक शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख तंत्र है। यह संघर्ष की रोकथाम, शांति स्थापना, शांति प्रवर्तन तथा शांति निर्माण जैसे अन्य संयुक्त राष्ट्र प्रयासों के साथ मिलकर कार्य करता है।
- संयुक्त राष्ट्र का पहला शांति स्थापना अभियान वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र युद्धविराम पर्यवेक्षण संगठन (UNTSO) की स्थापना के साथ प्रारम्भ हुआ, जिसका उद्देश्य मध्य पूर्व में युद्धविराम की निगरानी करना था।
- संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना बलों को वर्ष 1988 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया।
- वर्तमान में युगांडा सैन्य कर्मियों का सबसे बड़ा योगदानकर्ता है, इसके बाद नेपाल, बांग्लादेश और भारत का स्थान है।

उल्लेखनीय शांति स्थापना अभियान

- लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन (UNMIL): वर्ष 2003-2018
- मध्य अफ्रीकी गणराज्य और चाड में संयुक्त राष्ट्र मिशन (MINURCAT): वर्ष 2007-2010
- हैती में संयुक्त राष्ट्र स्थिरीकरण मिशन (MINUSTAH): वर्ष 2004-2017
- पूर्वी तिमोर में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन (UNMISET): वर्ष 2002-2005

क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक

ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्रियों की 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई।

क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग (QUAD)

- क्वाड भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक अनौपचारिक बहुपक्षीय समूह है, जिसका उद्देश्य स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए सहयोग को बढ़ावा देना है।
- **उत्पत्ति:** वर्ष 2004 की हिंद महासागर सुनामी के बाद चारों देशों ने मानवीय सहायता एवं आपदा राहत के लिए सहयोग प्रारम्भ किया।
    - वर्ष 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इसे औपचारिक रूप दिया, किंतु बाद में यह निष्क्रिय हो गया।
- लगभग एक दशक बाद 2017 में चीन के बढ़ते प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में इसे पुनः सक्रिय किया गया।

भारत के लिए महत्त्व

- क्वाड, भारत की पूर्व की ओर कार्य नीति (Act East Policy) को सशक्त बनाता है। यह सैन्य सहयोग तथा गुप्तचर सूचनाओं के आदान-प्रदान के माध्यम से समुद्री सुरक्षा को मजबूत करता है।
- यह समुद्री नौवहन की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। साथ ही, यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का संतुलन स्थापित करने तथा नियम-आधारित बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था एवं क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत की भूमिका को सुदृढ़ करने में सहायक है।

हाल की क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की प्रमुख विशेषताएँ

- हिंद-प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग क्वाड देशों ने पहली बार हिंद-प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग (IPMSC) पहल प्रारम्भ की। इसका उद्देश्य समुद्री क्षेत्र जागरूकता तथा सूचना साझा करने को सुदृढ़ करना है। प्रारंभिक ध्यान हिंद महासागर क्षेत्र पर रहेगा।
- समुद्री क्षेत्र जागरूकता साझेदारी का विस्तार चारों देशों ने हिंद-प्रशांत समुद्री क्षेत्र जागरूकता साझेदारी (IPMDA) का विस्तार किया। साथ ही, वास्तविक समय में समुद्री सूचनाओं के आदान-प्रदान को बेहतर बनाने के लिए समेकित परिचालन चित्र (COP) विकसित करने की घोषणा की।
- आतंकवाद-रोधी सहयोग ऑस्ट्रेलिया जून 2026 में क्वाड आतंकवाद-रोधी अभ्यास की मेजबानी करेगा।
- इसमें राज्य-प्रायोजित आतंकवाद, मानव रहित हवाई वाहनों के दुरुपयोग तथा उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़े खतरों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- महत्त्वपूर्ण खनिज क्वाड महत्त्वपूर्ण खनिज पहल रूपरेखा प्रस्तुत की गई, जिसका उद्देश्य महत्त्वपूर्ण खनिजों की सुदृढ़ एवं विविधीकृत आपूर्ति शृंखला विकसित करना है।
- ऊर्जा सुरक्षा हिंद-प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पहल के अंतर्गत ऊर्जा प्रौद्योगिकी, नीतियों, बाजार विश्लेषण तथा आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों में सहयोग किया जाएगा।

- अवसंरचना सहयोग फिजी सरकार के साथ बंदरगाह अवसंरचना के विकास हेतु सहयोग की घोषणा की गई। यह सहयोग क्वाड भविष्य के बंदरगाह साझेदारी पहल के अंतर्गत आगे बढ़ाया जाएगा।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कृषि अनुसंधान AI-ENGAGE पहल के अंतर्गत छह अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान परियोजनाओं के लिए 60 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक की वित्तीय सहायता की घोषणा की गई।
- इन परियोजनाओं का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिकी तथा संवेदन प्रौद्योगिकी के माध्यम से फसल उत्पादकता, कीट प्रबंधन तथा खाद्य सुरक्षा में सुधार करना है।

क्वाड-एट-सी पोत पर्यवेक्षक मिशन

भारत क्वाड-एट-सी पोत पर्यवेक्षक मिशन के अगले संस्करण की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य अवैध समुद्री गतिविधियों से निपटने में सदस्य देशों के बीच परस्पर संचालन क्षमता तथा समन्वय को सुदृढ़ करना है।

अब्राहम समझौता

- अब्राहम समझौते संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में संपन्न समझौतों की एक शृंखला है, जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रथम कार्यकाल के दौरान इजराइल और कई अरब देशों के बीच राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने के उद्देश्य से की गई थी। इन समझौतों का नाम अब्राहम के नाम पर रखा गया है, जिन्हें यहूदी, इस्लाम और ईसाई तीनों धर्मों में सम्मान प्राप्त है।
- इन समझौतों में साझा धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत पर बल देते हुए राजनयिक, आर्थिक तथा सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा दिया गया है।
- इस पर सबसे पहले सितंबर 2020 में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने हस्ताक्षर किए। बाद में मोरक्को और सूडान भी इसमें शामिल हुए। यह मिस्र (1979) और जॉर्डन (1994) के साथ इजराइल की शांति संधियों के बाद अरब-इजराइल संबंधों का सबसे महत्त्वपूर्ण विस्तार था।
- राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान इस ढाँचे का विस्तार अन्य देशों तक जारी रहा। नवंबर 2025 में कजास्तिान औपचारिक रूप से इसमें शामिल हुआ।

महत्त्व

- अब्राहम समझौतों ने इजराइल और खाड़ी देशों के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को सुदृढ़ किया है।
- साथ ही, इसने क्षेत्रीय सुरक्षा से संबंधित विषयों पर आपसी समन्वय को भी मजबूत किया है।

भारत-त्रिनिदाद अभिलेखीय समझौता एवं गिरमिटिया समुदाय की विरासत

विदेश मंत्री एस. जयशंकर की यात्रा के दौरान भारत और त्रिनिदाद एवं टोबैगो के बीच एक महत्त्वपूर्ण अभिलेखीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य गिरमिटिया समुदाय के इतिहास और विरासत का संरक्षण करना है।

यात्रा के प्रमुख परिणाम

- भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार और त्रिनिदाद एवं टोबैगो के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।
- यह समझौता भारतीय बंधुआ श्रमिकों से संबंधित ऐतिहासिक अभिलेखों के डिजिटलीकरण तथा संरक्षण में सहायक होगा।
- भारत ने नेल्सन द्वीप पर एक त्वरित प्रभाव परियोजना भी प्रारम्भ की, जो भारतीय प्रवासन से जुड़ा एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है।
- इस परियोजना के अंतर्गत- एक स्मारक का निर्माण, डिजिटल अभिलेख केंद्र की स्थापना, तथा श्रव्य-दृश्य विरासत केंद्र का विकास किया जाएगा।

गिरमिटिया कौन थे?

- गिरमिटिया वे भारतीय बंधुआ श्रमिक थे, जिन्हें 19वीं तथा 20वीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में बागानों में कार्य करने के लिए विभिन्न देशों में भेजा गया था।
- ''गिरमिटिया'' शब्द 'एग्रीमेंट (Agreement)' से बना है, जो उन श्रम अनुबंधों को दर्शाता था जिन पर इन श्रमिकों ने हस्ताक्षर किए थे।
- इन्हें फिजी, मॉरीशस, दक्षिण अफ्रीका, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, गुयाना, सूरीनाम, मलेशिया तथा केन्या जैसे देशों में भेजा गया था।

त्रिनिदाद एवं टोबैगो में भारतीय प्रवासन

- 1845 से 1917 के बीच लगभग 1,43,000 भारतीय श्रमिक त्रिनिदाद पहुँचे।
- इनमें से अधिकांश उत्तरी भारत और बिहार से थे। वर्तमान में उनके वंशज त्रिनिदाद एवं टोबैगो की कुल जनसंख्या का लगभग 40-45% हैं।

भारत के लिए महत्त्व

- यह भारत की प्रवासी कूटनीति तथा विदेशों में बसे भारतीय समुदाय के साथ संबंधों को सुदृढ़ करता है।
- सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक जुड़ाव के माध्यम से भारत की सौम्य शक्ति (Soft Power) को बढ़ावा मिलता है।
- यह प्रवासन, श्रमिक संघर्षों तथा धैर्यपूर्ण संघर्ष के साझा इतिहास को संरक्षित करता है।

प्रमुख पहलें

- भारत इस विरासत के अनुसंधान, प्रलेखन तथा संरक्षण के लिए गिरमिटिया अध्ययन केंद्र स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रहा है।
- वर्ष 2025 में भारत ने त्रिनिदाद एवं टोबैगो में भारतीय मूल के लोगों के लिए भारतीय प्रवासी नागरिकता (OCI) की पात्रता को छठी पीढ़ी तक विस्तारित कर दिया।

चुनौतियाँ

- अनेक पुराने अभिलेख क्षतिग्रस्त, अपूर्ण अथवा लुप्त हो चुके हैं। नामों तथा वर्तनी में भिन्नता के कारण वंशावली का पता लगाना कठिन हो जाता है। नई पीढ़ी में अपने पूर्वजों के इतिहास के प्रति जागरूकता अपेक्षाकृत कम है।
- इस विरासत के संरक्षण के लिए दीर्घकालिक समन्वय, तकनीकी विशेषज्ञता तथा पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है।

आगे की राह

- भारत को प्रवासन तथा बागान श्रमिकों से संबंधित अभिलेखों के डिजिटलीकरण का विस्तार करना चाहिए।
- सांस्कृतिक आदान-प्रदान, छात्रवृत्तियों तथा विरासत पर्यटन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- भारत को वैश्विक प्रवासन के इतिहास में गिरमिटिया अनुभव को एक महत्त्वपूर्ण अध्याय के रूप में अंतरराष्ट्रीय मान्यता दिलाने के लिए प्रयास करने चाहिए।

नाटो द्वारा बाल्टिक रक्षा संरचना का सुदृढ़ीकरण

नाटो ने अपनी बाल्टिक कमान संरचना का पुनर्गठन करते हुए जर्मन-नीदरलैंड कोर को एस्टोनिया और लातविया की सामरिक रक्षा की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी सौंपी है।

पूर्व व्यवस्था

- पहले एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया तथा उत्तरी पोलैंड की रक्षा व्यवस्था पोलैंड के श्चेचिन स्थित बहुराष्ट्रीय उत्तर-पूर्वी कोर के एकल कमान के अधीन संचालित होती थी।

जर्मन-नीदरलैंड कोर क्या है?

- जर्मन-नीदरलैंड कोर जर्मनी के म्यूंस्टर में स्थित एक बहुराष्ट्रीय सैन्य मुख्यालय है, जिसका संयुक्त नेतृत्व जर्मनी और नीदरलैंड करते हैं।
- यह नाटो की त्वरित प्रतिक्रिया तथा सामूहिक रक्षा व्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण भाग है। इस कोर में लगभग 16 देशों की भागीदारी बताई जाती है।

उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO)

- उत्तर अटलांटिक संधि संगठन देशों का एक सैन्य गठबंधन है।
- **स्थापना:** इसकी स्थापना वर्ष 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर के साथ हुई, जिसे सामान्यत: वॉशिंगटन संधि के नाम से जाना जाता है।
- **उद्देश्य:** सदस्य देशों की सामूहिक रक्षा के माध्यम से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- **संस्थापक सदस्य:** नाटो के मूल सदस्य थे- बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका।
- **सामूहिक रक्षा** नाटो की आधारशिला उत्तर अटलांटिक संधि के अनुच्छेद 5 पर आधारित है। इसके अनुसार, किसी एक या अधिक सदस्य देशों पर सशस्त्र आक्रमण को सभी सदस्य देशों पर आक्रमण माना जाएगा।
- **निर्णय-निर्माण** नाटो में सभी निर्णय सर्वसम्मति के आधार पर लिए जाते हैं। सभी सदस्य देशों के राजदूतों से मिलकर बना उत्तर अटलांटिक परिषद इसका प्रमुख राजनीतिक निर्णय-निर्माण निकाय है।
- **सदस्य** वर्तमान में नाटो के 32 सदस्य देश हैं। फिनलैंड और स्वीडन क्रमश: इसके 31वें और 32वें सदस्य बने।

3 अर्थव्यवस्था

विगत जोखिम एवं प्रतिफल सत्यापन एजेंसी (PARRVA)

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता और निवेशक संरक्षण को बेहतर बनाने के लिए विगत जोखिम एवं प्रतिफल सत्यापन एजेंसी (PaRRVA) को परिचालित किया है।

परिचय

- PaRRVA, सेबी द्वारा विनियमित एक तंत्र है, जो बाजार मध्यस्थों के विगत जोखिम एवं प्रतिफल प्रदर्शन का सत्यापन करता है।
- इसका उद्देश्य वित्तीय प्रदर्शन की प्रस्तुति को मानकीकृत करना तथा निवेशकों को विश्वसनीय एवं तुलनीय आँकड़े उपलब्ध कराना है।

संस्थागत ढाँचा

- PaRRVA का ढाँचा सेबी द्वारा अप्रैल 2025 में जारी किया गया। केयर रेटिंग्स लिमिटेड को पहली PaRRVA इकाई के रूप में मान्यता दी गई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE), PaRRVA डेटा सेंटर (PDC) के रूप में आँकड़ों के प्रसंस्करण एवं प्रबंधन का कार्य करेगा।

इसका उपयोग कौन कर सकता है?

- निवेश सलाहकार (IA)
- रिसर्च एनालिस्ट (RA)
- ट्रेडिंग सदस्य (TM)
- सत्यापित प्रदर्शन संबंधी जानकारी चाहने वाले निवेशक

प्रमुख विशेषताएँ

- यह विनियमित संस्थाओं को स्वतंत्र रूप से सत्यापित प्रदर्शन आँकड़े प्रदर्शित करने में सक्षम बनाता है।
- निवेशकों को बेहतर निर्णय लेने हेतु विश्वसनीय एवं मानकीकृत जानकारी प्राप्त होती है।
- सेबी के नियमों के अनुसार PaRRVA-सत्यापित प्रदर्शन का उपयोग विज्ञापनों में भी किया जा सकता है।
- निवेश सलाहकारों और शोध विश्लेषकों को तीन माह के भीतर पंजीकरण कराना होगा तथा दो वर्ष की संक्रमण अवधि के बाद सार्वजनिक रूप से केवल PaRRVA-सत्यापित आँकड़ों का ही उपयोग किया जा सकेगा।

विमानन टर्बाइन ईंधन (ATF)

पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि होने पर भारतीय एयरलाइनों ने सरकार से विमानन टर्बाइन ईंधन (ATF) के मूल्य निर्धारण सूत्र में संशोधन करने का आग्रह किया है।

परिचय

- ATF या जेट ईंधन, उच्च-प्रदर्शन वाला मिट्टी के तेल (केरोसीन) आधारित पेट्रोलियम ईंधन है, जिसका मुख्यतः विमान के गैस-टर्बाइन इंजनों में उपयोग किया जाता है।
- इसका उत्पादन कच्चे तेल के प्रभाजी आसवन द्वारा किया जाता है तथा इसे विमानन सुरक्षा के कठोर मानकों के अनुरूप परिष्कृत किया जाता है।

भारत में ATF का मूल्य निर्धारण

- भारत में ATF की कीमतें आयात समता मूल्य निर्धारण (Import Parity Pricing-IPP) प्रणाली का पालन करती हैं, जिसमें घरेलू ईंधन कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमतों, विशेषकर अरब खाड़ी मानकों, से जुड़ी होती हैं।
- भारत में ATF, एयरलाइनों की परिचालन लागत का लगभग 40% है, जो वैश्विक औसत से कहीं अधिक है।
- यह अभी भी GST के दायरे से बाहर है तथा इस पर राज्यों द्वारा उच्च VAT लगाया जाता है, जिससे करों का संचयी प्रभाव (Tax Cascading) उत्पन्न होता है क्योंकि एयरलाइंस इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर सकतीं।

सतत विमानन ईंधन (SAF)

- SAF एक वैकल्पिक विमानन ईंधन है, जिसे नवीकरणीय बायोमास, अपशिष्ट तेल, वसा, नगरपालिकीय अपशिष्ट, गैर-खाद्य फसलों तथा कृत्रिम कार्बन कैप्चर प्रक्रियाओं से बनाया जाता है।
- यह रासायनिक रूप से पारंपरिक ATF के समान होता है तथा विमान के इंजन या हवाई अड्डे के अवसंरचना में कोई परिवर्तन किए बिना जेट ईंधन के साथ मिश्रित किया जा सकता है।
- सरकार ने हाल ही में SAF-मिश्रित ATF को ATF (विपणन का विनियमन) आदेश, 2001 के अंतर्गत शामिल किया है।

अप्रैल 2026 में रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह

भारत का वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह अप्रैल 2026 में रिकॉर्ड 2.43 लाख करोड़ रुपये पर पहुँच गया, जो वार्षिक आधार पर 8.7% की वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि मुख्यतः आयात से अधिक कर संग्रह के कारण हुई, जबकि घरेलू बिक्री में वृद्धि तुलनात्मक रूप से धीमी रही।

परिचय

- जीएसटी को वर्ष 2017 में 101वें संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2016 के माध्यम से पूरे देश के लिए एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के रूप में लागू किया गया। यह एक गंतव्य-आधारित कर है, जो आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण पर वस्तुओं एवं सेवाओं की खपत पर लगाया जाता है। प्रत्येक चरण पर केवल मूल्य संवर्धन पर कर लगाया जाता है तथा अंतिम कर भार उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाता है।

जीएसटी के प्रकार

- **सीजीएसटी:** केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है।
- **एसजीएसटी/यूटीजीएसटी:** राज्य सरकारों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लगाया जाता है।
- **आईजीएसटी:** अंतर-राज्यीय व्यापार पर केंद्र द्वारा लगाया जाता है तथा बाद में गंतव्य राज्यों के साथ साझा किया जाता है।

जीएसटी की संरचना एवं शासन

- वर्तमान में जीएसटी में बहु-दर संरचना लागू है, जिसमें विभिन्न श्रेणियों की वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए प्रमुख कर दरें 5%, 18% और 40% हैं।
- अनुच्छेद 279A के अंतर्गत गठित GST परिषद एक संवैधानिक निकाय है, जो सर्वसम्मति के आधार पर जीएसटी से संबंधित निर्णयों की अनुशंसा करती है।

जीएसटी 2.0 सुधार

- **सरल कर संरचना:** तीन-स्लैब वाली जीएसटी व्यवस्था (5%, 18% और 40%) जटिलता, वर्गीकरण संबंधी विवादों तथा अनुपालन लागत को कम करती है।
- **एमएसएमई एवं स्टार्टअप को प्रोत्साहन:** रिफंड (Refund), सरल रजिस्ट्रेशन एवं रिटर्न प्रक्रिया तथा कम इनपुट लागत का उद्देश्य वर्तमान व्यवसायों एवं स्टार्टअप को बढ़ावा देना तथा युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- **व्यापक कर आधार एवं राजस्व स्थिरता:** सरल कर दरों एवं बेहतर अनुपालन के कारण जीएसटी करदाताओं की संख्या 1.5 करोड़ से अधिक हो गई है, जबकि सकल कर संग्रह में भी वृद्धि हुई है, जिससे राजकोषीय स्थिरता को बल मिला है।

जीएसटी से बाहर रखी गई वस्तुएँ

- मानव उपभोग हेतु मद्य तथा पाँच पेट्रोलियम उत्पाद अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं।

विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएँ रिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र ने अपनी विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट (World Economic Situation and Prospects Report) में वर्ष 2026 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दर के अनुमान को 6.6% से घटाकर 6.4% कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- अनुमान में कमी के बावजूद, संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा। वृद्धि के मामले में भारत के अनेक विकसित एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं से बेहतर प्रदर्शन करने की अपेक्षा है।
- **विभिन्न संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने अलग-अलग अनुमान दिए हैं:**
  - संयुक्त राष्ट्र एशिया एवं प्रशांत आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (ESCAP): वर्ष 2025 के लिए 7.4% तथा वर्ष 2027 के लिए 6.6% वृद्धि का अनुमान।
  - संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (UNCTAD): वर्ष 2026 के लिए 6.5% वृद्धि का अनुमान।

संशोधन के कारण

- कमजोर वैश्विक माँग के कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश प्रवाह में कमी आ रही है।
- भू-राजनीतिक तनाव, विशेषकर पश्चिम एशिया संकट, वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बढ़ा रहे हैं।
- व्यापार प्रतिबंध और संरक्षणवादी नीतियाँ वैश्विक आर्थिक गतिविधियों को धीमा कर रही हैं।
- ऊर्जा की अस्थिर कीमतें भारत की आयात लागत बढ़ा रही हैं।
- वैश्विक स्तर पर उच्च उधारी लागत विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर वित्तीय दबाव उत्पन्न कर रही है।

बाह्य क्षेत्र से संबंधित चिंताएँ

- कमजोर निर्यात के कारण 2025 की दूसरी छमाही में भारत की आर्थिक गतिविधियों में मंदी आई।
- 2025 में उच्च शुल्क लगाए जाने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत का निर्यात घट गया।
- विश्व में प्रेषण (रेमिटेंस) का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता होने के कारण, जनवरी 2026 से प्रभावी संयुक्त राज्य अमेरिका के नए 1% प्रेषण कर (रेमिटेंस टैक्स) से भारत भी प्रभावित हो सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद (EGRS)

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने सोने के व्यापार को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और संगठित बनाने के लिए एक नए ट्रेडिंग खंड के रूप में इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीदें (EGRs) शुरू की हैं।

परिचय

- इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीदें (EGRs) विमूर्तीकृत (Dematerialised) प्रतिभूतियाँ हैं, जो भौतिक सोने के स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करती हैं।
- वास्तविक सोना सेबी (SEBI) द्वारा विनियमित वॉल्ट (Vaults) में सुरक्षित रहता है, जबकि निवेशक अपने डिमैट (Demat) खातों में EGRs रखते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे शेयर और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETFs) रखे जाते हैं।
- प्रत्येक EGR पूर्णतः वास्तविक सोने द्वारा समर्थित होता है, जिससे गुणवत्ता, प्रामाणिकता और मानकीकरण सुनिश्चित होता है।
- यह प्रणाली सेबी के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत संचालित होती है।
- सेबी के साथ पंजीकृत वॉल्ट प्रबंधक (Vault Managers), EGRs के सृजन हेतु जमा किए गए सोने के लिए वॉल्टिंग सेवाएँ प्रदान करने के उत्तरदायी होते हैं।

कार्यप्रणाली

- प्रक्रिया का आरंभ तब होता है जब भौतिक सोना सेबी-पंजीकृत वॉल्ट प्रबंधकों द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त वॉल्टों में जमा किया जाता है।

- सत्यापन के बाद जमा किए गए सोने को EGR इकाइयों में परिवर्तित किया जाता है।
- ये EGR इकाइयाँ निवेशक के डिमैट खाते में जमा कर दी जाती हैं।
- निवेशक इन रसीदों का स्टॉक एक्सचेंजों पर अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की तरह व्यापार कर सकते हैं। आवश्यकता होने पर EGRs को पुनः भौतिक सोने में भी परिवर्तित किया जा सकता है।

महत्त्व

- EGRs भौतिक सोना बाजार और वित्तीय बाजार के बीच सेतु का कार्य करते हैं।
- ये सोने के व्यापार में पारदर्शिता, तरलता (Liquidity) तथा मूल्य खोज (Price Discovery) में सुधार करते हैं।
- सुरक्षित भंडारण और मानकीकृत गुणवत्ता सुनिश्चित करके ये निवेशकों का विश्वास सुदृढ़ करते हैं।
- यह प्रणाली ज्वैलर्स, रिफाइनर्स, व्यापारियों, खुदरा निवेशकों तथा संस्थागत निवेशकों सभी के लिए लाभकारी है।
- IPO और पुनः सूचीबद्ध कंपनियों में मूल्य खोज (PRICE DISCOVERY) के लिए SEBI के प्रस्तावित सुधार
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) और पुनः सूचीबद्ध कंपनियों के लिए प्री-ओपन कॉल ऑक्शन सत्र के दौरान मूल्य खोज तंत्र में सुधारों का प्रस्ताव दिया है।

सुधारों की आवश्यकता क्यों है?

- सेबी (SEBI) ने पाया कि वर्तमान प्रणाली में प्रतिबंधात्मक डमी प्राइस बैंड के कारण शुरुआती कीमतें अक्सर कृत्रिम रूप से दब जाती हैं।
- यदि निवेशकों के वास्तविक ऑर्डर निर्धारित सीमा से बाहर होते हैं, तो उन्हें अक्सर अस्वीकार कर दिया जाता है।
- इसके परिणामस्वरूप नियमित कारोबार प्रारंभ होने के बाद कीमतों में तीव्र उछाल और अधिक अस्थिरता देखने को मिलती है, जिससे बाजार की दक्षता प्रभावित होती है।

प्रमुख बाजार शब्दावली

- **प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO):** वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से कोई कंपनी पहली बार आम जनता को अपने शेयर जारी करती है और स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होती है।
- **पुनः सूचीबद्ध कंपनी:** ऐसी कंपनी जिसके शेयर पहले कारोबार से निलंबित या हटाए गए थे और बाद में पुनः सूचीबद्ध किए गए।
- **मूल्य खोज (Price Discovery):** माँग और आपूर्ति के आधार पर किसी शेयर का उचित बाजार मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया।

प्रमुख प्रस्तावित परिवर्तन पुन

- **सूचीबद्ध शेयरों के लिए आधार मूल्य:**
    - यदि छह माह के भीतर पुनः कारोबार शुरू होता है, तो अंतिम कारोबार वाले समापन मूल्य को आधार बनाया जा सकता है।
    - यदि यह उपलब्ध न हो, तो स्टॉक एक्सचेंज दो स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मूल्यांकन रिपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं।
    - यदि पुनः सूचीकरण छह माह के बाद होता है, तो मूल्यांकन रिपोर्ट ही पूरी तरह आधार मूल्य निर्धारित करेगी।
- **लचीले डमी प्राइस बैंड:** SEBI ने प्रस्ताव दिया है कि जब संतुलन मूल्य ऊपरी या निचली सीमा के निकट पहुँचे, तो मूल्य बैंड स्वतः 10% तक बढ़ा दिया जाए।
- **मजबूत भागीदारी की आवश्यकता:** वैध शुरुआती मूल्य निर्धारित करने के लिए कम-से-कम पाँच अलग-अलग PAN-आधारित खरीदार और पाँच अलग-अलग PAN-आधारित विक्रेता होना आवश्यक होगा।
- **कॉल ऑक्शन की निरंतरता:**
    - पुनः सूचीबद्ध शेयरों के लिए यदि पहले दिन मूल्य खोज नहीं हो पाती, तो वैध मूल्य मिलने तक अगले दिनों में भी कॉल ऑक्शन जारी रखा जा सकता है।
    - IPO के मामले में यदि संतुलन मूल्य निर्धारित नहीं होता, तो निर्गम मूल्य को आधार बनाकर सामान्य कारोबार शुरू कर दिया जाएगा।

वर्तमान प्रणाली

- वर्तमान में IPO और पुनः सूचीबद्ध कंपनियों के लिए सुबह 9 बजे से 10 बजे तक एक घंटे का प्री-ओपन कॉल ऑक्शन सत्र होता है।
- मुख्य बोर्ड (Mainboard) IPO में -50% से +100% का डमी प्राइस बैंड लागू होता है, जबकि SME IPO में ±90% का निश्चित डमी प्राइस बैंड होता है।

अरुणाचल कीवी मिशन

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (MDoNER) ने 'एक राज्य-एक विशिष्ट पहचान (One State-One USP)' दृष्टिकोण के अंतर्गत अरुणाचल कीवी मिशन प्रारंभ किया है, जिसका उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश को भारत के प्रमुख जैविक कीवी केंद्र के रूप में विकसित करना है।

उद्देश्य

- इस मिशन का कुल परिव्यय लगभग 167 करोड़ रुपये है और इसका उद्देश्य कीवी की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करना है, जिसमें खेती, फसलोपरांत प्रबंधन, शीत भंडारण, ब्रांडिंग, निर्यात और कृषि पर्यटन शामिल हैं।
- यह किसानों को कम मूल्य मिलने, कमजोर कोल्ड-चेन अवसंरचना, अपर्याप्त ब्रांडिंग, विवशतापूर्ण बिक्री (Distress Sale) और सीमित निर्यात संपर्क जैसी प्रमुख समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है।

प्रमुख विशेषताएँ

- यह मिशन विभिन्न मंत्रालयों, संस्थानों और निजी निवेशकों के सहयोग से समग्र सरकारी (Whole-of-Government) एवं अभिसरण-आधारित (Convergence-led) मॉडल पर आधारित है।
- इसमें क्लस्टर-आधारित मॉडल अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत जीरो वैली, दिरांग, कलाकतांग, शियोमी और दिबांग वैली में छह एकीकृत फसलोपरांत केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

- इसका लक्ष्य 2,000 मीट्रिक टन शीत- शृंखला (Cold Chain) क्षमता विकसित करना तथा प्रसंस्करण और बाजार एकीकरण में सुधार करना है।
- यह कीवी बागान पर्यटन और फार्म-स्टे अनुभवों को भी बढ़ावा देता है, जिससे बागवानी और पर्यटन का समन्वय हो सके।
- इसी प्रकार के अन्य USP उत्पादों में लाकाडोंग हल्दी (मेघालय), कॉफी (नागालैंड), अदरक (मिजोरम) और मूगा रेशम (असम) शामिल हैं।

महत्त्व

- अरुणाचल प्रदेश भारत के कुल कीवी उत्पादन का 50% से अधिक योगदान देता है और प्रतिवर्ष 7,050 मीट्रिक टन से अधिक कीवी का उत्पादन करता है।
- यह जैविक कीवी प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य है।
- यहाँ की नवंबर से जनवरी की फसल अवधि न्यूजीलैंड के ऑफ-सीजन के साथ मेल खाती है, जिससे निर्यात के अवसर बढ़ते हैं।
- इस मिशन का उद्देश्य फसलोपरांत हानियों को कम करना, किसानों की आय बढ़ाना और अरुणाचल ऑर्गेनिक कीवी को वैश्विक प्रीमियम बाजारों में स्थापित करना है।

कीवी

- कीवी, जिसे चीनी गूसबेरी भी कहा जाता है, पूर्वी एशिया का स्थानिक पोषक तत्वों से भरपूर काष्ठीय पर्णपाती लता है।
- इसके लिए 7°C से कम तापमान पर 700-800 घंटे की शीत आवश्यकता होती है तथा यह 800-1,500 मीटर की ऊँचाई पर सबसे अच्छी तरह उगता है। यह 4-5 वर्षों में फल देना शुरू करता है और 7-8 वर्षों में पूर्ण व्यावसायिक उत्पादन प्राप्त कर लेता है।

डॉलर-रुपया स्वैप नीलामी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग प्रणाली में स्थायी (Durable) तरलता उपलब्ध कराने के लिए 5 अरब अमेरिकी डॉलर की डॉलर-रुपया खरीद/बिक्री (Buy/Sell) स्वैप नीलामी की घोषणा की है, जिसकी अवधि तीन वर्ष होगी। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब बैंकिंग प्रणाली में तरलता की स्थिति तंग बनी हुई है और वैश्विक अनिश्चितता, पूँजी प्रवाह में अस्थिरता तथा डॉलर की मजबूत माँग के कारण भारतीय रुपया 96 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर से नीचे कमजोर हो गया है।

डॉलर-रुपया स्वैप नीलामी क्या है?

- डॉलर-रुपया स्वैप नीलामी विदेशी मुद्रा तरलता प्रबंधन का एक उपकरण है, जिसका उपयोग RBI बैंकिंग प्रणाली में दीर्घकालिक रुपये की तरलता उपलब्ध कराने के लिए करता है।
- यह RBI को मुद्रा आपूर्ति में स्थायी वृद्धि किए बिना तथा विदेशी मुद्रा भंडार में स्थायी कमी किए बिना तरलता संबंधी दबाव कम करने की सुविधा देता है।
- यह विशेष रूप से तब उपयोगी होता है जब तरलता की स्थिति और मुद्रा की स्थिरता-दोनों का एक साथ प्रबंधन करना आवश्यक हो।

यह कैसे कार्य करता है?

- यह RBI और बैंकों के बीच विदेशी मुद्रा खरीद/बिक्री (Buy/Sell) व्यवस्था के रूप में संचालित होता है।
- स्वैप की शुरुआत में बैंक अमेरिकी डॉलर RBI को बेचते हैं और बदले में रुपये प्राप्त करते हैं।
- साथ ही, दोनों पक्ष एक निश्चित अवधि के बाद इस लेन-देन को उलटने (Reverse Transaction) पर सहमत होते हैं।
- भविष्य की विनिमय दर स्पॉट दर तथा नीलामी के माध्यम से निर्धारित स्वैप प्रीमियम के आधार पर तय की जाती है।
- इस मामले में, बैंक तीन वर्ष बाद RBI को रुपये लौटाकर अमेरिकी डॉलर पुनः खरीदेंगे।
- नीलामी बहु-मूल्य (Multiple-Price) प्रणाली के आधार पर आयोजित की जाती है, जिसमें प्रत्येक सफल बोलीदाता अपने द्वारा उद्धृत प्रीमियम का भुगतान करता है।
- न्यूनतम बोली का आकार 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर है तथा इसके बाद 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के गुणकों में अतिरिक्त बोलियाँ लगाई जा सकती हैं।

RBI ने इस उपकरण का उपयोग क्यों किया?

- बैंकिंग प्रणाली में स्थायी तरलता उपलब्ध कराने के लिए।
- डॉलर की मजबूत माँग के कारण रुपये पर पड़ रहे तत्काल दबाव को कम करने के लिए।
- बैंकों के लिए धन की उपलब्धता बढ़ाकर ऋण प्रवाह में सुधार करने के लिए।
- मौद्रिक नीति के प्रभावी संचरण (Monetary Policy Transmission) को मजबूत करने के लिए।

डॉलर-रुपया स्वैप बनाम खुले बाजार परिचालन (OMO)

- खुले बाजार परिचालन (OMO) के माध्यम से RBI घरेलू बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री करके तरलता का प्रबंधन करता है।
- इसके विपरीत, स्वैप नीलामी विदेशी मुद्रा लेन-देन के माध्यम से तरलता का प्रबंधन करती है।
- OMO मुख्यतः घरेलू तरलता को प्रभावित करता है, जबकि स्वैप नीलामी तरलता संबंधी दबाव और विनिमय दर की अस्थिरता-दोनों का एक साथ प्रबंधन करने में सहायक होती है।
- बाह्य क्षेत्र पर दबाव की स्थिति में स्वैप को अक्सर प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि यह सीधे डॉलर की माँग को कम करने में सहायता करता है।

'3F' चिंताएँ: ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा

केंद्रीय वित्त मंत्री ने पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच 3F-ईंधन (Fuel), उर्वरक (Fertiliser) और विदेशी मुद्रा (Foreign Exchange/Forex) से जुड़ी चिंताओं पर प्रकाश डाला। ये तीनों क्षेत्र भारत की मुद्रास्फीति, कृषि, व्यापार संतुलन और व्यापक आर्थिक स्थिरता को सीधे प्रभावित करते हैं।

3F क्यों महत्त्वपूर्ण हैं?

ईंधन (Fuel)

- भारत विश्व के सबसे बड़े कच्चे तेल आयातकों में से एक है और ऊर्जा आपूर्ति के लिए पश्चिम एशिया पर अत्यधिक निर्भर है।
- कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से आयात बिल बढ़ता है और चालू खाता घाटा (Current Account Deficit-CAD) विस्तृत होता है।
- इससे एक शृंखलाबद्ध प्रभाव उत्पन्न होता है: तेल आयात में वृद्धि डॉलर की माँग में वृद्धि रुपये का अवमूल्यन आयातित मुद्रास्फीति।
- ईंधन की ऊँची कीमतें परिवहन, विनिर्माण और घरेलू उपभोग की लागत बढ़ा देती हैं।
- इस बोझ को कम करने के लिए सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की, जिससे 2026-27 में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व नुकसान हुआ।

उर्वरक (Fertilisers)

- भारत खाड़ी देशों से बड़ी मात्रा में यूरिया, अमोनिया, फॉस्फेट और द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) का आयात करता है। आपूर्ति में व्यवधान और LNG की बढ़ती कीमतें उर्वरकों की लागत बढ़ा देती हैं।
- उर्वरकों की ऊँची कीमतें खेती की लागत बढ़ाती हैं, किसानों की लाभप्रदता घटाती हैं और खाद्य मुद्रास्फीति को बढ़ा सकती हैं।
- इसके साथ ही सरकार पर उर्वरक सब्सिडी का बोझ भी बढ़ जाता है।

विदेशी मुद्रा (Foreign ExchangeधForex)

- तेल, उर्वरक और सोने के लिए अधिक भुगतान करने से विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ता है। इससे भारतीय रुपया कमजोर होता है और आयात लागत और बढ़ जाती है।
- वैश्विक अनिश्चितता के दौरान विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) अक्सर अपना निवेश वापस निकाल लेते हैं, जिससे बाह्य क्षेत्र पर दबाव बढ़ता है।

व्यापक आर्थिक प्रभाव

- ईंधन और उर्वरकों की बढ़ती लागत खाद्य, लॉजिस्टिक्स और विनिर्माण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति का दबाव उत्पन्न करती है।
- बढ़ी हुई सब्सिडी और करों में कटौती से राजकोषीय दबाव बढ़ता है।
- यदि बाह्य झटके लंबे समय तक बने रहें, तो औद्योगिक विकास धीमा पड़ सकता है और आर्थिक गति कमजोर हो सकती है।

अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता के संकेतक

- मजबूत वस्तु एवं सेवा कर संग्रह, ट्रैक्टर और दोपहिया वाहनों की बढ़ती बिक्री, घटते गैर-निष्पादित ऋण (NPA) तथा निजी पूँजीगत व्यय में 67% की वार्षिक वृद्धि के कारण भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सरकार को 2.87 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड अधिशेष हस्तांतरित किया।
- इसके अतिरिक्त, सरकार ने एहतियाती सुरक्षा कवच (Precautionary Buffer) के रूप में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आर्थिक स्थिरीकरण कोष (Economic Stabilisation Fund) भी स्थापित किया है।

रसायनों पर एंटी-डंपिंग शुल्क को लेकर चिंताएँ

रसायनों पर एंटी-डंपिंग शुल्क (Anti-Dumping Duty-ADD) एक प्रमुख नीतिगत विवाद का विषय बन गया है। एक ओर बड़े घरेलू निर्माता सस्ते आयात से संरक्षण चाहते हैं, जबकि दूसरी ओर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) आधारित डाउनस्ट्रीम उद्योग बढ़ती कच्चे माल की लागत का सामना कर रहे हैं।

एंटी-डंपिंग शुल्क (ADD) क्या है?

- एंटी-डंपिंग शुल्क (ADD) घरेलू उद्योगों को अनुचित रूप से सस्ते आयात से संरक्षण प्रदान करने के लिए लगाया जाने वाला एक व्यापार उपचार (Trade Remedy) है।
- डंपिंग तब होती है, जब किसी वस्तु का निर्यात उसके घरेलू मूल्य या उत्पादन लागत से कम कीमत पर किया जाता है।
- भारत में ADD सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम, 1975 (Customs Tariff Act, 1975) के अंतर्गत लगाया जाता है। यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन व्यापार उपचार महानिदेशालय (Directorate General of Trade Remedies-DGTR) की जाँच के बाद अधिरोपित किया जाता है।
- यह विश्व व्यापार संगठन (WTO) के एंटी-डंपिंग समझौते के अंतर्गत अनुमत है।

रसायन क्षेत्र में ADD की आवश्यकता

- नीति आयोग ने पाया है कि विशेष रूप से चीन से सस्ते आयात में वृद्धि के कारण भारत का रासायनिक विनिर्माण आधार कमजोर हुआ है।
- भारत ने 75 अरब डॉलर मूल्य के रसायनों का आयात किया, जबकि 44 अरब डॉलर का निर्यात किया, जिससे 31 अरब डॉलर का व्यापार घाटा उत्पन्न हुआ।
- जनवरी 2021 से जून 2025 के बीच भारत ने 226 एंटी-डंपिंग जाँचें शुरू कीं, जिनमें से 51% रसायन क्षेत्र से संबंधित थीं।
- ADD का उद्देश्य घरेलू उत्पादकों को संरक्षण देना, विनिर्माण को सुदृढ़ करना और रणनीतिक रासायनिक मूल्य शृंखलाओं में आयात निर्भरता को कम करना है।

चिंताएँ

- कच्चे माल की लागत बढ़ने से डाउनस्ट्रीम उद्योगों के लिए उत्पादन महँगा हो जाता है।
- वस्त्र, प्लास्टिक, फुटवियर और ऑटो कंपोनेंट जैसे क्षेत्रों के MSME अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता खो देते हैं, क्योंकि रसायनों का उपयोग लगभग 80,000 डाउनस्ट्रीम उत्पादों के निर्माण में होता है।
- उत्पादन लागत बढ़ने से निर्यात भी महँगा हो जाता है, जिससे वैश्विक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होती है।
- जहाँ बड़े अपस्ट्रीम उत्पादकों को इसका लाभ मिलता है, वहीं छोटे उद्योगों को परिचालन संबंधी बोझ उठाना पड़ता है।
- दीर्घकालिक संरक्षण से क्षेत्र में नवाचार, दक्षता और विविधीकरण की गति धीमी पड़ सकती है।

कोयला गैसीकरण

- केंद्रीय कोयला मंत्री ने कहा कि कोयला गैसीकरण के माध्यम से भारत 3 लाख करोड़ रुपये तक के आयात का विकल्प विकसित कर सकता है।
- इसे गति देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतही कोयला एवं लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं हेतु 37,500 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी है। यह 2024 में स्वीकृत 8,500 करोड़ रुपये के पैकेज के अतिरिक्त है।

कोयला गैसीकरण क्या है?

- कोयला गैसीकरण एक ताप-रासायनिक (Thermochemical) प्रक्रिया है, जिसमें उच्च तापमान और उच्च दाब पर ऑक्सीकरण के माध्यम से कोयले को संश्लेषित गैस (Syngas) में परिवर्तित किया जाता है।
- सिनगैस मुख्यतः हाइड्रोजन (H_2), कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) और मीथेन (CH_4) से मिलकर बनती है।

भारत के लिए इसका महत्त्व

- भारत अपनी यूरिया आवश्यकता का लगभग एक-पाँचवाँ, अमोनिया की लगभग संपूर्ण आवश्यकता तथा मेथनॉल की 80-90% माँग आयात के माध्यम से पूरी करता है।
- कोयला गैसीकरण इस आयात निर्भरता को कम कर ऊर्जा सुरक्षा, उर्वरक सुरक्षा को सुदृढ़ कर सकता है तथा चालू खाता घाटे (Current Account Deficit) को कम करने में सहायता कर सकता है।
- भारत के पास लगभग 401 अरब टन कोयला और 47 अरब टन लिग्नाइट के भंडार हैं, जिससे यह इस परिवर्तन के लिए संसाधन-संपन्न देश है।

प्रकार और उपयोग

- **सतही गैसीकरण (Surface Gasification):** इसमें पहले कोयले का खनन किया जाता है, फिर औद्योगिक रिएक्टरों में उसे गैस में परिवर्तित किया जाता है।
- **भूमिगत कोयला गैसीकरण (Underground Coal Gasification-UCG):** इसमें कोयले को भूमिगत अवस्था में ही गैस में परिवर्तित किया जाता है।
- सिनगैस का उपयोग सिंथेटिक प्राकृतिक गैस (SNG), यूरिया, अमोनिया, मेथनॉल, एथेनॉल, हाइड्रोजन, अमोनियम नाइट्रेट तथा डाइमेथाइल ईथर के उत्पादन में किया जाता है।

लक्ष्य और प्रौद्योगिकी

- भारत का लक्ष्य 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण करना है।
- सबसे बड़ी चुनौती यह है कि भारतीय कोयले में राख (Ash) की मात्रा अधिक होती है, जिससे मानक गैसीकरण प्रौद्योगिकियाँ उपयुक्त नहीं रहतीं।
- फ्लुइडाइज्ड-बेड गैसीकरण (Fluidised-bed Gasification) को उच्च राख वाले कोयले के लिए उपयुक्त माना जाता है।
- भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) ने भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एक स्वदेशी दाबयुक्त फ्लुइडाइज्ड-बेड गैसीफायर (Pressurised Fluidised-bed Gasifier) विकसित किया है।

चुनौतियाँ

- उच्च पूँजीगत लागत और लंबी परियोजना अवधि इसकी आर्थिक व्यवहार्यता को प्रभावित करती है।
- विशेष रूप से उन्नत गैसीकरण प्रणालियों के लिए विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता अभी भी बनी हुई है।

उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP)

- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने 2026-27 गन्ना पेराई सत्र के लिए 10.25% चीनी रिकवरी दर पर गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) 365 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने को मंजूरी दी है।

FRP क्या है?

- उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) वह न्यूनतम मूल्य है, जिसका भुगतान चीनी मिलों के लिए गन्ना किसानों को उनकी उपज के बदले करना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है। इसका निर्धारण प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) द्वारा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों तथा राज्य सरकारों एवं अन्य हितधारकों से परामर्श के आधार पर किया जाता है।
- इसका भुगतान गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के अंतर्गत विनियमित होता है।

FRP की कार्यप्रणाली

- FRP की गणना की व्यवस्था अन्य फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारित करने की प्रक्रिया के समान है। हालाँकि, MSP के विपरीत, जिसे कानूनी गारंटी प्राप्त नहीं है, FRP को कानूनी संरक्षण प्राप्त है और चीनी मिलों के लिए इसका भुगतान करना अनिवार्य है।
- गन्ना आपूर्ति के 14 दिनों के भीतर भुगतान करना आवश्यक होता है। यदि चीनी मिलें भुगतान करने में विफल रहती हैं, तो गन्ना आयुक्त (Cane Commissioner) मिल की संपत्ति कुर्क करने सहित कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।

निर्धारण का आधार

- FRP सीधे चीनी रिकवरी दर (Sugar Recovery Rate) से जुड़ा होता है, अर्थात् पेराई किए गए गन्ने से प्राप्त चीनी का प्रतिशत।
- रिकवरी दर जितनी अधिक होगी, FRP भी उतना ही अधिक होगा, क्योंकि इससे चीनी का उत्पादन बढ़ता है।

FRP, MSP और SAP में अंतर

- FRP केवल गन्ने पर लागू होता है और इसका निर्धारण केंद्र सरकार करती है।
- MSP अनेक फसलों पर लागू होता है, लेकिन यह केवल एक समर्थन मूल्य है और इसके भुगतान की कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती।
- राज्य परामर्शित मूल्य (State Advised Price-SAP) कुछ राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किया जाता है और उन राज्यों में इसका भुगतान भी कानूनी रूप से अनिवार्य होता है।

उद्गम (UDGAM) पोर्टल

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि अब 30 बैंक उद्गम पोर्टल से जुड़ चुके हैं।

परिचय

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा विकसित उद्गम (Unclaimed Deposits - Gateway to Access Information) एक केंद्रीकृत खोज प्रणाली है।
- यह नागरिकों को एक ही मंच के माध्यम से विभिन्न सहभागी बैंकों में पड़ी अपनी दावा न की गयी (Unclaimed) बैंक जमा राशि का पता लगाने की सुविधा प्रदान करता है।
- यह पोर्टल स्वयं धन का भुगतान या दावा निपटान नहीं करता, बल्कि उपयोगकर्ताओं को उस संबंधित बैंक तक मार्गदर्शन प्रदान करता है जहाँ उनकी राशि जमा है।

दावा न की गयी वित्तीय परिसंपत्तियाँ

- ये वे धनराशियाँ हैं जो खाताधारकों या उनके वैध उत्तराधिकारियों द्वारा वित्तीय संस्थानों में लंबे समय तक दावा न किए जाने के कारण निष्क्रिय पड़ी रहती हैं।

- यदि किसी बैंक जमा राशि पर 10 वर्ष या उससे अधिक समय तक दावा नहीं किया जाता, तो उसे जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कोष में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
- हालाँकि, उस धनराशि का स्वामित्व जमाकर्ता के पास ही बना रहता है और उसे या उसके वैध उत्तराधिकारियों को उस राशि का दावा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है।

तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान

नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) ने वित्त वर्ष 2025-26 में वसूली की प्रक्रिया में तेजी लाकर भारत की तनावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान प्रणाली को सुदृढ़ किया है। यह बैंकिंग क्षेत्र की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (Non-Performing Assets-NPAs) के समाधान की क्षमता को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

विकास क्रम

- भारत ने प्रारंभ में ऋण वसूली अधिकरण (Debt Recovery Tribunals-DRTs), 1993, वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (SARFAESI Act), 2002, तथा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (ARCs) के माध्यम से तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान का प्रयास किया। हालाँकि, इन व्यवस्थाओं में कम वसूली दर, प्रक्रियागत विलंब और समन्वय की कमी जैसी समस्याएँ थीं।
- एक बड़ा सुधार दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code-IBC), 2016 के रूप में आया, जिसने समयबद्ध दिवाला समाधान प्रक्रिया तथा ऋणदाता-नियंत्रित (Creditor-in-Control) मॉडल की शुरुआत की।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा किए गए एसेट क्वालिटी रिव्यू (Asset Quality Review-AQR) ने NPA की पारदर्शिता बढ़ाई और बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के माध्यम से उनकी बैलेंस शीट को सुदृढ़ किया।

बैड बैंक की आवश्यकता

- IBC के सुधारों के बावजूद, अनेक बड़े और जटिल NPA अनेक ऋणदाताओं तथा कमजोर समन्वय के कारण अनसुलझे रहे।
- इस स्थिति ने एक केंद्रीकृत "बैड बैंक" मॉडल की आवश्यकता उत्पन्न की, जो तनावग्रस्त परिसंपत्तियों को एकत्रित कर उनकी प्रभावी वसूली सुनिश्चित कर सके।

नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

- नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) एक सरकार समर्थित एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (ARC) है, जो इंडिया डेट रिजॉल्यूशन कंपनी लिमिटेड (IDRCL) के साथ मिलकर कार्य करती है।
- यह बैंकों से तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करती है, विभिन्न ऋण जोखिमों (Exposures) को एकत्रित करती है तथा IBC, पुनर्गठन (Restructuring) और बाजार-आधारित बिक्री के माध्यम से उनका समाधान करती है। इसका लक्ष्य 2 लाख करोड़ रुपये मूल्य की तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करना है।

फेमा (FEMA) के अंतर्गत FDI मानदंडों में ढील

भारत सरकार ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (Foreign Exchange Management Act-FEMA), 1999 के अंतर्गत नियमों में संशोधन कर सीमित चीनी हिस्सेदारी वाली विदेशी कंपनियों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment-FDI) के मानदंडों में ढील दी है। इस सुधार का उद्देश्य रणनीतिक सुरक्षा उपायों को बनाए रखते हुए निवेशकों का विश्वास बढ़ाना है।

संशोधन

- पूर्व में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के अनुसार, भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों से आने वाले किसी भी निवेश के लिए, चाहे उसकी हिस्सेदारी बहुत कम ही क्यों न हो, पूर्व सरकारी अनुमोदन आवश्यक था।
- संशोधित नीति के तहत अब प्रतिबंध केवल उन मामलों में लागू होंगे, जहाँ महत्त्वपूर्ण लाभकारी स्वामित्व (Significant Beneficial Ownership) हो।

- धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के अनुसार, लाभकारी स्वामी (Beneficial Owner) वह व्यक्ति या संस्था है, जिसके पास 10% से अधिक स्वामित्व, नियंत्रण अथवा लाभ का अधिकार हो।

मुख्य प्रावधान

- जिन विदेशी कंपनियों में चीनी या हांगकांग की हिस्सेदारी 10% तक है, वे अब संबंधित क्षेत्रीय शर्तों के अधीन स्वचालित मार्ग (Automatic Route) के माध्यम से निवेश कर सकेंगी। यह छूट केवल उन क्षेत्रों पर लागू होगी, जहाँ पहले से ही FDI को स्वचालित मार्ग के तहत अनुमति प्राप्त है।
- चीन, हांगकांग अथवा भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले किसी भी देश में निगमित संस्थाओं के लिए पूर्व सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता यथावत बनी रहेगी।
- जिन बहुपक्षीय संस्थानों का भारत सदस्य है, उनके निवेश को देश-विशिष्ट निवेश नहीं माना जाएगा।
- ऐसे सभी निवेश भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के अधीन रहेंगे।

FEMA और FDI

- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 विदेशी मुद्रा से संबंधित लेन-देन को विनियमित करता है और इसने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA), 1973 का स्थान लिया।
- यह FDI, बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) तथा सीमा-पार भुगतान के लिए कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) से आशय किसी विदेशी संस्था द्वारा किसी अन्य देश के व्यावसायिक उद्यम में स्वामित्व या नियंत्रण के उद्देश्य से किया गया निवेश है।
- **FDI के प्रवेश के मार्ग**
  - **स्वचालित मार्ग:** पूर्व सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती।
  - **सरकारी मार्ग:** पूर्व सरकारी अनुमोदन आवश्यक होता है।
- **प्रतिबंधित क्षेत्र:** भारत में लॉटरी, जुआ, सट्टेबाजी, चिट फंड, निधि कंपनियाँ, रियल एस्टेट व्यवसाय तथा तंबाकू उत्पादों के विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में FDI की अनुमति नहीं है।

UPI के गौरवपूर्ण 10 वर्ष

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने अप्रैल 2016 में अपनी शुरुआत के बाद 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं।

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)

- UPI एक रीयल-टाइम भुगतान प्रणाली है, जो उपयोगकर्ताओं को एक ही मोबाइल एप्लिकेशन में अनेक बैंक खातों को जोड़ने की सुविधा प्रदान करती है, जिससे निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण और व्यापारियों को भुगतान किया जा सकता है।
- इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के नियामकीय पर्यवेक्षण में विकसित और प्रारंभ किया गया।

- यह प्रणाली विभिन्न बैंकिंग सेवाओं को एक एकीकृत एवं अंतर-संचालनीय (Interoperable) मंच पर उपलब्ध कराती है, जिससे विभिन्न बैंकों और एप्लिकेशनों के बीच त्वरित लेन-देन संभव हो पाता है।

UPI की प्रमुख उपलब्धियाँ

- **लेन-देन में वृद्धि:** वार्षिक लेन-देन की संख्या वित्त वर्ष 2016-17 में 2 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ हो गई।
  - 2025 में UPI के माध्यम से लगभग 22,000 करोड़ लेन-देन हुए, जिनका दैनिक औसत लगभग 60 करोड़ लेन-देन रहा।
- **बैंकों की भागीदारी:** UPI से जुड़े बैंकों की संख्या 44 से बढ़कर 703 हो गई, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, लघु वित्त, भुगतान तथा सहकारी बैंक शामिल हैं।
- **वैश्विक नेतृत्व:** अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार, 2024 में विश्व के कुल रीयल-टाइम भुगतान लेन-देन में UPI की हिस्सेदारी लगभग 49% रही।
- UPI को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लागू किया गया है, जिससे निम्नलिखित देशों में सीमा-पार भुगतान तथा व्यापारियों द्वारा भुगतान स्वीकार करने की सुविधा उपलब्ध हुई है-
  - **संयुक्त अरब अमीरात** (UAE): व्यापारी प्रतिष्ठानों पर व्यापक रूप से स्वीकार्य तथा भारतीय प्रवासी समुदाय द्वारा उपयोग।
  - **सिंगापुर:** PayNow प्रणाली से जुड़कर निर्बाध सीमा-पार धन हस्तांतरण की सुविधा।
  - **फ्रांस:** विशेष रूप से भारतीय पर्यटकों के लिए व्यापारी प्रतिष्ठानों पर स्वीकार्य।
  - **भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरीशस और कतर:** स्थानीय भुगतान प्रणालियों के साथ एकीकृत, जिससे रीयल-टाइम लेन-देन संभव हुआ।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम

- NPCI भारत में रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम के लिए एक अंब्रेला ऑर्गनाइजेशन है। इसे RBI और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की पहल पर 'पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007' के तहत स्थापित किया गया था।
- यह कंपनीज एक्ट, 2013 की धारा 8 के तहत एक नॉट-फॉर-प्रॉफिट कंपनी के तौर पर काम करती है।
- इसके मुख्य प्रोडक्ट्स में इमीडिएट पेमेंट सर्विस (IMPS), नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH), UPI, RuPay और आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (AePS) शामिल हैं।

ILO का अनुच्छेद 24

- पश्चिम बंग चा मजूर समिति (Paschim Banga Cha Majoor Samity) के प्रतिनिधित्व में पश्चिम बंगाल के चाय बागान श्रमिकों ने अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत श्रम अधिकारों के गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है।

मुद्दा क्यों उठाया गया?

- श्रमिकों ने आरोप लगाया है कि भारत द्वारा अनुमोदित (Ratified) ILO अभिसमयों के बावजूद उनका व्यवस्थित रूप से उल्लंघन किया जा रहा है।
- मुख्य शिकायतों में भूख से मृत्यु, गंभीर कुपोषण, मजदूरी एवं भविष्य निधि (Provident Fund) का भुगतान न होना, न्यूनतम मजदूरी का अभाव तथा महिला एवं आदिवासी श्रमिकों के साथ भेदभाव शामिल हैं।
- ये आरोप चाय बागानों में श्रम सुरक्षा प्रावधानों के कमजोर क्रियान्वयन की ओर संकेत करते हैं।

ILO का अनुच्छेद 24

- अनुच्छेद 24 के अंतर्गत नियोक्ताओं या श्रमिकों के औद्योगिक संगठन किसी सदस्य देश के विरुद्ध यह प्रतिनिधित्व (Representation) प्रस्तुत कर सकते हैं कि उसने किसी अनुमोदित ILO अभिसमय (Ratified ILO Convention) का प्रभावी ढंग से पालन नहीं किया है।
- यह अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु ILO की एक महत्त्वपूर्ण पर्यवेक्षण (Supervisory) व्यवस्था है।

अनुच्छेद 24 के अंतर्गत प्रक्रिया

- शिकायत की जाँच ILO की शासी निकाय द्वारा की जाती है।
- यदि शिकायत प्रथम दृष्टया स्वीकार्य पाई जाती है, तो तीन-सदस्यीय त्रिपक्षीय समिति (Tripartite Committee) का गठन किया जा सकता है।
- यह समिति शिकायत और संबंधित सरकार के उत्तर का अध्ययन करती है तथा अपने कानूनी निष्कर्षों और सिफारिशों सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।
- यदि सरकार का उत्तर संतोषजनक नहीं होता, तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ILO उस प्रतिनिधित्व को सार्वजनिक कर सकता है, जिससे संबंधित देश पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नैतिक दबाव बनता है। गंभीर मामलों में इसे अनुच्छेद 26 के अंतर्गत औपचारिक शिकायत (Formal Complaint) में भी परिवर्तित किया जा सकता है।

अंतरराष्ट्रीय श्रम मानक

- 1919 से ILO निम्न माध्यमों से श्रम मानकों का विकास करता रहा है-
- अभिसमय (Conventions) एवं प्रोटोकॉल (Protocols): अनुमोदन के बाद कानूनी रूप से बाध्यकारी।
- अनुशंसाएँ (Recommendations): गैर-बाध्यकारी दिशा-निर्देश।
- अनुच्छेद 19(6) के अनुसार, सदस्य देशों को स्वीकृत श्रम मानकों को विचारार्थ अपने सक्षम प्राधिकारियों (Competent Authorities) के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।

भारत और श्रम संरक्षण

- भारत 1919 से ILO का संस्थापक सदस्य है।
- भारत में श्रम संरक्षण चार श्रम संहिताओं (Labour Codes) के माध्यम से विनियमित है, जिनमें वेतन संहिता, 2019 (Code on Wages, 2019) तथा सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020) प्रमुख हैं।
- हालाँकि, विशेष रूप से बागान (Plantation) तथा असंगठित क्षेत्रों में इनका प्रभावी क्रियान्वयन अभी भी कमजोर बना हुआ है।

महत्त्व

- यह मामला कानूनी प्रतिबद्धताओं और जमीनी स्तर पर उनके क्रियान्वयन के बीच मौजूद अंतर को उजागर करता है।
- साथ ही, यह श्रमिकों के अधिकारों, सामाजिक न्याय और जवाबदेही को बढ़ावा देने में अंतरराष्ट्रीय तंत्रों की महत्त्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित करता है।

औद्योगिक ऊष्मा का डीकार्बोनाइजेशन

हॉर्मुज जलडमरूमध्य में भू-राजनीतिक तनाव तथा आयातित जीवाश्म ईंधनों पर भारत की निर्भरता ने ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक ऊष्मा के डीकार्बोनाइजेशन की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

औद्योगिक ऊष्मा

- औद्योगिक ऊष्मा से आशय विनिर्माण प्रक्रियाओं में उपयोग होने वाली तापीय ऊर्जा से है, जिसका उपयोग भाप (Steam) उत्पादन, सुखाने (Drying), रंगाई (Dyeing) तथा भट्ठियों (Kilns) के संचालन जैसे कार्यों में किया जाता है।
- यह वस्त्र, इस्पात, सिरेमिक, रसायन, खाद्य प्रसंस्करण, औषधि तथा कागज जैसे उद्योगों के लिए अत्यंत आवश्यक है।
- यह भारत की कुल ऊर्जा खपत का लगभग 25% हिस्सा है।
- केवल औद्योगिक प्रक्रिया में प्रयुक्त भाप से ही प्रतिवर्ष लगभग 182 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) का उत्सर्जन होता है।
- वर्तमान में इस ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति मुख्यत: कोयला, फर्नेस ऑयल, बायोमास तथा प्राकृतिक गैस से की जाती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2), सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2), नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) तथा कणिकीय पदार्थ (Particulate Matter) का उत्सर्जन होता है।

डीकार्बोनाइजेशन क्यों आवश्यक है?

- **ऊर्जा सुरक्षा:** आयात पर निर्भरता के कारण उद्योग आपूर्ति में व्यवधान तथा मूल्य अस्थिरता के प्रति संवेदनशील बने रहते हैं।
- **जलवायु लक्ष्य:** औद्योगिक ऊष्मा ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन का एक प्रमुख स्रोत है।
- **ऊर्जा दक्षता:** पारंपरिक बॉयलरों में 20-30% ऊर्जा की हानि होती है, जबकि विद्युत-आधारित प्रणालियों की दक्षता 90% से अधिक हो सकती है।
- **वायु गुणवत्ता:** स्वच्छ प्रौद्योगिकियाँ औद्योगिक प्रदूषण को कम करती हैं तथा श्रमिकों के स्वास्थ्य में सुधार लाती हैं।
- **तापीय संप्रभुता** (Thermal Sovereignty)**:** नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण बाहरी ऊर्जा निर्भरता को कम करता है।

देखभाल अर्थव्यवस्था

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) के एक कार्यपत्र (Working Paper) में यह सुझाव दिया गया है कि देखभाल (Care) को केवल परिवारों की निजी जिम्मेदारी न मानकर, सामाजिक एवं आर्थिक अवसंरचना के एक आधारभूत घटक के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

देखभाल अर्थव्यवस्था (Care Economy) क्या है?

- देखभाल अर्थव्यवस्था अथवा पर्पल अर्थव्यवस्था (Purple Economy) में बच्चों, वृद्धजनों तथा दिव्यांगजन की देखभाल से संबंधित सभी सवैतनिक और अवैतनिक गतिविधियाँ शामिल होती हैं।
- यह मानव विकास, श्रम उत्पादकता तथा सामाजिक कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। भारत में, मुख्यत: महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अवैतनिक घरेलू एवं देखभाल कार्य का योगदान सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 15-17% होने का अनुमान है।

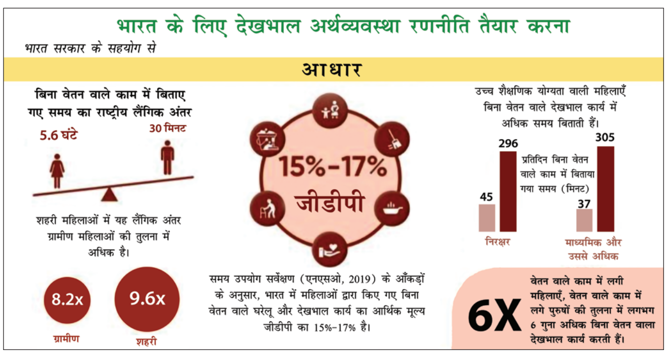

भारत को औपचारिक देखभाल अर्थव्यवस्था की आवश्यकता क्यों है?

- **आर्थिक अवसर:** GDP के 2% के बराबर सार्वजनिक निवेश से लगभग 1.1 करोड़ (11 मिलियन) रोजगार सृजित किए जा सकते हैं, जिनमें अधिकांश महिलाओं के लिए होंगे। भारत को 2050 तक लगभग 3.1-3.8 करोड़ (31-38 मिलियन) औपचारिक देखभाल कर्मियों की आवश्यकता हो सकती है।
- **लैंगिक असंतुलन:** महिलाएँ प्रतिदिन औसतन 289 मिनट अवैतनिक देखभाल कार्य में व्यतीत करती हैं, जबकि पुरुष केवल 88 मिनट। इससे महिलाओं पर गंभीर समय-निर्धनता (Time Poverty) का बोझ पड़ता है तथा उनकी कार्यबल में भागीदारी सीमित होती है।
- **जनसांख्यिकीय संक्रमण:** 2050 तक वृद्धजन कुल जनसंख्या का 21% होंगे, जबकि बच्चों की हिस्सेदारी 18% होगी।
- **पारिवारिक सहयोग में कमी:** शहरीकरण तथा एकल परिवारों (न्यूक्लियर फैमिली) की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण पारंपरिक देखभाल व्यवस्था कमजोर हो रही है।
- **असंगठित कार्यबल पर दबाव:** आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं जैसे कर्मियों को अत्यधिक कार्यभार, कमजोर सामाजिक सुरक्षा तथा मानदेय-आधारित भुगतान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

एआई-संचालित श्रम बाजार के लिए आजीवन अधिगम

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने अपनी रिपोर्ट में सरकारों से आग्रह किया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटलीकरण तथा संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण तेजी से बदलते श्रम बाजार के परिप्रेक्ष्य में आजीवन अधिगम (Lifelong Learning) को आर्थिक और सामाजिक नीति के केंद्र में रखा जाए।

आजीवन अधिगम क्या है?

- आजीवन अधिगम से तात्पर्य जीवनभर ज्ञान, कौशल तथा दक्षताओं के निरंतर अर्जन की प्रक्रिया से है।
- **इसमें शामिल हैं:**
  - औपचारिक शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण।
  - कार्यानुभव और डिजिटल मंचों के माध्यम से अनौपचारिक अधिगम।
  - बदलते श्रम बाजार में प्रासंगिक बने रहने के लिए निरंतर पुन: कौशल विकास तथा कौशल उन्नयन।

इसकी माँग क्यों बढ़ रही है?

- **डिजिटलाइजेसन तथा एआइ:** स्वचालन दोहराव वाले कार्यों का स्थान ले रहा है तथा उच्च स्तरीय डिजिटल और विश्लेषणात्मक कौशलों की माँग बढ़ा रहा है।
- **हरित संक्रमण:** नवीकरणीय ऊर्जा तथा सतत उद्योगों की ओर संक्रमण से नए कौशलों की आवश्यकता उत्पन्न हो रही है।
- **जनसांख्यिकीय परिवर्तन:** वृद्ध होती जनसंख्या तथा युवा-प्रधान श्रम बाजार के कारण कार्यबल को निरंतर नए कौशलों के अनुरूप ढालने की आवश्यकता है।
- **कार्य का बदलता स्वरूप:** गिग अर्थव्यवस्था, प्लेटफॉर्म आधारित कार्य तथा दूरस्थ रोजगार के विस्तार के कारण लचीले और निरंतर विकसित होने वाले कौशलों की आवश्यकता बढ़ रही है।

ILO रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- 15-64 वर्ष आयु वर्ग के केवल 16% लोग प्रतिवर्ष संरचित अधिगम में भाग लेते हैं।

- औपचारिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत पूर्णकालिक स्थायी कर्मचारियों में से लगभग 51% को नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- इससे औपचारिक और अनौपचारिक श्रमिकों तथा विभिन्न आय और शिक्षा स्तरों के बीच अधिगम संबंधी गहरी असमानता उजागर होती है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रारंभिक औपचारिक शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया गया है, जबकि आजीवन कौशल निर्माण की उपेक्षा की गई है।

की गई पहलें

- उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास हेतु स्किल इंडिया मिशन।
- अल्पकालिक कौशल प्रमाणन हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)
- व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना (NAPS)
- वंचित वर्गों के लिए जन शिक्षण संस्थान (JSS)
- व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020

ILO की सिफारिशें

- समावेशी, किफायती तथा उच्च गुणवत्ता वाली अधिगम प्रणालियों का विकास किया जाए।
- बाजारोन्मुख प्रशिक्षण के लिएसार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPPs) को सुदृढ़ किया जाए।
- मॉड्यूलर पाठ्यक्रम, माइक्रो-क्रेडेंशियल्स (Micro-credentials) तथा कार्यस्थल आधारित अधिगम को बढ़ावा दिया जाए।
- रोजगार परिवर्तन तथा पुनः प्रशिक्षण के दौरान श्रमिकों को सहायता प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा का विस्तार किया जाए।

परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड

परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना (KKNPP) की इकाइयों 5 और 6 में प्रमुख उपकरणों की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की है, जिससे भारत के परमाणु ऊर्जा विस्तार को गति मिली है।

परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB)

- AERB भारत में परमाणु एवं विकिरण सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला सर्वोच्च नियामक निकाय है।
- इसकी स्थापना 15 नवंबर 1983 को परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अंतर्गत की गई थी। इसकी शक्तियाँ परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बनाए गए नियमों से प्राप्त होती हैं।
- यह परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है तथा इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है।

विकासक्रम

- 1969 में तारापुर तथा राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशनों के चालू होने के दौरान समितियों के माध्यम से सुरक्षा विनियमन की शुरुआत हुई।
- 1972 में परमाणु ऊर्जा विभाग सुरक्षा समीक्षा समिति (DAE-SRC) का गठन किया गया।
- समिति की सिफारिशों के आधार पर संस्थागत सुरक्षा निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए 1983 में AERB की औपचारिक स्थापना की गई।

उद्देश्य

- आयनीकारी विकिरण तथा परमाणु ऊर्जा का उपयोग लोगों और पर्यावरण के लिए अनावश्यक जोखिम के बिना सुरक्षित रूप से सुनिश्चित करना।
- लाइसेंसिंग, निरीक्षण तथा प्रवर्तन के माध्यम से परमाणु एवं विकिरण सुविधाओं का विनियमन करना।
- परमाणु संयंत्रों तथा रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सुरक्षा मानकों का निर्धारण करना।

कार्य

- प्रथम कंक्रीट ढलाई (First Pour of Concrete-FPC) तथा प्रमुख उपकरणों की स्थापना जैसे विभिन्न चरणों में स्वीकृति प्रदान करना। संयंत्र के अभिकल्प, निर्माण तथा संचालन की बहु-स्तरीय सुरक्षा समीक्षा करना।
- संचालित संयंत्रों की निगरानी संचालनरत संयंत्रों की सुरक्षा समीक्षा समिति (SARCOP) के माध्यम से करना। औद्योगिक, चिकित्सा तथा अनुसंधान संस्थानों में विकिरण सुरक्षा सुनिश्चित करना।

कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना (KKNPP)

- यह तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में स्थित है। इसे न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा रूस के सहयोग से विकसित किया गया है।
- इसमें VVER प्रकार के दाबित जल रिएक्टर (Pressurised Water Reactors-PWRs) (Water-Water Energetic Reactor) का उपयोग किया जाता है।
- इन रिएक्टरों में हल्के जल का उपयोग शीतलक तथा मंदक दोनों के रूप में किया जाता है। इस परियोजना में 1000 मेगावाट क्षमता की छह इकाइयाँ हैं।

सतत कृषि

राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) जल दक्षता, मृदा संरक्षण तथा सतत कृषि प्रणालियों में सुधार के माध्यम से जलवायु-सहनशील कृषि को बढ़ावा दे रहा है।

अर्थ

- सतत कृषि से तात्पर्य खाद्य उत्पादन की ऐसी निरंतर प्रणाली से है, जो पर्यावरण की रक्षा करते हुए पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखे।
- इसका उद्देश्य मृदा उर्वरता बनाए रखना, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि किसान दीर्घकाल तक भूमि, आदानों और श्रम का प्रभावी प्रबंधन कर सकें।

महत्त्व

- **खाद्य सुरक्षा:** भावी पीढ़ियों के लिए कृषि उत्पादन की निरंतरता सुनिश्चित करती है।

- **जलवायु अनुकूलन:** कृषि प्रणालियों की सूखा, बाढ़ तथा ऊष्मीय तनाव जैसी परिस्थितियों से निपटने की क्षमता को बढ़ाती है।
- **आजीविका सुरक्षा:** कृषि पर निर्भर भारत की लगभग 46% जनसंख्या की आजीविका को समर्थन प्रदान करती है।
- **पर्यावरणीय सुरक्षा:** मृदा अपरदन, जल के अत्यधिक दोहन तथा रासायनिक प्रदूषण को कम करती है।
- **फसल विविधता:** मोटे अनाज (श्री अन्न) को बढ़ावा देकर कम जल की आवश्यकता वाली तथा जलवायु-अनुकूल फसलों को प्रोत्साहित करती है।

चुनौतियाँ

- **मृदा स्वास्थ्य में गिरावट:** उर्वरकों तथा कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम हो गई है।
- **जल संकट:** भूजल का अत्यधिक दोहन तथा सिंचाई कवरेज का असमान वितरण प्रमुख चिंताएँ हैं।
- **खंडित जोतें:** छोटे कृषि जोतों के कारण मशीनीकरण तथा आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाना सीमित रहता है।
- **जलवायु जोखिम:** बार-बार होने वाली चरम मौसमीय घटनाएँ कृषि उत्पादन की स्थिरता को प्रभावित करती हैं।
- **कमजोर बाजार पहुँच:** छोटे किसानों को उचित मूल्य तथा औपचारिक ऋण प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

सरकारी उपाय

- राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) को 2014-15 में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC) के अंतर्गत कृषि में जलवायु अनुकूलन के लिए प्रारंभ किया गया। इसे 2018-19 में ग्रीन रिवोल्यूशन-कृषोन्नति योजना का भाग बनाया गया।
- 2022-23 से इसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PMRKVY) में एकीकृत कर दिया गया।
- NICRA (National Innovations in Climate Resilient Agriculture) जलवायु-सहनशील फसलों, कृषि वानिकी, अंतरफसली खेती तथा शून्य जुताई को बढ़ावा देता है।

राष्ट्रीय जूट बोर्ड एवं जूट फसल सूचना प्रणाली

जूट फसल सूचना प्रणाली (JCIS) के कार्यान्वयन के साथ भारत का जूट क्षेत्र एक बड़े परिवर्तन के दौर में प्रवेश कर चुका है। इसका उद्देश्य फसल निगरानी में सुधार करना तथा उत्पादन नियोजन को सुदृढ़ बनाना है।

राष्ट्रीय जूट बोर्ड (NJB)

- राष्ट्रीय जूट बोर्ड वस्त्र मंत्रालय के अधीन जूट क्षेत्र के समग्र विकास एवं संवर्धन के लिए उत्तरदायी सर्वोच्च निकाय है।
- इसकी स्थापना राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम, 2008 के अंतर्गत की गई तथा यह 2009 में कार्यशील हुआ।
- बोर्ड का उद्देश्य उत्पादकता में सुधार, जूट मिलों का आधुनिकीकरण, उत्पाद विविधीकरण को बढ़ावा देना तथा वैश्विक जूट बाजार में भारत की उपस्थिति का विस्तार करना है।
- यह जूट-आधारित उत्पादों के लिए अनुसंधान, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, प्रशिक्षण तथा बाजार विकास को भी समर्थन प्रदान करता है।

जूट फसल सूचना प्रणाली

- जूट फसल सूचना प्रणाली (JCIS) को 2023 से राष्ट्रीय जूट बोर्ड द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) तथा भारतीय जूट निगम (JCI) के सहयोग से लागू किया गया है।
- यह प्रणाली मैनुअल तथा खंडित फसल प्रतिवेदन प्रणाली के स्थान पर एक डिजिटल एवं भू-संदर्भित निगरानी ढाँचा उपलब्ध कराती है।
- JCIS का मुख्य उद्देश्य वास्तविक समय तथा साक्ष्य-आधारित निगरानी के माध्यम से फसल क्षेत्र, उत्पादकता तथा उत्पादन के आकलन की शुद्धता में सुधार करना है।

प्रमुख उपकरण

- BHUVAN JUMP एक मोबाइल एप है, जिसका उपयोग जूट की खेती से संबंधित भू-टैग किए गए क्षेत्रीय आँकड़ों के संग्रह के लिए किया जाता है।
- PATSAN (Prospective Assessment of Jute Using Mobile App-Based Field Observations) एक वेब-आधारित मंच है, जो लगभग वास्तविक समय में फसल निगरानी तथा विश्लेषणात्मक सहायता प्रदान करता है।
- यह प्रणाली उपग्रह चित्रों, मौसम विश्लेषण तथा स्मार्ट फसल-कटाई प्रयोगों का भी उपयोग करती है, जिससे उत्पादकता का बेहतर आकलन तथा आपदा-जनित फसल क्षति का मूल्यांकन किया जा सके।

भारत में जूट उत्पादन

- जूट को स्वर्ण रेशा (Golden Fibre) कहा जाता है, क्योंकि यह एक प्राकृतिक, नवीकरणीय, जैव-अवक्रमणीय तथा पर्यावरण-अनुकूल उत्पाद है।
- भारत विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है, इसके बाद बांग्लादेश और चीन का स्थान है। भारत के लगभग 90% जूट उत्पादन की खपत घरेलू स्तर पर ही हो जाती है, क्योंकि इसकी आंतरिक माँग मजबूत है।
- जूट क्षेत्र लगभग 4 लाख श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है तथा लगभग 40 लाख कृषक परिवारों की आजीविका का समर्थन करता है।
- पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम मिलकर भारत के कुल जूट उत्पादन का लगभग 99% योगदान देते हैं।

सरकारी उपाय

- जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम, 1987 चयनित वस्तुओं के लिए जूट पैकेजिंग के अनिवार्य उपयोग को सुनिश्चित करता है।
- सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए कच्चे जूट पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रदान करती है।
- राष्ट्रीय जूट विकास कार्यक्रम (NJDP) वैज्ञानिक खेती, उन्नत रेटिंग, कारीगरों के प्रशिक्षण, कच्चे माल की आपूर्ति तथा उत्पाद अभिकल्प नवाचार को समर्थन प्रदान करता है।

खाद्य की नई भू-राजनीति

इंटरनेशनल पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स (IPES-Food) द्वारा जारी रिपोर्ट "The New Geopolitics of Food" में यह विश्लेषण किया गया है कि बदलती वैश्विक राजनीति किस प्रकार खाद्य प्रणालियों को पुनः आकार दे रही है तथा बड़े कृषि-खाद्य निगमों के नियंत्रण को सुदृढ़ कर रही है।

खाद्य की नई भू-राजनीति के प्रमुख प्रेरक कारक

- व्यापार युद्ध तथा विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुल्क नीतियों में किए गए परिवर्तन कृषि निर्यात पर निर्भर देशों को प्रभावित कर रहे हैं।
- सैन्य संघर्ष खाद्य उत्पादन और आपूर्ति शृंखलाओं को लगातार बाधित कर रहे हैं तथा खाद्य का उपयोग भूख-प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध और दबाव के साधन के रूप में किया जा रहा है।
- बहुपक्षवाद के संकट ने संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थानों को कमजोर कर दिया है, जो वित्तीय संसाधनों की कमी और घटती वैधता का सामना कर रहे हैं।

खाद्य की नई भू-राजनीति का प्रभाव

बढ़ती खाद्य महँगाई: 2025 में खाद्य आयात पर वैश्विक खर्च बढ़कर रिकॉर्ड 2.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

कॉर्पोरेट मुनाफाखोरी: कृषि-खाद्य क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों ने अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए उपभोक्ताओं से अधिक कीमतें वसूलीं।

जलवायु से उत्पन्न अस्थिरता: तेज होते जलवायु झटके और अनिश्चित मौसम चक्र व्यापक अस्थिरता और व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं।

प्रमुख निष्कर्ष

- रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि हाल के संकटों के दौरान अनेक कृषि-खाद्य निगमों ने वास्तविक उत्पादन लागत में हुई वृद्धि से कहीं अधिक मूल्य बढ़ाए।
- 2020 के बाद बढ़ी खाद्य मुद्रास्फीति ने इन निगमों को अपने लाभ मार्जिन में वृद्धि करने का अवसर प्रदान किया।
- 2008 से निरंतर हुए विलय और अधिग्रहण के कारण प्रमुख बीज एवं कृषि-रसायन कंपनियों की संख्या छह से घटकर चार रह गई है, जिससे बाजार संकेंद्रण बढ़ गया है। उर्वरक कंपनियों ने भी कीमतों में तीव्र वृद्धि की, जिससे उन्हें असाधारण लाभ प्राप्त हुआ।

चिंताएँ

- उच्च कॉरपोरेट संकेंद्रण खाद्य संप्रभुता के लिए खतरा उत्पन्न करता है, क्योंकि देश खाद्य सुरक्षा के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निर्भर होते जा रहे हैं।
- अत्यधिक बाजार शक्ति संकट के समय मूल्य हेरफेर और अनुचित लाभ अर्जन के जोखिम को बढ़ाती है।
- आपूर्ति शृंखलाओं पर बड़े निगमों के नियंत्रण के कारण छोटे किसानों की सौदेबाजी की क्षमता कमजोर बनी रहती है।
- विकासशील देश युद्ध, प्रतिबंधों, नौवहन व्यवधानों तथा अस्थिर वस्तु कीमतों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।
- वर्ष 2025 में वैश्विक खाद्य आयात बिल लगभग 2.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जिसका सबसे अधिक बोझ अल्प विकसित देशों (LDCs) तथा शुद्ध खाद्य आयातक विकासशील देशों (NFIDCs) पर पड़ा।

बाजार प्रबंधन के उपाय

- सार्वजनिक खाद्य भंडारण (Public Food Stockholding-PSH) के अंतर्गत सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा खाद्यान्न की खरीद, भंडारण तथा वितरण किया जाता है। भारत में इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत समर्थन प्राप्त है तथा इसका प्रबंधन भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा किया जाता है।
- हालाँकि, PSH को उच्च राजकोषीय लागत, अवसंरचना संबंधी कमियों, कमजोर समन्वय तथा भ्रष्टाचार के जोखिम जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- आपूर्ति प्रबंधन तंत्र में खाद्य आपूर्ति को विनियमित करने तथा कीमतों को स्थिर रखने के लिए विपणन बोर्ड तथा उत्पादन कोटा जैसी व्यवस्थाएँ शामिल हैं।
- इसके उदाहरणों में कनाडा के डेयरी, पोल्ट्री और अंडा क्षेत्र तथा नॉर्वे की किसान-स्वामित्व वाली सहकारी समितियाँ शामिल हैं। हालाँकि, ऐसी व्यवस्थाएँ अक्षमताएँ उत्पन्न कर सकती हैं तथा बाजार प्रतिस्पर्धा को विकृत कर सकती हैं।

दक्षिण तट रेलवे जोन

रेल मंत्रालय ने विशाखापट्टनम मुख्यालय वाले दक्षिण तट रेलवे (SCoR) जोन, जो भारत का 18वाँ रेलवे जोन है, के गठन संबंधी राजपत्र अधिसूचना जारी की है।

परिचय

- **औपचारिक गठन:** इस जोन का गठन रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 3(4) के अंतर्गत राजपत्र अधिसूचना जारी करके किया गया है।
- **संरचना:** नए SCoR जोन में वर्तमान विजयवाड़ा, गुंटकल और गुंटूर मंडल शामिल होंगे। साथ ही, वर्तमान वाल्टेयर मंडल के पुनर्गठन से गठित एक नया मंडल भी इसमें सम्मिलित होगा।
- इस जोन का कुल रेलमार्ग लगभग 3,300 किमी होगा, जो आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ भागों में फैला होगा।

भारत में मौजूदा रेलवे जोन		
क्र.सं.	रेलवे जोन	मुख्यालय
1	मध्य रेलवे (Central Railway)	मुंबई
2	पूर्वी रेलवे (Eastern Railway)	कोलकाता
3	पूर्व मध्य रेलवे (East Central Railway)	हाजीपुर
4	पूर्व तटीय रेलवे (East Coast Railway)	भुवनेश्वर
5	उत्तरी रेलवे (Northern Railway)	नई दिल्ली
6	उत्तर मध्य रेलवे (North Central Railway)	प्रयागराज (इलाहाबाद)
7	उत्तर पूर्वी रेलवे (North Eastern Railway)	गोरखपुर
8	पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (Northeast Frontier Railway)	गुवाहाटी
9	उत्तर पश्चिम रेलवे (North Western Railway)	जयपुर
10	दक्षिणी रेलवे (Southern Railway)	चेन्नई
11	दक्षिण मध्य रेलवे (South Central Railway)	सिकंदराबाद
12	दक्षिण पूर्वी रेलवे (South Eastern Railway)	कोलकाता
13	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (South East Central Railway)	बिलासपुर
14	दक्षिण पश्चिम रेलवे (South Western Railway)	हुबली
15	पश्चिमी रेलवे (Western Railway)	मुंबई
16	पश्चिम मध्य रेलवे (West Central Railway)	जबलपुर
17	मेट्रो रेलवे (Metro Railway)	कोलकाता

नोट: वर्तमान में भारत में कुल 18 रेलवे जोन हैं। नवीनतम जोन दक्षिण तट रेलवे है, जिसका मुख्यालय विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) में प्रस्तावित/स्थापित किया गया है।

भारत की स्वर्ण आयात चुनौती और UAE से जुड़े व्यापारिक मुद्दे

पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण तेल की बढ़ती कीमतों ने भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा दिया है। इसके परिणामस्वरूप, प्रधानमंत्री ने नागरिकों से विदेशी मुद्रा भंडार के संरक्षण हेतु पेट्रोलियम के उपयोग में कमी लाने, गैर-आवश्यक विदेशी यात्राओं को स्थगित करने तथा स्वर्ण की खरीद को टालने का आग्रह किया है।

स्वर्ण आयात क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- भारत प्रतिवर्ष लगभग 750 टन स्वर्ण का आयात करता है, जबकि घरेलू उत्पादन केवल 1.5 टन है, जिससे देश आयात पर अत्यधिक निर्भर बना हुआ है। यह निर्भरता चालू खाता घाटा (CAD) बढ़ाती है, रुपये पर दबाव डालती है तथा वैश्विक झटकों के दौरान मुद्रास्फीति प्रबंधन को अधिक जटिल बना देती है।
- वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) में भारत का स्वर्ण आयात बिल लगभग 25% बढ़कर 71.97 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि आयात की मात्रा 757 टन से घटकर 721 टन रह गई। इसका मुख्य कारण वैश्विक स्वर्ण कीमतों में 40% से अधिक की वृद्धि थी।

सोने के आयात के बढ़ते मूल्य		
वित्त वर्ष	आयात मूल्य (अरब अमेरिकी डॉलर)	मात्रा (टन)
FY26	71.97	721.04
FY25	58.00	757.09
FY24	45.54	795.32
FY23	35.01	678.30
FY22	46.16	879.04

FY26 में सोने के आयात का मूल्य बढ़कर 71.97 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जो लगभग 25% की वृद्धि दर्शाता है।

संरचनात्मक चुनौतियाँ

- भारत की स्वर्ण नीति मुख्यतः आयात शुल्क बढ़ाने पर आधारित रही है, किन्तु इसकी सफलता सीमित रही है।
- उच्च आयात शुल्क ने तस्करी को बढ़ावा दिया है, व्यापार को अधिमान्य शुल्क पहुँच वाले देशों की ओर मोड़ दिया है तथा आधिकारिक आयात नियंत्रण प्रणाली को कमजोर किया है।
- IIM अहमदाबाद के शोध के अनुसार, आयातित स्वर्ण पर भारत की निर्भरता व्यापक आर्थिक (मैक्रोइकोनॉमिक) दृष्टि से एक गंभीर जोखिम बनी हुई है।

भारत-UAE व्यापारिक मुद्दा

- भारत-UAE व्यापार समझौते के अंतर्गत शुल्क रियायतों के कारण परिष्कृत स्वर्ण बुलियन (Finished Bullion) का आयात, अर्द्ध-प्रसंस्कृत स्वर्ण (Gold Doré) के आयात की तुलना में अधिक सस्ता हो गया।
- इससे घरेलू शोधन (Refining) के लिए अपेक्षित शुल्क लाभ समाप्त हो गया तथा मूल्य संवर्धन के अवसर कम हो गए।
- नीति आयोग की एक रिपोर्ट में भी उल्लेख किया गया है कि डोरे गोल्ड और परिष्कृत स्वर्ण के बीच सीमित शुल्क अंतर के कारण घरेलू रिफाइनरियों की लाभप्रदता घट गई।

कमजोर शोधन पारितंत्र

- भारत में केवल एक LBMA-प्रमाणित रिफाइनरी है, जिससे वैश्विक बुलियन बाजारों तक पहुँच सीमित रहती है।
- अधिकांश रिफाइनरियाँ लघु स्तर पर संचालित होती हैं तथा अपनी पूर्ण क्षमता से कम उत्पादन करती हैं, जिससे उनकी दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होती है।
- इस क्षेत्र को कार्यशील पूँजी की उच्च आवश्यकता, सीमित वित्तपोषण, जटिल विनियामक व्यवस्था तथा व्यापक अनौपचारिक परिचालन जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

वैश्विक उदाहरण

- स्विट्ज़रलैंड ने घरेलू स्वर्ण उत्पादन न होने के बावजूद गोल्ड डोरे का आयात कर तथा परिष्कृत बुलियन का निर्यात करके एक सुदृढ़ स्वर्ण शोधन केंद्र विकसित किया है।

- जापान ने शहरी खनन (Urban Mining) के माध्यम से स्वर्ण पुनर्चक्रण को विकसित किया है, जबकि हांगकांग एक एकीकृत स्वर्ण शोधन एवं व्यापार केंद्र के रूप में उभरा है।

भारत द्वारा स्वर्ण आयात शुल्क में वृद्धि और आर्थिक चिंताएँ

भारत सरकार ने स्वर्ण और चाँदी पर प्रभावी आयात शुल्क 9.2% से बढ़ाकर 18.4% कर दिया है। इसके लिए सीमा शुल्क (Customs Duty) को 5% से बढ़ाकर 10% तथा कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर (AIDC) को 1% से बढ़ाकर 5% किया गया है। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण (Advance Authorisation-II) योजना के अंतर्गत स्वर्ण आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा भी निर्धारित की है।

प्रमुख शब्दावली

- **चालू खाता घाटा** (Current Account Deficit-CAD): यह वह स्थिति है, जब किसी देश के वस्तुओं, सेवाओं और अंतरणों के कुल आयात, उसके निर्यात और अंतरणों से अधिक हो जाते हैं।
- **आयात शुल्क** (Import Duty): किसी देश में आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर।
- **कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर** (AIDC): इसे कृषि अवसंरचना के विकास हेतु संसाधन जुटाने के उद्देश्य से केंद्रीय बजट 2021-22 में प्रारंभ किया गया था।

अग्रिम प्राधिकरण योजना

- विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा संचालित अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत विशेष रूप से आभूषण क्षेत्र में निर्यात उत्पादों के निर्माण हेतु आवश्यक कच्चे माल के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति दी जाती है।

शुल्क वृद्धि के कारण

- यह निर्णय प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम करने के लिए गैर-आवश्यक स्वर्ण खरीद को स्थगित करने की अपील के बाद लिया गया।
- सरकार कच्चे तेल, उर्वरकों, रक्षा उपकरणों तथा औद्योगिक वस्तुओं जैसे आवश्यक आयातों के लिए विदेशी मुद्रा का संरक्षण करना चाहती है।
- पश्चिम एशिया संकट, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों तथा नौवहन व्यवधानों से उत्पन्न अनिश्चितता ने भी सरकार की चिंताओं को बढ़ा दिया है।

स्वर्ण की बढ़ती माँग का आर्थिक प्रभाव

- वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) में भारत का व्यापारिक व्यापार घाटा (Merchandise Trade Deficit) बढ़कर 333.2 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि पिछले वर्ष यह 284.5 अरब अमेरिकी डॉलर था।
- स्वर्ण आयात बढ़कर 71.98 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 24.08% की वृद्धि दर्शाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2026 में भारत का चालू खाता घाटा (CAD) सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के लगभग 2% तक पहुँच सकता है।
- उच्च आयात से डॉलर की माँग बढ़ती है, रुपया कमजोर होता है तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को अपने विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करना पड़ता है।
- निजी रूप से संग्रहीत स्वर्ण निष्क्रिय पूँजी (Dead Capital) के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह उत्पादक निवेश का हिस्सा नहीं बनता।

स्वर्ण उपभोग की स्थिति

- भारत, चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्वर्ण उपभोक्ता है तथा इसकी लगभग 90% स्वर्ण माँग आयात के माध्यम से पूरी होती है।
- भारत में सर्वाधिक स्वर्ण अयस्क संसाधन बिहार (43%) में हैं, इसके बाद राजस्थान (24.92%) तथा कर्नाटक (20%) का स्थान है।
- भारत के घरेलू स्वर्ण उत्पादन का लगभग 97% कर्नाटक में होता है।
- वैश्विक स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी तथा इटली के पास सर्वाधिक स्वर्ण भंडार हैं, जबकि स्विट्जरलैंड, UAE तथा यूनाइटेड किंगडम प्रमुख स्वर्ण निर्यातक हैं।

चिंताएँ

- भारत में स्वर्ण की माँग बचत की प्रवृत्ति, त्योहारों, विवाहों तथा सांस्कृतिक परंपराओं से गहराई से जुड़ी हुई है, जिससे इसकी माँग को कम करना कठिन है।
- उच्च आयात शुल्क तस्करी, ग्रे-मार्केट व्यापार तथा अवैध आपूर्ति शृंखलाओं को बढ़ावा दे सकता है।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSMEs), जो आभूषण क्षेत्र परिषद के लगभग 80% का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें उच्च लागत, तरलता संबंधी दबाव, प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी तथा निर्यात में गिरावट जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
- ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) ने जटिल सीमा शुल्क अधिसूचनाओं की आलोचना करते हुए कहा है कि वे पारदर्शिता को कम करती हैं तथा अनुपालन का बोझ बढ़ाती हैं।

2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा के लिए भारत की रूपरेखा

TERI (The Energy and Resources Institute) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत का लक्ष्य वर्ष 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को 8.8 GW से बढ़ाकर 100 GW करना है। इसके लिए व्यापक नियामकीय सुधार, तीव्र परियोजना क्रियान्वयन तथा लगभग ₹23-25 लाख करोड़ के निवेश की आवश्यकता होगी।

वर्तमान स्थिति

- भारत वर्तमान में सात स्थलों पर 25 परमाणु रिएक्टरों का संचालन कर रहा है, जिनकी स्थापित क्षमता 8.8 GW है।

- वर्तमान तथा प्रस्तावित परियोजनाओं के पूर्ण होने पर वर्ष 2032 तक यह क्षमता लगभग 22 GW तक पहुँच सकती है।

परमाणु ऊर्जा क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- परमाणु ऊर्जा, सौर एवं पवन ऊर्जा के विपरीत, जो रुक-रुक कर उपलब्ध होती हैं, विश्वसनीय आधार-भार (Base-load) विद्युत प्रदान करती है।
- यह ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करती है, औद्योगिक विकास को समर्थन देती है तथा निम्न-कार्बन विकास में योगदान करती है। हरित हाइड्रोजन, हरित अमोनिया, इस्पात तथा सीमेंट जैसे क्षेत्रों के लिए यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMRs) की भूमिका

- SMRs ऐसे संक्षिप्त परमाणु रिएक्टर हैं, जो प्रति मॉड्यूल 300 MWe तक विद्युत उत्पादन करते हैं।
- इनकी मॉड्यूलर संरचना के कारण कारखानों में निर्माण संभव होता है, जिससे निर्माण अवधि कम होती है तथा लागत घटती है।
- इनकी मापनीयता (Scalability) ऊर्जा की माँग के अनुसार चरणबद्ध तैनाती की सुविधा प्रदान करती है।
- इनकी निष्क्रिय सुरक्षा प्रणालियाँ (Passive Safety Systems) मानव हस्तक्षेप के बिना स्वत: रिएक्टर को बंद कर सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं।
- भारत 200 MWe भारत SMR, 55 MWe रिएक्टर तथा 5 MWth उच्च तापमान गैस-शीतित रिएक्टर विकसित कर रहा है।
- केंद्रीय बजट 2025-26 में SMR विकास के लिए ₹20,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है तथा वर्ष 2033 तक पाँच स्वदेशी SMRs विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।

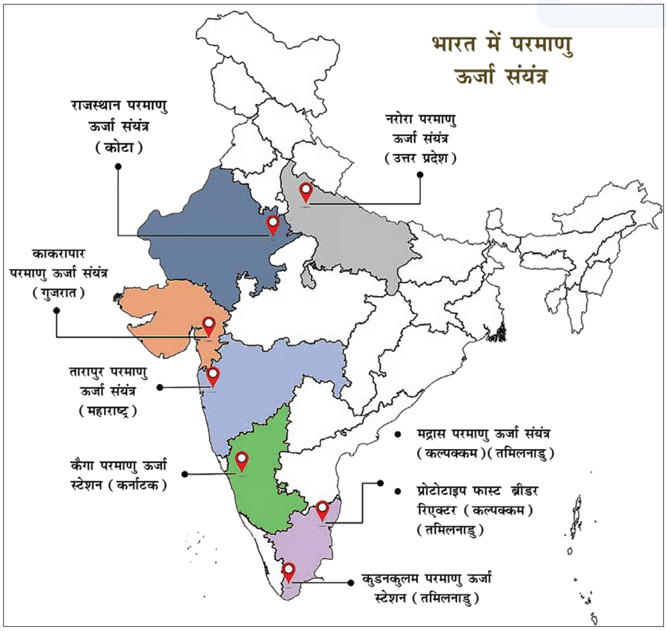

भारत का त्रि-चरणीय परमाणु कार्यक्रम

- प्रथम चरण में प्राकृतिक यूरेनियम आधारित दाबित भारी जल रिएक्टर (PHWRs) का उपयोग किया जाता है।
- द्वितीय चरण में प्लूटोनियम आधारित तीव्र प्रजनक रिएक्टर (FBRs) का उपयोग किया जाता है। कल्पक्कम स्थित प्रोटोटाइप तीव्र प्रजनक रिएक्टर (PFBR) ने अप्रैल 2026 में क्रिटिकलिटी (Criticality) प्राप्त कर ली।
- तृतीय चरण में दीर्घकालिक ईंधन आत्मनिर्भरता के लिए थोरियम आधारित रिएक्टरों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

चुनौतियाँ

- SMRs तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए नियामकीय ढाँचा अभी भी पुराना है तथा SHANTI अधिनियम, 2025 में परिचालन संबंधी स्पष्टता का अभाव है।
- परमाणु परियोजनाओं में प्रति मेगावाट ₹20-25 करोड़ की उच्च पूँजीगत लागत आती है।
- भारत के पास U_3O_8 के 4,25,000-4,33,800 टन भंडार होने के बावजूद वह प्रतिवर्ष केवल लगभग 600 टन यूरेनियम का उत्पादन करता है तथा 2008-09 से 2024-25 के बीच 18,842.60 टन यूरेनियम का आयात किया गया।
- निर्माण चरण के दौरान 1.2-2 लाख कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगी।
- जन सुरक्षा संबंधी चिंताएँ अभी भी एक प्रमुख चुनौती बनी हुई हैं।

भारत के आयात बिल में चेतावनी के संकेत

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नागरिकों से पेट्रोलियम उत्पादों, खाद्य तेलों, स्वर्ण आयात, विदेशी यात्राओं तथा अन्य गैर-आवश्यक विदेशी मुद्रा व्ययों पर खर्च कम करने का आग्रह किया। यह अपील बढ़ती आयात निर्भरता, विस्तृत होते व्यापार घाटे, विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ते दबाव तथा कमजोर होते रुपये को लेकर चिंता को दर्शाती है।

व्यापार घाटा

- वर्ष 2025-26 में भारत का व्यापारिक व्यापार घाटा (Merchandise Trade Deficit) रिकॉर्ड 333 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17% से अधिक की वृद्धि है।
- कुल आयात 7% बढ़कर 775 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि निर्यात लगभग स्थिर रहकर 442 अरब अमेरिकी डॉलर रहा।
- यह बढ़ता हुआ अंतर बाह्य क्षेत्र की संवेदनशीलता को बढ़ाता है।

आयात दबाव के प्रमुख स्रोत

- **कच्चा तेल:** पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक तेल कीमतों में वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का कच्चे तेल का मूल्य सूचकांक 53% बढ़ गया, जिससे भारत का ऊर्जा आयात बिल बढ़ गया।
- **स्वर्ण एवं रजत:** इनका आयात 90 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया, जिससे यह तीसरी सबसे बड़ी आयात श्रेणी बन गई। 15% सीमा शुल्क के बावजूद अप्रैल 2026 में स्वर्ण आयात 82% बढ़ गया।
- **खाद्य तेल:** वर्ष 2025-26 में खाद्य तेलों का आयात 12% से अधिक बढ़ा तथा घरेलू तिलहन उत्पादन कमजोर रहने के कारण देश की कुल माँग का 56% से अधिक आयात से पूरा किया जा रहा है।

- **उर्वरक:** वैश्विक उर्वरक कीमतों में 46% की वृद्धि हुई, जबकि यूरिया की कीमतें दोगुनी हो गईं। पहले जहाँ आयात से कुल आवश्यकता का 31-37% पूरा होता था, वहीं 2025-26 में यह 50% से अधिक हो सकता है।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स एवं बैटरियाँ:** इलेक्ट्रॉनिक घटकों का आयात 20% से अधिक बढ़ा, जबकि बैटरियों का आयात 50% बढ़ गया, जो प्रौद्योगिकी पर निरंतर निर्भरता को दर्शाता है।

आर्थिक जोखिम

- उच्च आयात से डॉलर की माँग बढ़ती है, जिससे रुपये का अवमूल्यन होता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हस्तक्षेप किया है, किन्तु फरवरी 2026 से विदेशी मुद्रा भंडार में 21 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमी आ चुकी है।
- आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत सीमित उपलब्धियाँ यह दर्शाती हैं कि महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में आयात प्रतिस्थापन अभी भी कमजोर बना हुआ है।

MSMES: भारत के समावेशी विकास की रीढ़

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSMEs) आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन, निर्यात तथा विशेषकर ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देकर भारत की अर्थव्यवस्था के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उभरे हैं।

MSMEs क्या हैं?

- MSMEs ऐसे उद्यम हैं, जिन्हें संयंत्र एवं मशीनरी अथवा उपकरणों में निवेश तथा वार्षिक कारोबार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।
- केंद्रीय बजट 2025-26 में इस क्षेत्र के दायरे का विस्तार करने तथा उद्यमों को नीतिगत लाभ खोए बिना विकास करने की सुविधा प्रदान करने के लिए वर्गीकरण के मानदंडों में संशोधन किया गया।

एमएसएमई के वर्गीकरण मानदंडों में संशोधन

श्रेणी	निवेश सीमा (करोड़ रुपये में)	संशोधित निवेश सीमा (करोड़ रुपये में)	टर्नओवर सीमा (करोड़ रुपये में)	संशोधित टर्नओवर सीमा (करोड़ रुपये में)
सूक्ष्म	1 →	2.5	5 →	10
लघु	10 →	25	50 →	100
मध्यम	50 →	125	250 →	500

MSMEs क्यों महत्त्वपूर्ण हैं?

- MSMEs का भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 31.1% का योगदान है।
- इनका कुल निर्यात में लगभग 48.58% तथा विनिर्माण उत्पादन में 35.4% का योगदान है।
- भारत में विनिर्माण, सेवाओं तथा व्यापार क्षेत्रों में 7.47 करोड़ से अधिक MSMEs कार्यरत हैं।
- यह क्षेत्र लगभग 32.8 करोड़ लोगों की आजीविका का समर्थन करता है, जिससे यह कृषि के बाद रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है।
- इन उद्यमों का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में संचालित होता है, जिससे स्थानीय मूल्य श्रृंखलाएँ सुदृढ़ होती हैं, गैर-कृषि रोजगार का सृजन होता है तथा क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।

प्रमुख चुनौतियाँ

- **ऋण तक सीमित पहुँच:** अनेक सूक्ष्म उद्यमों को संपार्श्विक (Collateral) की आवश्यकता, कमजोर ऋण इतिहास तथा ऋणदाताओं की अनिच्छा के कारण ऋण की कमी का सामना करना पड़ता है।
- **बढ़ती प्रतिस्पर्धा:** वैश्वीकरण तथा ई-कॉमर्स के विस्तार से विशेषकर वस्त्र, हस्तशिल्प तथा इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों में बड़े उद्यमों तथा सस्ते आयातों से प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है।
- **प्रौद्योगिकी अंतराल:** अनेक MSMEs के पास डिजिटल उपकरणों, स्वचालन तथा आधुनिक उत्पादन पद्धतियों को अपनाने हेतु पर्याप्त ज्ञान एवं संसाधनों का अभाव है।
- **कमजोर विपणन नेटवर्क:** कमजोर ब्रांडिंग तथा सीमित बाजार संपर्क के कारण राष्ट्रीय एवं वैश्विक बाजारों तक पहुँच सीमित रहती है।
- **विनियामक बोझ:** श्रम, कराधान तथा पर्यावरण संबंधी जटिल नियम अनुपालन लागत को बढ़ाते हैं।
- **कौशल की कमी:** ग्रामीण MSMEs को शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन के कारण कुशल श्रमिकों को बनाए रखने में कठिनाई होती है।
- **बाह्य संवेदनशीलता:** COVID-19 जैसी घटनाओं ने आपूर्ति एवं माँग संबंधी झटकों के विरुद्ध उनकी कमजोर वित्तीय क्षमता को उजागर किया।

सरकारी पहलें

- **प्रधानमंत्री विश्वकर्मा (2023-24 से 2027-28):** पारंपरिक कारीगरों को उत्पाद गुणवत्ता तथा बाजार पहुँच में सुधार के माध्यम से समर्थन प्रदान करती है।
- **सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना (CGSMSE):** ऋण गारंटी के माध्यम से संपार्श्विक-मुक्त ऋण उपलब्ध कराती है।
- **उद्यम पंजीकरण पोर्टल (2020):** नि:शुल्क, कागजरहित तथा स्व-घोषणा आधारित पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है।
- **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP):** ऋण-संबद्ध सब्सिडी के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देता है।
- **MSME हैकाथॉन 4.0 (2024):** 500 उद्यमियों को प्रत्येक के लिए ₹15 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- **MSME-TEAM योजना (2024):** ₹277.35 करोड़ के परिव्यय के साथ 5 लाख सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों, जिनमें 2.5 लाख महिला-नेतृत्व वाले उद्यम शामिल हैं, को डिजिटल ऑनबोर्डिंग तथा व्यापार सुविधा में सहायता प्रदान करती है।
- **खादी एवं ग्रामोद्योग विकास योजना (KGVY):** खादी एवं ग्रामोद्योग (KVI) को बढ़ावा देती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना:** मेलों, प्रदर्शनियों तथा ज्ञान-साझाकरण के माध्यम से MSMEs को वैश्विक बाजारों तक पहुँच बनाने में सहायता प्रदान करती है।

मिजोरम अदरक मिशन

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (MDoNER) ने मिजोरम को उच्च गुणवत्ता वाले फार्मा-ग्रेड अदरक का वैश्विक केंद्र बनाने तथा इसकी संपूर्ण मूल्य शृंखला को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मिजोरम अदरक मिशन का शुभारंभ किया है।

परिचय

- यह ₹189.79 करोड़ की अभिसरण-आधारित (Convergence-based) पहल है, जिसका केंद्र अदरक की खेती, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग तथा निर्यात है।
- यह मिशन व्यापक ब्रांड नॉर्थ ईस्ट दृष्टि का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य को एक विशिष्ट उत्पाद से जोड़ा गया है, जैसे- सिक्किम (ऑर्गेनिक राज्य), अरुणाचल प्रदेश (कीवी), त्रिपुरा (क्वीन पाइनएप्पल), नागालैंड (कॉफी) तथा मेघालय (लाकाडोंग हल्दी)।
- यह कृषि, ग्रामीण विकास तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालयों के साथ-साथ नाबार्ड (NABARD), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी वाले बहु-एजेंसी मॉडल का अनुसरण करता है।

प्रमुख विशेषताएँ

- यह मिशन चार रणनीतिक स्तंभों- अभिसरण (Convergence), मूल्य संवर्धन (Value Addition), ब्रांडिंग (Branding) तथा बाजार एकीकरण (Market Integration)- पर आधारित है।
- इसका उद्देश्य किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) तथा सहकारी समितियों को सुदृढ़ करके बिचौलियों की भूमिका को कम करना है।
- मिशन का लक्ष्य किसानों की मूल्य प्राप्ति में छह गुना वृद्धि करना है।
- वर्तमान में किसानों को केवल ₹8-15 प्रति किलोग्राम प्राप्त होते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य शृंखला में इसका मूल्य लगभग ₹500 प्रति किलोग्राम तक पहुँच जाता है।
- इसके अंतर्गत एक एकीकृत प्रसंस्करण केंद्र तथा तीन स्पोक केंद्र स्थापित किए जाएँगे।
- लगभग 20,000 कृषक परिवारों को एकीकृत वैश्विक मूल्य शृंखला से जोड़ा जाएगा।
- यह मिशन अनुरेखणीयता (Traceability), गुणवत्ता आश्वासन में सुधार करेगा, कटाई उपरांत होने वाली हानियों को कम करेगा तथा निर्यात को बढ़ावा देगा।

महत्त्व

- मिजोरम अपनी GI-प्रमाणित अदरक तथा उच्च गुणवत्ता वाली फार्मा-ग्रेड अदरक के लिए प्रसिद्ध है। इसमें 6-8% ओलियोरेजिन (Oleoresin) पाया जाता है, जो वैश्विक औसत 3% से कहीं अधिक है, जिससे यह स्वाद, सुगंध तथा औषधीय उपयोग के लिए अत्यधिक मूल्यवान बन जाती है।
- यह मिशन दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य पूर्व तथा यूरोप के प्रीमियम निर्यात बाजारों को लक्षित करता है। नीति आयोग ने मिजोरम को "भारत की अदरक राजधानी" के रूप में मान्यता दी है।

चीनी निर्यात प्रतिबंध

भारत सरकार ने कच्ची, सफेद तथा परिष्कृत चीनी के निर्यात पर 30 सितंबर 2026 तक प्रतिबंध लगा दिया है, ताकि घरेलू आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके तथा एल नीनो और ईरान से जुड़ी भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच मूल्य स्थिरता बनाए रखी जा सके।

निर्णय के बारे में

- पूर्व में चीनी प्रतिबंधित श्रेणी में थी, जिसके अंतर्गत स्वीकृत कोटा के भीतर निर्यात की अनुमति थी। अब इसे निषिद्ध श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया गया है। केवल यूरोपीय संघ (EU) तथा संयुक्त राज्य अमेरिका (US) के प्रति विशेष कोटा प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत सीमित निर्यात जारी रहेगा।

भारत में चीनी की स्थिति

- भारत, ब्राजील के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक तथा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। वर्ष 2025-26 के लिए चीनी उत्पादन का अनुमान 279 लाख टन है। 50 लाख टन के प्रारंभिक भंडार के साथ कुल उपलब्धता 329 लाख टन है।
- 280 लाख टन की घरेलू खपत तथा 6.5 लाख टन के निर्यात के बाद समापन भंडार 42.5 लाख टन रहने का अनुमान है, जो लगभग 1.8 माह की घरेलू खपत के बराबर है।

प्रतिबंध के कारण

- संभावित एल नीनो के कारण मानसूनी वर्षा कमजोर पड़ सकती है, जिससे अगले चक्र में गन्ने का उत्पादन घट सकता है। पश्चिम एशिया में, विशेषकर ईरान से संबंधित भू-राजनीतिक तनाव उर्वरकों की आपूर्ति को बाधित कर सकते हैं, जिससे उत्पादकता प्रभावित हो सकती है।
- सरकार भविष्य में संभावित कमी को रोकना तथा खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना चाहती है।
- इस बात को लेकर भी चिंताएँ बनी हुई हैं कि वास्तविक चीनी भंडार रिपोर्ट किए गए आँकड़ों के अनुरूप हैं या नहीं। वर्तमान में घरेलू बिक्री से निर्यात की तुलना में अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है, जिससे निर्यात का आकर्षण कम हो गया है।

प्रभाव

- वर्ष 2022 में चीनी निर्यात ₹45,132 करोड़ के उच्चतम स्तर पर पहुँचा था, जो 2025 में घटकर ₹18,586 करोड़ रह गया।
- सोमालिया, सूडान, बांग्लादेश, श्रीलंका, UAE तथा ईरान जैसे देशों को होने वाले लगभग 90% चीनी निर्यात पर इसका प्रभाव पड़ेगा।

असम का पहला वैध अगरवुड निर्यात

असम ने सऊदी अरब तथा संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को अगरवुड चिप्स का पहला विधिवत स्वीकृत निर्यात कर एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जिससे उसकी कृषि-वानिकी अर्थव्यवस्था में एक नए चरण की शुरुआत हुई है।

अगरवुड

- अगरवुड, जिसे ऊद (Oud) के नाम से भी जाना जाता है, विश्व के सबसे मूल्यवान सुगंधित कच्चे पदार्थों में से एक है।
- यह एक्विलारिया (Aquilaria) तथा जाइरिनॉप्स (Gyrinops) वंश के संक्रमित वृक्षों में प्राकृतिक रक्षा प्रतिक्रिया के रूप में बनने वाले रेसिन (Resin) से प्राप्त होता है।
- इसका व्यापक उपयोग विलासिता वाले इत्र, धूप, प्रसाधन सामग्री तथा पारंपरिक उत्पादों में किया जाता है। खाड़ी क्षेत्र, यूरोप तथा दक्षिण-पूर्व एशिया में इसकी अत्यधिक माँग है।
- इसकी खेती भारत, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, लाओस तथा भूटान जैसे देशों में की जाती है।
- भारत में एक्विलारिया मैलाकेंसिस (Aquilaria malaccensis) तथा एक्विलारिया खासियाना (Aquilaria khasiana) जैसी महत्त्वपूर्ण प्रजातियाँ मुख्यत: पूर्वोत्तर भारत, विशेषकर असम में पाई जाती हैं।
- अगरवुड को वृक्षों की घटती आबादी को लेकर चिंताओं के कारण वन्य जीव एवं वनस्पति की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी अभिसमय (CITES) के परिशिष्ट-II में सूचीबद्ध किया गया है।

निर्यात विवरण

- 13 मई 2026 को असम ने 100 किलोग्राम अगरवुड चिप्स सऊदी अरब तथा 12 किलोग्राम UAE को निर्यात किए।
- इस संपूर्ण खेप का मूल्य ₹2.35 करोड़ था।
- इसके लिए CITES परमिट तथा प्रतिबंधित निर्यात लाइसेंस सहित सभी आवश्यक स्वीकृतियाँ प्राप्त की गईं।

महत्त्व

- इस निर्यात से असम के किसानों, नर्सरी संचालकों तथा व्यापारियों के लिए नए अवसर सृजित होने की अपेक्षा है।
- यदि इस क्षेत्र का समुचित विस्तार किया जाए, तो इसमें लगभग ₹50,000 करोड़ के राजस्व की संभावित क्षमता है।

अमेरिकी शुल्कों के बावजूद भारत के कृषि निर्यात में वृद्धि

संयुक्त राज्य अमेरिका (US) द्वारा उच्च शुल्क लगाए जाने के बावजूद वर्ष 2025-26 में भारत के कृषि निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई, जो कृषि क्षेत्र की सुदृढ़ता को दर्शाती है।

अमेरिकी शुल्कों का प्रभाव

- संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत के कई निर्यात उत्पादों पर उच्च शुल्क लगाए, जिससे औषधि, रेडीमेड वस्त्र, स्वर्ण एवं आभूषण, चमड़ा उत्पाद तथा झींगा, मसाले और बासमती चावल जैसे कृषि उत्पाद प्रभावित हुए।
- इन शुल्क उपायों से अमेरिकी बाजार में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता कम हुई तथा निर्यातकों के लिए अनिश्चितता उत्पन्न हुई।

कृषि निर्यात वृद्धि के कारण

- भारत ने निर्यात गंतव्यों में विविधीकरण करके संयुक्त राज्य अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम की।
- निर्यातकों ने चीन, वियतनाम, जापान, बेल्जियम, थाईलैंड, कनाडा तथा यूनाइटेड किंगडम जैसे बाजारों में अपनी उपस्थिति बढ़ाई, जिससे संभावित नुकसान की भरपाई करने में सहायता मिली।

प्रमुख निर्यात प्रेरक

- समुद्री उत्पाद सबसे सशक्त निर्यात क्षेत्रों में बने रहे, जहाँ चीन, वियतनाम, जापान तथा बेल्जियम से बढ़ती माँग देखी गई।
- भैंस के मांस के निर्यात में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिसे वियतनाम, मिस्र, मलेशिया, UAE तथा सऊदी अरब से प्राप्त माँग का समर्थन मिला।
- कॉफी का निर्यात पहली बार 2 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया, जिसका कारण वैश्विक स्तर पर ऊँची कीमतें, कम वैश्विक भंडार तथा ब्राजील और वियतनाम में कमजोर उत्पादन रहा।
- अंगूर, अनार, आम, केला, प्याज तथा टमाटर सहित ताजे फल एवं सब्जियों के निर्यात में भी वृद्धि हुई।
- इन उत्पादों के प्रमुख बाजारों में UAE, इराक, बांग्लादेश तथा मलेशिया शामिल रहे।

अन्य व्यापारिक प्रवृत्तियाँ

- चावल, मसाले, तंबाकू तथा प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियों के निर्यात में पहले के उच्च स्तर की तुलना में गिरावट दर्ज की गई।
- भारत के कृषि आयात, विशेषकर वनस्पति तेल, ताजे फल तथा कच्ची कपास के आयात में निरंतर वृद्धि हुई।
- परिणामस्वरूप, बढ़ती आयात निर्भरता के कारण भारत का कृषि व्यापार अधिशेष समय के साथ उल्लेखनीय रूप से संकुचित हो गया है।

महत्त्व

- यह प्रवृत्ति कृषि व्यापार में सतत वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए बाजारों के विविधीकरण, मजबूत मूल्य श्रृंखलाओं तथा किसी एक निर्यात बाजार पर निर्भरता कम करने के महत्त्व को रेखांकित करती है।

भारत का कृषि व्यापार (अरब अमेरिकी डॉलर में)

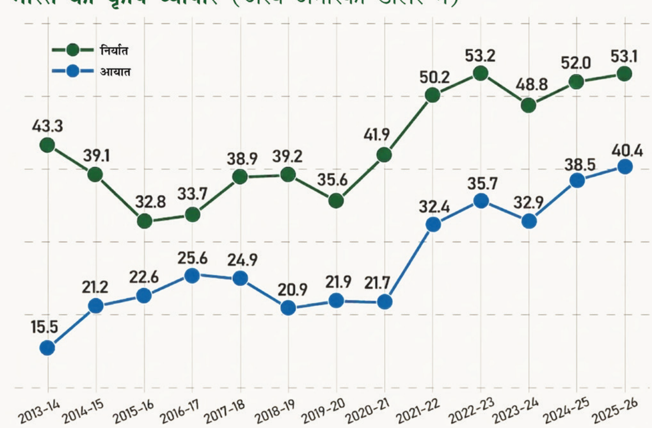

विदहोल्डिंग टैक्स

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच सरकार विदेशी पूँजी प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए विदेशी निवेशकों पर लगने वाले विदहोल्डिंग टैक्स (WHT) को कम करने पर विचार कर रही है।

विदहोल्डिंग टैक्स क्या है?

- विदहोल्डिंग टैक्स (WHT), जिसे रिटेंशन टैक्स भी कहा जाता है, ऐसी कर व्यवस्था है जिसमें आय प्राप्तकर्ता को भुगतान किए जाने से पहले ही स्रोत पर कर की कटौती कर ली जाती है।
- यह स्रोत पर कर कटौती (TDS) की तरह कार्य करता है, जिसमें अग्रिम रूप से कर काटकर सरकार के पास जमा किया जाता है।
- यह सामान्यत: अनिवासी व्यक्तियों तथा विदेशी संस्थाओं सहित अनिवासियों (Non-Residents) को किए जाने वाले भुगतानों पर लागू होता है।
- यह वेतन, लाभांश, ब्याज तथा रॉयल्टी जैसी आय पर लगाया जाता है।
- भारत में यह सामान्यत: बॉन्ड जैसे निवेशों से विदेशी निवेशकों द्वारा अर्जित ब्याज आय पर लागू होता है।

वैधानिक आधार

- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 195 के अनुसार, किसी भी अनिवासी को भुगतान करने वाले व्यक्ति को भुगतान या लेखे में जमा (क्रेडिट) किए जाने, जो भी पहले हो, के समय विदहोल्डिंग टैक्स काटना अनिवार्य है।
- कर की राशि आय के प्रकार, अर्जित आय की मात्रा तथा लागू अंतरराष्ट्रीय कर समझौतों पर निर्भर करती है।
- लागू कर दर आयकर अधिनियम, 1961 अथवा दोहरे कराधान से बचाव समझौते (DTAA) के अंतर्गत निर्धारित दरों में से जो कम हो, उसके अनुसार निर्धारित की जाती है।
- यह कर भारत सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है।

WHT कम करना क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- कम विदहोल्डिंग टैक्स से विदेशी निवेशकों का शुद्ध प्रतिफल (Net Return) बढ़ता है तथा इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को आकर्षित किया जा सकता है।
- इससे सीमा-पार लेन-देन में कर भार को कम होगा तथा व्यवसाय करने की सुगमता में सुधार होगा। इससे अधिक पूँजी प्रवाह, व्यापार विस्तार तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को भी प्रोत्साहित होगा।
- हांगकांग तथा सिंगापुर जैसे कुछ वैश्विक वित्तीय केंद्रों में कुछ प्रकार के लेन-देन पर अपेक्षाकृत कम विदहोल्डिंग टैक्स व्यवस्था है, जिससे वे अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बनते हैं।

भारत में गुड़ क्षेत्र

भारत विश्व के 70% से अधिक गुड़ का उत्पादन करता है, जिससे वह विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक तथा प्राकृतिक मिठास प्रदान करने वाले उत्पादों का एक महत्त्वपूर्ण केंद्र है।

गुड़

- गुड़ गन्ने के रस को बिना रासायनिक परिष्करण के सघन करके तैयार किया जाने वाला एक पारंपरिक, अपरिष्कृत एवं प्राकृतिक मिठास प्रदान करने वाला पदार्थ है।
- इसे सुपरफूड माना जाता है क्योंकि यह परिष्कृत चीनी का पोषक तत्वों से भरपूर विकल्प है।

- इसमें वे आवश्यक खनिज एवं सूक्ष्म पोषक तत्त्व सुरक्षित रहते हैं, जो सामान्यत: चीनी के परिष्करण के दौरान नष्ट हो जाते हैं।
- इसका व्यापक उपभोग एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका तथा कैरेबियाई देशों में किया जाता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- गुड़ को भारत का एक स्वदेशी उत्पाद माना जाता है, जिसकी उत्पत्ति वैदिक काल (1400-1000 ईसा पूर्व) से मानी जाती है।
- माना जाता है कि गन्ने का सर्वप्रथम विकास पूर्वोत्तर भारत में हुआ, जहाँ से यह विश्व के अन्य भागों में फैला।
- 647 ईस्वी में एक चीनी प्रतिनिधिमंडल भारतीय गन्ना प्रसंस्करण तकनीकों का अध्ययन करने के लिए मगध आया था।

पोषण मूल्य एवं लाभ

- गुड़ में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटैशियम, फॉस्फोरस, सोडियम, लौह, जस्ता, ताँबा तथा मैंगनीज जैसे खनिज पाए जाते हैं। इसमें अल्प मात्रा में फोलिक अम्ल, विटामिन-B समूह तथा विटामिन A, C, D और E भी पाए जाते हैं।
- यह दीर्घकालिक ऊर्जा प्रदान करता है, रक्ताल्पता (एनीमिया) के उपचार में सहायक होता है, प्रतिरक्षा क्षमता को सुदृढ़ करता है, पाचन में सहायता करता है तथा गले और फेफड़ों के संक्रमण में लाभकारी होता है।

उत्पादन एवं निर्यात

- भारत के कुल गुड़ उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 48.5%, महाराष्ट्र का 24.1% तथा कर्नाटक का 10.5% है।
- यह क्षेत्र ग्रामीण आजीविका को समर्थन देता है, किसानों की आय में वृद्धि करता है तथा कुटीर उद्योगों के माध्यम से मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देता है।
- वर्ष 2024-25 में प्रमुख निर्यात गंतव्यों में इंडोनेशिया, अमेरिका, UAE, नाइजीरिया तथा नेपाल शामिल थे।

भारत में जीआई-टैग प्राप्त गुड़ की किस्में

GI-टैग प्राप्त किस्में

- कोल्हापुर गुड़ (महाराष्ट्र) अपने सुनहरे रंग तथा उच्च सुक्रोज मात्रा के लिए प्रसिद्ध है।
- मुजफ्फरनगर गुड़ (उत्तर प्रदेश) उच्च गुणवत्ता वाले निर्यातोन्मुख उत्पादन के लिए जाना जाता है।
- मरायूर गुड़ तथा सेंट्रल त्रावणकोर गुड़ (केरल) अपनी शुद्धता, औषधीय गुणों तथा पारंपरिक प्रसंस्करण पद्धति के लिए प्रसिद्ध हैं।

AI-केंद्रित वैश्विक क्षमता केंद्र

भारत का वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) पारिस्थितिकी तंत्र तीव्र परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भारत का उपयोग अब केवल बैक-ऑफिस कार्यों के लिए ही नहीं, बल्कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), अभियांत्रिकी, अनुसंधान तथा वैश्विक रणनीतिक कार्यों के लिए भी कर रही हैं।

GCCs क्या हैं?

- GCCs ऐसे अपतटीय (Offshore) केंद्र हैं, जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपने वैश्विक परिचालन के लिए रणनीतिक व्यावसायिक कार्यों के निष्पादन हेतु स्थापित करती हैं।
- इनके कार्यों में प्रौद्योगिकी एवं सॉफ्टवेयर विकास, अभियांत्रिकी एवं अनुसंधान, वित्त एवं लेखांकन, डेटा विश्लेषण, उत्पाद विकास तथा परिचालन प्रबंधन शामिल हैं।
- भारत में लगभग 2,117 GCCs कार्यरत हैं, जिनमें लगभग 23.6 लाख पेशेवर कार्यरत हैं तथा जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग 98.4 अरब अमेरिकी डॉलर का राजस्व अर्जित किया।
- पिछले पाँच वर्षों में इस क्षेत्र में लगभग 32% की वृद्धि हुई है तथा 500 से अधिक नए GCCs स्थापित हुए हैं।

GCCs का विकास

- पूर्व में GCCs मुख्यत: लागत लाभ (Cost Arbitrage) तथा आउटसोर्सिंग मॉडल पर आधारित थे। अब वे उत्पाद स्वामित्व, AI के उपयोग, प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग तथा व्यावसायिक रूपांतरण की ओर अग्रसर हो रहे हैं।
- यह परिवर्तन उन्हें केवल सेवा-प्रदाय केंद्रों से आगे बढ़ाकर उद्यमों के तंत्रिका केंद्र के रूप में स्थापित करता है।
- वर्तमान में 1,200 से अधिक GCCs में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तथा मशीन लर्निंग (ML) क्षमताएँ उपलब्ध हैं और 250 से अधिक उत्कृष्टता केंद्र (Centres of Excellence - CoEs) स्थापित किए जा चुके हैं।
- भारत में 2.5 लाख से अधिक AI पेशेवर हैं, जिससे यह उद्यम-आधारित AI प्रतिभा का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र बन गया है।

भारत के लिए महत्त्व

- GCCs निर्यात आय, शहरी विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा उच्च कौशल आधारित रोजगार में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।
- ये अभियांत्रिकी, AI, डेटा विज्ञान, साइबर सुरक्षा, वित्त तथा अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में रोजगार का सृजन करते हैं। उन्नत अभियांत्रिकी एवं नवाचार के माध्यम से GCCs वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत के एकीकरण को सुदृढ़ करते हैं।

GCCs बनाम पारंपरिक IT कंपनियाँ

- पारंपरिक IT कंपनियाँ मुख्यत: श्रम-प्रधान आउटसोर्सिंग तथा समय एवं सामग्री (Time-and-Material) आधारित अनुबंधों पर निर्भर रहती हैं।
- इसके विपरीत, GCCs अब एंड-टू-एंड स्वामित्व, वैल्यू-शेयर मॉडल, गेन-शेयर मॉडल तथा उत्पाद-केंद्रित परिचालन को प्राथमिकता दे रहे हैं।
- GCCs उच्च वेतन, उत्पाद विकास का अनुभव तथा दीर्घकालिक रणनीतिक कार्यों के माध्यम से प्रतिभाओं को आकर्षित करते हैं।
- इससे भारतीय IT कंपनियाँ AI एकीकरण, परामर्श सेवाओं, प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग तथा स्वचालन समाधान की ओर अग्रसर हो रही हैं।

चुनौतियाँ

- केवल 5% GCCs ही CXO-स्तरीय अधिकारों वाले पूर्ण व्यावसायिक रूपांतरण केंद्रों के रूप में विकसित हो पाए हैं।
- AI, सेमीकंडक्टर डिजाइन, क्लाउड इंजीनियरिंग तथा साइबर सुरक्षा से संबंधित प्रतिभाओं की बढ़ती माँग कौशल अंतराल उत्पन्न कर रही है।
- वियतनाम, फिलीपींस, पोलैंड तथा मैक्सिको जैसे देश प्रतिस्पर्धी केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं।
- बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई तथा गुरुग्राम जैसे प्रमुख केंद्रों में भीड़भाड़, उच्च लागत तथा संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है।

- टियर-2 तथा टियर-3 शहरों की भागीदारी अभी भी सीमित है।
- डेटा सुरक्षा, सीमा-पार डेटा प्रवाह तथा वैश्विक अनुपालन को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं। बौद्धिक संपदा (IP) का स्वामित्व मुख्यत: विदेशी मूल कंपनियों के पास ही बना रहता है।

सरकारी समर्थन

- इस क्षेत्र को डिजिटल इंडिया, इंडिया AI मिशन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, स्टार्टअप इंडिया, फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स, अटल नवाचार मिशन, स्किल इंडिया, फ्यूचरस्किल्स प्राइम, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs) तथा आईटी पार्कों के माध्यम से समर्थन प्रदान किया जा रहा है।
- कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने GCCs के लिए समर्पित पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किए हैं।
- भारत का डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, जैसे आधार, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), डिजीलॉकर तथा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC), डिजिटल नवाचार को सुदृढ़ आधार प्रदान करता है।

भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने LEADS 2025 रिपोर्ट जारी की तथा LEAPS अवार्ड्स 2025 के विजेताओं को सम्मानित किया, जिसमें भारत के लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र में उत्कृष्टता एवं नवाचार को मान्यता दी गई। यह एक कुशल तथा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के निर्माण पर भारत के बढ़ते ध्यान को दर्शाता है।

अवलोकन

- भारत की अर्थव्यवस्था प्रमुख क्षेत्रों में पुनरुद्धार तथा बेहतर आपूर्ति श्रृंखलाओं के समर्थन से मजबूत वृद्धि दर्ज कर रही है।
- लॉजिस्टिक्स क्षेत्र व्यापार, विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों के सुचारु संचालन के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- भारत ने 2023 में लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक (Logistics Performance Index - LPI) में 38वाँ स्थान प्राप्त किया, जो 2018 की तुलना में छह स्थानों की प्रगति है।
- भारत का लक्ष्य 2030 तक विश्व के शीर्ष 25 देशों में स्थान प्राप्त करना तथा लॉजिस्टिक्स लागत को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 10% से कम करना है।

कुशल लॉजिस्टिक्स का महत्त्व

- कुशल लॉजिस्टिक्स विलंब को कम करके तथा वस्तुओं की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करके आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ बनाते हैं।
- बेहतर लॉजिस्टिक्स संपर्क एवं पहुँच में सुधार करते हैं, जिससे विभिन्न क्षेत्रों का आपसी जुड़ाव बढ़ता है तथा बाजारों का विस्तार होता है।
- परिवहन, भंडारण तथा वितरण लागत में कमी से व्यवसायों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है।
- यह क्षेत्र परिवहन, गोदाम प्रबंधन तथा वितरण में रोजगार के अवसर सृजित करता है।
- ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS), रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तथा उन्नत विश्लेषण जैसी प्रौद्योगिकियों के उपयोग से निगरानी, उत्पादकता तथा परिचालन दक्षता में सुधार होता है।
- एक सुदृढ़ लॉजिस्टिक्स प्रणाली वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्बाध आवागमन को सुनिश्चित करके व्यापक आर्थिक एकीकरण को समर्थन प्रदान करती है।

चुनौतियाँ

- सड़क परिवहन पर अत्यधिक निर्भरता के कारण भारत की लॉजिस्टिक्स लागत वैश्विक औसत से अधिक बनी हुई है।
- यह क्षेत्र अभी भी अत्यधिक विखंडित तथा असंगठित है, जिससे कार्यकुशलता प्रभावित होती है।
- बंदरगाहों पर भीड़भाड़, अंतिम चरण (Last-Mile) की कमजोर संपर्क व्यवस्था तथा अपर्याप्त गोदाम सुविधाएँ अभी भी प्रमुख अवरोध बनी हुई हैं।
- प्रौद्योगिकी के असमान उपयोग तथा कुशल श्रमिकों की कमी के कारण आधुनिकीकरण की गति धीमी है।
- डीजल के व्यापक उपयोग से कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) उत्सर्जन बढ़ता है तथा पर्यावरणीय स्थिरता प्रभावित होती है।

सरकारी उपाय

- समर्पित मालवाहक गलियारे (Dedicated Freight Corridors - DFCs) दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा हावड़ा जैसे प्रमुख केंद्रों को जोड़ा हैं, जिससे माल परिवहन की गति एवं विश्वसनीयता में सुधार हुआ है।
- मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क सड़क, रेल एवं वायु परिवहन को गोदामों, शीत भंडारण तथा सीमा शुल्क सेवाओं के साथ एकीकृत करते हैं।
- परिवहन पोर्टल, सारथी तथा वाहन के साथ मिलकर परिवहन सेवाओं का डिजिटलीकरण कर चुका है। वस्तु एवं सेवा कर (GST) के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली ने कागजी कार्यवाही कम की है तथा पारदर्शिता बढ़ाई है।
- GST ने अंतर्राज्यीय जाँच चौकियों को समाप्त किया, कराधान को सरल बनाया तथा परिवहन दक्षता में 33% से अधिक सुधार किया।
- पीएम गतिशक्ति (2021) एकीकृत अवसंरचना योजना तथा बहु-माध्यमीय संपर्क को समर्थन प्रदान करती है।
- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (2022) का उद्देश्य निर्बाध लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण तथा लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाना है।
- लॉजिस्टिक्स दक्षता संवर्धन कार्यक्रम (LEEP) अवसंरचना तथा प्रौद्योगिकी के माध्यम से माल परिवहन दक्षता में सुधार करता है।
- मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 बंदरगाह विस्तार, डिजिटलीकरण, हरित नौवहन, जहाज निर्माण, पर्यटन तथा कौशल विकास पर केंद्रित है।
- यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP) विभिन्न विभागों के लॉजिस्टिक्स डेटा को एकीकृत कर पारदर्शिता एवं दक्षता बढ़ाता है।

LEADS 2025

- LEADS (Logistics Ease Across Different States) राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन अवसंरचना, सेवाओं, विनियामक वातावरण तथा सततता के आधार पर करता है।

- इसमें चार-स्तरीय वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है-
    - **एक्सेम्प्लेर्स** – निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अग्रणी क्षेत्र।
    - **हाई पर्फोरमर्स** – मजबूत एवं निरंतर अच्छे परिणाम देने वाले क्षेत्र।
    - **एक्सलेरेटेर्स** – उल्लेखनीय सुधार गति प्रदर्शित करने वाले क्षेत्र।
    - **ग्रोथ-सीकर्स** – लॉजिस्टिक्स विकास के प्रारंभिक चरण में स्थित क्षेत्र।

आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (ECLGS) 5.0

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम एशिया संकट के कारण उत्पन्न तरलता संबंधी समस्याओं से निपटने में व्यवसायों की सहायता के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (ECLGS) 5.0 को स्वीकृति प्रदान की है।

उद्देश्य

- इस योजना का उद्देश्य MSMEs तथा विमानन उद्योग को वित्तीय अस्थिरता से उबारने के लिए अतिरिक्त ₹2,55,000 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराना है।
- यह योजना बैंकों तथा वित्तीय ऋणदाताओं को नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रबंधित सरकार समर्थित सुरक्षा व्यवस्था के माध्यम से पात्र उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण प्रदान करने की अनुमति देती है।

NCGTC की प्रमुख विशेषताएँ

- **गारंटी कवरेज:** NCGTC अतिरिक्त ऋण सुविधाओं के अंतर्गत चूक (डिफॉल्ट) की गई राशि पर MSMEs के लिए 100% तथा गैर-MSMEs (विमानन कंपनियों सहित) के लिए 90% की ऋण गारंटी प्रदान करता है। इसके लिए कोई गारंटी शुल्क नहीं लिया जाता।
- **पात्र उधारकर्ता:** MSMEs, सक्रिय कार्यशील पूँजी सीमा वाले गैर-MSMEs तथा 31 मार्च 2026 तक बकाया ऋण सुविधाओं वाली अनुसूचित यात्री विमान सेवाएँ आवेदन कर सकती हैं, बशर्ते उनके ऋण खाते मानक (Standard) श्रेणी में वर्गीकृत हों।
- **वित्तीय सीमा:**
    - MSMEs तथा गैर-MSMEs को वित्तीय वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही (Q4) के दौरान उपयोग की गई अपनी अधिकतम कार्यशील पूँजी का 20% तक अतिरिक्त ऋण मिल सकता है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹100 करोड़ है।
    - विमानन कंपनियों को निर्धारित शर्तों के अधीन प्रति उधारकर्ता अधिकतम ₹1,500 करोड़ की सीमा तक उनके अधिकतम उपयोग का 100% तक ऋण प्राप्त हो सकता है।
- **ऋण एवं गारंटी अवधि:**
    - MSMEs तथा गैर-MSMEs (विमानन कंपनियों को छोड़कर) के लिए ऋण अवधि प्रथम वितरण की तिथि से 5 वर्ष होगी, जिसमें 1 वर्ष की पुनर्भुगतान स्थगन अवधि (Moratorium) शामिल होगी।
    - विमानन कंपनियों के लिए ऋण अवधि 7 वर्ष होगी, जिसमें 2 वर्ष की स्थगन अवधि होगी। गारंटी की अवधि ऋण अवधि के समान होगी।
- **योजना की वैधता:** यह योजना NCGTC द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए जाने की तिथि से लेकर 31 मार्च 2027 तक स्वीकृत सभी ऋणों पर लागू होगी।

भारतीय रुपये का अवमूल्यन

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में तीव्र अवमूल्यन हुआ है, जिसमें रुपये-डॉलर विनिमय दर 2025 में लगभग 85 प्रति डॉलर से बढ़कर 2026 में 96 प्रति डॉलर से अधिक हो गई है।

भारतीय रुपये के अवमूल्यन के कारण

- **लगातार व्यापार घाटा:**
    - भारत जितना निर्यात करता है, उससे अधिक वस्तुओं का आयात करता है, जिससे लगातार व्यापारिक (मर्चेंडाइज) घाटा बना रहता है।
    - विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने के लिए भारतीय आयातक रुपये को डॉलर में परिवर्तित करते हैं, जिससे डॉलर की माँग बढ़ जाती है। डॉलर की बढ़ी हुई माँग रुपये को कमजोर करती है।
- **कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें:**
    - भूराजनैतिक तनावों के बीच ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों में 2% से अधिक की वृद्धि होकर यह $98 प्रति बैरल से ऊपर पहुँच गई। 2026 में ईरान संघर्ष बढ़ने के बाद से रुपये में लगभग 5% की गिरावट आई है।
    - तेल आयात बिल बढ़ने का अर्थ है कि डॉलर खरीदने के लिए अधिक रुपये बेचे जाते हैं, जिससे रुपये पर प्रत्यक्ष रूप से दबाव पड़ता है।
- **चालू खाता घाटा (Current Account Deficit - CAD):**
    - भारत में लगातार चालू खाता घाटा दर्ज होता है क्योंकि आयात, निर्यात से अधिक होता है।
    - यद्यपि भारत सॉफ्टवेयर निर्यात और प्रेषण (Remittances) के माध्यम से विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, फिर भी ये प्रवाह व्यापार घाटे की पूरी भरपाई करने के लिए प्रायः पर्याप्त नहीं होते।
- **विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) का बहिर्वाह:** FPI में विदेशी निवेशकों द्वारा शेयरों और बॉण्डों में किया गया निवेश शामिल होता है। FPI अत्यधिक अस्थिर होता है क्योंकि निवेशक वैश्विक वित्तीय परिस्थितियों के आधार पर शीघ्रता से अपने निवेश स्थानांतरित कर देते हैं। भारत से पूँजी का बहिर्वाह रुपये पर दबाव बढ़ाता है।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका में बढ़ती ब्याज दरें:**
    - संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च ब्याज दरें वैश्विक निवेशकों को अमेरिकी वित्तीय परिसंपत्तियों की ओर आकर्षित करती हैं।
    - निवेशक भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं से धन निकालकर अधिक सुरक्षित अमेरिकी परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं।
    - भारत से पूँजी का बहिर्वाह रुपये पर दबाव बढ़ाता है।
- **वैश्विक भूराजनैतिक अनिश्चितता:** भूराजनैतिक तनाव वैश्विक वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता बढ़ाते हैं। अस्थिरता के समय निवेशक अमेरिकी डॉलर जैसी सुरक्षित परिसंपत्तियों को प्राथमिकता देते हैं। इससे वैश्विक स्तर पर डॉलर मजबूत होता है।
- **नीतिगत एवं बाजार भावना:** RBI के हस्तक्षेप ($50 bn की बिक्री, $10 bn का स्वैप नीलामी) से अस्थिरता पर आंशिक नियंत्रण हुआ है; IMF द्वारा 'crawl-like' विनिमय-दर वर्गीकरण तथा उच्च हेजिंग लागत बाजार में रुपये के क्रमिक अवमूल्यन की अपेक्षाओं को और मजबूत करती हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर रुपये के अवमूल्यन का प्रभाव

- **मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ता है:** आयात लागत बढ़ने से ईंधन और आवश्यक वस्तुओं की घरेलू कीमतें बढ़ जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स लागत भी बढ़ती है। इससे अर्थव्यवस्था में आयातित मुद्रास्फीति (Imported Inflation) बढ़ती है।
- **बाह्य ऋण का बोझ बढ़ता है:** डॉलर-मूल्यांकित ऋण लेने वाली भारतीय कंपनियों को रुपये के अवमूल्यन के बाद अधिक रुपये चुकाने पड़ते हैं। इससे ऋण-सेवा लागत बढ़ती है और कंपनियों की लाभप्रदता प्रभावित होती है।
- **वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ती है:** बड़े पैमाने पर FPI के बहिर्वाह से शेयर बाजार में गिरावट आती है और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ती है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेशकों का विश्वास कमजोर होता है।
- **निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता:** कमजोर रुपया अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय वस्तुओं को सस्ता बनाता है क्योंकि विदेशी खरीदार उन्हें कम डॉलर में खरीद सकते हैं। हालाँकि, भारत के मामले में उच्च आयात निर्भरता के कारण इसका लाभ सीमित रहता है।
- **प्रेषण:** अनिवासी भारतीय (NRI) द्वारा भेजी गई धनराशि के बदले अधिक रुपये प्राप्त होते हैं; भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता है (FY25 में लगभग $120 billion)।

संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम

हाल ही में यह रेखांकित किया गया है कि संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों (जो प्राय: IMF और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं से जुड़े होते हैं) ने वैश्विक दक्षिण के देशों पर भारी सामाजिक एवं आर्थिक लागत थोपी है।

संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम (SAPs)

- ये विकासशील देशों के लिए आर्थिक नीतियाँ हैं, जिन्हें 1980 के दशक के प्रारम्भ से विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा ऐसी नीतियों को अपनाने की शर्त पर ऋण प्रदान करके प्रोत्साहित किया गया है।
- इनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक समायोजन को बढ़ावा देना है, जैसे कि सरकार के "अत्यधिक" नियंत्रणों को हटाना तथा विश्व बैंक द्वारा अपनाए गए नवउदारवादी एजेंडा के तहत बाजार प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना।
- **SAPs के अंतर्गत सामान्यत: तीन प्रमुख सुधारों की माँग की गई:**
  - **मितव्ययिता उपाय:** स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सब्सिडी तथा सामाजिक कल्याण पर सार्वजनिक व्यय में कटौती। इसका उद्देश्य बचत को बाह्य ऋण तथा लेनदारों के भुगतान की ओर मोड़ना था।
  - **निजीकरण:** सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं सेवाओं का निजी क्षेत्र को हस्तांतरण। इसमें उपयोगिता सेवाओं (Utilities), परिवहन, बैंकिंग तथा अन्य सरकारी स्वामित्व वाले उद्योगों का निजीकरण शामिल था।
  - **आर्थिक उदारीकरण एवं विनियमन-मुक्ति:** औद्योगिक विनियमों, शुल्कों (Tariffs), श्रम संरक्षण तथा पूँजी नियंत्रणों को समाप्त करना। घरेलू बाजारों को विदेशी व्यापार एवं निवेश के लिए खोलना।
- अंतरराष्ट्रीय ऋणों पर चूक (Default) करने की स्थिति में देशों के वैश्विक वित्तीय बाजारों से अलग-थलग पड़ जाने की आशंका के कारण उनकी सौदेबाजी की शक्ति अत्यंत सीमित थी।

भारत के GDP आधार वर्ष का संशोधन

भारत ने अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया है।

परिचय

- GDP किसी देश में एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को दर्शाता है।
- इसे सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी किया जाता है।
- नाममात्र GDP (Nominal GDP) वर्तमान कीमतों पर उत्पादन का मापन करता है, जबकि वास्तविक GDP (Real GDP) मुद्रास्फीति के प्रभाव को हटाकर आधार वर्ष की स्थिर कीमतों पर उत्पादन का मापन करता है।
- आधार वर्ष (Base Year) वह संदर्भ वर्ष होता है जिसका उपयोग वास्तविक आर्थिक वृद्धि का आकलन करने के लिए तुलना के मानक के रूप में किया जाता है।

आधार वर्ष में संशोधन क्यों किया गया?

- भारत उत्पादन, उपभोग तथा अर्थव्यवस्था की संरचना में हुए परिवर्तनों को समाहित करने के लिए GDP के आधार वर्ष में संशोधन करता है।
- यह प्रक्रिया सामान्यत: प्रत्येक पाँच वर्ष में की जाती है, लेकिन वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संक्रमण तथा COVID-19 महामारी के कारण इसमें विलंब हुआ।
- इसका उद्देश्य आर्थिक अनुमानों की शुद्धता, विश्वसनीयता तथा प्रासंगिकता में सुधार करना है।

कार्यप्रणाली संबंधी परिवर्तन

- नई श्रृंखला में असंगठित क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण (ASUSE) तथा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) जैसे अद्यतन डेटा स्रोतों का उपयोग किया गया है।
- अब अनुमान व्यापक क्षेत्रीय संकेतकों के स्थान पर उप-क्षेत्र एवं गतिविधि-स्तरीय आँकड़ों के आधार पर लगाए जाते हैं।
- कृषि एवं विनिर्माण क्षेत्रों में द्वि-अवस्फीति (Double Deflation) पद्धति लागू की गई है, जिसमें आगत (Input) तथा निर्गत (Output) दोनों की कीमतों का अलग-अलग समायोजन किया जाता है, जिससे वास्तविक सकल मूल्य वर्धन (GVA) के आकलन की शुद्धता बढ़ती है।

महत्त्व

- बेहतर GDP अनुमान राजकोषीय एवं मौद्रिक नीति-निर्माण को अधिक प्रभावी बनाते हैं। ये उपभोग, निवेश तथा उत्पादन की प्रवृत्तियों के बारे में अधिक स्पष्ट जानकारी प्रदान करते हैं।
- सुधारित कार्यप्रणाली भारत की वैश्विक सांख्यिकीय विश्वसनीयता तथा निवेशकों के विश्वास को सुदृढ़ करती है। यह रोजगार, आय तथा कल्याण में होने वाले परिवर्तनों का बेहतर आकलन करने में भी सहायक है।

4 पर्यावरण

रू-सोम पुल

यूनेस्को ने सिक्किम सरकार के साथ मिलकर स्वदेशी रू-सोम अभियांत्रिकी का प्रलेखन (Documentation) प्रारम्भ किया है। Airbnb के सहयोग से यह परियोजना कंचनजंगा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र (Khangchendzonga Biosphere Reserve) में संचालित की जा रही है।

परिचय

- **उत्पत्ति एवं पहचान:** इन पुलों का निर्माण स्थानीय लेपचा समुदाय द्वारा किया जाता है। "Ru" का अर्थ बेंत (Cane) या रतन (Rattan) तथा "Soam" का अर्थ पुल होता है। ये संरचनाएँ केवल ऐतिहासिक धरोहर नहीं हैं, बल्कि पारिस्थितिक संतुलन एवं संरचनात्मक दृढ़ता की जीवंत अभिव्यक्तियाँ हैं। इन्होंने 2023 की सिक्किम हिमानी झील विस्फोट बाढ़ (GLOF) को भी सहन किया।
- **डिजाइन एवं सामग्री:** ये पुल स्थानीय बाँस, बेंत तथा लकड़ी से निर्मित होते हैं। इनकी लंबाई 100 मीटर तक हो सकती है तथा ये एक समय में दो या तीन व्यक्तियों का भार वहन कर सकते हैं।
- **प्रमुख घटक:**
  - **सोमग्यांग** (Soamgyang): संरचना को लटकाने के लिए दोनों सिरों पर पेड़ों से बाँधे गए दो समानांतर बेंत।
  - **अहूल** (Ahool): डिजाइन में एकीकृत झूलते हुए बेंत के फंदे।
  - **सोमगुर** (Soamgur): पुल के डेक (चलने वाले भाग) के निर्माण में प्रयुक्त बाँस के टुकड़े।

साइबॉर्ग वनस्पति विज्ञान

वैज्ञानिकों ने साइबॉर्ग वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति की है, जो पौधों को उनके आंतरिक स्वास्थ्य की वास्तविक समय में जानकारी देने में सक्षम बनाता है, जिसमें जैविक संकेतों को इलेक्ट्रॉनिक डेटा में परिवर्तित किया जाता है।

परिचय

- साइबॉर्ग वनस्पति विज्ञान एक अंत:विषय क्षेत्र है, जो जीवित पौधों को इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों एवं उपकरणों के साथ एकीकृत करता है।
- इसका उद्देश्य पौधा-आधारित जैव-संकर प्रणालियाँ विकसित करना है, जो संवेदन, संचार, पर्यावरणीय निगरानी तथा ऊर्जा-संबंधी कार्य करने में सक्षम हों।
- इसका लक्ष्य पौधों को ऐसे कार्यात्मक जीवित परिपथ-पट में परिवर्तित करना है, जो स्वाभाविक रूप से डेटा का संवेदन, प्रसंस्करण तथा संप्रेषण कर सकें।

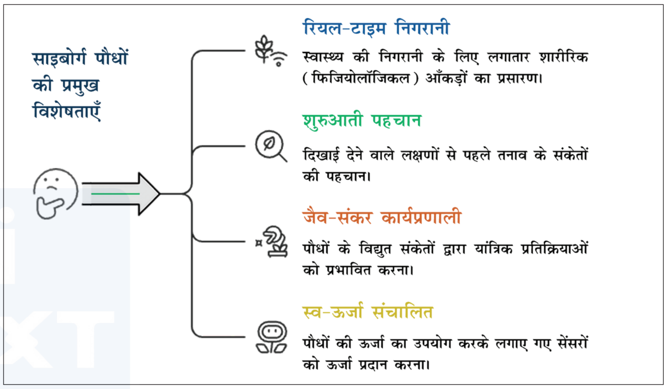

कार्यप्रणाली

- **जैव-संवेदक:** शोधकर्ता जैवरासायनिक परिवर्तनों का तत्काल पता लगाने के लिए पौधों की कोशिका भित्तियों (Cell Walls) में सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिस्टर (Transistors) तथा नैनोवायर (Nanowires) स्थापित करते हैं।
- **आंतरिक वायरिंग:** PEDOT जैसे सुरक्षित, जैव-अपघटनीय चालक बहुलक (Conductive Polymers) आंतरिक तारों के रूप में कार्य करते हैं और कोशिकीय संकेतों को बाहरी हार्डवेयर तक पहुँचाते हैं।
- **डेटा रूपांतरण:** यह प्रणाली प्रकाश, नमी, कीटों तथा पोषक तत्त्वों के प्रति पौधों की प्रतिक्रिया का पता लगाती है और इन जैविक संकेतों को पढ़े जा सकने वाले डिजिटल डेटा में परिवर्तित कर देती है।

पारिस्थितिकी-संहार

हाल के सैन्य संघर्षों-गाजा, दक्षिणी लेबनान तथा तेहरान (ईरान) में ईंधन भंडारण स्थलों पर हुए हमलों ने पारिस्थितिकी-संहार (Ecocide) को अपराध घोषित करने की वैश्विक माँग को पुन: प्रबल कर दिया है। Ecocide का अर्थ है- "अपने घर का विनाश"।

परिचय

- पारिस्थितिकी-संहार से आशय ऐसे अवैध या निरंकुश (Wanton) मानवीय कृत्यों से है, जिन्हें इस जानकारी के साथ किया जाता है कि उनसे पारिस्थितिक तंत्रों को गंभीर, व्यापक अथवा दीर्घकालिक विनाश एवं क्षति

पहुँचने की पर्याप्त संभावना है, जिससे वहाँ के निवासियों का शांतिपूर्ण जीवन गंभीर रूप से प्रभावित होता है।

- **विकासक्रम:**
  - पादप जीवविज्ञानी प्रो. आर्थर डब्ल्यू. गैल्स्टन ने 1970 में इस शब्द का प्रयोग वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना द्वारा एजेंट ऑरेंज शाकनाशी के उपयोग का वर्णन करने के लिए किया था।
  - स्वीडन के प्रधानमंत्री ओलोफ पाल्मे ने 1972 के संयुक्त राष्ट्र स्टॉकहोम सम्मेलन में इसे वैश्विक स्तर पर प्रमुखता से उठाया।
  - 1990 में वियतनाम पारिस्थितिकी-संहार को अपने घरेलू कानून में शामिल करने वाला पहला देश बना। वर्तमान में रूस, यूक्रेन, फ्रांस, बेल्जियम तथा चिली जैसे देशों में भी इसी प्रकार के प्रावधान हैं।
- **अंतरराष्ट्रीय ढाँचा:**
  - वर्तमान अंतरराष्ट्रीय कानून (जैसे जिनेवा अभिसमय तथा पर्यावरण संशोधन अभिसमय) पर्यावरणीय युद्ध पर प्रतिबंध लगाते हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) के रोम संविधि (Rome Statute) में चार प्रमुख अंतरराष्ट्रीय अपराधों को मान्यता दी गई है:
    - नरसंहार (Genocide)
    - मानवता के विरुद्ध अपराध (Crimes against Humanity)
    - युद्ध अपराध (War Crimes)
    - आक्रामकता का अपराध (Crime of Aggression)
  - हालाँकि, वर्तमान कानून मानव-केंद्रित (Anthropocentric) हैं। पर्यावरणविद् माँग कर रहे हैं कि पारिस्थितिकी-संहार को रोम संविधि के अंतर्गत पाँचवें अंतरराष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता दी जाए।
  - हाल की प्रमुख उपलब्धियों में 2025 में IUCN द्वारा औपचारिक मान्यता तथा यूरोप परिषद द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु आपराधिक कानून अभिसमय को अपनाया जाना शामिल है।
- **भारत में कानूनी स्थिति:**
  - भारत में पारिस्थितिकी-संहार के लिए कोई पृथक आपराधिक कानून नहीं है। इसके स्थान पर निम्नलिखित कानूनों के अंतर्गत बिखरे हुए नियामक प्रावधान लागू होते हैं, जैसे-
  - पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
  - वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
  - वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 आदि।
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) गंभीर प्रदूषण को "सतत अपराध" मानते हुए प्रदूषक भुगतान सिद्धांत (Polluter Pays Principle) के आधार पर बहु-करोड़ रुपये का जुर्माना लगा सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने एम.के. रंजीतसिंह बनाम भारत संघ, 2024 में अनुच्छेद 14 (समानता) तथा अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के अंतर्गत "जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त रहने के अधिकार" को एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया।

सशस्त्र संघर्षों के पर्यावरणीय प्रभाव

- **विषाक्तीकरण:** भारी तोपखाने, मिसाइलें तथा रासायनिक एजेंट विषैले अवशेष, भारी धातुएँ तथा अविस्फोटित आयुध (UXOs) छोड़ते हैं, जो दशकों तक मिट्टी एवं भूजल को प्रदूषित करते हैं।
- **अवसंरचना का विनाश:** तेल भंडारण स्थलों, औद्योगिक परिसरों तथा बाँधों (जैसे यूक्रेन का काखोव्का बाँध) पर बमबारी से विषैले रसायनों का रिसाव एवं विनाशकारी बाढ़ आती है, जिससे जैव विविधता नष्ट हो जाती है।
- **कार्बन पदचिह्न:** वैश्विक सैन्य क्षेत्र लगभग 5.5% ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है। यदि सैन्य क्षेत्र को एक देश माना जाए, तो उसका कार्बन पदचिह्न विश्व में चौथा सबसे बड़ा होगा।
- **आवासीय क्षेत्रों का विनाश:** सैन्य उद्देश्यों के लिए बड़े पैमाने पर भूमि की सफाई से व्यापक वनों की कटाई होती है, जिससे वनस्पति एवं जीव-जंतुओं का विनाश होता है तथा स्थानीय सूक्ष्म जलवायु भी प्रभावित होती है।

भारत का पहला उपग्रह-टैगयुक्त गंगा सॉफ्ट-शेल कछुआ

भारत में पहली बार एक उपग्रह-टैगयुक्त गंगा सॉफ्ट-शेल कछुए को लुप्तप्राय प्रजाति दिवस (Endangered Species Day) के अवसर पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ अभयारण्य में छोड़ा गया।

गंगा सॉफ्ट-शेल कछुआ (Nilssonia gangetica)

- **सामान्य नाम:** गंगा सॉफ्ट-शेल कछुआ/भारतीय सॉफ्ट-शेल कछुआ
- **कुल** (Family)**:** Trionychidae (सॉफ्ट-शेल कछुए)
- **प्रमुख विशेषताएँ:** कठोर स्क्यूट्स (Scutes) के स्थान पर चपटा, चमड़े जैसा कवच, स्नॉर्कल जैसी लंबी थूथन, जैतूनी से गहरे हरे रंग का शरीर तथा अत्यधिक जलीय जीवन शैली।
  - **वितरण:** भारतीय उपमहाद्वीप का स्थानिक।
  - **मुख्यत:** गंगा नदी तंत्र, सिंधु बेसिन, महानदी तथा अन्य उत्तरी नदी तंत्रों में पाया जाता है।
  - यह भारत, नेपाल, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान में पाया जाता है।
- **आवास:** बड़ी नदियों, गहरे जलकुंडों, धीमी गति से बहने वाले मीठे जल निकायों, जलाशयों तथा आर्द्रभूमियों को पसंद करता है; तथा प्राय: रेतीले तटों (Sandbanks) पर धूप सेंकते हुए देखा जाता है।

पारिस्थितिक महत्त्व

- मृत जैविक पदार्थों को खाकर नदी के सफाईकर्मी के रूप में कार्य करता है।
- नदी की स्वच्छता, पोषक तत्त्वों के चक्रण तथा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में सहायता करता है।
- यह मछलियों, कीटों, मोलस्क तथा जलीय वनस्पतियों का सेवन करता है।

संरक्षण स्थिति

- **IUCN रेड लिस्ट:** संकटग्रस्त (Endangered)
- **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972:** अनुसूची-I
- **CITES:** परिशिष्ट-I

संरक्षण प्रयास

- गंगा बेसिन में कछुओं के पुनर्वास एवं प्रजनन कार्यक्रम।
- **संरक्षण पहलें:** नमामि गंगे कार्यक्रम; तथा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन।

टर्टल और टॉर्टाइस के बीच अंतर		
विशेषता	**टर्टल**	**टॉर्टाइस**
आवास	मुख्य रूप से जलीय (मीठे जल या समुद्री)	मुख्य रूप से स्थलीय (जमीन पर रहने वाले)
पैर	तैरने के लिए झिल्लीदार पैर या फ्लिपर्स	चलने के लिए हाथी जैसे मोटे और मजबूत पैर
शेल का आकार	चपटा और सुव्यवस्थित (स्ट्रीमलाइन्ड)	गुंबद के आकार का और भारी
आहार	कई प्रजातियों में सर्वाहारी	ज्यादातर शाकाहारी
संचलन	अच्छे तैराक	धीरे चलने वाले
शरीर का अनुकूलन	जल में रहने के अनुकूल	सूखी जमीन पर रहने के अनुकूल
भारत में उदाहरण	ऑलिव रिडले कछुआ, गंगा का सॉफ्ट-शेल कछुआ	इंडियन स्टार कछुआ
अंडे देना	आमतौर पर नदी के रेतीले किनारों या समुद्र तटों पर	जमीन पर मिट्टी में या बिलों में

अतिरिक्त जानकारी

लुप्तप्राय प्रजाति दिवस:

- यह हर साल मई के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। 2026 में यह 15 मई को था। इसे संरक्षण संगठनों ने खतरे में पड़ी और लुप्तप्राय प्रजातियों, जैव विविधता संरक्षण, आवास की सुरक्षा और टिकाऊ विकास के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आरंभ किया था।
- **'लुप्तप्राय' (Endangered) का अर्थ:** ऐसी प्रजाति जिसके प्राकृतिक आवास में विलुप्त होने का बहुत अधिक खतरा हो।

भारत का संरक्षण ढाँचा:

- **संवैधानिक प्रावधान:**
  - **अनुच्छेद 48A:** पर्यावरण और वन्यजीवों की सुरक्षा।
  - **अनुच्छेद 51A(g):** प्रकृति की रक्षा करना मौलिक कर्त्तव्य है।
- **प्रमुख कानून:**
  - **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:** वन्यजीवों को कानूनी सुरक्षा देता है। इसमें दी गई अनुसूचियाँ सुरक्षा के स्तर के अनुसार प्रजातियों को वर्गीकृत करती हैं।
  - **जैव विविधता अधिनियम, 2002:** जैव विविधता का संरक्षण और टिकाऊ उपयोग।
  - **वन संरक्षण अधिनियम, 1980:** वन भूमि के अन्य उपयोग (डायवर्जन) पर रोक लगाता है।

प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समझौते:

- **CITES:** वन्यजीवों के व्यापार को नियंत्रित करता है।
- **जैव विविधता पर कन्वेंशन (CBD):** जैव विविधता संरक्षण।
- **रामसर कन्वेंशन:** आर्द्रभूमि (वेटलैंड) की सुरक्षा।
- प्रवासी जंगली जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन (CMS) (जिसे बॉन कन्वेंशन भी कहा जाता है)।

जेनेटिक 'मैप' से पैंगोलिन की तस्करी का पता लगाने में मदद

उन्नत डीएनए अनुक्रमण (DNA Sequencing) का उपयोग करते हुए पैंगोलिन तस्करी के मार्गों का पता लगाने के लिए एक नए अध्ययन में एक महत्त्वपूर्ण 'आनुवंशिक मानचित्र' (Genetic Map) विकसित किया गया है।

पैंगोलिन (Pangolins)

- पैंगोलिन शल्कों (scales) से ढके स्तनधारी हैं, जो फोलिडोटा (Pholidota) गण के अंतर्गत आते हैं।
- **चींटियों और दीमकों को मुख्य रूप से खाने के कारण इन्हें सामान्यत:** 'स्केली एंटीटर' (Scaly Anteaters) कहा जाता है।
- **ये एकाकी (Solitary), मुख्यत:** निशाचर (nocturnal) होते हैं तथा खतरा होने पर अपने शरीर को गेंद के आकार में समेट लेते हैं।
- पैंगोलिन ऐसे एकमात्र स्तनधारी हैं जिनके शरीर पर केराटिन (Keratin) से बने शल्क होते हैं।
- मांस, शल्कों तथा चमड़े से बने उत्पादों की माँग के कारण ये विश्व के सर्वाधिक तस्करी किए जाने वाले स्तनधारी हैं।
- वर्तमान में IUCN द्वारा पैंगोलिन की आठ प्रजातियों को मान्यता प्राप्त है।
- **वितरण:** ये अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं।

अफ्रीका में पाई जाने वाली प्रजातियाँ	IUCN स्थिति
काले पेट वाला पैंगोलिन (फेटागिनस टेट्राडैक्टिला)	सुभेद्य
सफेद पेट वाला पैंगोलिन (फेटागिनस ट्राइकसपिस)	संकटग्रस्त
विशाल ग्राउंड पैंगोलिन (स्मुत्सिया गिगेंटिया)	संकटग्रस्त
संकटग्रस्त टेम्मिन्क्स ग्राउंड पैंगोलिन (स्मुत्सिया टेम्मिन्की)	सुभेद्य
एशिया में पाई जाने वाली प्रजातियाँ	**IUCN स्थिति**
भारतीय पैंगोलिन (मैनिस क्रैसिकाउडाटा)	संकटग्रस्त
फिलीपीन पैंगोलिन (मैनिस क्यूलियोनेंसिस)	गंभीर रूप से लुप्तप्राय
सुंडा पैंगोलिन (मैनिस जावनिका)	गंभीर रूप से लुप्तप्राय
चीनी पैंगोलिन (मैनिस पेंटाडैक्टाइला)	गंभीर रूप से लुप्तप्राय

भारत में पैंगोलिन

- भारत में इंडियन और चाइनीज पैंगोलिन पाए जाते हैं। भारत के अलावा, ये पाकिस्तान, चीन, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में भी मिलते हैं।

संरक्षण की स्थिति

- **भारत:** वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के तहत संरक्षित।
- **अंतर्राष्ट्रीय:** पैंगोलिन की सभी प्रजातियाँ CITES के परिशिष्ट I (Appendix I) में शामिल हैं; जिसके तहत इनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर रोक है।

महत्त्व

- 'जेनेटिक मैप' जंगली जानवरों के अवैध व्यापार का पता उसके स्रोत तक लगाने के लिए एक शक्तिशाली नया जरिया देता है। इससे पैंगोलिन के अवैध शिकार और तस्करी को रोकने की वैश्विक कोशिशों को काफी मजबूती मिल सकती है।

स्पर्म व्हेल

हाल के एक अध्ययन में पाया गया है कि स्पर्म व्हेल की क्लिक ध्वनियाँ जटिल एवं संरचित पैटर्न प्रदर्शित करती हैं, जो मानव भाषा के कुछ तत्वों से मिलती-जुलती हैं। इससे व्हेल के संचार तथा भाषा के विकास के बारे में नई जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं।

स्पर्म व्हेल (फाइसेटर मैक्रोसेफालस)

- स्पर्म व्हेल का नाम इसके सिर में पाए जाने वाले अर्ध-तरल, मोम जैसे पदार्थ के कारण पड़ा, जिसे प्रारंभ में शुक्राणु समझा गया था।
- ये गहरे समुद्र में दिशा-निर्धारण तथा शिकार का पता लगाने के लिए प्रतिध्वनि-स्थान निर्धारण अर्थात शक्तिशाली क्लिक ध्वनियों का उपयोग करती हैं।
- **वितरण:** ये विश्व के सभी महासागरों तथा भूमध्य सागर में पाई जाती हैं।
- **दिखावट:** यह एक बड़ी, गहरे रंग की, दाँतों वाली व्हेल है, जिसका विशाल, चौकोर आकार का सिर इसके शरीर की कुल लंबाई के एक-तिहाई से भी अधिक हो सकता है।

स्पर्म व्हेल दाँतों वाली व्हेलों में सबसे बड़ी होती हैं।

- **खतरे:** गहरे समुद्र में तेल एवं गैस की खोज से श्रवण क्षमता की हानि, हाइड्रोकार्बन से जल प्रदूषण तथा समुद्री जहाजों से टकराने का जोखिम बढ़ जाता है।
- **संरक्षण की स्थिति:**
  - **IUCN:** असुरक्षित (Vulnerable)
  - **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:** अनुसूची II
  - **CITES:** परिशिष्ट I

एम्बरग्रीस

- यह एक मोम जैसा पदार्थ है जो स्पर्म व्हेल के पाचन तंत्र से निकलता है।
- बाजार में इसकी ऊँची कीमत के कारण इसे अक्सर 'तैरता हुआ सोना' और 'समुद्र का खजाना' कहा जाता है।
- यह CITES के नियमों के दायरे में नहीं आता है क्योंकि इसे प्राकृतिक रूप से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ माना जाता है और कई देशों में इसका व्यापार कानूनी है।

शहरी ऊष्मा द्वीप

उत्तर एवं मध्य भारत में आई तीव्र हीटवेव ने शहरी ऊष्मा द्वीप (Urban Heat Island-UHI) प्रभाव को लेकर चिंताओं को बढ़ा दिया है।

शहरी ऊष्मा द्वीप क्या है?

- यह एक ऐसी घटना है जिसमें मानवीय गतिविधियों एवं निर्मित अवसंरचना के कारण शहरी क्षेत्रों का तापमान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक हो जाता है।
- कंक्रीट, डामर (asphalt), भवनों तथा हरित आवरण में कमी के कारण शहर अधिक ऊष्मा को अवशोषित एवं संचित करते हैं।

शहरी ऊष्मा द्वीप क्यों होता है?

- प्राकृतिक सतहों का प्रतिस्थापन तथा हरित आवरण में कमी।
- मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न अपशिष्ट ऊष्मा।
- शहरी संरचना (Urban Geometry) तथा वायु प्रदूषण।

शहरी ऊष्मा द्वीप के असर

- पर्यावरण पर (हवा की गुणवत्ता का खराब होना और जमीन के स्तर पर ओजोन का बनना; ग्रीनहाउस गैसों का ज्यादा उत्सर्जन)
- स्वास्थ्य पर असर (बुजुर्ग, बच्चे, कामगार और गरीब लोग)।
- जल से जुड़े असर (नदियों और झीलों में गर्म जल का बहकर जाना, और जलीय इकोसिस्टम का खराब होना)
- अर्थव्यवस्था पर (कामगारों की उत्पादकता में कमी, और स्वास्थ्य सेवा पर ज्यादा खर्च)

सरकार की संबंधित पहलें

- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC)
- अहमदाबाद जैसे शहरों में हीट एक्शन प्लान (HAPs)।
- शहरी हरित बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने वाला AMRUT मिशन।
- नगर वन योजना जैसी शहरी वानिकी पहलें।

सारंडा वन

झारखंड ने सर्वोच्च न्यायालय में सरंडा हाथी वनों को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका दायर की है। राज्य का तर्क है कि इससे जनजातीय बस्तियों, सड़कों तथा अवसंरचना पर प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए इसके लिए आगे विस्तृत पारिस्थितिक एवं सामाजिक-आर्थिक अध्ययन आवश्यक हैं।

सारंडा वन

- 'सारंडा' शब्द का अर्थ 'सात सौ पहाड़ियों की भूमि' है। यह झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है तथा एशिया का सबसे बड़ा साल (Shorea robusta) वन माना जाता है।
- यह छोटानागपुर जैव-भौगोलिक क्षेत्र का भाग है तथा ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ के वनों से जुड़कर एक सतत वन्यजीव आवास का निर्माण करता है। यहाँ की प्रमुख वृक्ष प्रजातियों में साल, महुआ तथा कुसुम शामिल हैं।
- कोयल एवं कारो नदियों की सहायक नदियों का उद्गम यहीं से होता है।
- यह लौह अयस्क के समृद्ध भंडारों से युक्त है, जिससे यह खनन एवं उद्योग की दृष्टि से सामरिक रूप से महत्त्वपूर्ण है।

पारिस्थितिक महत्त्व

- साल वृक्षों की प्रधानता के साथ यह समृद्ध जैव विविधता वाला वन है।
- यह एशियाई हाथी, तेंदुआ, स्लॉथ भालू, विशाल गिलहरी तथा विभिन्न पक्षी एवं सरीसृप प्रजातियों का आवास है।
- यह पूर्वी भारत में हाथियों के एक महत्त्वपूर्ण गलियारे (Elephant Corridor) के रूप में कार्य करता है।

जनजातीय जनसंख्या

- **यह मुख्यत:** हो जनजाति तथा अन्य जनजातीय समुदायों द्वारा आबाद है।
- इनकी आजीविका लघु वनोपज, कृषि तथा पारंपरिक वन-निर्भर गतिविधियों पर आधारित है।
- यह वन स्थानीय जनजातियों के लिए गहरा सांस्कृतिक महत्त्व रखता है, क्योंकि उनकी परंपराएँ, अनुष्ठान तथा पवित्र उपवन (Sarna) इस वन पारिस्थितिकी तंत्र से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं।

कलाई-II हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर व्हाइट-बेलीड हेरॉन (सफेद पेट वाले बगुले) के बारे में चिंताएँ

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति (Forest Advisory Committee-FAC) ने कलई-II जलविद्युत परियोजना को सैद्धांतिक वन स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिससे श्वेत-उदर बगुले (White-Bellied Heron) पर संभावित प्रभाव को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।

कलई-II जलविद्युत परियोजना

- **स्थान:** अरुणाचल प्रदेश के अंजॉ जिले में भारत-चीन सीमा के निकट लोहित नदी (ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी) पर प्रस्तावित।
- **प्रकार:** 1,200 मेगावाट क्षमता की रन-ऑफ-द-रिवर (Run-of-the-River) जलविद्युत परियोजना; इसे टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (THDC) इंडिया लिमिटेड तथा अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित एवं कार्यान्वित किया जा रहा है। इसमें 128.5 मीटर ऊँचा कंक्रीट ग्रेविटी बाँध तथा एक भूमिगत विद्युतगृह प्रस्तावित है।
- **चिंताएँ:** वन भूमि का परिवर्तन (लगभग 869 हेक्टेयर), जिसमें लगभग 638 हेक्टेयर क्षेत्र जलमग्न होगा। प्रतिपूरक वनीकरण मध्य प्रदेश में प्रस्तावित है।

श्वेत-उदर बगुला (Ardea insignis)

- यह विश्व की सबसे दुर्लभ एवं सर्वाधिक संकटग्रस्त बगुला प्रजातियों में से एक है।
- यह एक बड़ा मीठे जल का पक्षी है, जो मुख्यत: पूर्वी हिमालय की अविक्षुब्ध नदियों, आर्द्रभूमियों तथा वनाच्छादित जलधाराओं के किनारे पाया जाता है।
- यह स्वस्थ नदीय पारिस्थितिकी तंत्र का एक संकेतक (Indicator) प्रजाति है। यह भूटान (जहाँ इसकी सबसे बड़ी ज्ञात आबादी है) तथा म्यांमार में पाया जाता है।
- **भारत में:**
    - यह मुख्यत: अरुणाचल प्रदेश (नामदाफा टाइगर रिज़र्व) तथा असम के कुछ भागों में पाया जाता है।
    - इसे वालोंग, चेंगुंग तथा कमलांग टाइगर रिजर्व के डाउनस्ट्रीम परिदृश्य में दर्ज किया गया है।

खतरे

- नदी संशोधन एवं विकास कार्यों के कारण आवास का क्षरण।
- जलविद्युत परियोजनाओं के कारण नदी पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव।
- घोंसला बनाने एवं भोजन खोजने वाले स्थलों के निकट मानवीय हस्तक्षेप।
- अत्यंत कम जनसंख्या, जिससे यह प्रजाति विलुप्ति के प्रति अधिक संवेदनशील है।
- जलवायु परिवर्तन से नदी आवासों में होने वाले परिवर्तन।

संरक्षण स्थिति

- **IUCN:** अति संकटग्रस्त (Critically Endangered)
- **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972:** अनुसूची-I
- **CITES:** परिशिष्ट-I (असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक व्यापार निषिद्ध)

जलकुंभी आजीविका पहल

अंतरराष्ट्रीय राइनो फाउंडेशन द्वारा समर्थित एक आजीविका पहल के तहत असम के लाओखोवा-बुरहाचापोरी वन्यजीव अभयारण्य के निकट रहने वाली महिलाओं ने आक्रामक जलकुंभी को विपणन योग्य घरेलू उत्पादों में परिवर्तित करना प्रारंभ किया है।

जलकुंभी (Eichhornia crassipes)

- **उद्गम:** अमेजन बेसिन (दक्षिण अमेरिका); मूल रूप से ब्राजील।
- **प्रकार:** मुक्त रूप से तैरने वाला जलीय पौधा।
- भारतीय जल निकायों में इसके तीव्र प्रसार के कारण इसे प्राय: 'बंगाल का आतंक' कहा जाता है।
- इसे विश्व की सर्वाधिक आक्रामक विदेशी प्रजातियों में शामिल किया गया है।
- यह प्राय: लोकटक झील (मणिपुर), वेम्बनाड झील (केरल), डल झील (जम्मू एवं कश्मीर), कोलकाता आर्द्रभूमि तथा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र बेसिन के विभिन्न भागों में पाया जाता है।

विशेषताएँ

- तेजी से बढ़ने वाला बहुवर्षीय जलीय खरपतवार।
- यह वानस्पतिक प्रवर्धन (स्टोलोन) द्वारा प्रजनन करता है तथा इसके बीज कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं।
- यह जल की सतह पर घने तैरते हुए आवरण बनाता है तथा पोषक तत्वों से समृद्ध (यूट्रोफिक) जल में अच्छी तरह पनपता है।

लाभकारी उपयोग

- यद्यपि यह एक आक्रामक प्रजाति है, फिर भी इसका उपयोग जैव-उपचार (भारी धातुओं एवं प्रदूषकों का अवशोषण) तथा बायोगैस, कम्पोस्ट, हस्तशिल्प एवं बायोचार के उत्पादन में किया जा सकता है।

जलकुंभी के प्रभाव

- यह वाष्पीकरण के कारण जल हानि को 2.5 से 3 गुना तक बढ़ा देता है।
- जलकुंभी के अत्यधिक प्रसार से मछलियों की विविधता प्रभावित होती है तथा अन्य जलीय पौधों के लिए जीवित रहना कठिन हो जाता है।
- जलकुंभी की वृद्धि के साथ अवसाद (Sediment) का स्तर भी बढ़ता है।
- यह मच्छरों एवं अन्य परजीवियों के प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करता है तथा जल परिवहन में बाधा उत्पन्न करता है।

प्रबंधन एवं नियंत्रण उपाय

- **यांत्रिक नियंत्रण:** हार्वेस्टर मशीनों या मानवीय श्रम द्वारा भौतिक रूप से हटाना। यह महँगा है तथा नियमित रखरखाव की आवश्यकता होती है।
- **जैविक नियंत्रण:** नियोचेटीना इचोर्निया तथा नियोचेटीना इचोर्निया तथा नियोचेटीना ब्रुची जैसे वीविल का उपयोग।
  - इसे पर्यावरण की दृष्टि से अधिक सुरक्षित माना जाता है।
- **रासायनिक नियंत्रण:** सीमित परिस्थितियों में शाकनाशियों का उपयोग किया जा सकता है, किन्तु इससे पारिस्थितिक दुष्प्रभावों का जोखिम रहता है।
- **एकीकृत प्रबंधन:** इसमें पोषक तत्वों में कमी, जैविक नियंत्रण, यांत्रिक निष्कासन तथा आर्द्रभूमि पुनर्स्थापन का समन्वित उपयोग किया जाता है।

लाओखोवा-बुरहाचापोरी वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी (LBWLS)

- यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट के साथ विस्तृत है तथा एक महत्त्वपूर्ण वन्यजीव गलियारे एवं काजीरंगा टाइगर रिजर्व के आधिकारिक बफर जोन के रूप में कार्य करता है।
- यह पूर्व में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को पश्चिम में ओरांग राष्ट्रीय उद्यान से जोड़ता है।
- इसमें आर्द्र जलोढ़ घासभूमियाँ, तटीय वन, आर्द्र पर्णपाती वन तथा दुर्लभ मीठे जल के मैंग्रोव का समृद्ध मिश्रण पाया जाता है।
- यह एक-सींग वाले भारतीय गैंडे, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, जंगली भैंसा तथा अत्यंत संकटग्रस्त गंगा नदी डॉल्फिन के लिए आवश्यक नदीय आवास प्रदान करता है।

जलकुंभी से जलकुंभी शिल्प बनाने की प्रक्रिया

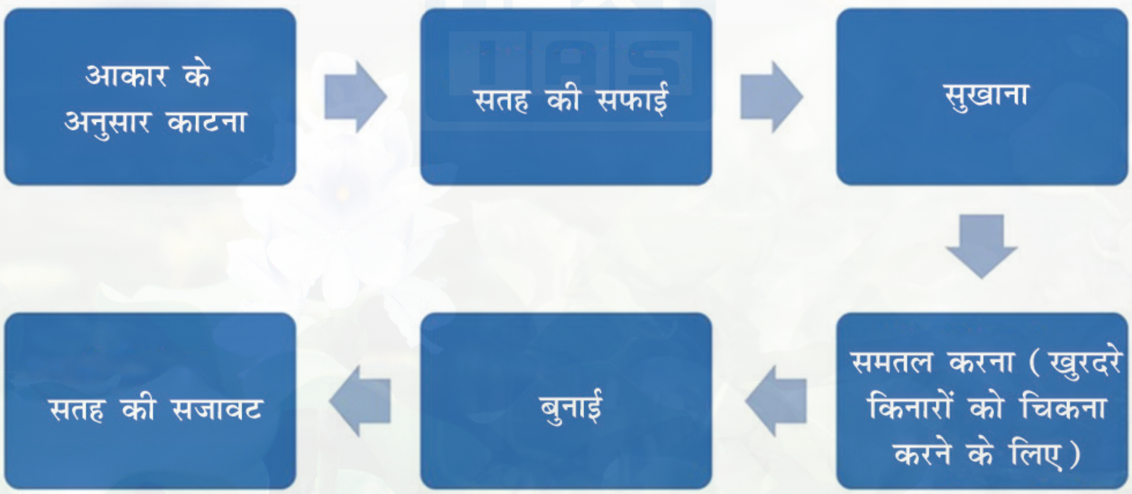

5 भूगोल

अंडमान ने बनाए दो गिनीज विश्व रिकॉर्ड

अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह ने स्वराज द्वीप (पूर्व नाम हैवलॉक द्वीप) में 'जल के भीतर सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन' तथा 'जल के भीतर सबसे ऊँचा मानव स्तंभ' (22.3 मीटर) बनाकर दो गिनीज विश्व रिकॉर्ड स्थापित किए।

परिचय

- उपराज्यपाल सहित 14 लोगों ने 22.3 मीटर ऊँचा मानव स्तंभ बनाया और वे तीन मिनट तक जल के भीतर रहे।
- लगभग 60 × 40 मीटर आकार के विश्व के सबसे बड़े जलमग्न राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की गई।
- इन दोनों गिनीज विश्व रिकॉर्डों से राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित होने की उम्मीद है तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह की पहचान स्कूबा गोताखोरी और पारिस्थितिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में और मजबूत होगी।

अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह

स्थिति

- यह 6°45' उत्तरी अक्षांश से 13°41′ उत्तरी अक्षांश तथा 92°12' पूर्वी देशांतर से 93°57' पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है।
- यह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्यभूमि से लगभग 1,300 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में स्थित है।

प्रमुख जलडमरूमध्य

- **डंकन जलडमरूमध्य:** दक्षिण अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है।
- **10 डिग्री जलडमरूमध्य:** अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है।
- **6 डिग्री जलडमरूमध्य:** निकोबार द्वीपों को सुमात्रा (इंडोनेशिया) से अलग करता है। सबसे दक्षिणी द्वीप ग्रेट निकोबार है, जिसका दक्षिणी छोर सुमात्रा से केवल लगभग 150 किलोमीटर दूर है।

अन्य विशेषताएँ

- अधिकांश द्वीपों का आधार ज्वालामुखीय है तथा ये तृतीयक काल के बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शेल से बने हैं।
- पोर्ट ब्लेयर के उत्तर में स्थित बैरन तथा नारकोंडम द्वीप ज्वालामुखीय द्वीप हैं। कुछ द्वीप प्रवाल भित्तियों से घिरे हुए हैं।

सर्वोच्च शिखर:

- सैडल पीक (उत्तर अंडमान) – 732 मीटर
- माउंट थुलियर (ग्रेट निकोबार) – 642 मीटर

वर्ष 2018 में निम्नलिखित तीन द्वीपों के नाम बदले गए:

- रॉस द्वीप – नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप
- नील द्वीप – शहीद द्वीप
- हैवलॉक द्वीप – स्वराज द्वीप
- पैंडेनस अथवा निकोबार ब्रेडफ्रूट अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में पाया जाने वाला एक दुर्लभ फल है।
- अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह का बैरन द्वीप न केवल भारत, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है।
- ग्रेट निकोबार स्थित इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है।
- ग्रेट निकोबार जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र को 1989 में घोषित किया गया तथा 2013 में यूनेस्को मानव एवं जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में मान्यता मिली।

विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह (PVTGs)

- ग्रेट अंडमानी – स्ट्रेट द्वीप
- ओंगे लिटिल अंडमान
- जारवा दक्षिण एवं मध्य अंडमान
- सेंटिनली सेंटिनल द्वीप
- शोम्पेन ग्रेट निकोबार

तंजानिया

तंजानिया के दार एस सलाम में भारत-तंजानिया संयुक्त व्यापार समिति (JTC) के पाँचवें सत्र का आयोजन किया गया।

परिचय

- **अवस्थिति:** पूर्वी अफ्रीका का एक देश, जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है।
- **राजधानी:** डोडोमा
- **सबसे बड़ा शहर एवं प्रमुख बंदरगाह:** दार एस सलाम
- **सीमाएँ:**
  - **उत्तर:** युगांडा, केन्या तथा विक्टोरिया झील (तंजानिया का एक भाग विक्टोरिया झील में स्थित है, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील तथा नील नदी का एक प्रमुख स्रोत है।)
  - **पूर्व:** हिन्द महासागर
  - **दक्षिण:** मोजाम्बिक, मलावी, जाम्बिया तथा न्यासा झील
  - **पश्चिम:** रवांडा, बुरुंडी तथा टांगानिका झील। टांगानिका झील तंजानिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच सीमा बनाती है।

भौगोलिक विशेषताएँ

- माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊँची चोटी है।
- ग्रेट रुआहा, रुफीजी तथा कागेरा यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं।

भारत के साथ सहयोग

- भारत और तंजानिया ने अपनी आर्थिक साझेदारी को सुदृढ़ किया है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2025-26 में बढ़कर 9.02 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जो पिछले वर्ष 8.64 अरब अमेरिकी डॉलर था।
- दोनों देशों ने व्यापार तंत्र को बेहतर बनाने, स्थानीय मुद्रा में भुगतान व्यवस्था की संभावनाएँ तलाशने, व्यापारियों के लिए वीजा प्रक्रिया को सरल बनाने तथा शुल्क एवं नियामकीय बाधाओं को दूर करने पर सहमति व्यक्त की। सहयोग के प्रमुख क्षेत्र हैं-
  - औषधि निर्माण, स्वास्थ्य सेवा, खनन, कृषि, शिक्षा, प्रौद्योगिकी।

तीस्ता नदी

बांग्लादेश ने लंबे समय से लंबित तीस्ता जल-बँटवारा समझौते को आगे बढ़ाने का अपना अनुरोध पुनः दोहराया है।

तीस्ता नदी का भौगोलिक परिचय

- **उद्गम:** पूर्वी हिमालय में उत्तर सिक्किम स्थित त्सो ल्हामो झील (पौहुनरी हिमनद के निकट)।
- **प्रवाह:** यह सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है तथा ब्रह्मपुत्र (जमुना) नदी में मिलकर अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
- **प्रमुख सहायक नदियाँ:** रांगीत, लाचुंग चू, लाचेन चू तथा ग्रेट रांगीत।
- **प्रमुख नगर:** चुंगथांग, मंगन, कालिम्पोंग क्षेत्र तथा जलपाईगुड़ी।

तीस्ता नदी का महत्त्व

- **आर्थिक** महत्त्व
  - नदी के जलग्रहण क्षेत्र का लगभग 83% भाग भारत में तथा शेष 17% भाग बांग्लादेश में स्थित है। यह बांग्लादेश की लगभग 8.5% जनसंख्या तथा 14% कृषि उत्पादन को सहारा प्रदान करती है।
  - यह सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, मत्स्य पालन तथा जलविद्युत उत्पादन के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
  - यह पश्चिम बंगाल की तीस्ता बैराज परियोजना के लिए जल का प्रमुख स्रोत है।
- **सामरिक महत्त्व:**
  - यह नदी पूर्वी हिमालय के संवेदनशील क्षेत्र से होकर बहती है।
  - जल-बँटवारे के मुद्दे के कारण यह भारत-बांग्लादेश संबंधों में अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

तीस्ता जल-बँटवारा विवाद (भारत-बांग्लादेश)

- भारत और बांग्लादेश के बीच 2011 में तीस्ता नदी के जल के बँटवारे पर सैद्धांतिक सहमति बनी थी, लेकिन केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच समन्वय संबंधी मुद्दों के कारण समझौता अंतिम रूप नहीं ले सका।
- बांग्लादेश शुष्क मौसम के दौरान तीस्ता नदी के जल में अधिक हिस्सेदारी की माँग करता है।

जमैका

विदेश मंत्री की आधिकारिक यात्रा के दौरान भारत और जमैका ने स्वास्थ्य सहयोग, सौर ऊर्जा तथा प्रसारण के क्षेत्र में तीन समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए।

परिचय

- भारत और जमैका ने स्वास्थ्य सेवा, आधारभूत संरचना, डिजिटलीकरण, कृषि, शिक्षा, पर्यटन तथा क्षमता निर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।
- दोनों देशों ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) की छात्रवृत्तियों तथा ई-विद्याभारती एवं आईगॉट कर्मयोगी जैसे डिजिटल शिक्षण मंचों के माध्यम से क्षमता निर्माण पर भी विचार-विमर्श किया।

जमैका

- जमैका कैरेबियन सागर में स्थित एक पर्वतीय द्वीप है, जो क्यूबा के दक्षिण में स्थित है।
- इसका निर्माण लगभग 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व उत्तर अमेरिकी तथा कैरेबियाई विवर्तनिक प्लेटों की टक्कर से हुआ था।
- **प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ:**
  - ब्लू पर्वत
  - जॉन क्रो पर्वत
  - डॉन फिगुएरो पर्वत
  - कॉकपिट कंट्री
- **प्रमुख नदियाँ:**
  - ब्लैक नदी
  - रियो कोब्रे
  - रियो ग्रांडे

अतिरिक्त जानकारी

- यह ग्रेटर एंटिलीज नामक कैरेबियाई द्वीप-श्रृंखला का हिस्सा है, जिसमें क्यूबा, हिस्पानियोला तथा प्यूर्टो रिको भी शामिल हैं।
- यह क्यूबा और हिस्पानियोला के बाद कैरेबियन सागर का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है।
- जमैका 1962 में यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्र हुआ, किंतु आज भी राष्ट्रमंडल (कॉमनवेल्थ) का सदस्य है।

भारतीय मौसम विभाग द्वारा ब्लॉक-स्तरीय मानसून पूर्वानुमान प्रणाली प्रारम्भ

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने एक नई पूर्वानुमान प्रणाली प्रारम्भ की है, जो 15 राज्यों और 1 केंद्रशासित प्रदेश में दक्षिण-पश्चिम मानसून का ब्लॉक-स्तर तक पूर्वानुमान देने में सक्षम है।

भारत में मौसम पूर्वानुमान

- वर्तमान में भारत मौसम पूर्वानुमान के लिए उपग्रह आँकड़ों तथा संगणकीय मॉडल पर निर्भर है।
- भारतीय मौसम विभाग इनसैट (INSAT) श्रृंखला के उपग्रहों तथा सुपरकंप्यूटर का उपयोग करता है।
- भारत में मुख्य रूप से INSAT-3D, INSAT-3DR तथा INSAT-3DS उपग्रहों का उपयोग मौसम संबंधी प्रेक्षणों के लिए किया जाता है।
- मौसम वैज्ञानिक बादलों की गति, बादलों के ऊपरी भाग के तापमान तथा जलवाष्प की मात्रा से संबंधित उपग्रह आँकड़ों का उपयोग वर्षा के आकलन, मौसम पूर्वानुमान तथा चक्रवातों की निगरानी के लिए करते हैं।

नई पूर्वानुमान प्रणाली

- इसका विकास पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा किया गया है।
- यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित विश्लेषण, ऐतिहासिक मौसम अभिलेख तथा वैश्विक मौसम मॉडलों को जोड़कर मानसून पूर्वानुमान की सटीकता बढ़ाती है।
- वर्तमान में यह 15 राज्यों और 1 केंद्रशासित प्रदेश के 3,196 ब्लॉकों को कवर करती है।
  - इसे मुख्य रूप से मानसून के मुख्य क्षेत्र (Monsoon Core Zone) के लिए तैयार किया गया है, जहाँ वर्षा पर अत्यधिक निर्भरता होती है।
- यह अगले चार सप्ताह के लिए संभाव्यता-आधारित पूर्वानुमान प्रदान करती है तथा केरल में मानसून के आगमन से लेकर देश के विभिन्न भागों तक उसके आगे बढ़ने की निगरानी करती है।

पहल का महत्त्व

- **कृषि की सहनशीलता को सुदृढ़ करना** यह किसानों को फसल योजना एवं बुवाई से संबंधित समय पर और सूचित निर्णय लेने में सहायता देकर कृषि की संवेदनशीलता को कम कर सकती है।
- **परिशुद्ध कृषि को बढ़ावा** कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मौसम पूर्वानुमान भारत में परिशुद्ध कृषि तथा आँकड़ा-आधारित कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देता है।
- **आपदा तैयारी में सुधार** सटीक स्थानीय मौसम पूर्वानुमान बाढ़, सूखा तथा चरम मौसमीय घटनाओं से निपटने की तैयारी को बेहतर बना सकता है।
- **भारत की मौसम विज्ञान क्षमता में वृद्धि** यह पहल जलवायु विज्ञान, मौसम मॉडलिंग तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित पूर्वानुमान प्रणालियों में भारत की बढ़ती क्षमता को दर्शाती है।
- **मानसून की स्थानिक भिन्नता** भारतीय मानसून में एक ही जिले के भीतर भी पर्याप्त स्थानिक भिन्नता देखने को मिलती है।
  - कई बार किसी जिले में मानसून के आधिकारिक आगमन की घोषणा हो जाती है, जबकि उसी जिले के अनेक गाँव और ब्लॉक अभी भी शुष्क बने रहते हैं।

मौसम पूर्वानुमान सुधार हेतु सरकारी पहलें

- **मिशन मौसम:** भारत की मौसम पूर्वानुमान, मॉडलिंग तथा सूचना प्रसार क्षमता को उन्नत करना।
  - अत्याधुनिक मौसम निगरानी प्रौद्योगिकियों एवं प्रणालियों का विकास।
  - उन्नत उपकरणों से युक्त अगली पीढ़ी के रडार तथा उपग्रहों का उपयोग।
  - बेहतर पृथ्वी तंत्र मॉडल तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन अधिगम आधारित विधियों का विकास।
- **राष्ट्रीय मानसून मिशन (2012):** इसका उद्देश्य मौसम पूर्वानुमान को वास्तविक समय के स्थल-आधारित आँकड़ों पर अधिक निर्भर बनाना है।
- **डॉप्लर रडार:** भारतीय मौसम विभाग पूर्वानुमान की दक्षता बढ़ाने के लिए इनका व्यापक उपयोग कर रहा है।
  - डॉप्लर रडार निकटवर्ती क्षेत्रों में वर्षा का पूर्वानुमान अधिक समयबद्ध और सटीक बनाते हैं।
  - इनकी संख्या 2013 में 15 से बढ़कर 2026 में 50 हो गई है।

- **मौसम सूचना नेटवर्क एवं आँकड़ा प्रणाली (WINDS):** यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देशव्यापी मौसम आँकड़ा अवसंरचना विकसित करना है।
  - यह वर्षा, तापमान एवं आर्द्रता जैसे स्थानीय मौसम संबंधी आँकड़ों को एकीकृत डिजिटल मंच पर उपलब्ध कराकर कृषि उत्पादकता एवं फसल बीमा को सुदृढ़ बनाती है।

पूर्वानुमान प्रणाली से जुड़ी चुनौतियाँ

- **सीमित मौसम अवसंरचना:** भारत के अनेक क्षेत्रों में अभी भी पर्याप्त मौसम प्रेक्षण केंद्र तथा अन्य अवसंरचना का अभाव है, जिससे सूक्ष्म-स्तरीय पूर्वानुमान की सटीकता प्रभावित होती है।
- **एल-नीनो की चुनौती:** इस वर्ष मानसून के उत्तरार्द्ध में एल-नीनो की संभावित स्थिति इस प्रणाली के लिए चुनौती बन सकती है।
- **सामान्यत:** एल-नीनो की स्थिति भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून की वर्षा को कमजोर करती है।

मानसून की जटिल प्रकृति

- भारतीय मानसून महासागर-वायुमंडलीय अंत:क्रियाओं, दाब प्रणालियों, तापमान में परिवर्तन तथा क्षेत्रीय स्थलाकृति सहित अनेक कारकों से प्रभावित होता है।
- इसलिए सूक्ष्म स्तर पर वर्षा का पूर्वानुमान वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत चुनौतीपूर्ण है।

आगे की राह

- इस प्रणाली का विस्तार सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों तक किया जाना चाहिए, ताकि देशभर में मौसम पूर्वानुमान क्षमता मजबूत हो।
- स्वचालित मौसम केंद्रों, डॉप्लर रडारों तथा मौसम प्रेक्षण अवसंरचना में अधिक निवेश की आवश्यकता है।
- मौसम पूर्वानुमान को मोबाइल आधारित कृषि परामर्श सेवाओं से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि किसानों तक समय पर जानकारी पहुँच सके।
- इस प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भारतीय मौसम विभाग, राज्य सरकारों, कृषि संस्थानों तथा स्थानीय प्रशासन के बीच समन्वय आवश्यक होगा।

भारतीय मौसम विभाग (IMD)

- भारतीय मौसम विभाग पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्यरत संस्था है। यह मौसम संबंधी प्रेक्षण, मौसम पूर्वानुमान तथा भूकंप विज्ञान के लिए उत्तरदायी है।
- यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के छह क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है।

कैनरी द्वीपसमूह

हैंटा विषाणु के प्रकोप से प्रभावित यात्रियों को लेकर एक क्रूज जहाज स्पेन के कैनरी द्वीपसमूह पहुँचा।

परिचय

- यह अटलांटिक महासागर में स्थित ज्वालामुखीय उद्गारों से बना एक द्वीपसमूह है तथा स्पेन का सबसे दक्षिणी स्वायत्त क्षेत्र है। यह अफ्रीका के उत्तर-पश्चिमी तट से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है।
  - द्वीपों का विभाजन 2 समूहों में किया जाता है-
- **पश्चिमी समूह:** टेनेरिफ, ग्रान कैनारिया, ला पाल्मा, ला गोमेरा, फेरो द्वीप
- **पूर्वी समूह:** लांजारोते, फुएर्तेवेंतुरा द्वीप एवं छह छोटे द्वीप

महत्त्व

- यह द्वीपसमूह यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका को जोड़ने वाले अटलांटिक महासागर के महत्त्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों के निकट स्थित है।
- इस कारण इसका आर्थिक तथा सामरिक दोनों दृष्टियों से विशेष महत्त्व है।

आकाशीय विद्युत से होने वाली मौतों में लगातार वृद्धि

भारत में आकाशीय विद्युत गिरना (Lightning) सबसे घातक प्राकृतिक आपदा के रूप में उभरकर सामने आया है तथा इससे होने वाली मौतों की संख्या पिछले कुछ वर्षों से लगातार बढ़ रही है।

प्रमुख तथ्य

- राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्टों की समीक्षा के अनुसार, 1975 से 2024 के बीच 50 वर्षों में आकाशीय विद्युत गिरने से 1,02,263 लोगों की मृत्यु हुई।
- इनमें से आधे से अधिक मामले 2005 से 2024 के बीच दर्ज किए गए।
- 2016 से प्राकृतिक कारणों से होने वाली कुल मौतों में कम-से-कम 50% मौतें आकाशीय विद्युत गिरने के कारण हुईं, जबकि चक्रवात और बाढ़ से होने वाली मौतों की संख्या इससे कम रही।

- राज्यवार आँकड़ों से पता चलता है कि अधिकांश मौतें प्रायद्वीपीय भारत के बाहर स्थित राज्यों में हुईं। 2024 में मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ में देश की कुल आकाशीय विद्युत गिरने से हुई मौतों का लगभग 60% दर्ज किया गया।

आकाशीय विद्युत क्या है?

- यह वायुमंडल में होने वाला अचानक और अत्यधिक शक्तिशाली विद्युत निर्वहन है, जो सामान्यत: गरज वाले बादलों के दौरान बादलों के बीच अथवा बादल और धरातल के बीच होता है।
- इसके कारण तेज प्रकाश की चमक उत्पन्न होती है, जिसके साथ सामान्यत: गरज (Thunder) भी सुनाई देती है।
    - गरज वाले बादलों में लाखों वोल्ट का विद्युत आवेश होता है तथा बादल के विभिन्न भागों में अलग-अलग ध्रुवीयता होती है।
    - मानसून-पूर्व ऋतु में वायुमंडलीय परिस्थितियाँ तीव्र गरज-चमक वाले तूफानों के निर्माण के लिए अत्यंत अनुकूल होती हैं।

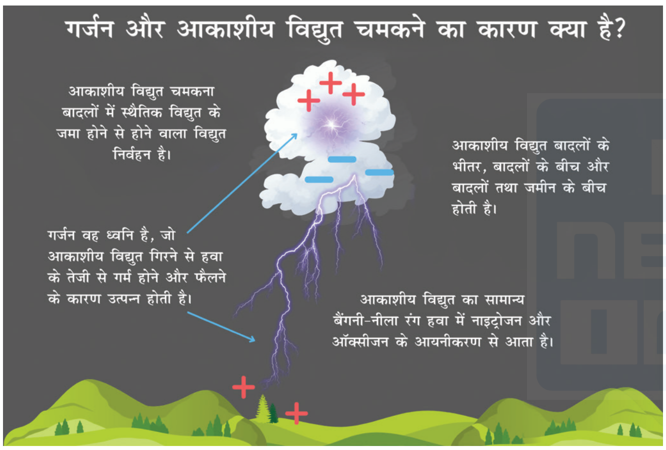

सरकार द्वारा किए गए प्रयास

- **आकाशीय विद्युत-सुरक्षित भारत अभियान**
    - यह देशव्यापी जन-जागरूकता एवं शिक्षा कार्यक्रम है। प्रत्येक वर्ष 13 अप्रैल को राष्ट्रीय आकाशीय विद्युत दिवस मनाया जाता है।
    - इसका मुख्य उद्देश्य सामुदायिक जागरूकता तथा आपदा-तैयारी को बढ़ावा देना है।
- **आकाशीय विद्युत सुरक्षा शमन परियोजना**
    - इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) तथा पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
    - इसमें भारतीय मौसम विभाग (IMD), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) तथा राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (NRSC) तकनीकी सहयोग प्रदान करते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

- जोखिम मानचित्रण तथा सूक्ष्म-क्षेत्रीकरण एटलस का निर्माण।
- विद्युत क्षेत्र मापक यंत्रों तथा चेतावनी खंभों की स्थापना।
- सामुदायिक जागरूकता अभियान।
- स्वयंसेवकों एवं पैरामेडिकल कर्मियों का प्रशिक्षण।

लक्ष्य

- लक्षित ग्राम पंचायतों में आकाशीय विद्युत गिरने से होने वाली मौतों में 60% की कमी लाना।

स्वदेशी तकनीकी विकास

- आकाशीय विद्युत का पता लगाने वाले स्वदेशी संवेदकों का निर्माण।
- पंचायत स्तर पर चेतावनी प्रणाली की स्थापना।
- गाँव स्तर पर पूर्व चेतावनी व्यवस्था का एकीकरण।

पूर्वानुमान एवं जागरूकता

- वर्तमान में भारतीय मौसम विभाग (IMD) गरज-चमक वाले तूफानों का पूर्वानुमान जारी करता है।
- भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) अपने 'दामिनी' मोबाइल अनुप्रयोग के माध्यम से आकाशीय विद्युत गिरने की वास्तविक समय की चेतावनी प्रदान करता है।
- यह अनुप्रयोग 23 क्षेत्रीय भाषाओं में गरज-चमक के दौरान अपनाई जाने वाली सावधानियों की जानकारी उपलब्ध कराता है।
- बढ़ती मौतें इस बात पर बल देती हैं कि आकाशीय विद्युत गिरने के समय अपनाई जाने वाली सुरक्षा सावधानियों के बारे में लोगों में अधिक जागरूकता पैदा की जाए।

प्रातास (PRATAS) द्वीपसमूह

हाल ही में प्रातास द्वीपसमूह के निकट चीन और ताइवान के तटरक्षक बलों के बीच समुद्री गतिरोध देखने को मिला।

प्रातास द्वीपसमूह (डोंगशा द्वीपसमूह)

- यह दक्षिण चीन सागर के उत्तरी भाग में स्थित प्रवाल प्रवालद्वीपों (Coral Atolls) का एक समूह है।
- वर्तमान में इन द्वीपों का प्रशासन एवं नियंत्रण ताइवान के पास है। ये द्वीप दक्षिणी ताइवान, हांगकांग तथा चीन की मुख्यभूमि के लगभग मध्य में स्थित हैं।
- इस क्षेत्र में डोंगशा एटोल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो अपनी समृद्ध समुद्री जैव-विविधता तथा प्रवाल भित्ति पारितंत्र के लिए प्रसिद्ध है।

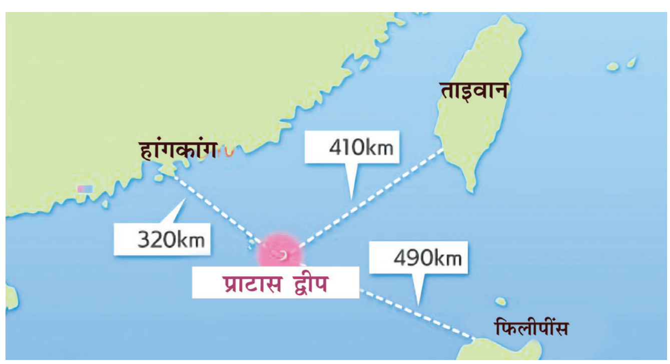

लाटविया

लातविया की प्रधानमंत्री एविका सिलिना ने उनकी गठबंधन सरकार से समर्थन वापस लिए जाने के बाद अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की।

परिचय

- लातविया उत्तरी यूरोप का एक देश है। यह बाल्टिक देशों में से एक है। अन्य दो देश हैं- एस्टोनिया और लिथुआनिया।
- इसकी सीमाएँ एस्टोनिया, रूस, बेलारूस तथा लिथुआनिया से मिलती हैं।
- दक्षिण में इसका लिथुआनिया से भाषाई संबंध तथा उत्तर में एस्टोनिया से ऐतिहासिक एवं धार्मिक संबंध हैं।
- इसकी राजधानी रीगा देश का सबसे बड़ा शहर है, जो अपनी आर्ट नोव्यू शैली की वास्तुकला तथा ऐतिहासिक पुराने नगर (यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल) के लिए प्रसिद्ध है।
- वर्ष 2004 में लातविया उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO) तथा यूरोपीय संघ (EU) का सदस्य बना।

लिपुलेख दर्रा

नेपाल ने भारत की लिपुलेख दर्रे के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा कराने की योजना पर आपत्ति जताई है, क्योंकि नेपाल इस क्षेत्र को विवादित क्षेत्र मानता है।

परिचय

- उत्तराखंड (भारत) के पिथौरागढ़ जिले में स्थित एक ऊँचाई वाला हिमालयी दर्रा है, जहाँ भारत की ओर से धारचूला के माध्यम से पहुंचा जाता है।
- यह कुमाऊँ क्षेत्र में लगभग 5,334 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है।
- यह भारत, चीन (तिब्बत) और नेपाल को जोड़ने वाला एक रणनीतिक त्रि-जंक्शन है।
- यह कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले भारतीय श्रद्धालुओं के लिए एक पारंपरिक मार्ग होने के कारण रणनीतिक और सांस्कृतिक रूप से महत्त्वपूर्ण है।
- इसका ऐतिहासिक व्यापारिक महत्त्व भी है, क्योंकि 1992 में भारत-चीन सीमा व्यापार शुरू होने पर यह पहला भारत-चीन सीमा व्यापार केंद्र बना था।

विवाद क्या है?

- लिपुलेख दर्रे को लेकर भारत और नेपाल के बीच तनाव एक जटिल सीमा विवाद है, जिसकी जड़ सुगौली संधि (1816) में है।
- यह संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल साम्राज्य (Kingdom of Nepal) के बीच हुई थी, जिसमें काली नदी (महाकाली) को नेपाल की पश्चिमी सीमा माना गया था।
- नेपाल का दावा है कि काली नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा (Limpiyadhura) से होता है। यदि यह दावा सही माना जाए, तो लिपुलेख और कालापानी क्षेत्र नेपाल के हिस्से में आते हैं।
- इसके विपरीत, भारत का मानना है कि काली नदी का उद्गम कालापानी के पास नीचे की ओर है।
- इसलिए भारत के अनुसार लिपुलेख दर्रा भारत, नेपाल और चीन के बीच एक रणनीतिक त्रि-जंक्शन है, जो उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आता है।

6 आंतरिक सुरक्षा

नेवल एंटी-शिप मिसाइल-शॉर्ट रेंज (NASM-SR)

*भारत ने बंगाल की खाड़ी में ओडिशा तट के निकट सी किंग हेलीकॉप्टर से नौसैनिक जहाज-रोधी प्रक्षेपास्त्र - लघु दूरी (**Naval Anti-Ship Missile–Short Range: NASM-SR**) का पहला सफल प्रक्षेपण किया*

परिचय

- NASM-SR भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित, वायु से प्रक्षेपित जहाज-रोधी प्रक्षेपास्त्र है, जिसे हेलीकॉप्टर आधारित हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। इसे DRDO के रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा विकसित किया गया है। यह पुराने ब्रिटिश सी ईगल (Sea Eagle) प्रक्षेपास्त्रों का स्थान लेकर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करता है।
- स्वदेशी उप-प्रणालियाँ: इसके सभी महत्त्वपूर्ण घटक, जैसे- सीकर (Seeker), एवियोनिक्स, नौवहन प्रणाली, नियंत्रण प्रणाली तथा डेटा लिंक, स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं।
- **परिचालन विशेषताएँ**
  - **साल्वो लॉन्च:** एक ही मंच से कम समय में अनेक प्रक्षेपास्त्र दागे जा सकते हैं, जिससे लक्ष्य पर तीव्र एवं संतृप्त हमला किया जा सके।
  - **वाटरलाइन हिट:** यह जहाज के जलरेखा स्तर पर स्थित ढाँचे को लक्ष्य बनाता है, जिससे अधिकतम संरचनात्मक क्षति एवं जलभराव उत्पन्न होकर लक्ष्य को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय किया जा सके।

NASM-SR की प्रमुख विशेषताएँ

प्रणोदन
ठोस ईंधन आधारित प्रणाली, जिसमें प्रक्षेपण के लिए अलग होने वाला बूस्टर और क्रूज चरण के लिए लंबे समय तक चलने वाला सस्टेनर शामिल है।

मारक दूरी और उड़ान प्रोफाइल
लगभग 55 किमी की मारक दूरी, रडार से बचने के लिए समुद्र की सतह के बहुत करीब उप-ध्वनि गति से उड़ान।

मार्गदर्शन और नेविगेशन
सटीक लक्ष्यभेदन के लिए फाइबर-ऑप्टिक जाइरोस्कोप आधारित इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, रेडियो अल्टीमीटर और इमेजिंग इन्फ्रारेड (IIR) सीकर का उपयोग।

कनेक्टिविटी
उच्च बैंडविड्थ वाले दो-तरफा डेटा लिंक से लैस, जो प्रक्षेपण के बाद लक्ष्य लॉक करने और उड़ान के दौरान लक्ष्य बदलने की सुविधा देता है।

नियंत्रण प्रणाली
उच्च गतिशीलता के लिए इलेक्ट्रो-मैकेनिकल एक्ट्यूएटर्स और जेट वेन नियंत्रण से युक्त।

तारा ग्लाइड आयुध

*डीआरडीओ और भारतीय वायु सेना ने टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन (**Tactical Advanced Range Augmentation - TARA**) आयुध (**weapon**) का सफल परीक्षण किया।*

परिचय

- इसे हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत, अन्य DRDO प्रयोगशालाओं के सहयोग से विकसित किया गया है।
- TARA का उद्देश्य मौजूदा बिना-निर्देशित आयुधों की मारक क्षमता एवं सटीकता बढ़ाने हेतु कम लागत वाला समाधान उपलब्ध कराना है।
- यह पारंपरिक बिना-निर्देशित बमों (MEc बम, ग्रैविटी बम अथवा आयरन बम) को परिशुद्ध-निर्देशित आयुध (Precision Guided Munitions-PGMs) में परिवर्तित करता है।
- इसे विशेष रूप से भूमि आधारित लक्ष्यों को अत्यधिक सटीकता से नष्ट करने के लिए विकसित किया गया है, जिससे सहायक क्षति (Collateral Damage) कम होती है तथा अभियान की सफलता बढ़ती है।

मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री-एंट्री व्हीकल सिस्टम

*भारत ने ओडिशा स्थित डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वीप से **MIRV (Multiple Independently Targeted Re-entry Vehicle)** तकनीक से युक्त उन्नत अग्नि प्रक्षेपास्त्र का सफल उड़ान परीक्षण किया।*

MIRV तकनीक

- यह प्रणाली एक ही प्रक्षेपास्त्र में अनेक वारहेड ले जाने की क्षमता प्रदान करती है, जो एक साथ अलग-अलग लक्ष्यों पर प्रहार कर सकते हैं। इसे रोकना अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि प्रत्येक वारहेड अलग-अलग प्रक्षेपवक्र का अनुसरण करता है तथा रक्षा प्रणालियों को भ्रमित करने के लिए डमी वारहेड भी ले जा सकता है।
- उन्नत सेंसर एवं एवियोनिक्स से युक्त यह प्रणाली लक्ष्यभेदन की सटीकता बढ़ाती है तथा प्रतिआक्रमण क्षमता को मजबूत करती है, जो भारत की

प्रथम उपयोग न करने (No First Use) नीति के लिए महत्त्वपूर्ण है। इसका विकास 1960 के दशक में अमेरिका एवं सोवियत संघ ने किया था। वर्तमान में चीन, ब्रिटेन एवं फ्रांस भी इसका उपयोग करते हैं।

सामरिक महत्त्व

- यह क्षमता अग्नि प्रक्षेपास्त्र प्रणाली को उल्लेखनीय रूप से उन्नत बनाती है तथा चीन एवं पाकिस्तान के समान विकासों के प्रति आवश्यक सामरिक उत्तर प्रदान करती है।
- **अग्नि मिसाइल:**
  - डीआरडीओ द्वारा विकसित यह भारत की प्रमुख भूमि आधारित परमाणु प्रक्षेपास्त्र प्रणाली है। अग्नि-1 से अग्नि-4 (700-3,500 किमी) तक एकल वारहेड ले जाते हैं। अग्नि-5 में MIRV प्रौद्योगिकी, तीन-चरणीय ठोस ईंधन इंजन तथा 5,000 किमी से अधिक मारक क्षमता है। अग्नि-5 का वर्ष 2012 से कई सफल परीक्षण किया जा चुका है, जिनमें वर्ष 2022 का रात्रिकालीन परीक्षण भी शामिल है।

लॉन्ग ड्यूरेशन स्क्रैमजेट कम्बस्टर

डीआरडीओ ने हैदराबाद में अपने एक्टिवली कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कम्बस्टर (Actively Cooled Full-Scale Scramjet Combustor) का दीर्घ अवधि उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया।

परिचय

- परीक्षण स्क्रैमजेट कनेक्ट पाइप टेस्ट (SCPT) सुविधा में किया गया। इसमें 1,200 सेकंड से अधिक समय तक सतत संचालन प्राप्त हुआ, जो जनवरी 2026 में प्राप्त 700 सेकंड की उपलब्धि से कहीं अधिक है।
- **स्क्रैमजेट तकनीक:** स्क्रैमजेट एक उन्नत वायु-श्वसनीय इंजन है, जिसे हाइपरसोनिक गति के लिए विकसित किया गया है। यह अपनी अत्यधिक गति से वायुमंडलीय ऑक्सीजन को संपीड़ित करता है, जिससे अतिध्वनिक वायु प्रवाह के भीतर ही ईंधन का दहन संभव हो जाता है।
- **महत्त्व:** यह उपलब्धि स्वदेशी हाइपरसोनिक क्रूज प्रक्षेपास्त्रों के विकास तथा अगली पीढ़ी की एयरोस्पेस एवं रक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है।

हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी

- हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी उन प्रणालियों से संबंधित है जो मैक 5 (ध्वनि की गति से पाँच गुना अधिक) से अधिक गति से यात्रा कर सकती हैं।
- हाइपरसोनिक वेपन अत्यधिक गति के साथ उड़ान के दौरान दिशा बदलने में भी सक्षम होते हैं, जिससे उनका पता लगाना और उन्हें रोकना अत्यंत कठिन हो जाता है।
- **हाइपरसोनिक वेपन के प्रकार**
  - **हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन:** इन्हें रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है तथा ये हाइपरसोनिक गति से लक्ष्य की ओर ग्लाइड करते हैं।
  - **हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल:** ये स्क्रैमजेट जैसे उन्नत वायु-श्वसनीय इंजनों द्वारा पूरी उड़ान के दौरान संचालित होते हैं।

डिजिटल युग में भारत की महत्त्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा

भारत की महत्त्वपूर्ण अवसंरचना अब तेजी से डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर निर्भर होती जा रही है। इससे कार्यकुशलता बढ़ी है, लेकिन साथ ही साइबर हमलों एवं दूरस्थ व्यवधानों की आशंका भी बढ़ी है।

महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसंरचना (CNI) क्या है?

- महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसंरचना में वे परिसंपत्तियाँ, प्रणालियाँ एवं सेवाएँ शामिल हैं, जिनमें व्यवधान आने से राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, जन-सुरक्षा तथा शासन व्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
- इसमें निम्नलिखित को शामिल किया जाता है - विद्युत उत्पादन एवं वितरण प्रणाली, तेल शोधन संयंत्र, पाइपलाइन तथा एलपीजी नेटवर्क, रेलवे, हवाई अड्डे एवं बंदरगाह, बैंकिंग एवं भुगतान प्रणाली, दूरसंचार एवं इंटरनेट नेटवर्क, जलापूर्ति एवं स्वच्छता प्रणाली, स्वास्थ्य एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा रक्षा प्रतिष्ठान।

CNI की सुरक्षा क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** बिजली, ईंधन अथवा संचार में व्यवधान से रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा प्रभावित होती है।
- **आर्थिक स्थिरता:** महत्त्वपूर्ण अवसंरचना उत्पादन, व्यापार, बैंकिंग एवं लॉजिस्टिक्स का आधार है।
- **जन-सुरक्षा:** स्वास्थ्य, परिवहन या जलापूर्ति प्रणाली की विफलता सीधे जनजीवन को प्रभावित करती है।
- **सामरिक संप्रभुता:** अविश्वसनीय विदेशी प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता सामरिक जोखिम उत्पन्न करती है।

डिजिटल परिवर्तन?

- स्वचालन एवं इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) के माध्यम से वास्तविक समय सेंसरों द्वारा औद्योगिक परिचालन संचालित किए जा रहे हैं।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) एवं पूर्वानुमान आधारित विश्लेषण कार्यकुशलता तथा रखरखाव में सुधार कर रहे हैं।
- पारंपरिक SCADA प्रणालियाँ अब इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं।
- आधुनिक अवसंरचना IT-OT-IoT कन्वर्जेंस पर आधारित है
  - **सूचना प्रौद्योगिकी (IT):** आँकड़ों एवं संचार का प्रबंधन।
  - **परिचालन प्रौद्योगिकी (OT):** भौतिक परिचालनों का नियंत्रण।
  - **इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT):** दूरस्थ निगरानी एवं आँकड़ा संग्रहण।

प्रमुख सुरक्षा चुनौतियाँ

- इंटरनेट से जुड़े तंत्रों ने साइबर हमलों की संभावना बढ़ा दी है।
- आयातित IoT उपकरणों में छिपी कमजोरियाँ, बैकडोर अथवा मैलवेयर हो सकते हैं।
- खरीद प्रक्रिया में कठोर सुरक्षा परीक्षण एवं विश्वसनीय प्रौद्योगिकी की जाँच का अभाव रहता है।
- अनेक उपकरणों के लिए सुरक्षा प्रमाणीकरण अभी भी कमजोर है।

वैश्विक उदाहरण

- कोलोनियल पाइपलाइन पर रैनसमवेयर हमले से अमेरिका में ईंधन आपूर्ति बाधित हुई।
- ऑटोमैटिक टैंक गेज (ATG) प्रणालियों पर हाल के हमलों ने ईंधन अवसंरचना की संवेदनशीलता को उजागर किया।

भारत का सुरक्षा फ्रेमवर्क

- **CERT-In:** राष्ट्रीय साइबर घटना प्रतिक्रिया एजेंसी।
- **NCIIPC:** महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा।
- **साइबर स्वच्छता केंद्र:** बॉटनेट सफाई एवं मैलवेयर विश्लेषण।
- **STQC:** सुरक्षा परीक्षण एवं प्रमाणीकरण।
- **CISF:** प्रमुख अवसंरचनाओं की भौतिक सुरक्षा।

आगे की राह

- सभी IoT उपकरणों के लिए सुरक्षा प्रमाणीकरण अनिवार्य बनाया जाए।
- आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत विश्वसनीय स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया जाए। सतत निगरानी, सुरक्षा अंकेक्षण एवं संवेदनशीलता परीक्षण सुनिश्चित किए जाएँ।

ओरेशनिक मिसाइल

रूस ने हाल ही में यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल एवं ड्रोन हमले में ओरेशनिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग किया। यह रूस द्वारा उन्नत सामरिक आयुधों (weapon) के बढ़ते उपयोग को दर्शाता है।

परिचय

- ओरेशनिक रूस द्वारा निर्मित मध्यम दूरी का हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। माना जाता है कि यह RS-26 रूबेझ (Rubezh) मिसाइल प्रणाली पर आधारित है।
- इसका पहला उपयोग रूस ने नवंबर 2024 में यूक्रेन के ड्नीप्रो के विरुद्ध किया था। यह मिसाइल परमाणु तथा पारंपरिक, दोनों प्रकार के वारहेड ले जाने में सक्षम है।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - इसकी अनुमानित मारक क्षमता 3,000 से 5,500 किमी है।
  - इस दूरी के कारण यह यूरोप के बड़े हिस्से को निशाना बना सकता है।
  - इसकी लंबाई लगभग 15 से 18.5 मीटर तथा व्यास लगभग 1.9 मीटर है।
  - इसे मोबाइल ट्रांसपोर्टर-लॉन्चर पर स्थापित किया जाता है, जिससे इसका शीघ्र तैनाती एवं छिपाव संभव होता है।
  - यह मैक 10 (लगभग 2.5 से 3 किमी प्रति सेकंड) की गति से उड़ सकता है, जिससे इसे रोकना अत्यंत कठिन हो जाता है।
- **सामरिक महत्त्व**
  - यह MIRV प्रौद्योगिकी से युक्त है। यह 6 से 8 वारहेड ले जाकर एक साथ अनेक लक्ष्यों पर प्रहार कर सकता है।
  - यह क्षमता सामान्यतः अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों (ICBMs) से जुड़ी मानी जाती है।
  - इसकी मारक क्षमता उस श्रेणी में आती है, जिस पर पहले मध्यम दूरी परमाणु बल (INF) संधि के अंतर्गत प्रतिबंध था। वर्ष 2019 में अमेरिका इस संधि से अलग हो गया, जिसके बाद रूस ने भी इससे स्वयं को अलग कर लिया।

वाडीनार जहाज मरम्मत सुविधा

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने गुजरात के वाडीनार में जहाज मरम्मत सुविधा के विकास को स्वीकृति प्रदान की है। इस परियोजना पर ₹ 1,570 करोड़ का निवेश किया जाएगा। इसका उद्देश्य भारत की समुद्री अवसंरचना को सुदृढ़ करना तथा विदेशी जहाज मरम्मत केंद्रों पर निर्भरता कम करना है।

परिचय

- यह एक उच्च क्षमता वाली ब्राउनफील्ड समुद्री परियोजना है।
- इसे दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण (DPA) और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है।
- यह सुविधा बड़े व्यावसायिक जहाजों और विदेशी ध्वज वाले जहाजों की मरम्मत सेवाएँ प्रदान करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक जहाज मरम्मत केंद्र बनाना है।

स्थान का लाभ

- वाडिनार, गुजरात के पश्चिमी तट पर कच्छ की खाड़ी में स्थित है। यह भारत के दो प्रमुख कार्गो बंदरगाहों दीनदयाल पोर्ट (कांडला) और मुंद्रा पोर्ट के निकट है।
- यह अरब सागर के महत्त्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों के भी पास स्थित है। यहां प्राकृतिक रूप से गहरा जल (Deep Draft) उपलब्ध है, जो बहुत बड़े जहाजों के संचालन के लिए उपयुक्त है।

प्रमुख विशेषताएँ

- इस सुविधा में 650 मीटर लंबी जेट्टी, कार्यशालाएँ और विशेष समुद्री अवसंरचना विकसित की जाएगी। इसमें दो फ्लोटिंग ड्राई डॉक होंगे।
- इन ड्राई डॉक्स में 300 मीटर तक लंबे जहाजों की मरम्मत की जा सकेगी, जबकि वर्तमान में भारत की क्षमता 230 मीटर तक है।
- यह समुद्री क्षेत्र के MSME और संबंधित उद्योगों के विकास को बढ़ावा देगा।

महत्त्व

- यह Maritime India Vision 2030 और Maritime Amrit Kaal Vision 2047 के अनुरूप है।
- इससे बड़े जहाजों की मरम्मत देश में ही होने से विदेशी मुद्रा का खर्च कम होगा।
- इससे भारतीय जहाज मालिकों की रखरखाव लागत कम होगी।
- इस परियोजना से लगभग 290 प्रत्यक्ष और 1,100 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना है।

क्या आप जानते हैं?

- वैश्विक जहाज मरम्मत बाजार में भारत की हिस्सेदारी 1% से भी कम है। विश्व के कुल समुद्री व्यापार यातायात का लगभग 7–9% भारत के तट से 300 समुद्री मील के भीतर से होकर गुजरता है।
- भारत को अपाचे और M777 प्रणालियों के लिए अमेरिकी सहायता
- संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) ने भारत के AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टरों और M777A2 अल्ट्रा-लाइट हॉवित्जर के रखरखाव (Sustainment Support) के लिए सहायता को मंजूरी दी है।
- यह कदम भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग को और मजबूत करता है।

अपाचे हेलीकॉप्टर

- AH-64 अपाचे, बोइंग (Boeing) द्वारा विकसित एक उन्नत बहुउद्देशीय हमला हेलीकॉप्टर है।
- इसमें अधिक मारक क्षमता, तेज संचालन क्षमता और आधुनिक एवियोनिक्स (Avionics) का संयोजन है।
- यह हेलफायर मिसाइलें, 70 मिमी रॉकेट और 30 मिमी चेन गन से लैस है। यह बख्तरबंद वाहनों, जमीनी लक्ष्यों और कम ऊँचाई पर उड़ने वाले विमानों को निशाना बना सकता है।
- इसके उन्नत सेंसर, लक्ष्य निर्धारण रडार और नाइट विजन सिस्टम इसे हर मौसम, ऊँचाई वाले क्षेत्रों और कम दृश्यता में भी प्रभावी बनाते हैं।
- स्वीकृत सहायता पैकेज 198.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है, जिसमें इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स सहायता, तकनीकी डेटा, प्रकाशन, कर्मियों का प्रशिक्षण और कार्यक्रम सहायता शामिल है।

M777A2 अल्ट्रा-लाइट हॉवित्जर

- M777A2 अपने हल्के वजन और उच्च गतिशीलता के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में। इसे भारतीय सेना द्वारा रणनीतिक सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापक रूप से तैनात किया गया है। 230 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सहायता पैकेज में स्पेयर पार्ट्स, मरम्मत, प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता, फील्ड सर्विस सहायता और लॉजिस्टिक्स शामिल हैं।

व्यापक रक्षा सहयोग

- भारत को अमेरिका द्वारा दी गई अन्य प्रमुख रक्षा प्रणालियों में शामिल हैं – MQ-9B ड्रोन, MH-60R हेलीकॉप्टर, सिग सॉयर (Sig Sauer) राइफलें, M777 हॉवित्जर
- प्रमुख रक्षा समझौते – LEMOA (2016), COMCASA (2018), BECA (2020), SOSA (2024), Major Defence Partnership Framework (2025)

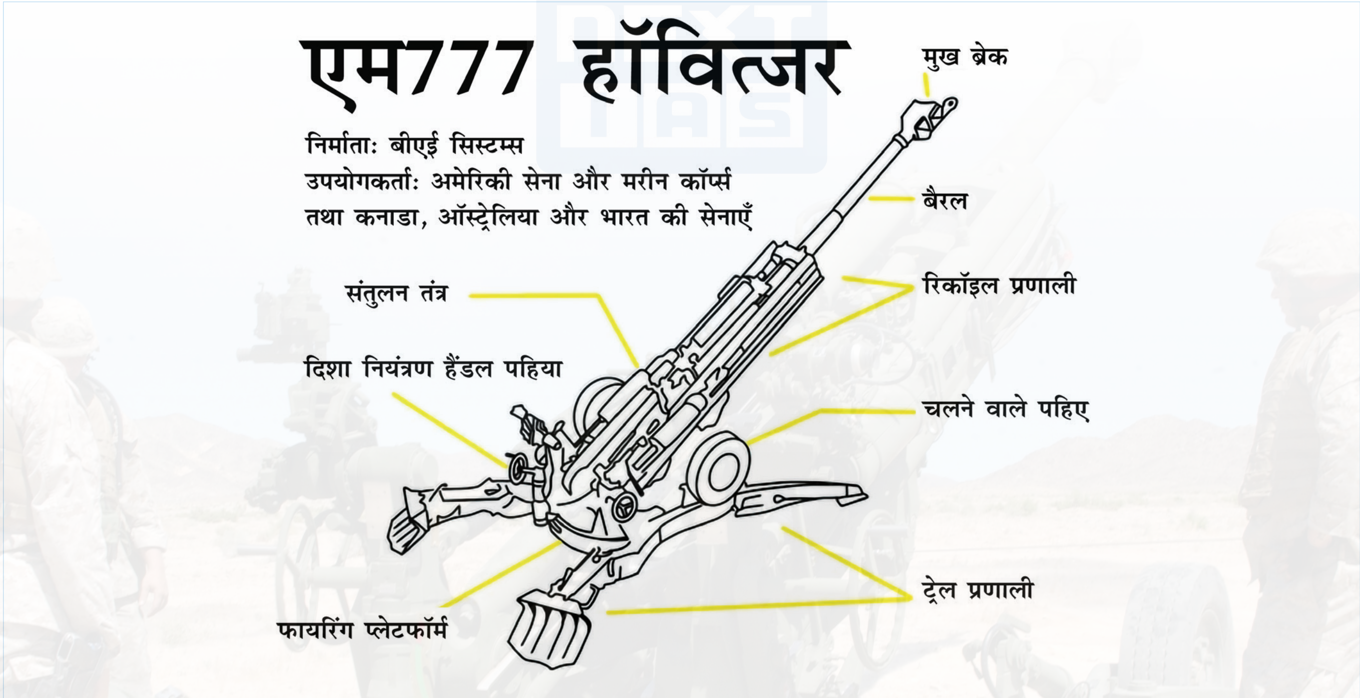

अभ्यास	स्थान	प्रतिभागी	विशेष जानकारी
PRAGATI 2026	उमरोई मिलिट्री स्टेशन (मेघालय)	भारत तथा 12 मित्र देशों के सैनिक भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, श्रीलंका और वियतनाम	PRAGATI का पूरा नाम Partnership of Regional Armies for Growth and Transformation in the Indian Ocean Region है। **मुख्य फोकस:** अर्ध-पहाड़ी (Semi&mountainous) और जंगल क्षेत्रों में आतंकवाद-रोधी अभियान (Counter&terrorism Operations)

7 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

गैलेक्सआई द्वारा मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण

*भारतीय अंतरिक्ष स्टार्ट-अप गैलेक्सआई (**GalaxEye**) ने मिशन दृष्टि (**Mission Drishti**) का प्रक्षेपण किया, जो विश्व का पहला ऑप्टोसार (**OptoSAR**) पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। इसे अमेरिका के कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स (**SpaceX**) के फाल्कन-9 (**Falcon 9**) रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया।*

परिचय

- मिशन दृष्टि 190 किलोग्राम का एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, जिसमें इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल (EO) तथा सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR) दोनों सेंसर एक ही मंच पर लगाए गए हैं।
- ऑप्टिकल सेंसर फोटोग्राफ जैसी छवियाँ प्राप्त करते हैं, जबकि SAR माइक्रोवेव संकेतों का उपयोग करके बादलों या अंधकार के बीच भी छवियाँ तैयार करता है।
- दोनों प्रणालियों के संयोजन से यह उपग्रह सभी मौसमों तथा दिन-रात में निगरानी करने के साथ विश्लेषण हेतु तैयार समेकित (फ्यूज्ड) चित्र उपलब्ध कराता है।
- यह ऑनबोर्ड कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग करके वास्तविक समय में ऑप्टिकल एवं रडार आँकड़ों का समेकन करता है, जिससे अनेक उपग्रह प्रणालियों पर निर्भरता कम होती है तथा कार्यकुशलता बढ़ती है।

मुख्य विशेषताएँ

- EO और SAR इमेजिंग को एक साथ एकीकृत करने वाला विश्व का पहला परिचालन उपग्रह।
- किसी निजी भारतीय कंपनी द्वारा निर्मित सबसे बड़ा उपग्रह (लगभग 190 किलोग्राम)।
- इसे सूर्य-समकालिक निम्न पृथ्वी कक्षा (Sun-synchronous Low Earth Orbit - LEO) में स्थापित किया गया है।
- यह उच्च-रिज़ॉल्यूशन इमेजिंग प्रदान करता है तथा भविष्य के मिशनों का लक्ष्य उप-मीटर (Sub-metre) रिज़ॉल्यूशन प्राप्त करना है।

अनुप्रयोग एवं महत्त्व

- मिशन दृष्टि एक द्वि-उपयोग (Dual-use) उपग्रह है, जिसका उपयोग नागरिक तथा रक्षा-दोनों क्षेत्रों में किया जा सकता है।
- यह सीमा निगरानी, आपदा प्रबंधन, कृषि निगरानी, समुद्री निगरानी, पर्यावरणीय आकलन, शहरी नियोजन तथा अवसंरचना मानचित्रण में सहायक है।
- यह प्रणाली बाढ़, चक्रवात तथा भूकंप जैसी आपदाओं के दौरान क्षति का त्वरित आकलन तथा वास्तविक समय में निगरानी करने में सक्षम बनाती है।

हंटावायरस प्रकोप

*विश्व स्वास्थ्य संगठन (**WHO**) ने अटलांटिक महासागर में नीदरलैंड स्थित एक क्रूज जहाज पर हंटावायरस के संदिग्ध प्रकोप की सूचना दी है, जिसके परिणामस्वरूप तीन यात्रियों की मृत्यु हुई तथा तीन अन्य सक्रिय रूप से संक्रमित पाए गए।*

परिचय

- यह हंटाविरिडी (Hantaviridae) परिवार का एक दुर्लभ एवं गंभीर आरएनए (RNA) विषाणु है।
- यह एक जूनोटिक रोगजनक है, अर्थात् यह पशुओं से मनुष्यों में फैलता है। यह मुख्यत: चूहों एवं मूषकों जैसे कृन्तकों द्वारा फैलाया जाता है।

संचरण (Transmission)

- संक्रमण सामान्यत: तब होता है जब लोग कृन्तकों की सूखी बीट, मूत्र या लार से उत्पन्न वायुजनित कणों को साँस के माध्यम से ग्रहण करते हैं या दूषित सतहों को स्पर्श करते हैं।
- सामान्यत: मनुष्य से मनुष्य में इसका संक्रमण बहुत दुर्लभ होता है।
- संबद्ध रोग एवं लक्षण
- यह विषाणु दो गंभीर रोग उत्पन्न करता है-
  - हंटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम (HPS)
  - फेफड़ों का गंभीर संक्रमण।
- इसकी मृत्यु दर लगभग 40% होती है।
- **रक्तस्रावी ज्वर के साथ वृक्क सिंड्रोम:** गुर्दों का गंभीर संक्रमण। निम्न रक्तचाप, आंतरिक रक्तस्राव तथा तीव्र गुर्दा विफलता का कारण बनता है।
- **रोग की प्रगति एवं उपचार**
  - संक्रमण के 1-8 सप्ताह बाद फ्लू जैसे लक्षण, जैसे बुखार एवं थकान से रोग की शुरुआत होती है।
  - इसके 4-10 दिनों बाद खाँसी, साँस लेने में कठिनाई तथा फेफड़ों में द्रव भरने जैसी समस्याएँ विकसित हो जाती हैं।
  - इसका कोई विशिष्ट औषधीय उपचार उपलब्ध नहीं है; उपचार मुख्यत: तरल पदार्थ, विश्राम तथा गंभीर मामलों में वेंटिलेटर की सहायता पर आधारित होता है।

अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (ISO)

*भारतीय मानक ब्यूरो (**BIS**) ने नई दिल्ली में 'अंतरिक्ष प्रणालियाँ एवं संचालन' विषय पर आईएसओ तकनीकी समिति 20/उपसमिति 14 (**ISO TC 20/SC 14**) की 35वीं पूर्ण अधिवेशन (**Plenary**) तथा कार्य समूह बैठकों का आयोजन किया।*

ISO का परिचय

- वर्ष 1947 में स्थापित तथा मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में स्थित, आईएसओ (ISO) एक स्वतंत्र, गैर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
- यह राष्ट्रीय मानक निकायों का एक वैश्विक नेटवर्क है, जिसमें प्रत्येक देश का एक सदस्य होता है (भारत का प्रतिनिधित्व भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) करता है)।
- **उद्देश्य एवं कार्य:**
  - आईएसओ स्वैच्छिक तथा सर्वसम्मति-आधारित वैश्विक मानक विकसित करता है, ताकि औद्योगिक मानकों में एकरूपता लाई जा सके, व्यापारिक बाधाओं को दूर किया जा सके, उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके तथा नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके।
  - यह सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा तथा विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा एवं परिचालन संगतता सुनिश्चित करता है।

ISO TC 20/SC 14 का परिचय

- ISOआईएसओ तकनीकी समिति 20/उपसमिति 14 अंतरिक्ष प्रणालियों एवं संचालन से संबंधित अंतरराष्ट्रीय मानक तैयार करने वाली आईएसओ की एक विशेष उपसमिति है।
  - TC 20: विमान एवं अंतरिक्ष यान।
  - SC 14: अंतरिक्ष प्रणालियाँ एवं संचालन।
- यह उपसमिति अंतरिक्ष प्रणालियों के संपूर्ण जीवनचक्र डिजाइन, उत्पादन, प्रक्षेपण, संचालन तथा अंतरिक्ष-आधारित सेवाओं पर कार्य करती है।
- नई दिल्ली में आयोजित बैठक का मुख्य उद्देश्य मिशन सुरक्षा, अंतरिक्षीय सततता तथा अंतरिक्ष मलबा न्यूनीकरण से संबंधित मानकों को विकसित करना था, ताकि वैश्विक प्रौद्योगिकियाँ परस्पर सुचारु रूप से कार्य कर सकें।

समरूपी अभिवृद्धि

हाल ही में नेचर एस्ट्रोनॉमी (Nature Astronomy) में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, पृथ्वी का निर्माण मुख्यतः आंतरिक सौर मंडल में उपलब्ध पदार्थों से 'समरूपी अभिवृद्धि (Homogeneous Accretion)' नामक प्रक्रिया द्वारा हुआ।

परिचय

- समरूपी अभिवृद्धि ग्रह निर्माण का एक मॉडल है, जिसमें ग्रह धातुओं, सिलिकेटों तथा वाष्पशील पदार्थों के समान मिश्रण से एक साथ अभिवृद्धि (Accretion) के माध्यम से विकसित होता है।
- इसका अर्थ है कि पृथ्वी के निर्माण के दौरान उसके मूल निर्माणकारी पदार्थ रासायनिक रूप से लगभग समान रहे।
- यह विषमरूपी अभिवृद्धि (Heterogeneous Accretion) से भिन्न है, जिसमें विभिन्न पदार्थ अलग-अलग चरणों में एकत्रित होते हैं।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

- वैज्ञानिकों ने उल्कापिंडों एवं चट्टानों के रासायनिक संकेतों का विश्लेषण बेयजियन गुप्त कारक विश्लेषण द्वारा किया।
- अध्ययन से संकेत मिला कि पृथ्वी का निर्माण मुख्यतः आंतरिक सौर मंडल के पदार्थों से हुआ।
- अध्ययन यह भी बताता है कि बुध तथा शुक्र ग्रहों का निर्माण भी संभवतः इसी प्रकार की प्रक्रिया से हुआ।

एप्निया टेस्ट

सर्वोच्च न्यायालय उस याचिका पर विचार कर रहा है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि एप्निया परीक्षण मस्तिष्क मृत्यु (Brain Death) का आकलन करने के लिए निर्णायक नहीं है।

परिचय

- यह मस्तिष्क मृत्यु (Brain Death) निर्धारित करने की प्रक्रिया का एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण भाग है।
- यह जाँचता है कि कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) का स्तर बढ़ने पर क्या रोगी स्वतः श्वास लेना प्रारंभ करता है। इसका उद्देश्य यह पुष्टि करना है कि मस्तिष्क तना, विशेष रूप से मेडुला, से श्वसन प्रेरणा पूरी तरह समाप्त हो चुकी है या नहीं, जो मस्तिष्क मृत्यु के निदान के लिए आवश्यक है।
- सामान्यतः धमनियों में CO_2 का स्तर बढ़ने पर मस्तिष्क तना के श्वसन केंद्र श्वास लेने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि CO_2 बढ़ने के बावजूद रोगी श्वास नहीं लेता, तो यह मस्तिष्क तना की कार्यक्षमता समाप्त होने का संकेत होता है।

मस्तिष्क मृत्यु (Brain Death)

- मस्तिष्क मृत्यु से आशय मस्तिष्क, जिसमें मस्तिष्क तना भी शामिल है, की सभी कार्यप्रणालियों का पूर्ण एवं अपरिवर्तनीय (Irreversible) समाप्त हो जाना है।
- मस्तिष्क मृत्यु होने पर व्यक्ति में चेतना नहीं रहती, मस्तिष्क तना की कोई प्रतिवर्ती क्रियाएँ (Reflexes) नहीं होतीं तथा वह स्वयं श्वास लेने में असमर्थ होता है। भारत सहित अनेक देशों में मस्तिष्क मृत्यु को विधिक (कानूनी) रूप से मृत्यु माना जाता है।

सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट प्रणाली

भारत ने स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए SACHET आपातकालीन चेतावनी प्रणाली शुरू की है, जिससे आपदाओं के दौरान तत्काल चेतावनी संदेश भेजे जा सकें।

सेल ब्रॉडकास्ट (Cell Broadcast)

- यह एक एक-से-अनेक (one-to-many) मोबाइल संदेश प्रणाली है, जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में स्थित सभी मोबाइल फोनों पर एक ही समय में संक्षिप्त चेतावनी संदेश भेजती है।
  - SMS के विपरीत, यह व्यक्तिगत मोबाइल नंबरों को लक्षित नहीं करती, इसलिए नेटवर्क पर अत्यधिक दबाव की स्थिति में भी संदेश तुरंत पहुँचा सकती है।

- इसे 1990 के दशक की शुरुआत में यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशंस स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट (ETSI) द्वारा विकसित किया गया था और 1997 में पेरिस में इसका पहला प्रदर्शन किया गया। वर्तमान में इसका उपयोग 30 से अधिक देशों में किया जा रहा है।
- सेल ब्रॉडकास्ट का उपयोग भूकंप, बाढ़, चक्रवात, तूफान, लू तथा गैस रिसाव या रासायनिक दुर्घटनाओं जैसी औद्योगिक घटनाओं के दौरान प्रभावित क्षेत्रों के लोगों तक त्वरित एवं विश्वसनीय आपातकालीन चेतावनी पहुँचाने के लिए किया जाता है।

सेल ब्रॉडकास्ट प्रणाली के लाभ

- सेल ब्रॉडकास्ट में व्यक्तिगत डेटा का उपयोग नहीं होता तथा इसके लिए मोबाइल नंबर, ऐप या सदस्यता की आवश्यकता नहीं होती।
- यह तेज ध्वनि के साथ ध्यान आकर्षित करने वाली चेतावनी भेजता है, जो फोन के सामान्य कार्यों, यहाँ तक कि साइलेंट या डू नॉट डिस्टर्ब मोड को भी निष्प्रभावी कर देती है। संदेश तब तक स्क्रीन पर बना रहता है, जब तक उपयोगकर्ता उसे स्वीकार (acknowledge) नहीं कर लेता।
- इसका उपयोग केवल अत्यंत गंभीर एवं जीवन-घातक आपात स्थितियों, जैसे भूकंप, आकस्मिक बाढ़ (Flash Flood), भूस्खलन, बाँध टूटने तथा अन्य बड़ी आपदाओं के दौरान अत्यंत सीमित रूप से किया जाता है, और संदेश केवल प्रभावित क्षेत्र के लोगों को ही भेजा जाता है।

अल्ज़ाइमर रोग

एली लिली एंड कंपनी (Eli Lilly and Company) ने भारत में लोर्मल्ज़ी (Lormalzi) नामक अल्ज़ाइमर रोग की नई दवा लॉन्च की है। यह देश में इस रोग के लिए उपलब्ध पहली रोग-परिवर्तक (Disease-Modifying) उपचारों में से एक है।

अल्ज़ाइमर रोग (Alzheimer's Disease)

- अल्ज़ाइमर रोग डिमेंशिया (Dementia) का सबसे सामान्य रूप है, जिसमें धीरे-धीरे स्मरण शक्ति, सोचने-समझने की क्षमता तथा दैनिक कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती जाती है।
- भारत में लगभग 88 लाख लोग इससे प्रभावित हैं और 2036 तक यह संख्या लगभग दोगुनी होने की संभावना है। इसलिए, सीमाओं के बावजूद नए उपचारों का विकास महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है।
- वर्तमान में उपलब्ध Lecanemab और Aducanumab जैसी दवाएँ सीमित लाभ प्रदान करती हैं तथा उनकी लागत अधिक होने के साथ-साथ सुरक्षा संबंधी चिंताएँ भी जुड़ी हुई हैं।

लोर्मल्ज़ी दवा

- लोर्मल्ज़ी प्रारंभिक अवस्था के अल्ज़ाइमर रोग के लिए दी जाने वाली मासिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी (Monoclonal Antibody) इन्फ्यूजन दवा है। यह मस्तिष्क में Amyloid Plaques को हटाकर 18 महीनों में संज्ञानात्मक क्षमताओं में होने वाली गिरावट को लगभग 30-35% तक धीमा कर सकती है।
- हालाँकि, यह पहले से हो चुकी मस्तिष्क क्षति को ठीक नहीं करती तथा इसके कारण मस्तिष्क में सूजन या रक्तस्राव (ARIA) जैसे गंभीर दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं।

वैश्विक संपर्क के युग में डिजिटल चोकपॉइंट्स

बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों के बीच, रणनीतिक डिजिटल चोकपॉइंट्स से होकर गुजरने वाले अंतः समुद्री केबल नेटवर्क अत्यधिक संवेदनशील अवसंरचना के रूप में उभरकर सामने आए हैं।

डिजिटल चोकपॉइंट्स (Digital Chokepoints) क्या हैं?

- डिजिटल चोकपॉइंट्स वे संकीर्ण समुद्री मार्ग हैं, जिनसे होकर अनेक अंतः समुद्री संचार केबल एक साथ गुजरते हैं।
- ये चोकपॉइंट्स रणनीतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होते हैं क्योंकि किसी एक स्थान पर व्यवधान आने से एक साथ कई क्षेत्रों की इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रभावित हो सकती है।
- **प्रमुख वैश्विक डिजिटल चोकपॉइंट्स**
  - हॉर्मुज जलडमरूमध्य खाड़ी क्षेत्र को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने वाला एक प्रमुख डिजिटल एवं ऊर्जा चोकपॉइंट है।
  - बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य लाल सागर को अरब सागर से जोड़ता है और इसके माध्यम से कई प्रमुख अंतः समुद्री केबल मार्ग गुजरते हैं।
  - स्वेज नहर यूरोप और एशिया को समुद्री व्यापार तथा डिजिटल अवसंरचना दोनों के माध्यम से जोड़ने वाला एक महत्त्वपूर्ण गलियारा है।
  - मलक्का जलडमरूमध्य हिन्द महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है और महत्त्वपूर्ण संचार नेटवर्क का वहन करता है।
  - लाल सागर में अनेक महत्त्वपूर्ण अंतः समुद्री केबल प्रणालियाँ स्थित हैं, जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका को जोड़ती हैं।

अंतः समुद्री केबल (Undersea Cables) क्या हैं?

- समुद्र के भीतर या अंतः समुद्री केबल फाइबर-ऑप्टिक संचार केबल होते हैं, जिन्हें समुद्र तल पर बिछाया जाता है ताकि देशों और महाद्वीपों के बीच इंटरनेट एवं दूरसंचार डेटा का संचार किया जा सके।
- इनके माध्यम से वैश्विक इंटरनेट ट्रैफिक का लगभग 95% संचालित होता है। ये बैंकिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी महत्त्वपूर्ण सेवाओं का समर्थन करते हैं तथा इनके विकास में गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियाँ भी निवेश कर रही हैं।

अंतः समुद्री केबलों से जुड़ी संवेदनशीलताएँ

- अंतः समुद्री केबल अब भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बन गए हैं, जहाँ डिजिटल अवसंरचना का उपयोग रणनीतिक प्रभाव स्थापित करने के लिए किया जा रहा है तथा हाइब्रिड युद्ध और प्रमुख शक्तियों के बीच समुद्री प्रतिद्वंद्विता से इनके लिए जोखिम बढ़ गया है।
- इनकी संवेदनशीलता का कारण सीमित मार्गों पर अत्यधिक निर्भरता, मरम्मत में कठिनाई तथा जानबूझकर पहुँचाई गई क्षति से संबंधित अस्पष्ट अंतरराष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था है।

केबल बाधित होने के संभावित परिणाम

- अंत: समुद्री केबलों में व्यवधान आने से वैश्विक इंटरनेट एवं संचार सेवाओं में व्यापक बाधा, वित्तीय अस्थिरता तथा व्यापार में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।
- संकट के समय इससे सैन्य समन्वय भी कमजोर हो सकता है तथा सीमित डिजिटल बैकअप प्रणालियों के कारण विकासशील देशों पर इसका प्रभाव अधिक गंभीर हो सकता है।

भारत के लिए चिंताएँ

- भारत की वित्तीय एवं सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएँ निर्बाध डिजिटल संपर्क पर अत्यधिक निर्भर हैं। हिन्द महासागर क्षेत्र में बढ़ते तनाव तथा विदेशी नियंत्रण वाले अंत: समुद्री केबल अवसंरचना पर निर्भरता भारत के लिए रणनीतिक संवेदनशीलताएँ उत्पन्न करती है।

आगे की राह

- देशों को अंत: समुद्री केबलों की सुरक्षा के लिए वैकल्पिक मार्ग विकसित करने, समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने, उपग्रह जैसी बैकअप प्रणालियाँ विकसित करने तथा इनके संरक्षण, मरम्मत और कानूनी ढाँचे को सुदृढ़ बनाने हेतु अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है।

अंत: समुद्री केबलों की प्रत्यास्थता हेतु अंतरराष्ट्रीय सलाहकार निकाय

- इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन (ITU) और इंटरनेशनल केबल प्रोटेक्शन कमिटी (ICPC) ने संयुक्त रूप से अंत: समुद्री केबलों की प्रत्यास्थता हेतु अंतरराष्ट्रीय सलाहकार निकाय की स्थापना की है। इस पहल का उद्देश्य अंत: समुद्री केबलों की प्रत्यास्थता को सुदृढ़ बनाना है।
- यह निकाय अंत: समुद्री केबलों पर बढ़ते डेटा ट्रैफिक, पुरानी होती अवसंरचना तथा बढ़ते पर्यावरणीय खतरों से संबंधित चुनौतियों के समाधान के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन भी प्रदान करेगा।

इंटरनेशनल केबल प्रोटेक्शन कमिटी (ICPC)

- ICPC की स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी। यह अंत: समुद्री केबल उद्योग से जुड़े सरकारों और वाणिज्यिक संस्थाओं का एक वैश्विक मंच है।
- इसका मुख्य उद्देश्य तकनीकी, कानूनी तथा पर्यावरणीय जानकारी के आदान-प्रदान के लिए एक मंच उपलब्ध कराकर अंत: समुद्री केबलों की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना है।

कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड

जापान के टोक्यो में आयोजित कॉमन क्राइटेरिया रिकग्निशन अरेंजमेंट (CCRA) की प्रथम तिमाही बैठक में भारत को अप्रैल 2026 से अप्रैल 2028 की अवधि के लिए कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड (CCDB) का अध्यक्ष नामित किया गया है।

कॉमन क्राइटेरिया रिकग्निशन अरेंजमेंट

- CCRA एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत सदस्य देश सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा प्रमाणपत्रों को पारस्परिक रूप से मान्यता प्रदान करते हैं।
- यह सुरक्षित आईटी उत्पादों के मूल्यांकन के लिए समान मानक निर्धारित करता है, जिससे प्रमाणित उत्पादों को पुन: प्रमाणन के बिना विभिन्न देशों में स्वीकार किया जा सकता है।
- इसमें 20 प्राधिकृत तथा 18 उपभोक्ता देश शामिल हैं और यह प्रमाणित उत्पादों का एक वैश्विक पोर्टल भी संचालित करता है।

कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड (CCDB)

- CCDB, CCRA का तकनीकी निकाय है, जो आईटी सुरक्षा के लिए सामान्य मानदंड मानकों तथा मूल्यांकन पद्धतियों का विकास और रखरखाव करता है।
- यह मुख्यत: तकनीकी प्रमाणन नियमों पर कार्य करता है, जबकि नीतिगत विषयों का दायित्व अन्य समूहों के पास होता है।

भारत की भागीदारी

- भारत वर्ष 2013 में प्रमाणपत्र प्राधिकृत करने वाला राष्ट्र के रूप में CCRA का सदस्य बना था।
- भारत इस व्यवस्था में इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) तथा मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (STQC) निदेशालय के माध्यम से भाग लेता है।
- STQC निदेशालय आईटी सुरक्षा मूल्यांकन के लिए भारत के आधिकारिक प्रमाणन निकाय के रूप में कार्य करता है।

इबोला प्रकोप

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला प्रकोप के कारण 80 से अधिक लोगों की मृत्यु के बाद अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है।

Ebola Virus Disease (EVD)

- इबोला वायरस रोग: यह इबोला वायरस से होने वाला एक जूनोटिक रोग है, जो मनुष्यों में गंभीर तथा प्राय: घातक हो सकता है। इबोला की पहचान पहली बार 1976 में मध्य अफ्रीका में हुई थी।
- **प्रकार:** WHO के अनुसार, इबोला रोग के बड़े प्रकोप उत्पन्न करने वाले तीन वायरस ज्ञात हैं- इबोला वायरस, सूडान वायरस और बुंदीबुग्यो वायरस।
- वर्तमान प्रकोप बुंदीबुग्यो प्रकार (Variant) से संबंधित है।
- **संचरण** (Transmission): यह वायरस संक्रमित जंगली जानवरों, जैसे चमगादड़ों और प्राइमेट्स, से मनुष्यों में फैलता है। इसके बाद यह संक्रमित व्यक्ति के रक्त, शारीरिक द्रवों अथवा दूषित सतहों के संपर्क के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है।
- **लक्षण:** इस रोग के प्रमुख लक्षणों में बुखार, रक्तस्राव (Haemorrhaging) तथा उल्टी शामिल हैं।
- **उपचार:** इबोला वायरस रोग (EVD) के लिए स्वीकृत टीके और उपचार उपलब्ध हैं। हालाँकि, सूडान वायरस रोग (SVD) और बुंडिबुग्यो वायरस रोग (BVD) के लिए वर्तमान में कोई स्वीकृत टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है।

अभय: एआई-संचालित सत्यापन प्रणाली

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने CBI द्वारा जारी नोटिसों के प्रमाणीकरण के लिए "अभय" नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित हेल्पबॉट लॉन्च किया है।

पृष्ठभूमि एवं आवश्यकता

- भारत में साइबर-सक्षम धोखाधड़ी (Cyber-enabled Fraud) के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। AI और डीपफेक जैसी प्रौद्योगिकियों के कारण धोखाधड़ी की पहचान करना और अधिक कठिन हो गया है।
- जन-जागरूकता बढ़ाने तथा नागरिकों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से CBI ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से "अभय" की शुरुआत की है।

अभय (Abhay)

- यह CBI द्वारा जारी नोटिसों की सत्यता की जाँच करने के लिए आम जनता हेतु विकसित AI-संचालित चैटबॉट-आधारित सत्यापन प्रणाली है।
- इसे नागरिकों को बढ़ते साइबर धोखाधड़ी तथा डिजिटल अरेस्ट (Digital Arrest) जैसे घोटालों से बचाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है।
- इस प्रणाली को डेटा की गोपनीयता (Data Confidentiality) सुनिश्चित करने तथा आम जनता के लिए एक विश्वसनीय प्रमाणीकरण तंत्र उपलब्ध कराने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।

क्या आप जानते हैं?

- 'डिजिटल अरेस्ट' स्कैम एक तरह का ऑनलाइन फ्रॉड है, जिसमें स्कैमर्स पुलिस या टैक्स अधिकारियों जैसे अधिकारियों का रूप धरकर लोगों पर झूठे आरोप लगाते हैं और उनसे पैसे ऐंठने के लिए दबाव डालते हैं।
- वे असली दिखने के लिए कॉल, वीडियो ऐप्स और नकली सेटअप का इस्तेमाल करते हैं और पैसे मिलने के बाद गायब हो जाते हैं, जिससे लोगों को आर्थिक नुकसान होता है और उनकी पहचान की चोरी (identity theft) का खतरा भी हो सकता है।

स्माइल मिशन

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) और चीनी विज्ञान अकादमी (CAS) का संयुक्त मिशन सोलर विंड मैग्नेटोस्फीयर आयनोस्फीयर लिंक एक्सप्लोरर (SMILE) विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य अध्ययन करना है कि सौर तूफानों और अंतरिक्ष मौसम (Space Weather) की घटनाओं के दौरान पृथ्वी का चुंबकीय कवच किस प्रकार प्रतिक्रिया करता है।

स्माइल मिशन

- स्माइल एक अंतरिक्ष मिशन है, जो अध्ययन करता है कि सूर्य से आने वाली सौर पवन पृथ्वी के चुंबकमंडल और आयनमंडल के साथ किस प्रकार अंत:क्रिया करती है।
  - इसका उद्देश्य उप-चुंबकीय तूफानों (Substorms) तथा सौर तूफानों (Coronal Mass Ejections-CMEs) जैसी अंतरिक्ष मौसम संबंधी घटनाओं को समझना और उनके पूर्वानुमान में सुधार करना है।
- यह पृथ्वी के चुंबकीय परिवेश, विशेषकर मैग्नेटोपॉज (Magnetopause) तथा ध्रुवीय कस्प (Polar Cusps) का सॉफ्ट एक्स-रे (Soft X-rays) के माध्यम से चित्रण (Imaging) करने के लिए डिजाइन किया गया पहला मिशन है। यह उत्तरी ध्रुवीय ज्योति (Northern Lights/Aurora Borealis) की पराबैंगनी (Ultraviolet) छवियाँ भी प्राप्त करेगा।
- **उपकरण:** इस मिशन के पेलोड में सॉफ्ट एक्स-रे इमेजर (SXI), अल्ट्रावायलेट इमेजर (UVI), लाइट आयन एनालाइजर (LIA) और मैग्नेटोमीटर (MAG) शामिल हैं।

ज्वान-वुल्फ इफेक्ट

'नेचर कम्युनिकेशन्स' में छपी एक हालिया स्टडी में NASA के MAVEN स्पेसक्राफ्ट से मिले डेटा का इस्तेमाल करके मंगल ग्रह पर ज्वान-वुल्फ इफेक्ट के सबूत मिले हैं।

ज्वान-वुल्फ इफेक्ट क्या है?

- ज्वान-वुल्फ इफेक्ट अंतरिक्ष के मौसम से जुड़ी एक घटना है। इसमें तब इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स (प्लाज्मा) मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के साथ दबकर सिकुड़ जाते हैं, जब किसी ग्रह की मैग्नेटिक सीमा सोलर विंड (सौर हवा) के संपर्क में आती है।
  - सोलर विंड, सूरज से निकलने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स की लगातार बहने वाली धारा होती है।
- वैज्ञानिकों बी.जे. ज्वान और आर.ए. वुल्फ ने सबसे पहले 1976 में इस घटना की पहचान की थी। यह घटना ग्रह की सीमा के पास प्लाज्मा की एक "कमी वाली परत" (depletion layer) बनाती है, जिससे सोलर विंड के बहाव को मोड़ने में मदद मिलती है।

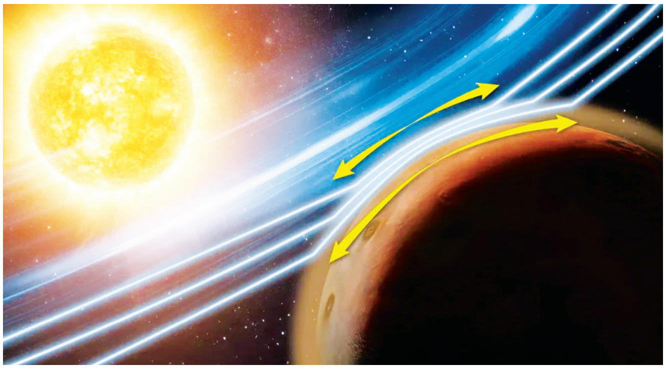

इस खोज का महत्त्व

- पृथ्वी के उलट, मंगल ग्रह पर कोई मजबूत ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है।
- यह खोज दिखाती है कि जिन ग्रहों पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत मजबूत नहीं है, वे भी जटिल मैग्नेटिक इंटरैक्शन का अनुभव कर सकते हैं।
- इन नतीजों से भू-वैज्ञानिक समय-सीमा के दौरान मंगल पर वायुमंडल के नुकसान की प्रक्रियाओं को समझने में मदद मिल सकती है।
- यह स्टडी उन ग्रहों पर अंतरिक्ष के मौसम के असर को समझने में भी मदद करती है जिनके पास मजबूत मैग्नेटिक सुरक्षा नहीं होती है।

मावेन (MAVEN) मिशन

- MAVEN का पूरा नाम 'मार्स एटमॉस्फियर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन मिशन' है। यह NASA का एक मिशन है जिसे 2013 में मंगल ग्रह के वायुमंडल और सौर हवा के साथ उसकी प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था।
- यह मिशन इस बात की जांच करता है कि समय के साथ मंगल ने अपना ज्यादातर वायुमंडल और जल कैसे खो दिया।

अनुसंधान एवं विकास (R&D) करने में सुगमता

नीति आयोग (NITI Aayog) द्वारा जारी "भारत में अनुसंधान और विकास करने में आसानी" रिपोर्ट भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाने पर केंद्रित है।

भारत में अनुसंधान एवं विकास (R&D) की स्थिति

- **अनुसंधान एवं विकास पर कम व्यय:** भारत का सकल अनुसंधान एवं विकास व्यय कई वर्षों से सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.64% बना हुआ है। यह स्तर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है।
  - इजराइल और दक्षिण कोरिया अपने GDP का 4% से अधिक R&D पर व्यय करते हैं, जबकि अमेरिका और चीन अपने GDP का 2% से अधिक R&D पर खर्च करते हैं।
  - रिपोर्ट के अनुसार, तीव्र आर्थिक वृद्धि के बावजूद भारत का R&D व्यय स्थिर बना हुआ है।
- **R&D में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व:** भारत में R&D के वित्तपोषण का लगभग 64% सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किया जाता है। इसके विपरीत, कई अग्रणी नवाचार अर्थव्यवस्थाओं में R&D बजट का 60% से अधिक योगदान निजी क्षेत्र से आता है।

रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख चुनौतियाँ

- **कम निवेश:** सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों से सीमित निवेश R&D अवसंरचना तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को कमजोर करता है।
- **प्रशासनिक बोझ:** अत्यधिक नौकरशाही अनुसंधान की गति को धीमा करती है और उसकी दक्षता को कम करती है।
- **कठोर नियम एवं विखंडन:** सख्त खरीद नियम तथा कमजोर समन्वय के कारण विलंब और कार्यों की पुनरावृत्ति होती है।
- **मानव संसाधन संबंधी समस्याएँ:** शोधकर्ताओं की कमी, सीमित कैरियर उन्नति तथा ब्रेन ड्रेन (Brain Drain) प्रमुख चुनौतियाँ हैं।
- **व्यावसायीकरण की कमजोरी:** अनुसंधान का उत्पादन अधिक है, लेकिन उसका पेटेंट तथा बाजार योग्य उत्पादों में रूपांतरण सीमित है।

सिफारिशें

- **प्रक्रियाओं को सरल बनाना:** प्रशासनिक एवं खरीद संबंधी विलंब कम करने के लिए डिजिटल सिंगल-विंडो प्रणाली तथा लचीले वित्तपोषण तंत्र को अपनाया जाए।
- **सहयोग को सुदृढ़ बनाना:** उद्योग-शैक्षणिक संस्थान-सरकार के बीच अनुसंधान पार्कों और संयुक्त परियोजनाओं के माध्यम से साझेदारी को बढ़ावा दिया जाए।
- **अनुसंधान कैरियर में सुधार:** शोधकर्ताओं को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए बेहतर फेलोशिप, वेतन तथा स्थिर वित्तपोषण उपलब्ध कराया जाए।
- **पोस्टडॉक्टोरल शोध को बढ़ावा:** विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित पोस्टडॉक्टोरल फेलोशिप में प्रतिवर्ष लगभग 20% की वृद्धि की जाए।
- **विज्ञान निधि प्लेटफॉर्म:** फेलोशिप के त्वरित हस्तांतरण तथा उद्योग से जुड़े सहयोग के लिए एक डिजिटल प्रणाली विकसित की जाए।
- **एकीकृत शासन व्यवस्था:** विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने हेतु एकीकृत डेटाबेस तथा निगरानी प्रणालियों का विकास किया जाए।

सरकारी पहलें

- **अनुसंधान, विकास एवं नवाचार योजना:** ₹1 लाख करोड़ की कोष राशि वाली RDI योजना का उद्देश्य ANRF के अंतर्गत कम या शून्य ब्याज ऋण, इक्विटी सहायता तथा डीप-टेक फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से निजी क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास तथा डीप-टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है।
- **भारतीय अंतरिक्ष नीति, 2023:** यह नीति वर्ष 2020 के सुधारों का विस्तार करती है। इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुमति दी गई है तथा अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ाने, वाणिज्यिक अंतरिक्ष उद्योग का विस्तार करने और सार्वजनिक-निजी साझेदारी को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा गया है।
- **राष्ट्रीय क्वांटम मिशन:** वर्ष 2023-31 के लिए ₹6,003.65 करोड़ आवंटित किए गए हैं, ताकि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से क्वांटम प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाया जा सके।
- **राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन:** वर्ष 2015 में प्रारंभ किया गया यह मिशन विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों तथा सरकारी एजेंसियों को राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क से जुड़े अत्याधुनिक सुपरकंप्यूटिंग तंत्र उपलब्ध कराता है।
- **इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन:** वर्ष 2021 में स्थापित इस मिशन का उद्देश्य सेमीकंडक्टर तथा डिस्प्ले विनिर्माण के लिए एक सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है।
- **इंडिया एआई मिशन:** यह मिशन "भारत में AI का निर्माण तथा भारत के लिए AI" की अवधारणा को बढ़ावा देता है। इसके अंतर्गत कंप्यूटिंग क्षमता का विस्तार 38,000 GPUs तक किया गया है, जिससे स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं और उद्योगों के लिए AI तक पहुँच बेहतर हुई है।
- **अटल नवाचार मिशन:** इसका उद्देश्य विद्यार्थियों, स्टार्टअप्स तथा उद्यमियों को सहयोग प्रदान कर जमीनी स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देना है।

साइबर युद्ध

हाल के साइबर अभियानों, जो इजराइल-ईरान संघर्ष से जुड़े थे, ने यह उजागर किया कि अब डिजिटल हमले पारंपरिक सैन्य हमलों के साथ-साथ किए जा रहे हैं।

साइबर युद्ध क्या है?

- साइबर युद्ध किसी अन्य देश की महत्त्वपूर्ण प्रणालियों और नेटवर्क को बाधित करने, क्षति पहुँचाने या रणनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए डिजिटल हमलों का उपयोग है। यह संचार, वित्तीय और रक्षा अवसंरचना को निशाना बनाता है तथा आधुनिक संघर्षों में पारंपरिक सैन्य अभियानों के साथ-साथ इसका उपयोग तेजी से बढ़ रहा है।
- अमेरिका-इजराइल-ईरान तनाव के दौरान प्रकाशित रिपोर्टों में सैन्य कार्रवाई के साथ-साथ समाचार पोर्टलों और संचार अनुप्रयोगों की हैकिंग की भी जानकारी दी गई।

साइबर युद्ध के घटक

- **साइबर जासूसी:** संवेदनशील सैन्य या रणनीतिक सूचनाओं की चोरी।
- **साइबर हमले:** मैलवेयर, रैनसमवेयर या क्क्वे हमलों के माध्यम से नेटवर्क, वेबसाइटों या अवसंरचना को बाधित करना।
- **सूचना युद्ध:** भ्रामक सूचना और प्रचार के माध्यम से जनमत को प्रभावित करना।
- **महत्त्वपूर्ण अवसंरचना को निशाना बनाना:** विद्युत ग्रिड, बैंकिंग प्रणाली, रक्षा प्रणाली और स्वास्थ्य नेटवर्क पर हमले।
- **मनोवैज्ञानिक अभियान:** डिजिटल माध्यमों से मनोबल और जनधारणा को प्रभावित करना।

साइबर युद्ध से जुड़े प्रमुख मुद्दे और चिंताएँ

- **उभरती प्रवृत्तियाँ:** साइबर युद्ध संघर्ष का पाँचवाँ आयाम बनता जा रहा है, जहाँ गुमनामी और अनेक न्यायिक क्षेत्रों के कारण हमलों के स्रोत का पता लगाना कठिन होता है।
- **अंतरराष्ट्रीय कानून में अस्पष्टता:** अंतरराष्ट्रीय कानून यह स्पष्ट नहीं करता कि कब साइबर कार्रवाई "बल के प्रयोग" की श्रेणी में आती है, तथा राज्य की सहमति और संप्रभु प्रतिरक्षा के कारण कानूनी उपाय सीमित हैं।
- **महत्त्वपूर्ण अवसंरचना के लिए खतरा:** साइबर हमले बैंकिंग, ऊर्जा और स्वास्थ्य जैसी महत्त्वपूर्ण अवसंरचनाओं को क्षति पहुँचा सकते हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर जोखिम उत्पन्न होते हैं।
- **संघर्ष बढ़ने का जोखिम:** साइबर हमले देशों के बीच तनाव बढ़ा सकते हैं तथा इनमें गैर-राज्यीय तत्वों की भागीदारी के कारण जिम्मेदारी तय करना और जवाबदेही सुनिश्चित करना अधिक जटिल हो जाता है।

संबंधित अंतरराष्ट्रीय कानून

- **संयुक्त राष्ट्र चार्टर:** अनुच्छेद 2(4) अन्य राज्यों के विरुद्ध बल के प्रयोग या उसकी धमकी पर प्रतिबंध लगाता है, जबकि अनुच्छेद 51 सशस्त्र हमले की स्थिति में आत्मरक्षा की अनुमति देता है।
- **टालिन मैनुअल:** नाटो विशेषज्ञों द्वारा तैयार यह दस्तावेज बताता है कि साइबर युद्ध पर अंतरराष्ट्रीय कानून कैसे लागू होता है, हालाँकि यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है।
- **साइबर अपराध पर बुडापेस्ट कन्वेंशन:** यह साइबर अपराध के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। भारत संप्रभुता संबंधी चिंताओं और प्रारूप-निर्माण प्रक्रिया में शामिल न होने के कारण इसका पक्षकार नहीं है।
- **साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय:** इसका उद्देश्य साइबर अपराध से निपटने में वैश्विक सहयोग को मजबूत करना है, हालाँकि यह राज्य-प्रायोजित साइबर युद्ध को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करता।

भारत साइबर युद्ध से कैसे निपट रहा है?

- **संस्थागत उपाय:**
- **CERT-In (Indian Computer Emergency Response Team):** साइबर घटनाओं से निपटने वाली नोडल एजेंसी।
- **राष्ट्रीय** महत्त्व**पूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC):** महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों की सुरक्षा करता है।
- **रक्षा साइबर एजेंसी (DCA):** सैन्य साइबर अभियानों का संचालन करती है।
- **नीतिगत पहल:**
  - राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013
  - डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023
  - क्षमता निर्माण के लिए साइबर सुरक्षित भारत पहल।
- **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** भारत साइबर सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र के मुक्त कार्य समूह (UN Open-Ended Working Group) में सक्रिय रूप से भाग लेता है तथा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय साइबर सहयोग भी करता है।

साइबर युद्ध के विरुद्ध सुदृढ़ीकरण के उपाय

- आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं सहित एक सुदृढ़ राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति विकसित करना।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित फोरेंसिक और खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान के माध्यम से साइबर हमलों की पहचान को बेहतर बनाना।
- नियमित सुरक्षा ऑडिट और स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के माध्यम से महत्त्वपूर्ण अवसंरचना को सुरक्षित करना।
- साइबर सुरक्षा शिक्षा और कुशल मानव संसाधन का विस्तार करना।
- उत्तरदायी राज्य व्यवहार के लिए वैश्विक साइबर मानकों को बढ़ावा देना।
- डिजिटल अवसंरचना की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को मजबूत करना।

मायोपिया महामारी

वर्ष 2050 तक लगभग 4.75 अरब लोग, अर्थात विश्व की लगभग आधी जनसंख्या, मायोपिया (निकट दृष्टिदोष) से प्रभावित होने की आशंका है। भारत में शहरी बच्चों में मायोपिया की व्यापकता 1999 में 4.44% से बढ़कर 2019 में 21.15% हो गई है और 2050 तक इसके लगभग 48% तक पहुँचने का अनुमान है।

परिचय

- मायोपिया मुख्यत: एक अपवर्तक दोष है, जो नेत्रगोलक (Eyeball) की अक्षीय लंबाई के अत्यधिक बढ़ जाने के कारण होता है। मायोपिया से प्रभावित आँख में अक्षीय लंबाई, अर्थात आँख के आगे और पीछे के भाग के बीच की दूरी, सामान्य से अधिक हो जाती है।

- फलस्वरूप, आने वाली प्रकाश किरणें सीधे रेटिना (Retina) पर केंद्रित होने के बजाय उसके आगे केंद्रित हो जाती हैं, जिससे दूर स्थित वस्तुएँ धुंधली दिखाई देती हैं।

- अवतल लेंस (Concave Lens), चाहे चश्मे के रूप में हों या कॉन्टैक्ट लेंस के रूप में, प्रकाश के फोकस को पुन: रेटिना पर लाकर स्पष्ट दृष्टि प्रदान करते हैं।
- **चिंताएँ:** जैसे-जैसे आँख की अक्षीय लंबाई बढ़ती है, वैसे-वैसे आँख के ऊतक, जैसे स्क्लेरा (Sclera), कोरॉइड (Choroid) तथा रेटिना (Retina), खिंचने और पतले होने लगते हैं। इससे रेटिना डिटैचमेंट (Retinal Detachment), मायोपिक मैक्यूलर डिजेनेरेशन (Myopic Macular Degeneration), ग्लूकोमा (Glaucoma) तथा समयपूर्व मोतियाबिंद (Early Cataract Formation) का जोखिम बढ़ जाता है।
  - उच्च मायोपिया, जिसे सामान्यत: –6 डायोप्टर (Dioptres) या उससे अधिक के अपवर्तक दोष के रूप में परिभाषित किया जाता है, अपरिवर्तनीय दृष्टि हानि तथा अंधत्व से जुड़ा हो सकता है।
- **रोकथाम:** अनुसंधान से संकेत मिलता है कि बाहर अधिक समय बिताने से मायोपिया की प्रगति के जोखिम को कम करने में सहायता मिल सकती है।
  - विशेषकर स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए नियमित नेत्र परीक्षण अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

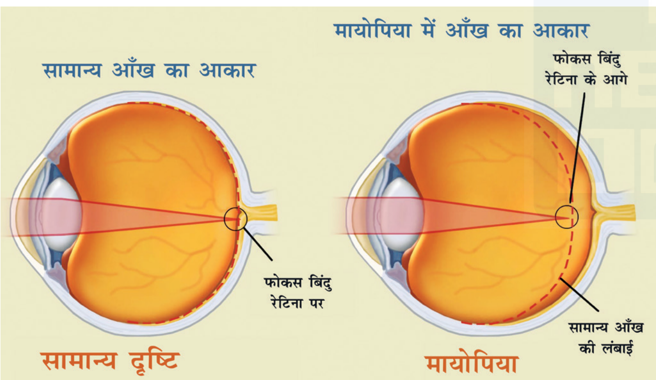

गूगल के 'इन्फॉर्मेशन एजेंट्स'

हाल ही में गूगल ने "इन्फॉर्मेशन एजेंट्स (Information Agents)" को सर्च में एकीकृत किया है, जो उपयोगकर्ताओं की ओर से इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं की निरंतर निगरानी कर सकते हैं

इन्फॉर्मेशन एजेंट्स क्या हैं?

- इन्फॉर्मेशन एजेंट्स कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित प्रणालियाँ हैं, जो उपयोगकर्ता की पसंद और निर्देशों के आधार पर ऑनलाइन सूचनाओं की निरंतर निगरानी करती हैं।
- ये एजेंट आवास संबंधी सूची (Housing Listings), यात्रा संबंधी अपडेट, शेयर मूल्यों, खरीदारी के ऑफर अथवा अन्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं से जुड़ी जानकारी पर नजर रख सकते हैं, जिसके लिए बार-बार मैन्युअल खोज करने की आवश्यकता नहीं होती।
- ये एजेंट स्थायी डिजिटल सहायक (Persistent Digital Assistants) के रूप में कार्य करते हैं, जो पृष्ठभूमि (Background) में सक्रिय रहते हैं और स्वत: नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराते हैं।

इन्फॉर्मेशन एजेंट्स कैसे कार्य करते हैं?

- उपयोगकर्ता अपनी विस्तृत व्यक्तिगत प्राथमिकताएँ और आवश्यकताएँ AI प्रणाली को प्रदान करता है।
- इसके बाद एजेंट संबंधित अपडेट प्राप्त करने के लिए वेबसाइटों और डेटाबेस का निरंतर स्कैन करता है। यह ईमेल, कैलेंडर, मैप्स, ब्राउजिंग इतिहास तथा खोज व्यवहार जैसे अनेक डिजिटल प्लेटफॉर्मों से प्राप्त आँकड़ों को एकीकृत करता है।
- इसके पश्चात प्रणाली एकत्रित जानकारी का विश्लेषण कर उपयोगकर्ता के लिए अनुकूलित (Customized) अनुशंसाएँ या अलर्ट तैयार करती है।

इन्फॉर्मेशन एजेंट्स से जुड़ी प्रमुख चिंताएँ

- इन्फॉर्मेशन एजेंट्स को व्यापक व्यक्तिगत डेटा की आवश्यकता होती है, जिससे निजता, निगरानी तथा लक्षित विज्ञापन संबंधी चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
- AI द्वारा संचालित निरंतर वेब क्रॉलिंग (Web Crawling) से स्वचालित इंटरनेट ट्रैफिक बढ़ सकता है तथा प्रकाशकों (Publishers) पर अवसंरचना लागत का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है।
- AI द्वारा तैयार किए गए सारांश वेबसाइटों पर आने वाले उपयोगकर्ताओं की संख्या को कम कर सकते हैं, जिससे डिजिटल प्रकाशकों और सामग्री निर्माताओं के राजस्व मॉडल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

फ्रैक्शनल क्वांटम हॉल इफेक्ट

क्वांटम मटीरियल्स, खासकर ट्विस्टेड मल्टीलेयर ग्राफीन में हाल की तरक्की ने भौतिक वैज्ञानिकों को बहुत तेज मैग्नेटिक फील्ड के बिना फ्रैक्शनल क्वांटम हॉल इफेक्ट (FQHE) को फिर से निर्मित करने में मदद की है।

हॉल इफेक्ट

- हॉल इफेक्ट की खोज 1879 में एडविन हॉल ने की थी।
- **सिद्धांत:** जब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर से गुजरते हैं, तो उन्हें एक साइड की ओर लगने वाला बल महसूस होता है जिसे लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं।
- इस बल के कारण मटीरियल के एक तरफ इलेक्ट्रिक चार्ज जमा हो जाते हैं, जिससे एक ट्रांसवर्स वोल्टेज पैदा होता है जिसे हॉल वोल्टेज कहते हैं।
- हॉल इफेक्ट ने वैज्ञानिकों को मटीरियल में इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर की प्रकृति को समझने में मदद की।

क्वांटम हॉल इफेक्ट (QHE) क्या है?

- यह एक क्वांटम घटना है जो बहुत कम तापमान और तेज मैग्नेटिक फील्ड में टू-डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में देखी जाती है, जहाँ हॉल रेजिस्टेंस लगातार बदलने के बजाय अलग-अलग स्टेप्स में बदलता है।

- यह क्वांटाइजेशन दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्वांटम मैकेनिक्स का पालन करते हैं।
  - इंटीजर क्वांटम हॉल इफेक्ट में, इलेक्ट्रॉन के अलग-अलग लैंडौ लेवल पर होने के कारण रेजिस्टेंस की वैल्यू पूरी संख्या (1, 2, 3, आदि) होती है।
  - फ्रैक्शनल क्वांटम हॉल इफेक्ट में, मजबूत इलेक्ट्रॉन इंटरैक्शन के कारण रेजिस्टेंस की वैल्यू फ्रैक्शनल (1/3, 2/5, और 3/7) होती है; ये इंटरैक्शन सामूहिक अवस्थाएँ बनाते हैं और फ्रैक्शनल चार्ज वाले क्वाजीपार्टिकल्स उत्पन्न करते हैं जिन्हें एनीऑन्स कहा जाता है।

क्वांटम हॉल इफेक्ट (QHE) के इस्तेमाल

- फ्रैक्शनल क्वांटम हॉल इफेक्ट से एनीऑन्स नाम के क्वाजीपार्टिकल्स बनते हैं, जिन्हें फॉल्ट-टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है।
- एनीऑन्स सामान्य क्वांटम पार्टिकल्स की तुलना में ज्यादा स्थिर तरीके से क्वांटम जानकारी स्टोर कर सकते हैं।
- क्वांटम हॉल इफेक्ट से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बहुत सटीक माप मिलती है। इसका इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेट्रोलॉजी में रेजिस्टेंस स्टैंडर्ड तय करने के लिए किया जाता है।
- QHE ने ग्राफीन जैसे एडवांस्ड क्वांटम मटीरियल्स पर रिसर्च में अहम योगदान दिया है।

कार्बन-रहित फेरोसीन में सफलता

आईआईटी मद्रास और आईआईएससी (IISc) के शोधकर्ताओं ने फेरोसीन के समान एक नया कार्बन-रहित अणु (Carbon-Free Molecule) विकसित किया है, जिससे रसायन विज्ञान की लगभग 70 वर्ष पुरानी एक चुनौती का समाधान हुआ है।

फेरोसीन (Ferrocene) क्या है?

- फेरोसीन एक रासायनिक यौगिक है, जिसकी खोज 1950 के दशक में हुई थी और जिसकी एक विशिष्ट सैंडविच संरचना होती है।
- इसमें एक लौह (Iron) परमाणु, दो कार्बन-वलय (Carbon-ring) अणुओं के बीच स्थित होता है।
- फेरोसीन अपनी उच्च स्थिरता तथा असामान्य रासायनिक बंधन के कारण ऑर्गेनोमेटैलिक रसायन का एक महत्त्वपूर्ण यौगिक है।
- इसका उपयोग दवाओं, बैटरियों, उत्प्रेरकों (Catalysts), उन्नत पदार्थों (Advanced Materials) तथा इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है।

नई खोज क्या है?

- **शोधकर्ताओं ने फेरोसीन के समान एक पूर्णतः** कार्बन-रहित अणु का संश्लेषण किया है।
- इस नए अणु में केंद्र पर लौह (Iron) के स्थान पर ऑस्मियम (Osmium) तथा कार्बन-वलयों (Carbon Rings) के स्थान पर बोरॉन-आधारित वलय (Boron-based Rings) प्रयुक्त किए गए हैं।
- इस खोज ने सात दशकों से अधिक समय से अनसुलझी एक वैज्ञानिक पहेली का समाधान कर दिया है।

इस खोज का महत्त्व

- यह उपलब्धि सिद्ध करती है कि कार्बन के बिना भी फेरोसीन जैसी स्थिर सैंडविच संरचनाएँ अस्तित्व में हो सकती हैं।
- इससे रासायनिक बंधन तथा अणुओं की स्थिरता (Molecular Stability) के वैज्ञानिक ज्ञान का विस्तार हुआ है।
- यह खोज उन्नत पदार्थों (Advanced Materials), नैनोप्रौद्योगिकी, उत्प्रेरण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोलती है।

भारत वाई-फाई 7 (WI-FI 7) युग में प्रवेश

टीपी-लिंक (TP-Link) ने भारत में वाई-फाई 7 (Wi-Fi 7) उपकरणों का स्थानीय विनिर्माण (Local Manufacturing) प्रारंभ किया है। इसकी शुरुआत एंटरप्राइज एक्सेस पॉइंट्स (Enterprise Access Points) के निर्माण से हुई है, जिससे भारत ने वाई-फाई 7 युग में प्रवेश कर लिया है।

वाई-फाई 7 (Wi-Fi 7) क्या है?

- वाई-फाई 7, जिसे आधिकारिक रूप से IEEE 802.11be अत्यंत उच्च थ्रुपुट (Extremely High Throughput) कहा जाता है, वायरलेस नेटवर्किंग प्रौद्योगिकी की नवीनतम पीढ़ी है।
- **वाई-फाई 6, जहाँ मुख्यतः** बड़ी संख्या में जुड़े हुए उपकरणों को संभालने पर केंद्रित था, वहीं वाई-फाई 7 को अत्यधिक उच्च गति, अति-निम्न विलंबता, कम नेटवर्क भीड़ (Reduced Congestion) तथा अधिक विश्वसनीय कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है।

x 11.5 → x 1.3 → x 4.8

	Wi-Fi 4	Wi-Fi 5	Wi-Fi 6/6E	Wi-Fi 7
मानक	802.11n	802.11ac	802.11ax	802.11be
1 स्पेशियल स्ट्रीम के साथ अधिकतम गति	150 Mbps	866.7 Mbps	1.2 Gbps	2.9 Gbps
2 स्पेशियल स्ट्रीम के साथ अधिकतम गति	300 Mbps	1.73 Gbps	2.5 Gbps	5.8 Gbps
अधिकतम स्पेशियल स्ट्रीम के साथ अधिकतम गति	600 Mbps	6.92 Gbps	9.6 Gbps	46.4 Gbps

प्रमुख विशेषताएँ

- अधिकतम सैद्धांतिक गति 46 Gbps तक, जो वाई-फाई 6 की तुलना में लगभग 4.8 गुना अधिक है।
- लगभग 4 गुना कम विलंबता (Latency), जिससे रीयल-टाइम संचार और ऑनलाइन गेमिंग बेहतर होती है।
- भारत के 5925-6425 MHz के लाइसेंस प्राप्त स्पेक्ट्रम का उपयोग करता है, जिससे अधिक स्वच्छ और कम भीड़भाड़ वाली कनेक्टिविटी प्राप्त होती है।
- उन्नत टार्गेट वेक टाइम (Target Wake Time - TWT) ऊर्जा दक्षता तथा बैटरी जीवन में सुधार करता है।

अनुप्रयोग

- यह 4K/8K स्ट्रीमिंग, संवर्धित वास्तविकता/आभासी वास्तविकता, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑनलाइन गेमिंग, औद्योगिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), स्मार्ट फैक्ट्री तथा स्मार्ट होम जैसे अनुप्रयोगों का समर्थन करता है।
- यह अस्पतालों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, होटलों, कार्यालयों तथा शैक्षणिक परिसरों जैसे उच्च-घनत्व वाले सार्वजनिक नेटवर्क के लिए भी उपयुक्त है।

भारत-अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्रिटिकल मिनरल्स तथा दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन, प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण तथा प्रबंधन में सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पहल वर्ष 2025 में चीन द्वारा दुर्लभ मृदा तत्वों (REEs) के निर्यात पर लगाए गए नियंत्रणों के बाद की गई है, जिनसे वैश्विक प्रौद्योगिकी आपूर्ति शृंखलाएँ प्रभावित हुई थीं।

क्रिटिकल मिनरल्स (Critical Minerals) क्या हैं?

- क्रिटिकल मिनरल्स वे खनिज हैं, जो किसी देश के आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा औद्योगिक वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं।
- यदि इनका खनन एवं प्रसंस्करण कुछ ही देशों तक सीमित हो अथवा उनकी आपूर्ति बाधित हो जाए, तो इससे गंभीर रणनीतिक जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं।
- इनका उपयोग सौर पैनल, सेमीकंडक्टर, पवन टरबाइन, बैटरियाँ, चिकित्सा उपकरण तथा इलेक्ट्रिक वाहनों जैसी प्रौद्योगिकियों में किया जाता है।
- ये खनिज हरित तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार हैं और भारत के ऊर्जा संक्रमण तथा आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों को समर्थन प्रदान करते हैं।

दुर्लभ मृदा तत्व (Rare Earth Elements-REEs)

- दुर्लभ मृदा तत्व (REEs) 17 धात्विक तत्वों का एक समूह है, जिसमें 15 लैंथेनाइड के साथ स्कैंडियम और इट्रियम शामिल हैं। इनका व्यापक उपयोग उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा प्रणालियों, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, इलेक्ट्रिक वाहनों, संचार प्रणालियों तथा नाभिकीय ऊर्जा में किया जाता है।
- भारत के पास विश्व का तीसरा सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा भंडार है, जो मुख्यतः मोनाजाइट (Monazite) खनिज में पाया जाता है।

उम्मीद कार्यक्रम

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने दुर्लभ आनुवंशिक विकारों के लिए उम्मीद (विरासत में मिलने वाले विकारों के प्रबंधन के अनूठे तरीके) कार्यक्रम को राष्ट्र को समर्पित किया।

दुर्लभ आनुवंशिक विकार (Rare Genetic Disorders) क्या हैं?

- दुर्लभ आनुवंशिक विकार ऐसे वंशानुगत रोग हैं जो जीन या गुणसूत्रों (क्रोमोसोम) में असामान्यताओं के कारण उत्पन्न होते हैं और शरीर के विभिन्न कार्यों को प्रभावित करते हैं।
    - यद्यपि प्रत्येक विकार व्यक्तिगत रूप से दुर्लभ होता है, परंतु सामूहिक रूप से ये एक महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती प्रस्तुत करते हैं।
- **दुर्लभ आनुवंशिक विकारों के कारण:**
    - जीनों में वंशानुगत उत्परिवर्तन (Inherited Mutations) दुर्लभ आनुवंशिक विकारों के प्रमुख कारणों में से एक हैं।
    - गुणसूत्रीय असामान्यताएँ विकास संबंधी तथा वंशानुगत विकारों का कारण बन सकती हैं।
- **उदाहरण:**
    - **सिकल सेल रोग:** यह एक वंशानुगत रक्त विकार है जो लाल रक्त कोशिकाओं के आकार एवं कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है।
    - **थैलेसीमिया** (Thalassemia)**:** यह एक वंशानुगत रक्त विकार है जो शरीर की स्वस्थ हीमोग्लोबिन बनाने की क्षमता को कम कर देता है।
    - **हीमोफीलिया:** यह एक आनुवंशिक विकार है जो रक्त के थक्के बनने (Blood Clotting) की प्रक्रिया को प्रभावित करता है।
    - **ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी:** यह एक आनुवंशिक रोग है जो मांसपेशियों के क्रमिक क्षय (Progressive Muscle Degeneration) और कमजोरी का कारण बनता है।
    - **स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी** (Spinal Muscular Atrophy - SMA)**:** यह एक दुर्लभ वंशानुगत रोग है जो मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करने वाली तंत्रिका कोशिकाओं को क्षति पहुँचाता है।

दुर्लभ आनुवंशिक विकारों से संबंधित चुनौतियाँ

- कम जागरूकता और सीमित आनुवंशिक परीक्षण (Genetic Testing) के कारण निदान में देरी।
- महँगे जीन उपचार (Gene Therapies) और आयातित दवाओं सहित उपचार की उच्च लागत।
- सीमित विशेषीकृत चिकित्सा केन्द्रों (मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में) के कारण कमजोर स्वास्थ्य अवसंरचना।
- प्रशिक्षित आनुवंशिक परामर्शदाताओं (Genetic Counsellors) और शोधकर्ताओं की कमी।
- प्रभावित परिवारों पर उच्च सामाजिक एवं आर्थिक बोझ।
- नीतिनिर्माण के लिए सीमित अनुसंधान, आँकड़ों एवं रोग रजिस्ट्रियों का अभाव।

सरकारी पहल

- **राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति** (National Policy for Rare Diseases - NPRD), 2021**:** भारत में दुर्लभ रोगों की रोकथाम एवं प्रबंधन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है।
- **राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम** (Rashtriya Bal Swasthya Karyakram - RBSK)**:** जन्मजात विकृतियों एवं विकास संबंधी विकारों वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक जाँच एवं हस्तक्षेप सेवाएँ उपलब्ध कराता है।
- **सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन:** वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने का लक्ष्य रखता है।

- **उम्मीद (UMMID) कार्यक्रम:** जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) द्वारा संचालित यह कार्यक्रम आनुवंशिक सेवाओं को किफायती एवं सुलभ बनाकर दुर्लभ आनुवंशिक विकारों के निदान एवं प्रबंधन में सुधार करता है।

मलेरिया उन्मूलन

दी लांसेट में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि विश्व के पहले अनुमोदित मलेरिया टीके RTS,SधAS01E ने अफ्रीका के कुछ भागों में बच्चों की कुल मृत्यु दर में 13% की कमी की।

मलेरिया

- मलेरिया एक गंभीर रोग है, जो परजीवियों के कारण होता है और मुख्यत: संक्रमित मादा एनोफेलीज मच्छर के काटने से फैलता है।
- यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्य है तथा सामान्यत: एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे नहीं फैलता।
- इसके लक्षणों में बुखार, ठंड लगना, सिरदर्द, भ्रम, दौरे, श्वसन संबंधी समस्याएँ, पीलिया, रक्तस्राव तथा गहरे रंग का मूत्र शामिल हैं।
- रोकथाम के उपायों में मच्छरदानी, मच्छररोधी पदार्थ, सुरक्षात्मक वस्त्र तथा निवारक दवाओं का उपयोग शामिल है।
- उपचार परजीवी के प्रकार पर निर्भर करता है तथा इसमें आर्टेमिसिनिन-आधारित कॉम्बिनेशन थेरेपी (ACTs), क्लोरोक्वीन तथा प्राइमाक्वीन का उपयोग किया जाता है।

भारत में मलेरिया की स्थिति

- **2015 से 2023 के बीच भारत ने निम्नलिखित उपलब्धियाँ हासिल कीं:**
  - मलेरिया के मामलों में 80.5% की कमी।
  - मलेरिया से होने वाली मृत्यु में 78.3% की कमी।
  - 122 से अधिक जिलों में शून्य मामले दर्ज किए गए।
- भारत 2024 में डब्ल्यूएचओ उच्च बोझ से उच्च प्रभाव समूह से बाहर हो गया। भारत का लक्ष्य 2027 तक स्वदेशी मलेरिया के मामलों को शून्य करना तथा 2030 तक पूर्ण उन्मूलन प्राप्त करना है।
- शेष अधिकांश मामले ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में केंद्रित हैं।
- प्लाज्मोडियम वाइवैक्स अब लगभग 40% मामलों का कारण है, क्योंकि इसके यकृत में सुप्त अवस्था (Dormant Liver Stage) के कारण रोग दोबारा उभर सकता है।

प्रमुख पहलें

- राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन रूपरेखा (2016-2030) तथा राष्ट्रीय सामरिक योजना (2023-2027) परीक्षण, उपचार और अनुगमन (Test, Treat, Track-3Ts) रणनीति पर केंद्रित हैं।
- उपायों में दीर्घकालिक कीटनाशक-संक्रमित मच्छरदानियाँ (LLINs), इनडोर रेजिडुअल स्प्रेइंग (IRS) तथा MERA प्द्कपं के माध्यम से अनुसंधान शामिल हैं। वैश्विक स्तर पर WHO वैश्विक तकनीकी रणनीति (GTS) तथा RTS,S और R21 जैसे मलेरिया टीकों के माध्यम से मलेरिया उन्मूलन का समर्थन करता है।

बेबेसिया संक्रमण

गुजरात में बेबेसिया संक्रमण के संदेह के कारण सिंह के आठ बच्चों की मौत हो गई है, जिससे एशियाई सिंहों की आबादी की सेहत को लेकर चिंता बढ़ गई है।

परिचय

- बेबेसिया एक पैरासिटिक बीमारी है जो टिक्स से फैलती है और इससे संक्रमित जानवरों में कमजोरी, बुखार, खांसी और नाक से पानी बहने जैसे लक्षण हो सकते हैं। यह एक जूनोटिक बीमारी है, जिसका मतलब है कि यह जानवरों से इंसानों में फैल सकती है।
- ज्यादातर हल्के से मध्यम मामलों के इलाज के लिए एटोवाक्वोन और एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल किया जाता है और इसे आमतौर पर 7 से 10 दिनों तक लिया जाता है।

एशियाई सिंह (पैंथेरा लियो पर्सिका)

- एशियाई सिंह (पैंथेरा लियो पर्सिका) भारत की 'बिग कैट' प्रजातियों में से एक है। यह अफ्रीकी सिंह से छोटा होता है, इसकी गर्दन के बाल (मेन) कम विकसित होते हैं और कान साफ दिखाई देते हैं, साथ ही इसके पेट के निचले हिस्से पर त्वचा की एक अलग तरह की परत (फोल्ड) होती है।
- **वितरण:** भारत में, ये मुख्य रूप से गुजरात राज्य में गिर वन और उसके आस-पास के इलाकों में पाए जाते हैं, जैसे कि - गिर नेशनल पार्क और वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी, पानिया वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी, मिटियाला वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी, बरडा वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी।
- **संरक्षण की स्थिति:**
  - IUCN रेड लिस्ट की स्थिति: लुप्तप्राय (Endangered)
  - CITES: अपेंडिक्स I
  - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची I

8

समाज

वृद्ध होती भारत की जनसंख्या में वरिष्ठ नागरिक देखभाल प्रणाली

भारत की तीव्र गति से वृद्ध होती जनसंख्या उसकी अस्पताल-केंद्रित स्वास्थ्य व्यवस्था की सीमाओं को उजागर कर रही है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सुदृढ़ दीर्घकालिक देखभाल व्यवस्था विकसित करने की तत्काल आवश्यकता उत्पन्न हुई है।

वरिष्ठ नागरिक देखभाल प्रणाली की आवश्यकता

- संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) भारत वृद्धावस्था प्रतिवेदन, 2023 के अनुसार, भारत की वृद्ध जनसंख्या लगभग 14.9 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2050 तक लगभग 34.7 करोड़ हो जाएगी। अर्थात प्रत्येक पाँच भारतीयों में से एक की आयु 60 वर्ष से अधिक होगी।
- नीति आयोग की वर्ष 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के 75% से अधिक वृद्धजन कम-से-कम एक दीर्घकालिक रोग से पीड़ित हैं, जबकि केवल 18% के पास स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध है।
- वृद्ध नागरिकों में प्राय: एक साथ अनेक रोग, जैसे- उच्च रक्तचाप, मधुमेह, गठिया तथा पार्किंसन रोग पाए जाते हैं। इन स्वास्थ्य स्थितियों के लिए निरंतर देखभाल, नियमित निगरानी, पुनर्वास तथा समन्वित उपचार की आवश्यकता होती है, जो केवल अस्पतालों के माध्यम से सम्भव नहीं है।
- शहरीकरण तथा एकल परिवारों की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण वृद्धजनों के लिए पारम्परिक पारिवारिक सहयोग प्रणाली कमजोर हो रही है।

जराचिकित्सा देखभाल (Geriatric Care) का महत्त्व

- जराचिकित्सा देखभाल वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक, स्वावलंबी तथा बेहतर जीवन-गुणवत्ता बनाए रखने में सहायता करती है।
- समय पर एवं निरंतर उपचार से जटिलताओं की रोकथाम होती है तथा बार-बार अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता कम होती है।
- वृद्धजनों की उचित देखभाल से दीर्घकालिक रोगों का बेहतर प्रबंधन होता है तथा परिवारों पर बोझ कम पड़ता है।
- सुदृढ़ वरिष्ठ नागरिक देखभाल प्रणाली समाज के संवेदनशील वर्ग की सुरक्षा करते हुए समावेशी विकास को बढ़ावा देती है।

भारत की वरिष्ठ नागरिक देखभाल प्रणाली में संरचनात्मक कमियाँ

- भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था मुख्यत: तीव्र रोगों के उपचार पर केन्द्रित है, जबकि वृद्धजनों को दीर्घकालिक एवं समेकित देखभाल की आवश्यकता होती है।
- 15 करोड़ से अधिक वरिष्ठ नागरिकों की तुलना में भारत में 1,000 से भी कम प्रमाणित जराचिकित्सक उपलब्ध हैं।
- डिमेंशिया, अल्जाइमर रोग तथा अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का अक्सर समय पर निदान नहीं हो पाता।
- द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के शहरों में दवाओं, सहायक उपकरणों तथा पुनर्वास सुविधाओं की कमी रहती है।
- बिखरी हुई डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालियाँ अस्पतालों, चिकित्सालयों तथा गृह-आधारित देखभाल प्रदाताओं के बीच समन्वय को कमजोर करती हैं।
- अत्यधिक व्यक्तिगत स्वास्थ्य व्यय, सीमित पेंशन कवरेज तथा आर्थिक निर्भरता वृद्धजनों की असुरक्षा बढ़ाते हैं।
- वृद्धावस्था के स्त्रीकरण के कारण वृद्ध महिलाओं की संपत्ति कम होने तथा स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच के चलते उनकी संवेदनशीलता अधिक होती है।

सरकारी पहल

- आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिवर्ष ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। वृद्धजनों की स्वास्थ्य देखभाल हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम सुलभ एवं किफायती जराचिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध कराता है।
- अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था आय सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
- राष्ट्रीय वयोश्री योजना दिव्यांग वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराती है।
- वरिष्ठ नागरिक देखभाल वृद्धावस्था विकास इंजन (सेज) पोर्टल वृद्धजनों की देखभाल से जुड़े नवाचारों एवं नवप्रारम्भिक उद्यमों को बढ़ावा देता है।
- माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 माता-पिता के भरण-पोषण को वैधानिक दायित्व बनाता है तथा वृद्धाश्रमों की स्थापना का प्रावधान करता है।

आगे की राह

- भारत को प्रशिक्षित देखभालकर्ताओं, परिचारिकाओं तथा भौतिक चिकित्सा विशेषज्ञों का विकास कर दीर्घकालिक देखभाल प्रणाली को सुदृढ़ करना चाहिए।
- अनावश्यक अस्पताल भर्ती को कम करने के लिए गृह-आधारित एवं सामुदायिक देखभाल प्रणाली का विस्तार किया जाना चाहिए।
- दीर्घकालिक रोगों के प्रबंधन हेतु दूरचिकित्सा एवं दूरस्थ निगरानी प्रणालियों को मजबूत किया जाना चाहिए। वरिष्ठ नागरिक देखभाल सेवाओं को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए ताकि निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हो सकें।
- सहायक प्रौद्योगिकियों तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी उपकरणों को प्रोत्साहित कर सिल्वर इकोनॉमी में नवाचार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- समाज को व्यावसायिक वृद्ध देखभाल को पारिवारिक सहयोग के उत्तरदायी विस्तार के रूप में स्वीकार करना चाहिए।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एडवाइजरी

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण एवं संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए 11 मंत्रालयों, भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, तथा सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी दूसरी एडवाइजरी जारी की है।

एडवाइजरी की आवश्यकता

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपने निरंतर संवाद के माध्यम से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के समक्ष विद्यमान अनेक स्थायी एवं उभरती चुनौतियों की पहचान की।
- जनगणना 2011 के अनुसार, भारत में लगभग 4.87 लाख व्यक्तियों ने स्वयं को 'अन्य' लिंग श्रेणी में दर्ज कराया। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास तथा वैधानिक अधिकारों में बहिष्करण का सामना करना पड़ता है। उनकी साक्षरता दर केवल 56.07% है, जो राष्ट्रीय औसत 74.04% से काफी कम है। केवल लगभग 6% ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को औपचारिक रोजगार प्राप्त है, जो उनकी गंभीर आर्थिक उपेक्षा को दर्शाता है।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के समक्ष चुनौतियाँ

- सामाजिक भेदभाव के कारण उन्हें परिवार एवं समुदाय से बहिष्कृत किया जाता है। विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में उत्पीड़न और हिंसा के कारण अनेक विद्यार्थी शिक्षा बीच में छोड़ देते हैं।
- रोजगार में भेदभाव के कारण अनेक लोग भीख माँगने अथवा यौन कार्य जैसे असुरक्षित एवं अनौपचारिक क्षेत्रों में जाने को विवश होते हैं।
- स्वास्थ्य सेवाओं में बहिष्करण के कारण लिंग-पुष्टि उपचार, हार्मोन चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा जैसी सेवाओं तक उनकी पहुँच सीमित रहती है।
- सार्वजनिक एवं निजी दोनों स्थानों पर हिंसा और दुर्व्यवहार की घटनाएँ सामान्य हैं।
- राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अभाव नीति-निर्माण में उनकी भागीदारी को सीमित करता है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की प्रमुख अनुशंसाएँ

- आगामी भारत की जनगणना में इंटरसेक्स, ट्रांसमैन तथा ट्रांसवुमन जैसी पृथक श्रेणियों को सम्मिलित किया जाए। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम तथा उत्तराधिकार संबंधी विधियों की समीक्षा कर स्व-पहचाने गए लिंग को मान्यता दी जाए।
- ट्रांसजेंडर एवं इंटरसेक्स व्यक्तियों को समान उत्तराधिकार, संपत्ति, आवास तथा स्वामित्व अधिकार सुनिश्चित किए जाएँ।
- शैक्षणिक संस्थान बिना किसी चिकित्सीय प्रमाण के स्व-पहचाने गए लिंग के आधार पर प्रवेश दें तथा लिंग-निरपेक्ष सुविधाएँ उपलब्ध कराएँ।
- लिंग-पुष्टि उपचार के लिए नैतिक चिकित्सीय प्रोटोकॉल बनाए जाएँ तथा शल्य चिकित्सा की लागत का विनियमन किया जाए। जीवन-रक्षक परिस्थितियों को छोड़कर इंटरसेक्स बच्चों पर उनकी सहमति के बिना चिकित्सीय प्रक्रियाएँ न की जाएँ।
- कार्यस्थलों पर लिंग-निरपेक्ष सुविधाएँ, मानव संसाधन नीतियाँ, शिकायत निवारण तंत्र तथा विविधता प्रकटीकरण सुनिश्चित किए जाएँ।
- भेदभाव अथवा हिंसा का सामना करने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए विधिक सहायता प्रकोष्ठ, सहायता दूरभाष तथा शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किए जाएँ।

वैधानिक एवं संवैधानिक स्थिति

- एलजीबीटीक्यूआईए+ विविध लैंगिक पहचानों एवं यौन अभिविन्यासों को सम्मिलित करने वाला व्यापक शब्द है।
- नालसा बनाम भारत संघ (2014) में उच्चतम न्यायालय ने स्व-पहचाने गए लिंग के अधिकार को मान्यता दी तथा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तृतीय लिंग के रूप में स्वीकार किया।
- नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 377 के अंतर्गत सहमति से बने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया।
- अनुच्छेद 14, 15 एवं 21 समानता, भेदभाव-निषेध तथा गरिमामय जीवन का अधिकार प्रदान करते हैं।
- ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को वैधानिक मान्यता एवं संरक्षण प्रदान करता है।

सरकारी पहल

- राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्ति पोर्टल (2020) ऑनलाइन पहचान प्रमाणपत्र तथा कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच उपलब्ध कराता है।
- स्माइल योजना (2022) के अंतर्गत गरिमा गृह तथा आयुष्मान भारत टीजी प्लस के माध्यम से आजीविका, आश्रय एवं स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जाती है।
- राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्ति परिषद ट्रांसजेंडर अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कार्य करती है।

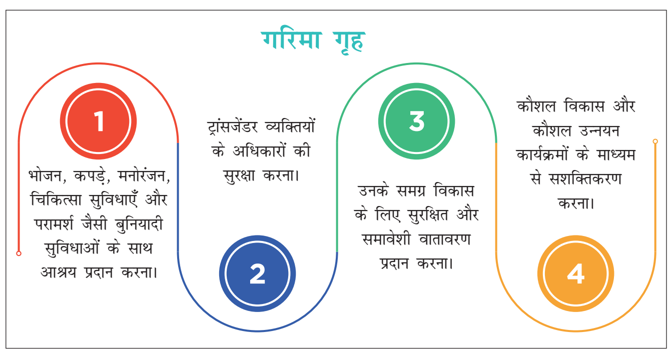

आगे की राह

- भारत को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए वैधानिक मान्यता, सामाजिक समावेशन, समान अवसर तथा कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच को और सुदृढ़ करना चाहिए।
- उनकी गरिमा, स्वायत्तता तथा न्याय सुनिश्चित करना भारत की लोकतांत्रिक एवं मानवाधिकार संबंधी प्रतिबद्धताओं के लिए अत्यंत आवश्यक है।

भारत में यातायात दुर्घटनाएँ

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के अनुसार, वर्ष 2024 में भारत में लगभग 1.99 लाख लोगों की मृत्यु यातायात दुर्घटनाओं में हुई, अर्थात प्रतिदिन औसतन 546 लोगों की जान गई। इनमें से लगभग 88% मृत्यु सड़क दुर्घटनाओं के कारण हुई, जिससे ये भारत में आकस्मिक मृत्यु के प्रमुख कारणों में शामिल हैं।

प्रमुख निष्कर्ष

- यातायात दुर्घटनाओं में सड़क दुर्घटनाएँ, रेल दुर्घटनाएँ, रेल फाटक दुर्घटनाएँ तथा रेलवे पटरियों अथवा परिसरों में होने वाली दुर्घटनाएँ सम्मिलित हैं।
- केवल सड़क दुर्घटनाओं के कारण लगभग 1.75 लाख लोगों की मृत्यु हुई।
- वर्ष 2024 में भारत की कुल आकस्मिक मृत्यु में यातायात दुर्घटनाओं की हिस्सेदारी लगभग 42.6% रही।
- उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में सर्वाधिक मृत्यु दर्ज की गई।
- सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत्यु दोपहिया वाहन चालकों की हुई, इसके बाद पैदल यात्रियों तथा कार सवारों का स्थान रहा।
- अत्यधिक गति के कारण लगभग 58% सड़क दुर्घटना मृत्यु हुई और यह मृत्यु का सबसे बड़ा कारण रहा।
- राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़क नेटवर्क का छोटा हिस्सा होने के बावजूद, दुर्घटनाओं के बड़े अनुपात के लिए उत्तरदायी रहे।
- सड़क दुर्घटनाओं के कारण भारत को सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3.14% सामाजिक-आर्थिक नुकसान होता है।

प्रमुख कारण

- अत्यधिक गति, लापरवाही से वाहन चलाना, मद्यपान के बाद वाहन चलाना तथा वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग प्रमुख कारण हैं।
- खराब सड़क अवसंरचना, गड्ढे, अपर्याप्त प्रकाश व्यवस्था तथा असुरक्षित सड़क अभिकल्प दुर्घटना जोखिम बढ़ाते हैं।
- यातायात नियमों के कमजोर प्रवर्तन से सुरक्षा नियमों का पालन कम होता है।
- तीव्र मोटरीकरण एवं यातायात जाम ने परिवहन अवसंरचना पर दबाव बढ़ाया है।
- कमजोर आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली तथा अपर्याप्त आघात चिकित्सा के कारण दुर्घटना के बाद मृत्यु दर बढ़ जाती है।

सरकारी पहल

- मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से यातायात नियमों के उल्लंघन पर कठोर दण्ड का प्रावधान किया गया।
- आईरैड तथा ईडार प्रणालियाँ वास्तविक समय में दुर्घटना प्रतिवेदन एवं विश्लेषण हेतु प्रारम्भ की गईं।
- दुर्घटना पीड़ितों के लिए गुड समैरिटन पुरस्कार, शीघ्र मुआवजा तथा सरल बीमा प्रक्रिया जैसी पहलें प्रारम्भ की गईं। भारत एनसीएपी सुरक्षित वाहनों के निर्माण को सुरक्षा मूल्यांकन के माध्यम से प्रोत्साहित करता है।
- दुर्घटना-प्रवण स्थलों का सुधार, सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा तथा आईरास्टे जैसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परियोजनाएँ दुर्घटना रोकथाम में सहायक हैं।
- भारत ब्रासीलिया घोषणा का हस्ताक्षरकर्ता है तथा सतत विकास लक्ष्य 3.6 के अंतर्गत सड़क दुर्घटना मृत्यु कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

आगे की राह

- गति सीमा, हेलमेट, सीट बेल्ट तथा मद्यपान के बाद वाहन चलाने संबंधी नियमों का कठोर पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- वैज्ञानिक सड़क अभिकल्प, सुरक्षित राजमार्ग तथा दुर्घटना-प्रवण स्थलों को प्राथमिकता के आधार पर सुधारा जाना चाहिए।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित यातायात प्रबंधन तथा डिजिटल प्रवर्तन प्रणालियों का देशभर में विस्तार किया जाना चाहिए।
- बेहतर आघात चिकित्सा, एम्बुलेंस सेवाएँ तथा आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली विकसित कर मृत्यु दर कम की जानी चाहिए।
- सड़क सुरक्षा जागरूकता एवं उत्तरदायी वाहन संचालन के माध्यम से दीर्घकालिक व्यवहार परिवर्तन को भी समान महत्त्व दिया जाना चाहिए।

यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाएँ और मौतें

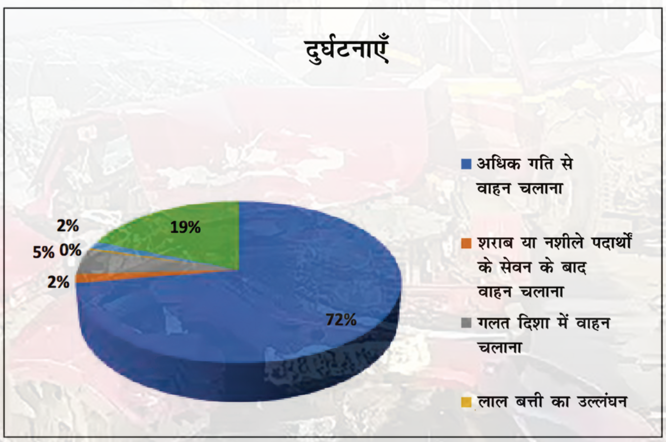

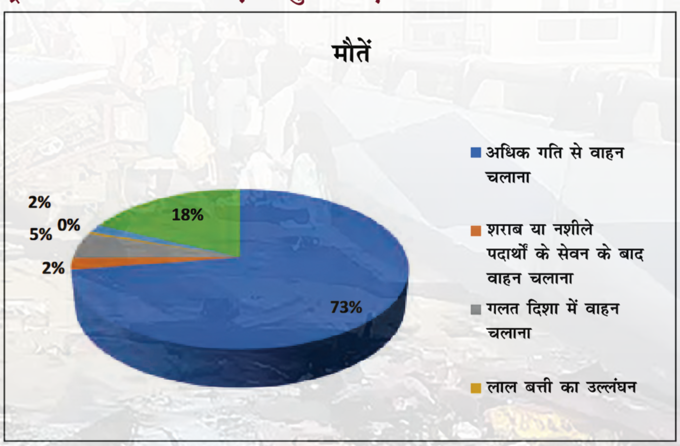

9 संस्कृति एवं इतिहास

कोमागाटा मारू घटना (1914)

हाल ही में एक पंजाबी गायक ने अपने कनाडा में आयोजित पूर्णतः भरे हुए संगीत कार्यक्रम की तुलना 1914 की कोमागाटा मारू घटना से करते हुए यह दर्शाया कि भारतीयों के प्रति वैश्विक दृष्टिकोण में कितना परिवर्तन आया है।

परिचय

- वर्ष 1914 में गुरदित सिंह संधू ने एक जापानी भापपोत कोमागाटा मारू (जिसे गुरु नानक जहाज भी कहा जाता है) को किराये पर लिया।
- इस जहाज में पंजाब के 376 यात्री सवार थे, जिनमें अधिकांश सिख तथा कुछ मुस्लिम एवं हिन्दू थे। ये लोग ऋणग्रस्तता और अकाल से बचकर कनाडा में बेहतर जीवन की तलाश में जा रहे थे।
    - यद्यपि भारत और कनाडा दोनों ही ब्रिटिश शासन के अधीन थे, फिर भी इस जहाज को वैंकूवर में प्रवेश से रोक दिया गया। कनाडा ने सतत यात्रा विनियम, 1908 लागू किया था, जिसके अनुसार प्रवासियों को अपने मूल देश से बिना किसी पड़ाव के सीधे यात्रा करके आना आवश्यक था।
    - चूँकि भारत से ऐसी यात्रा लगभग असंभव थी, इसलिए यह नियम 1907 के वैंकूवर दंगों के बाद एशियाई लोगों के प्रति भेदभावपूर्ण भावना से प्रेरित एक अप्रत्यक्ष प्रतिबंध बन गया। केवल 24 यात्रियों को उतरने की अनुमति दी गई।
- एक स्थानीय तटीय समिति ने न्यायालय में कानूनी संघर्ष किया, किन्तु न्यायालय ने प्रतिबंध को वैध ठहराया। अधिकारियों ने जहाज पर सवार लोगों को पर्याप्त भोजन एवं पेयजल उपलब्ध नहीं कराया और अंततः नौसैनिक सुरक्षा में जहाज को वापस भेज दिया।
- **बजबज त्रासदी:** सितम्बर 1914 में भारत लौटने पर जहाज को कोलकाता के निकट बजबज में रोका गया। ब्रिटिश सैनिकों ने यात्रियों को बलपूर्वक पंजाब जाने वाली रेलगाड़ी में बैठाने का प्रयास किया।
- विरोध होने पर दंगा भड़क गया, जिसमें सैनिकों ने गोली चला दी और 20 लोगों की मृत्यु हो गई। गुरदित सिंह वहाँ से बच निकले, किन्तु बाद में महात्मा गाँधी की सलाह पर आत्मसमर्पण किया और उन्हें पाँच वर्ष का कारावास भुगतना पड़ा।
- **ऐतिहासिक प्रभाव:**
    - इस घटना ने ब्रिटिश साम्राज्य के दोहरे मापदण्डों को उजागर किया। एक ओर भारतीयों से प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के लिए लड़ने की अपेक्षा की जाती थी, वहीं दूसरी ओर उन्हें ब्रिटिश प्रजा होने के अधिकारों से वंचित रखा गया।
    - इस अपमान ने गदर पार्टी जैसे क्रांतिकारी संगठनों को नई ऊर्जा प्रदान की तथा उनका ध्यान सुधारों की माँग से हटकर सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने पर केन्द्रित हो गया।
- वर्ष 2016 में कनाडा के प्रधानमंत्री ने इस त्रासदी के लिए औपचारिक क्षमा-याचना की और इसे भारत-कनाडा संबंधों के इतिहास की एक निर्णायक घटना बताया।

तात्या टोपे

हाल ही में वर्ष 1857 का तात्या टोपे द्वारा हस्तलिखित एवं हस्ताक्षरित एक दुर्लभ पत्र मध्य प्रदेश के अभिलेखागार में प्राप्त हुआ है।

परिचय

- प्रारम्भिक जीवन:तात्या टोपे का जन्म वर्ष 1814 में महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था। उनका वास्तविक नाम रामचन्द्र पांडुरंग टोपे था। उनके पिता मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में उच्च पदस्थ सरदार थे।
- इसी कारण नाना साहब (बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र) से उनका आजीवन घनिष्ठ संबंध बना, जिसने उनके क्रांतिकारी जीवन को गहराई से प्रभावित किया।
- **1857 की क्रांति:** तात्या टोपे 1857 के महान विद्रोह के सबसे प्रतिभाशाली सैन्य नेताओं में से एक थे।
- वे कानपुर और ग्वालियर में प्रतिरोध के प्रमुख नेता थे।
- उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर ब्रिटिश दबाव के विरुद्ध विद्रोह को जीवित रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- **सैन्य प्रतिभा:** वे छापामार युद्ध नीति में अपनी अद्वितीय दक्षता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने तीव्र गति और आकस्मिक आक्रमणों के माध्यम से ब्रिटिश सेना को बार-बार भ्रमित किया। लंबे और कठिन संघर्ष के बाद वे ब्रिटिशों द्वारा पकड़ लिए गए। औपचारिक मुकदमे के पश्चात वर्ष 1859 में शिवपुरी में उन्हें फाँसी दे दी गई।

गिरमिटिया समुदाय

हाल ही में विदेश मंत्री ने जमैका, सूरीनाम तथा त्रिनिदाद और टोबैगो की आधिकारिक यात्रा की। इन देशों का भारत के साथ विशेष एवं गहरा संबंध है क्योंकि यहाँ गिरमिटिया समुदाय निवास करता है।

परिचय

- यह समुदाय उन भारतीय श्रमिकों का है, जिन्हें उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से उत्तरार्द्ध के दौरान विभिन्न ब्रिटिश उपनिवेशों में कार्य करने के लिए भेजा गया था।
- यद्यपि वे प्रारम्भ में रोजगार के उद्देश्य से गए थे, किन्तु बाद में अनेक लोगों ने वहीं स्थायी रूप से बसकर अपना जीवन बनाया।

- “गिरमिटिया” शब्द अंग्रेजी के “एग्रीमेंट” शब्द के स्थानीय उच्चारण से बना है।
- यह उस श्रम अनुबंध को दर्शाता है, जिस पर प्रवास से पहले इन श्रमिकों ने हस्ताक्षर किए थे।
- इन श्रमिकों को मॉरीशस, फिजी, त्रिनिदाद और टोबैगो तथा दक्षिण अफ्रीका सहित अनेक ब्रिटिश उपनिवेशों में भेजा गया।
- इस समुदाय के अधिकांश लोगों की जड़ें बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हैं।
- इसी कारण उनकी सांस्कृतिक विरासत समृद्ध है तथा वे प्रायः भोजपुरी से प्रभावित बोली बोलते हैं।

रवीन्द्रनाथ टैगोर

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पोइला नहीं बल्कि पोचीशे बोइशाख (9 मई, 2026) के अवसर पर गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित की। यह बंगाली पंचांग के अनुसार उनकी जयंती का पारंपरिक दिन है।

परिचय

- **जीवन एवं सम्मानः** रवीन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई, 1861 को कलकत्ता में हुआ था।
- वे बंगाल नवजागरण के प्रमुख बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तित्व थे।
- वर्ष 1913 में उन्हें गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ और वे यह सम्मान पाने वाले प्रथम एशियाई तथा प्रथम गैर-यूरोपीय बने।
- उन्हें स्नेहपूर्वक गुरुदेव, कविगुरु तथा विश्वकवि कहा जाता है।
- **साहित्यिक एवं संगीत संबंधी योगदानः** उन्होंने संदर्भपरक आधुनिकता के माध्यम से भारतीय साहित्य को नई दिशा प्रदान की। उनकी प्रमुख रचनाओं में गोरा और घरे-बाइरे जैसे उपन्यास तथा चोखेर बाली और काबुलीवाला जैसी कहानियाँ शामिल हैं।
- वे विश्व के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दो देशों के राष्ट्रगान की रचना की–
  - जन गण मन (भारत)
  - आमार सोनार बांग्ला (बांग्लादेश)
  - उनका गीत “बांग्लार माटी बांग्लार जल” पश्चिम बंगाल का राजकीय गीत है।
- **राष्ट्रवाद एवं सामाजिक चिंतनः**
  - उन्होंने 1905 के स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया, किन्तु आक्रामक पाश्चात्य राष्ट्रवाद की आलोचना करते हुए सार्वभौमिक मानवतावाद का समर्थन किया।
  - 1919 के जलियाँवाला बाग नरसंहार के विरोध में उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। वर्ष 1921 में उन्होंने शांतिनिकेतन में विश्व-भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति पर आधारित समग्र शिक्षा को बढ़ावा देना था।

सोमनाथ मंदिर

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व दो महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक अवसरों का स्मरण कराता है- 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी के प्रथम दर्ज आक्रमण के 1,000 वर्ष तथा मई 1951 में स्वतंत्रता के बाद मंदिर के पुनः उद्घाटन की 75वीं वर्षगाँठ।

परिचय

- गुजरात के सौराष्ट्र तट पर प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ मंदिर बारह आदि ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है। ऋग्वेद, स्कन्द पुराण तथा भागवत पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में इसे शैव, वैष्णव तथा शाक्त परंपराओं के संगम स्थल के रूप में वर्णित किया गया है।
- परंपरा के अनुसार चन्द्रदेव ने भगवान शिव की आराधना कर अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए इस मंदिर का निर्माण कराया था। “सोमनाथ” का अर्थ है “चन्द्रमा के स्वामी”।
- प्रसिद्ध अरब यात्री **अल-बरूनी** ने भी इस मंदिर की ख्याति का उल्लेख किया है।

स्थापत्य

- वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण चालुक्य शैली (कैलाश महामेरु प्रासाद) में किया गया है। बलुआ पत्थर से निर्मित इस मंदिर का 150 फुट ऊँचा शिखर है, जिसके शीर्ष पर 10 टन वजनी कलश स्थापित है।
- मंदिर परिसर में गर्भगृह, सभा मंडप तथा नृत्य मंडप स्थित हैं। यहाँ स्थित बाण स्तंभ सीधे दक्षिणी ध्रुव की ओर संकेत करता है, जिसके बीच कोई स्थलीय भूभाग नहीं है।

विनाश और पुनर्निर्माण का चक्र

- 11वीं से 18वीं शताब्दी के बीच इस मंदिर को अनेक आक्रमणकारियों, जिनमें पुर्तगाली भी शामिल थे, द्वारा बार-बार नष्ट किया गया।
- इसके पश्चात विभिन्न शासकों ने इसका पुनर्निर्माण कराया–
  - **12वीं शताब्दी** : कुमारपाल।
  - **13वीं शताब्दी** : जूनागढ़ के राजा।
  - **18वीं शताब्दी** : महारानी अहिल्याबाई होल्कर, जिन्होंने निकट ही एक नए मंदिर की प्रतिष्ठा कराई।
- **स्वतंत्रता के बाद पुनर्स्थापन**
  - वर्ष 1947 में सरदार वल्लभभाई पटेल ने मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। यह कार्य वर्ष 1951 में पूर्ण हुआ।
  - 11 मई, 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने मंदिर में प्राण-प्रतिष्ठा संपन्न कराई।
- **आधुनिक पहलः** वर्तमान में मंदिर में त्रिविमीय लेजर प्रौद्योगिकी आधारित प्रकाश एवं ध्वनि प्रदर्शन (वर्ष 2003 से) आयोजित किया जाता है।
  - यहाँ वंदे सोमनाथ कला महोत्सव का आयोजन कर प्राचीन नृत्य परंपराओं को पुनर्जीवित किया जाता है।
  - वर्ष 2018 में इसे स्वच्छता एवं सतत विकास के प्रयासों के लिए “स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थल” घोषित किया गया।

वीर हमीरजी गोहिल

- वीर हमीरजी गोहिल एक क्षेत्रीय योद्धा थे। परंपरा के अनुसार उन्होंने वर्ष 1299 ईस्वी में जफर खाँ के आक्रमण के दौरान सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया।
- उनका स्मरण मुख्यतः स्थानीय परंपराओं एवं सामूहिक लोकस्मृति में सुरक्षित है, न कि आधिकारिक ऐतिहासिक अभिलेखों में।
- उनका जीवन राजधर्म की उस अवधारणा का प्रतीक है, जिसके अनुसार विजय की संभावना कम होने अथवा सीमित सहयोग मिलने पर भी पवित्र स्थलों, समाज तथा सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना शासक का कर्तव्य है।

महाराणा प्रताप

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

परिचय

- **जन्म एवं प्रारम्भिक जीवन:** महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई, 1540 को राजस्थान के कुम्भलगढ़ दुर्ग में हुआ था। वे महाराणा उदय सिंह द्वितीय तथा महारानी जयवंता बाई के ज्येष्ठ पुत्र थे और सिसोदिया राजपूत वंश से संबंधित थे। वर्ष 1572 में वे मेवाड़ के शासक बने।
- **मुगलों के विरुद्ध संघर्ष:** महाराणा प्रताप अपने अटूट देशप्रेम तथा मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इंकार करने के कारण प्रसिद्ध हैं।
- **सैन्य इतिहास:**
  - **हल्दीघाटी का युद्ध (1576):**
    - यह युद्ध राजा मानसिंह प्रथम के नेतृत्व वाली मुगल सेना के विरुद्ध लड़ा गया। संख्या में कम होने के बावजूद महाराणा प्रताप ने अद्वितीय वीरता का परिचय दिया। उनके प्रसिद्ध घोड़े चेतक ने युद्ध के दौरान उनका जीवन बचाया।
    - यद्यपि यह मुगलों की निर्णायक विजय नहीं थी, फिर भी महाराणा प्रताप पहाड़ियों में चले गए और संघर्ष जारी रखा।
  - **दिवेर का युद्ध (1582):** यह युद्ध उनके संघर्ष का एक महत्त्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ। उनकी सेना ने मुगल सेना को निर्णायक रूप से पराजित किया और छापामार युद्ध नीति के माध्यम से मेवाड़ के अधिकांश क्षेत्रों पर पुनः अधिकार स्थापित कर लिया।
- **विरासत:**
  - वे वनों एवं पर्वतों में अत्यंत कठिन जीवन व्यतीत करने के बावजूद कभी भी अपने स्वाभिमान से समझौता न करने के लिए स्मरण किए जाते हैं।
  - ब्रिटिश प्राच्यविद् कर्नल टॉड ने उन्हें "राजस्थान का लियोनिडास" की उपाधि दी थी। 19 जनवरी, 1597 को शिकार के दौरान लगी चोटों के कारण उनका निधन हो गया। वे आज भी त्याग, स्वाभिमान, नेतृत्व तथा राष्ट्रनिष्ठा के अमर प्रतीक माने जाते हैं।

बैगा जनजाति

हाल ही में छत्तीसगढ़ में बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराए गए बच्चे बैगा जनजाति से संबंधित थे।

परिचय

- **परिचय: 'बैगा'** शब्द का अर्थ **'जादूगर-वैद्य'** होता है। बैगा मुख्यतः मध्य प्रदेश में निवास करते हैं, जबकि इनके छोटे समूह छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी पाए जाते हैं। वे बैगानी भाषा बोलते हैं, जो छत्तीसगढ़ी, गोंडी और हिन्दी से प्रभावित एक बोली है। परम्परागत रूप से अर्द्ध-घुमंतू रहे बैगा 'बेवर' (स्थानांतरण कृषि) का अभ्यास करते थे, किन्तु अब वे मुख्यतः वनोपज तथा महुआ वृक्ष पर भोजन एवं मादक पदार्थों के लिए निर्भर हैं।
- उनकी संस्कृति में सहजीवन (विवाह के बिना साथ रहना) प्रचलित है तथा रामतिल के बीज के काजल से गोदना (टैटू) बनाने की विशिष्ट परम्परा है।
- यदि विवाह होता है, तो पुरुष महिला के परिवार को उसकी श्रम-हानि के बदले प्रतिपूर्ति देता है।

विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह (पीवीटीजी)

- वर्ष 1973 में ढेबर आयोग ने आदिम जनजातीय समूह (पीटीजी) के लिए पृथक श्रेणी का गठन करने की अनुशंसा की। वर्ष 1975 में केन्द्र सरकार ने 52 जनजातीय समूहों को पीटीजी के रूप में चिन्हित किया।
  - वर्ष 1993 में इस सूची में 23 और समूह जोड़े गए। बाद में 2006 में इन समूहों को विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह (पीवीटीजी) नाम दिया गया।
  - पीवीटीजी, भारत की जनजातियों में सर्वाधिक संवेदनशील वर्ग माना जाता है।
- **इन समूहों की विशेषताएँ हैं**- आदिम विशेषताएँ, भौगोलिक अलगाव, निम्न साक्षरता, शून्य अथवा ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर तथा सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन।
- ये मुख्यतः भोजन के लिए आखेट पर तथा कृषि-पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी पर निर्भर रहते हैं। भारत की 700 से अधिक जनजातीय समुदायों में से 75 जनजातीय समुदायों को पीवीटीजी के रूप में चिन्हित किया गया है, जो 18 राज्यों तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र में निवास करते हैं।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय के अनुसार, पीवीटीजी की अनुमानित जनसंख्या 45.56 लाख है। पीवीटीजी जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश शीर्ष तीन राज्य हैं।
- विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह (PVTGs)
  - वर्ष 1973 में ढेबर आयोग ने आदिम जनजातीय समूह (पीटीजी) के लिए पृथक श्रेणी का गठन करने की अनुशंसा की।
  - वर्ष 1975 में केन्द्र सरकार ने 52 जनजातीय समूहों को पीटीजी के रूप में चिन्हित किया।
  - वर्ष 1993 में इस सूची में 23 और समूह जोड़े गए। बाद में 2006 में इन समूहों को विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह (पीवीटीजी) नाम दिया गया।

- पीवीटीजी, भारत की जनजातियों में सर्वाधिक संवेदनशील वर्ग माना जाता है।
- इन समूहों की विशेषताएँ हैं– आदिम विशेषताएँ, भौगोलिक अलगाव, निम्न साक्षरता, शून्य अथवा ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर तथा सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन।
- ये मुख्यत: भोजन के लिए आखेट पर तथा कृषि-पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी पर निर्भर रहते हैं।
- भारत की 700 से अधिक जनजातीय समुदायों में से 75 जनजातीय समुदायों को पीवीटीजी के रूप में चिन्हित किया गया है, जो 18 राज्यों तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र में निवास करते हैं।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय के अनुसार, पीवीटीजी की अनुमानित जनसंख्या 45.56 लाख है।
- पीवीटीजी जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश शीर्ष तीन राज्य हैं।

सरदार वल्लभ भाई पटेल

हाल ही में प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगाँठ के अवसर पर सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की।

परिचय

- उनका जन्म 31 अक्टूबर, 1875 को नडियाद में हुआ था। उन्होंने इंग्लैंड में विधि की शिक्षा प्राप्त कर बैरिस्टर बनने के बाद भारत में सफल वकालत प्रारम्भ की।
- **स्वतंत्रता संग्राम:** महात्मा गाँधी से प्रेरित होकर वे स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रमुख नेता बने। उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह (1918) तथा बारडोली सत्याग्रह (1928) का सफल नेतृत्व किया। इन आंदोलनों में उनके उत्कृष्ट नेतृत्व के कारण उन्हें 'सरदार' की उपाधि मिली। वे भारत छोड़ो आन्दोलन (1942) के भी प्रमुख नेताओं में थे।
- **स्वतंत्रता के बाद की भूमिका:** वर्ष 1947 में वे भारत के प्रथम उपप्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री बने। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि 560 से अधिक देशी रियासतों का भारतीय संघ में शांतिपूर्ण विलय थी। उन्होंने देश की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में भी महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।
- **निधन एवं विरासत:** उनका निधन 15 दिसम्बर, 1950 को हुआ। 'भारत के लौह पुरुष' के रूप में विख्यात सरदार पटेल का सम्मान विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के माध्यम से भी किया जाता है। वे राष्ट्रीय एकता, शक्ति और समर्पण के प्रतीक माने जाते हैं।

भोजशाला परिसर

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने धार स्थित भोजशाला-कमाल मौला परिसर को देवी वाग्देवी (सरस्वती) का मंदिर घोषित किया।

परिचय

- इस परिसर की स्थापना परमार वंश के राजा भोज ने लगभग 1000–1055 ई. के बीच कराई थी। यह देवी सरस्वती को समर्पित संस्कृत शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र था।
- बाद में मुस्लिम शासन के दौरान इसे कमाल मौला मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। वर्तमान संरचना में मूल मंदिर के नक्काशीदार स्तम्भ, छतें तथा अभिलेख आज भी सुरक्षित हैं।

ऐतिहासिक महत्त्व

- इस स्थल पर सर्पबन्ध अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें संस्कृत वर्णमाला, व्याकरण, काल तथा वाच्य का वर्णन है।
- यहाँ विष्णु की स्तुतियाँ, परमार राजाओं की प्रशस्तियाँ तथा संस्कृत नाटक 'कर्पूरमंजरी' के अंश भी उपलब्ध हैं।
- यहाँ कूर्म अवतार को समर्पित प्राकृत स्तुतियाँ भी संरक्षित हैं।
- यहाँ से प्राप्त देवी सरस्वती (वाग्देवी) की प्रतिमा वर्तमान में ब्रिटिश संग्रहालय, लंदन में सुरक्षित है।
- इम्पीरियल गजेटियर (1908) के अनुसार, इस मस्जिद का निर्माण एक प्राचीन हिन्दू मंदिर के अवशेषों का उपयोग करके किया गया था।

उच्च न्यायालय का निर्णय

- न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के वर्ष 2003 के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें साझा पूजा की अनुमति दी गई थी। न्यायालय ने कहा कि इस स्थल पर पूजास्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 लागू नहीं होता।
- इसका कारण यह है कि इस अधिनियम की धारा 4(3) के अनुसार प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्त्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत संरक्षित स्मारक इससे अपवाद हैं। न्यायालय ने 1935 के घोषणा को भी अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उससे संबंधित विधि वर्ष 1937 में लागू हुई थी।
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह मामला अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत दायर रिट याचिका है, न कि बाबरी मस्जिद शीर्षक विवाद जैसा वाद।
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को परिसर के संरक्षण, प्रबन्धन तथा पूजा-व्यवस्था के विनियमन का पूर्ण अधिकार दिया गया। राज्य सरकार को धार में मस्जिद के लिए वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने पर विचार करने का निर्देश भी दिया गया।

वीरा पासी

हाल ही में 1857 के विद्रोह के एक "विस्मृत नायक" के रूप में स्मरण किए जाने वाले वीरा पासी की प्रतिमा का अनावरण उत्तर प्रदेश के रायबरेली में किया गया।

परिचय

- वीरा पासी (जन्म नाम शिवदीन पासी) पासी समुदाय के एक दलित स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 11 नवम्बर, 1835 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के लोधवारी गाँव में हुआ था।

- उन्होंने कम आयु में ही अपने माता-पिता को खो दिया और बाद में अपनी बहन के परिवार के साथ रहने लगे। स्थानीय बोली में बहन के परिवार के साथ रहने वाले पुरुष को "वीरना" कहा जाता था, जो आगे चलकर वीरा बन गया।
- वे अवध के शंकरपुर एस्टेट के शासक राणा बेनी माधव बख्श सिंह के विश्वसनीय सेनानायक और निष्ठावान सहयोगी बने।

1857 के विद्रोह में भूमिका

- वीरा पासी ने अवध क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सक्रिय रूप से संघर्ष किया।
- स्थानीय लोककथाओं के अनुसार, उन्होंने ब्रिटिशों द्वारा पकड़े जाने के बाद राणा बेनी माधव को मुक्त कराया।
- उनका प्रतिरोध इतना प्रभावशाली था कि ब्रिटिश सरकार ने उनके बारे में सूचना देने पर ₹50,000 के पुरस्कार की घोषणा की।
- मौखिक परम्पराओं के अनुसार, बाद में राणा बेनी माधव की रक्षा करते हुए उनका निधन हो गया।
- उनके योगदान को मुख्यधारा के इतिहास में पर्याप्त स्थान नहीं मिला। उनकी विरासत मुख्यत: लोकगीतों, मौखिक परम्पराओं और सामुदायिक स्मृति के माध्यम से संरक्षित रही।

पद्म पुरस्कार

भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित प्रथम नागरिक अलंकरण समारोह में 66 विभूतियों को पद्म पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया। वर्ष 2026 के लिए कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी गई, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण तथा 113 पद्म श्री शामिल हैं।

परिचय

- वर्ष 1954 में प्रारम्भ किए गए ये भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। वर्ष 1955 में इन्हें तीन श्रेणियों में पुनर्गठित किया गया:
  - पद्म विभूषण – असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए (भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान)।
  - पद्म भूषण – उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए।
  - पद्म श्री – किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए।
  - ये पुरस्कार कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, खेल, व्यापार तथा लोक सेवा जैसे क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं।
  - प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इनकी घोषणा की जाती है तथा राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप से प्रदान किए जाते हैं।

पात्रता एवं नियम

- ये सभी व्यक्तियों के लिए खुले हैं, जिनमें विदेशी नागरिक, अनिवासी भारतीय तथा भारत के प्रवासी नागरिक भी शामिल हैं, चाहे उनकी जाति, व्यवसाय या लिंग कुछ भी हो। ये मरणोपरान्त भी प्रदान किए जा सकते हैं।
- सरकारी सेवक (चिकित्सकों एवं वैज्ञानिकों को छोड़कर) सेवा में रहते हुए इनके पात्र नहीं होते। पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति अपने नाम के पहले या बाद में पद्म सम्मान का प्रयोग उपाधि के रूप में नहीं कर सकते।

चयन प्रक्रिया

- अनुशंसाएँ राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों, पूर्व पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं तथा आम जनता से प्राप्त होती हैं। पद्म पुरस्कार समिति का गठन प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है।
- समिति आजीवन उपलब्धियों, लोक सेवा तथा उत्कृष्टता के आधार पर पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन करती है। अन्तिम स्वीकृति प्रधानमंत्री तथा भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की जाती है।

संवैधानिक एवं न्यायिक पक्ष

- अनुच्छेद 18(1) के अन्तर्गत उपाधियों का उन्मूलन किया गया है, किन्तु पद्म पुरस्कारों को उपाधि नहीं माना जाता।
- बलाजी राघवन बनाम भारत संघ (1996) में उच्चतम न्यायालय ने इनकी संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।

अलगोजा

राजस्थान के जैसलमेर के टागा राम भील को अलगोजा के माध्यम से थार मरुस्थल के पारम्परिक लोकसंगीत के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पद्म श्री 2026 से सम्मानित किया गया।

परिचय

- अलगोजा राजस्थान, पंजाब, सिंध तथा भारत और पाकिस्तान के पश्चिमी भागों से संबंधित एक पारम्परिक लोक वाद्य है।
- इसे भारत के सबसे प्राचीन जीवित लोक वाद्यों में से एक माना जाता है। 'अलगोजा' का अर्थ 'दो बाँसुरियाँ' है, क्योंकि इसमें लकड़ी की दो नलिकाएँ होती हैं जिन्हें एक साथ बजाया जाता है।
- इसे कैसे बजाया जाता है?
- एक नलिका मुख्य धुन उत्पन्न करती है। दूसरी नलिका निरन्तर आधार स्वर अथवा लय प्रदान करती है। दोनों मिलकर मरुस्थलीय संगीत की विशिष्ट, बहुस्तरीय और सम्मोहक ध्वनि उत्पन्न करती हैं।
- इसे चक्रीय श्वसन तकनीक से बजाया जाता है, जो बिना रुकावट वायु प्रवाह बनाए रखने की कठिन विधि है।
- प्रत्येक ताल पर तीव्र गति से श्वास लेने की प्रक्रिया इसकी झूले जैसी विशिष्ट लय उत्पन्न करती है।

सांस्कृतिक महत्त्व

- **इसे प्राय:** थार मरुस्थल के संगीत की आत्मा कहा जाता है। परम्परागत रूप से इसका उपयोग उत्सवों, विवाहों, लोककथा-वाचन तथा धार्मिक आयोजनों में किया जाता है।

10 विविध

पंचायत उन्नयन सूचकांक (PAI) 2.0 रिपोर्ट

24 अप्रैल, 2026 को पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत उन्नयन सूचकांक (PAI) 2.0 प्रतिवेदन (वित्तीय वर्ष 2023-24) जारी किया, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में ग्रामीण प्रगति का आकलन करना है।

PAI 2.0 का परिचय

- पीएआई 2.0 विश्व का पहला राष्ट्रव्यापी, आँकड़ा-आधारित ढाँचा है, जो 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों का आकलन करता है। यह वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को स्वास्थ्य, जल तथा महिला सशक्तीकरण सहित नौ स्थानीय विषयों में रूपांतरित करता है।
- **आकलन ढाँचा:** यह प्रणाली राष्ट्रीय संकेतक ढाँचे से संबद्ध 150 संकेतकों तथा 230 आँकड़ा बिंदुओं का उपयोग करती है। आँकड़े विभिन्न मंत्रालयों के पोर्टलों से स्वतः प्राप्त किए जाते हैं तथा उनकी शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभा द्वारा सत्यापन किया जाता है।
- **प्रदर्शन श्रेणीकरण:** पंचायतों को 0 से 100 तक अंक प्रदान किए जाते हैं तथा उन्हें पाँच श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है-
  - **अचीवर (A+)** : 90 या उससे अधिक
  - **फ्रंट रनर (A)** : 75-89
  - **परफॉर्मर (B)** : 60-74
  - **आकांक्षी (C)** : 40-59
  - **प्रारम्भिक (D)** : 40 से कम
- **प्रमुख बिंदु:**
  - 33 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में 97.3 प्रतिशत सहभागिता दर्ज की गई।
  - 3,635 पंचायतें फ्रंट रनर श्रेणी तक पहुँचीं, जबकि कोई भी पंचायत अचीवर श्रेणी में नहीं पहुँच सकी।
  - त्रिपुरा राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान पर रहा, इसके बाद केरल और ओडिशा का स्थान रहा।
  - गरीबी-मुक्त आजीविका तथा स्वस्थ पंचायतें सर्वाधिक सशक्त विषय रहे।
- **प्रभाव:** यह सूचकांक पंचायत अधिगम केन्द्रों की पहचान करता है, ताकि उनके सफल अनुभवों को अन्य पंचायतों में अपनाया जा सके। यह संसाधनों के आवंटन तथा ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) के निर्माण का भी मार्गदर्शन करता है।

विषयगत रूपरेखा

PAI निम्नलिखित नौ LSDG विषयों के आधार पर ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत के समकक्ष इकाइयों के प्रदर्शन का आकलन करता है:

विषय 1	विषय 2	विषय 3	विषय 4	विषय 5	विषय 6	विषय 7	विषय 8	विषय 9
गरीबी मुक्त और बेहतर आजीविका वाली पंचायत	स्वस्थ पंचायत	बाल-अनुकूल पंचायत	पर्याप्त जल वाली पंचायत	स्वच्छ और हरित पंचायत	आत्मनिर्भर आधारभूत संरचना वाली पंचायत	सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण और सामाजिक सुरक्षा वाली पंचायत	सुशासन वाली पंचायत	महिला-अनुकूल पंचायत

पुलित्जर पुरस्कार, 2026

भारतीय पत्रकार आनंद आर.के. तथा सुपर्णा शर्मा, साथ ही नैटली ओबिको पियर्सन को वर्ष 2026 के पुलित्जर पुरस्कार से चित्रित प्रतिवेदन एवं टिप्पणी श्रेणी में सम्मानित किया गया। उनकी ब्लूमबर्ग परियोजना 'ट्रैप्ड' को भारत में डिजिटल गिरफ्तारी तथा साइबर धोखाधड़ी को दृश्य कथन के माध्यम से प्रभावशाली ढंग से उजागर करने के लिए सराहा गया।

परियोजना

- 'ट्रैप्ड' एक भारतीय तंत्रिका रोग विशेषज्ञ की कहानी प्रस्तुत करती है, जिसे साइबर अपराधियों ने दूरभाष-आधारित निगरानी एवं धमकी का शिकार बनाया।
- यह प्रौद्योगिकी-आधारित अपराधों, ऑनलाइन धोखाधड़ी तथा जटिल सामाजिक मुद्दों को सरल रूप में प्रस्तुत करने में चित्रात्मक कथन की प्रभावशीलता को रेखांकित करती है।

पुरस्कार

- इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1917 में जोसेफ पुलित्जर के सम्मान में की गई थी।इसका संचालन कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है। यह पत्रकारिता, साहित्य तथा संगीत की 23 श्रेणियों में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। 22 श्रेणियों के विजेताओं को प्रमाणपत्र तथा 15,000 अमेरिकी डॉलर प्रदान किए जाते हैं, जबकि केवल लोक सेवा श्रेणी के विजेता को स्वर्ण पदक दिया जाता है।
- **पूर्व भारतीय विजेता:**
  - **गोबिंद बिहारी लाल (1937):** पत्रकारिता में पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय; गदर पार्टी के सदस्य।
  - **सिद्धार्थ मुखर्जी:** द एम्परर ऑफ ऑल मैलडीज के लिए सामान्य गैर-कथा साहित्य श्रेणी में सम्मानित।
  - **दानिश सिद्दीकी:** छायाचित्रण के लिए दो बार सम्मानित (वर्ष 2018 में रोहिंग्या संकट तथा 2020 में कोविड-19 कवरेज के लिए)।

विश्व प्रवासन प्रतिवेदन, 2026

अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM) ने 5 मई, 2026 को अपना 13वाँ द्विवार्षिक विश्व प्रवासन प्रतिवेदन जारी किया। प्रतिवेदन के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के प्रवासन गलियारे अब विश्व के शीर्ष 10 प्रवासन गलियारों में शामिल हैं।

वैश्विक रुझान

- वर्ष 2024 के मध्य तक अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या 30.4 करोड़ (वैश्विक जनसंख्या का 3.7 प्रतिशत) हो गई। यद्यपि मेक्सिको-संयुक्त

राज्य अमेरिका प्रवासन गलियारा (1.1 करोड़) सबसे बड़ा बना हुआ है, भारत के दो प्रवासन गलियारे शीर्ष 10 में शामिल हैं।

- **भारत-संयुक्त अरब अमीरात (पाँचवाँ स्थान):**
  - यहाँ 30 लाख से अधिक भारतीय निवास करते हैं।
  - संयुक्त अरब अमीरात की 74 प्रतिशत जनसंख्या प्रवासियों की है।
  - यह प्रवासन मुख्यत: निर्माण तथा सेवा क्षेत्र पर आधारित है।
- **भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका (छठा स्थान):**
  - यहाँ 32 लाख भारतीय प्रवासी रहते हैं।
  - भारतीय वहाँ का दूसरा सबसे बड़ा विदेशी मूल का समुदाय हैं।
  - यह प्रवासन मुख्यत: सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों, विद्यार्थियों तथा स्वास्थ्य अनुसंधानकर्ताओं द्वारा संचालित है।

आर्थिक प्रभाव

- वर्ष 2024 में वैश्विक प्रेषण 905 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है। 137.7 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त कर भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश बना रहा।
- ये प्रेषण अब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विकास सहायता की संयुक्त राशि से भी अधिक हैं तथा लाभार्थी परिवारों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा में उल्लेखनीय सुधार ला रहे हैं।

चुनौतियाँ एवं विस्थापन

- प्रतिवेदन में राजनीति में प्रवासन के हथियारीकरण तथा वैध प्रवासन मार्गों के सीमित होने पर चिंता व्यक्त की गई है।
- वर्ष 2024 के अंत तक 12 करोड़ से अधिक लोग जबरन विस्थापित हुए, जिनमें से 8.34 करोड़ अपने ही देशों के भीतर विस्थापित थे। इसका प्रमुख कारण सूडान, गाजा तथा यूक्रेन जैसे क्षेत्रों में जारी संघर्ष रहे।

राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, 2026

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, 2026 प्रदान किए।

परिचय

- यह नर्सिंग पेशेवरों के लिए भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है, जो उनकी असाधारण करुणा एवं समर्पण को मान्यता प्रदान करता है।
- इन पुरस्कारों की स्थापना वर्ष 1973 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के अवसर पर प्रदान किए जाते हैं।
  - कुल 15 पुरस्कार निम्नलिखित तीन श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं–
  - पंजीकृत नर्स एवं प्रसूति सेविका।
  - सहायक नर्स एवं प्रसूति सेविका।
  - महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षिका।
- सरकारी, निजी अथवा स्वैच्छिक क्षेत्र से चयनित विजेताओं को प्रशस्ति-पत्र, पदक तथा नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

फ्लोरेंस नाइटिंगेल (1820-1910)

- उन्हें "लेडी विथ दी लैंप" के नाम से जाना जाता है। वे एक ब्रिटिश समाज सुधारक तथा आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक थीं।
- **योगदान:**
  - क्रीमिया युद्ध के दौरान उन्होंने स्वच्छता एवं सफाई व्यवस्था में सुधार करके मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी लाई।
  - वे सांख्यिकी के क्षेत्र में अग्रणी थीं तथा रोके जा सकने वाले मृत्यु-कारणों को दर्शाने के लिए कॉक्सकॉम्ब आरेख विकसित किया।
  - उन्होंने वर्ष 1860 में लंदन में विश्व का पहला धर्मनिरपेक्ष नर्सिंग विद्यालय स्थापित किया तथा नोट्स ऑन नर्सिंग नामक पुस्तक लिखी, जो आज भी नर्सिंग पेशे की आधारभूत कृतियों में गिनी जाती है।

अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, 2026

ताइवान ट्रैवलॉग को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, 2026 से सम्मानित किया गया। यह मंदारिन चीनी से अनूदित पहला उपन्यास है, जिसे यह पुरस्कार प्राप्त हुआ।

विजेता पुस्तक का परिचय

- इस उपन्यास की लेखिका यांग शुआंग-जी हैं।इसका अंग्रेजी अनुवाद लिन किंग ने किया है। यह पुस्तक निषिद्ध प्रेम, पहचान तथा खाद्य संस्कृति जैसे विषयों का अन्वेषण करती है।

अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार

- यह पुरस्कार प्रतिवर्ष ऐसी कथा-कृति को प्रदान किया जाता है, जो मूल रूप से अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में लिखी गई हो। यह उपन्यास अथवा लघुकथाओं का संग्रह हो सकता है।
- कृति का अंग्रेजी में अनुवाद होना तथा उसका यूनाइटेड किंगडम अथवा आयरलैंड में प्रकाशित होना आवश्यक है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2005 में मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में हुई थी।
- प्रारम्भ में यह किसी लेखक के आजीवन साहित्यिक योगदान के लिए द्विवार्षिक पुरस्कार था। वर्ष 2016 से इसे प्रतिवर्ष किसी एक अनूदित कृति के लिए प्रदान किया जाने लगा। पुरस्कार राशि 50,000 पाउंड स्टर्लिंग है, जिसे लेखक एवं अनुवादक के बीच समान रूप से बाँटा जाता है। इससे अनुवादकों के महत्त्वपूर्ण योगदान को भी मान्यता मिलती है।

पूर्व विजेता

- वर्ष 2025 में बानू मुश्ताक की पुस्तक हार्ट लैम्प, जिसका अंग्रेजी अनुवाद दीपा भास्ती ने किया था, इस पुरस्कार से सम्मानित हुई।
- यह कन्नड़ से अनूदित पहली पुस्तक थी, जिसे यह सम्मान प्राप्त हुआ।

क्या आप जानते हैं?

बुकर पुरस्कार अंग्रेजी में लिखे गए सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए दिया जाने वाला एक पृथक पुरस्कार है। इस पुरस्कार से सम्मानित भारतीय लेखकों में अरुंधति रॉय, किरण देसाई तथा अरविंद अडिगा शामिल हैं।

वर्ष का लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार

भारतीय सेना की मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र वर्ष का सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार, 2025 प्रदान किया गया।

पुरस्कार के प्राप्तकर्ता का परिचय

- वे लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के साथ भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। वे भारतीय सेना की प्रथम महिला युद्धक हेलीकॉप्टर चालक भी हैं।

पुरस्कार का परिचय

- इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2016 में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान विभाग के सैन्य मामलों के कार्यालय द्वारा की गई थी।
- यह पुरस्कार लैंगिक समानता के प्रति असाधारण प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने वाले सैन्य शांति सैनिक को प्रदान किया जाता है।
- यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1325 (महिलाएँ, शांति एवं सुरक्षा) के प्रभावी क्रियान्वयन में योगदान को भी सम्मानित करता है।

भारत की उपलब्धि

- मेजर अभिलाषा बराक यह सम्मान प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति सैनिक हैं।
- इससे पूर्व यह सम्मान प्राप्त करने वाली भारतीय अधिकारी–
  - मेजर सुमन गवानी (2019)
  - मेजर राधिका सेन (2023)

भारत एवं संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना

- 1950 के दशक से भारत विश्वभर में 50 से अधिक शांति अभियानों में 2,90,000 से अधिक शांति सैनिक भेज चुका है।
- इससे भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन गया है। वर्ष 1988 में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना बलों को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था।

बदलते मौसम प्रतिरूप

भारत में पश्चिमी विक्षोभ, एल नीनो तथा ला नीना जैसी जलवायु घटनाओं के कारण असामयिक वर्षा, लू तथा आर्द्रता जैसी चरम मौसमी घटनाओं में वृद्धि देखी जा रही है।

लू (Heatwave) क्या है?

- लू अत्यधिक उच्च तापमान की वह अवधि है, जो सामान्य तापमान से काफी अधिक होती है।
- इसके मानदंड विभिन्न क्षेत्रों के ऐतिहासिक तापमान के आधार पर अलग-अलग होते हैं।
- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार–
  - मैदानी क्षेत्रों में 40° सेल्सियस से अधिक।
  - तटीय क्षेत्रों में 37° सेल्सियस से अधिक।
- पर्वतीय क्षेत्रों में 30° सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर लू घोषित की जा सकती है।

अनुभूत तापमान, ऊष्मा सूचकांक एवं पवन शीतलता सूचकांक

- अनुभूत तापमान ('Feels like' temperature) वह तापमान है, जो वायु की गति एवं आर्द्रता को ध्यान में रखते हुए मानव शरीर द्वारा अनुभव किया जाता है।
- ऊष्मा सूचकांक अनुभूत तापमान का वह रूप है, जो वास्तविक तापमान एवं सापेक्षिक आर्द्रता को मिलाकर यह बताता है कि शरीर को वास्तव में कितनी गर्मी महसूस होती है।
- पवन शीतलता सूचकांक वास्तविक तापमान एवं पवन वेग के संयुक्त प्रभाव को दर्शाता है।
- यह बताता है कि वायु शरीर द्वारा निर्मित गर्म वायु की पतली परत को हटाकर त्वचा को वास्तव में कितना ठंडा महसूस कराती है।

आर्द्र-बल्ब एवं शुष्क-बल्ब तापमान

- आर्द्र-बल्ब तापमान वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले न्यूनतम तापमान को दर्शाता है तथा ऊष्मा एवं आर्द्रता के संयुक्त प्रभाव को प्रतिबिंबित करता है।
- **महत्त्व:** मानव शरीर पसीने के वाष्पीकरण से स्वयं को ठंडा रखता है। अधिक आर्द्रता वाष्पीकरण की क्षमता घटा देती है, जिससे शरीर का ताप कम करना कठिन हो जाता है।
- शुष्क-बल्ब तापमान मानक तापमापी से मापा जाने वाला वास्तविक वायु तापमान है, जिसमें वायुमंडलीय आर्द्रता का प्रभाव शामिल नहीं होता।

पश्चिमी विक्षोभ क्या है?

- यह एक उष्णकटिबंधीय-बाह्य मौसम प्रणाली है, जिसका उद्गम भारत के बाहर होता है तथा जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों में वर्षा, हिमपात एवं तूफान लाती है।
- **उद्गम एवं निर्माण:** इसका उद्गम भूमध्यसागर, काला सागर अथवा कैस्पियन सागर क्षेत्र में होता है। यह तब बनता है जब ठंडी ध्रुवीय वायु गर्म एवं आर्द्र वायु से मिलती है और निम्न दाब प्रणाली का निर्माण होता है।
- ये प्रणालियाँ ऊपरी वायुमंडल की पश्चिमी पवनों, विशेषकर उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा, द्वारा पूर्व की ओर ले जाई जाती हैं।
- **भारत में प्रभावित क्षेत्र:** जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश।
- **पश्चिमी विक्षोभ का महत्त्व:**
  - उत्तर-पश्चिम भारत में होने वाली वार्षिक वर्षा का लगभग 30 प्रतिशत शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभों से प्राप्त होता है।
  - यह हिमालय की जलवायु, हिमनदों, हिम-जल भंडारण, वनस्पति, जीव-जंतुओं, कृषि तथा मानव जीवन को प्रभावित करता है।
  - यह विशेष रूप से गेहूँ, सरसों तथा जौ जैसी रबी फसलों के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
  - पर्याप्त वर्षा मृदा की नमी, फसल उत्पादन तथा खाद्य सुरक्षा को बढ़ाती है।

एल नीनो-दक्षिणी दोलन क्या है ?

- यह भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र सतह के तापमान एवं वायुमंडलीय दाब में होने वाला आवधिक उतार-चढ़ाव है।
- इसकी दो विपरीत अवस्थाएँ हैं-
  - एल नीनो
  - ला नीना
- यह भारतीय मानसून, चक्रवातों, सूखे, बाढ़ तथा वैश्विक तापमान को प्रभावित करता है।

एल नीनो क्या है?

- एल नीनो वह अवस्था है, जिसमें मध्य एवं पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर का समुद्री जल सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है। इस दौरान व्यापारिक पवनें कमजोर पड़ जाती हैं।

ला नीना क्या है?

- ला नीना, एल नीनो की विपरीत अवस्था है। इसमें भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर का समुद्र सतह तापमान सामान्य से कम हो जाता है।
- व्यापारिक पवनें सामान्य से अधिक प्रबल होकर गर्म जल को एशिया की ओर धकेलती हैं।
- **प्रभाव:** इससे दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में अपेक्षाकृत शुष्क परिस्थितियाँ तथा कनाडा में अधिक वर्षा होती है। इसका संबंध ऑस्ट्रेलिया में भीषण बाढ़ से भी देखा गया है।

भारतीय मानसून पर प्रभाव?

- एल नीनो के वर्षों में भारत में तापमान बढ़ता है तथा वर्षा कम होती है, जिससे अनेक क्षेत्रों में सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। इसका प्रतिकूल प्रभाव कृषि, जल संसाधनों तथा पारितंत्र पर पड़ता है।
- वर्ष 2023-24 की फसल अवधि में एल नीनो के कारण खाद्यान्न उत्पादन में 1.4 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।
- ला नीना के दौरान समुद्र सतह का तापमान कम होने से भारत के कुछ भागों में वर्षा बढ़ जाती है।

आगे की राह

- भारत को जलवायु पूर्वानुमान एवं प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालियों को और अधिक सुदृढ़ करना चाहिए। जलवायु-अनुकूल कृषि तथा जल संरक्षण उपायों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- शहरी नियोजन में हरित आधारभूत संरचना एवं ऊष्मा-नियंत्रण उपायों को शामिल किया जाना चाहिए। ऊष्मा तनाव तथा आपदा तैयारी के संबंध में जन-जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए।

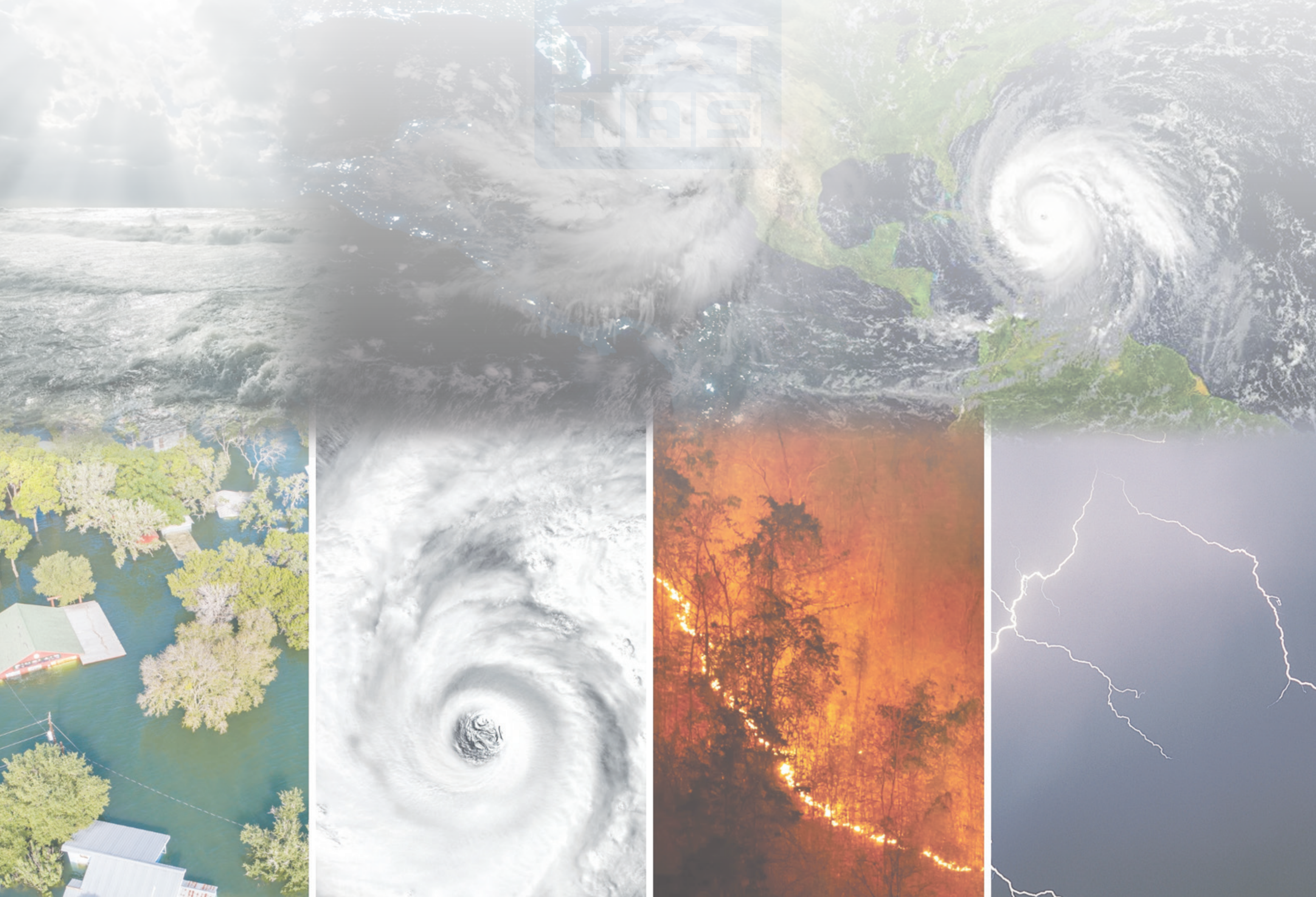

डेटा पुनर्कथन

- भारत ने श्रम प्रशासन को सरल बनाने के उद्देश्य से 29 केन्द्रीय श्रम कानूनों को समेकित कर चार श्रम संहिताओं में परिवर्तित किया है।
- भारत की कुल प्रजनन दर घटकर 2.0 हो गई है, जो प्रतिस्थापन-स्तर की प्रजनन दर के निकट है। भारत का मातृ मृत्यु अनुपात वर्ष 2021-23 के दौरान घटकर प्रति एक लाख जीवित जन्मों पर 88 रह गया।
- वन अधिकार अधिनियम, 2006 पात्र वनवासियों को प्रति परिवार चार हेक्टेयर तक भूमि पर स्वामित्व अधिकार प्रदान करता है।
- वन अधिकार अधिनियम, 2006 को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों पर अधिभावी प्रभाव प्राप्त है।
- संविधान का अनुच्छेद 46 राज्य को अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करने का निर्देश देता है।
- वर्ष 2019 में उच्चतम न्यायालय ने वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अस्वीकृत लगभग 18 लाख दावेदारों को बेदखल करने का आदेश दिया था, जिसे बाद में स्थगित कर दिया गया।
- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता-सक्षम प्रणालियों का उपयोग करते हुए 94 प्रतिशत लक्ष्य-सटीकता प्राप्त की।
- भारत ने रक्षा आधुनिकीकरण के लिए वर्ष 2026 को नेटवर्किंग एवं आँकड़ा-केंद्रितता वर्ष घोषित किया।
- भारत में इलेक्ट्रॉनिक कचरे की मात्रा वर्ष 2030 तक बढ़कर 1.4 करोड़ मीट्रिक टन होने का अनुमान है।
- भारत वर्ष 1989 के बेसल अभिसमय का पक्षकार है, जो खतरनाक अपशिष्ट से संबंधित है।
- भारत में लगभग 90 से 95 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक कचरे का प्रसंस्करण असंगठित क्षेत्र द्वारा किया जाता है।
- ग्लूकागोन-सदृश पेप्टाइड-1 औषधियों को संयुक्त राज्य अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा वर्ष 2005 में टाइप-2 मधुमेह एवं मोटापे के उपचार हेतु अनुमोदित किया गया।
- सूर्य-पृथ्वी लैग्रांज बिंदु-1 गुरुत्वीय संतुलन के कारण सूर्य का निरंतर अवलोकन संभव बनाता है।
- आदित्य-एल1 पर स्थित सौर पराबैंगनी प्रतिबिंबन दूरदर्शी सूर्य के प्रकाशमण्डल तथा वर्णमण्डल का अध्ययन करता है।
- राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की स्थापना वर्ष 1986 में गृह मंत्रालय के अधीन की गई थी।
- राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केन्द्र महत्त्वपूर्ण साइबर अवसंरचना की सुरक्षा के लिए नोडल संस्था है।
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 गैर-नागरिकों को मतदाता के रूप में पंजीकरण से अयोग्य ठहराती है।
- भारतीय प्रवासी नागरिक योजना को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2005 के माध्यम से प्रारम्भ किया गया।
- भारतीय प्रवासी नागरिक तथा भारतीय मूल के व्यक्ति योजनाओं का वर्ष 2015 में विलय कर दिया गया।
- भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 कम-से-कम 100 करोड़ रुपये से संबंधित आर्थिक अपराधों पर लागू होता है।
- वर्ष 2024 में भारत 137.7 अरब अमेरिकी डॉलर की प्राप्ति के साथ विश्व का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश बना रहा।
- विश्व प्रवासन प्रतिवेदन का प्रकाशन अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा किया जाता है।
- सोमनाथ मंदिर को बारह आदि ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है।
- सोमनाथ मंदिर का बाण स्तम्भ दक्षिण ध्रुव की ओर बिना किसी स्थलीय अवरोध के सीधा संकेत करता है।
- रवीन्द्रनाथ ठाकुर वर्ष 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई बने।
- पद्म पुरस्कारों को संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत निषिद्ध उपाधियाँ नहीं माना जाता।
- बालाजी राघवन बनाम भारत संघ (1996) में उच्चतम न्यायालय ने पद्म पुरस्कारों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।
- अलगोजा एक पारंपरिक द्वि-वंशी वाद्ययंत्र है, जिसे चक्राकार श्वसन तकनीक द्वारा बजाया जाता है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 ने 34 वर्ष बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 का स्थान लिया।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 ने पूर्ववर्ती 10+2 व्यवस्था के स्थान पर 5+3+3+4 पाठ्यचर्या संरचना लागू की।
- शैक्षणिक क्रेडिट बैंक उच्च शिक्षा में बहु-प्रवेश एवं बहु-निर्गमन की सुविधा प्रदान करता है।
- बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालयों की परिकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अंतर्गत आदर्श संस्थानों के रूप में की गई है।
- पंचायत उन्नयन सूचकांक 2.0 देश की 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों का आकलन करता है।
- पंचायत उन्नयन सूचकांक 2.0 ग्रामीण प्रशासन के मूल्यांकन के लिए 150 संकेतकों तथा 230 आँकड़ा बिंदुओं का उपयोग करता है।
- वर्ष 1886 में शिकागो की हेमार्केट घटना अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस का आधार बनी।
- भारत में संस्थागत प्रसव बढ़कर 90.6 प्रतिशत हो गए हैं, जो मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को दर्शाता है।
- भारत की संसद में महिलाएँ कुल सांसदों का 13.65 प्रतिशत हैं, जो संसद में लैंगिक प्रतिनिधित्व को दर्शाता है।

स्वयं परीक्षण

Visit: www.nextias.com for monthly compilation of Current based MCQs

मुख्य परीक्षा प्रश्न

1. परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक की घटनाएँ न केवल योग्यता-आधारित व्यवस्था को कमजोर करती हैं, बल्कि शैक्षणिक संस्थानों में जनविश्वास तथा शासन तंत्र की विश्वसनीयता को भी प्रभावित करती हैं। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
2. निरंतर आर्थिक विस्तार के बावजूद भारत का श्रम बाजार उच्च अनौपचारिकीकरण, कमजोर सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगारविहीन वृद्धि से अब भी चिह्नित है। परीक्षण कीजिए।
3. भारत का जनसांख्यिकीय संक्रमण लैंगिक न्याय, मानव पूँजी तथा आर्थिक परिवर्तन के बीच एक जटिल अंतःक्रिया प्रस्तुत करता है। चर्चा कीजिए।
4. अवैतनिक देखभाल कार्य भारत में महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के समक्ष सबसे महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक बाधाओं में से एक बना हुआ है। परीक्षण कीजिए।
5. कृत्रिम बुद्धिमत्ता युद्ध को जनशक्ति-केंद्रित युद्ध से आँकड़ा-केंद्रित बुद्धिमान युद्ध में परिवर्तित कर रही है। चर्चा कीजिए।
6. रक्षा क्षेत्र में सामरिक स्वायत्तता अब बढ़ते हुए तकनीकी संप्रभुता पर निर्भर होती जा रही है। भारत के स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पारितंत्र के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए।
7. संरक्षण संबंधी प्राथमिकताओं एवं जनजातीय अधिकारों के बीच तनाव भारत की वन शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता बना हुआ है। विश्लेषण कीजिए।
8. ई-कचरा केवल एक पर्यावरणीय चुनौती ही नहीं, बल्कि रणनीतिक संसाधन सुरक्षा तथा परिपत्र अर्थव्यवस्था शासन का भी एक महत्त्वपूर्ण विषय बनकर उभरा है। चर्चा कीजिए।
9. भारत का विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) ढाँचा संरचनात्मक एवं संस्थागत कमजोरियों से ग्रस्त है। समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।
10. समकालीन वैश्विक व्यवस्था में हिन्द महासागर सर्वाधिक रणनीतिक रूप से प्रतिस्पर्धी भू-आर्थिक क्षेत्र के रूप में उभरा है। परीक्षण कीजिए।
11. भारत का जल संकट अब अत्यधिक दोहन, फसल प्रतिरूप संबंधी विकृतियों तथा जलवायु तनाव से प्रेरित एक संरचनात्मक संकट बनता जा रहा है। चर्चा कीजिए।
12. भारत में जलाशयों का जल-क्षय जल शासन तथा संसाधन प्रबंधन की गहरी कमजोरियों को प्रतिबिंबित करता है। परीक्षण कीजिए।
13. केवल उच्चतम न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा देना भारत के न्यायिक लंबित मामलों के गहरे संकट का समाधान नहीं कर सकता। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
14. भारत-दक्षिण कोरिया संबंध अब प्रौद्योगिकी सहयोग, सामरिक अभिसरण तथा आपूर्ति श्रृंखला की सुदृढ़ता से अधिकाधिक प्रभावित हो रहे हैं। परीक्षण कीजिए।
15. प्रवासन से उत्पन्न बड़े पैमाने पर जनसांख्यिकीय परिवर्तन राष्ट्रीय सुरक्षा, संसाधनों के वितरण तथा सामाजिक स्थिरता पर प्रभाव डाल सकते हैं। चर्चा कीजिए।
16. राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं तथा संवैधानिक संरक्षणों के बीच संतुलन स्थापित करना भारत में प्रवासन शासन की प्रमुख चुनौती बना हुआ है। विश्लेषण कीजिए।
17. भारत में घटती प्रजनन दर तथा बेहतर होते स्वास्थ्य संकेतक जनसांख्यिकीय स्थिरीकरण का संकेत देते हैं, किन्तु क्षेत्रीय एवं संरचनात्मक असमानताएँ अब भी बनी हुई हैं। चर्चा कीजिए।
18. समान नागरिक संहिता पर चल रही बहस विधिक एकरूपता एवं धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संवैधानिक संतुलन का प्रतिनिधित्व करती है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
19. जलवायु परिवर्तन ने भारत में बाँध शासन के परिचालन एवं सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को और अधिक गंभीर बना दिया है। चर्चा कीजिए।
20. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 भारत की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तनकारी सुधारों का लक्ष्य रखती है, किन्तु इसके क्रियान्वयन में अभी भी महत्त्वपूर्ण अंतराल विद्यमान हैं। परीक्षण कीजिए।